

जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)



2019-20

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण हरिद्वार
दूरभाष/फैक्स : 01334-223999, 1077 (Toll-Free)
मो0-7055258800, ई-मेल : ddmoharidwar@gmail.com

संदेश

आपदायें अचानक घटित होने वाली प्राकृतिक अथवा मानव जनित विस्मयकारी घटनायें हैं। प्रति वर्ष इनसे जन-जीवन, सम्पदा एवं धन-धान्य का व्यापक नुकसान होता है। आपदायें असामान्य रूप से कभी भी और कहीं भी घटित होकर कुछ ही समय में भू-भौतिक, जलवायुविक, जैविक और मानवीय कारकों के द्वारा व्यापक स्वरूप प्राप्त कर लेती हैं। आपदाओं के घटित होने का कोई निश्चित पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, किन्तु इनकी प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुसार होने वाले नुकसान और दुष्प्रभावों को, पहले से तैयारी कर, न्यूनीकृत एवं नियंत्रित किया जा सकता है। आपदाओं की स्थिति में त्वरित बचाव, सुरक्षा, चिकित्सा तथा समय पर राहत सहायता उपलब्ध कराते हुए, प्रभावितों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास की समस्या का निराकरण कर सामान्य स्थिति की बहाली और समन्वित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना आपदा प्रबन्धन चक्र के महत्वपूर्ण आयाम हैं।

अपनी विशिष्ट भू-भौतिक स्थिति, जलवायु विविधता, भू-गर्भीय संरचनाओं के कारण जनपद हरिद्वार में भूकम्प, भूस्खलन, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदायें, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा और ब्रजपात जैसी जलवायुविक विपदायें अक्सर घटित होती रहती हैं। कृषि, तीर्थाटन, पर्यटन, परिवहन, व्यापार एवं वानिकी आधारित कार्यों एवं गतिविधियों के कारण यहां पर सड़क दुर्घटनाएँ, अग्निकांड, वनाग्नि महामारी की समस्याएँ भी हमेशा बनी रहती हैं। उपरोक्त आपदाओं के न्यूनीकरण एवं नियंत्रण हेतु पूर्व तैयारियाँ, विभाग और जनसमुदाय के बीच परस्पर समन्वयन, तथा आपदाओं से पूर्व, आपदाओं के दौरान एवं पश्चात की स्थितियों में नियंत्रण, खोज-बचाव, राहत, पुनर्स्थापना कार्यों को सुगमता से करने के उद्देश्य से जनपद हरिद्वार की जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना बनाई गई है, ताकि अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को एक व्यावहारिक एवं बहुउद्देशीय स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं अपने पूर्ववर्ती जिलाधिकारियों एवं आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, (DMMC), देहरादून द्वारा समय-समय पर दिये गये सुझावों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्ययोजना को संकलित एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उपजिलाधिकारियों, जिला सूचना अधिकारी और विभिन्न जनपदीय अधिकारियों द्वारा किये गये प्रयास सराहनीय है।

मैं आशा करता हूँ कि यह प्रयास उपयोगी सिद्ध होगा।

शुभ कामनाओं सहित,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना, जनपद हरिद्वार

अध्याय	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
अध्याय-1	आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना —प्रस्तावना, —बहु-आपदा प्रतिक्रिया कार्ययोजना —उद्देश्य —आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का महत्व —जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के तत्व —जनपद में खतरों के प्रकार	5—6
अध्याय-2	जनपद हरिद्वार का परिचय —परिचय —जनपद का इतिहास —क्षेत्रफल एवं भौगोलिक परिचय —जनपद एक दृष्टि में —भौगोलिक स्थिति का विवरण —जलवायु —वर्षा एवं तापमान, रिकार्डिंग स्टेशन —भूगर्भीय संरचना और मृदा —नदी और नालें —सड़क नेटवर्क —हैलीपैड —सूचना, संचार एवं मीडिया रिसोर्स इन्वेन्टरी —भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (IDRN)	7—15
अध्याय-3	विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाएं— 1—तहसील आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना—हरिद्वार/रूड़की/लक्सर/भगवानपुर 2— विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना—पुलिस विभाग 3—वभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना — वन विभाग 4—विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना— अग्निशमन विभाग 5—विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना— लोक निर्माण विभाग 6—विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना— होमगार्ड विभाग 7—विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना— खाद्य एवं आपूर्ति विभाग 8—विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना— स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 9—वभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना— हरिद्वार—रूड़की विकास प्रधिकरण 10—विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना— सिंचाई विभाग, हरिद्वार/रूड़की 11—विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना— पशुपालन विभाग, हरिद्वार 12—विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना— शिक्षा विभाग, हरिद्वार 13—विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना— 40—वीं वाहिनी पीएसी, हरिद्वार	16—129 — — — — — — — — — — — — —
अध्याय-4	जोखिम विश्लेषण एवं आंकलन —जनपद में आपदाओं का इतिहास —आपदाओं को मौसमी विश्लेषण —जोखिम आंकलन	130—131
अध्याय-5	संवेदनशीलता का आंकलन —खतरों के विरुद्ध ढांचागत संवेदनशीलता —कमजोर एवं संवेदनशील तटबन्धों की पहचान —तहसील हरिद्वार में संवेदनशील/कमजोर इमारतों व आश्रमों की सूची —तहसील रूड़की में संवेदनशील भवनों की सूची —सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले वार्ड	132—139

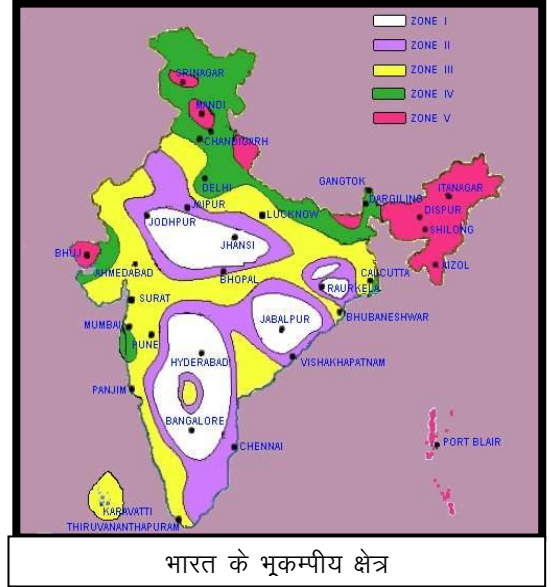
	—अग्नि सम्भावित क्षेत्रों की पहचान —विभिन्न खतरों से प्रभावित क्षेत्र तथा जनसंख्या —निचले गांव/क्षेत्रों की पहचान	
अध्याय—6	न्यूनीकरण योजना —सेक्टर के अनुसार संवेदनशीलता कम करने के उपाय	141—143
अध्याय—7	आपदा प्रतिक्रिया/ अनुक्रिया ढाँचा —जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण —जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियां व कृत्य —आपदा की स्थिति में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियां व कृत्य —आपदा प्रबन्धन समिति —घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (Incident Response System) —जनपद में वॉयरलेस सम्पर्क तंत्र	144—187
परिशिष्ट	—राज्य आपदा मोचन निधि मानक —प्रलेख में प्रयुक्त परिभाषायें एवं संकेतात्मक शब्द —आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उपकरणों का विवरण —आपदा में खोज—बचाव प्रशिक्षित कार्मिक एवं स्वयं सेवकों की सूची (होमगार्ड, पी0आर0डी0, आपदा मित्र, ग्राम प्रहरी, जल पुलिस, अग्निशमन विभाग, युवक मंगल एवं महिला मंगल दल की सूची संलग्न)	188—200

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना

प्रस्तावना

आपदायें एवं विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रकृति में होने वाले बदलाव, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या एवं औद्योगिक विकास के साथ ही अन्य अनेक कारण हैं जिनसे प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ मानव जनित आपदाओं में भी बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले एक शताब्दी के दौरान ही विश्वभर में 4 करोड़ लोग आपदाओं का शिकार हो गये, जिनमें से एक करोड़ केवल भारत वर्ष के हैं। नवीन तकनीकी के विस्तार के साथ यद्यपि विश्व स्तर पर आपदाओं से होने वाली जनहानि में कमी आयी है किन्तु उनसे होने वाली आर्थिक क्षति कई गुना अधिक बढ़ गई है। भारत जैसे विकासशील देशों में तकनीकी अभाव के कारण स्थिति जस की तस है।

भारत का हिमालयी क्षेत्र नवीन पर्वत श्रृंखला होने के कारण अनेक भौगोलिक परिवर्तनों से गुजर रहा है, तथा आपदाओं की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। इस क्षेत्र में आये पिछले भूकम्पों जिनमें 1905 में आया कांगडा का भूकम्प (जिसमें 30,000 लोगों की मृत्यु हुई) भी सम्मिलित है, ने विकास और प्रकृति के संतुलन को बनाये रखने के संकेत दिये हैं।



उत्तराखण्ड राज्य अपनी विषम भौगोलिक स्थिति के कारण सूक्ष्म पारिस्थितिकीय बदलाव के प्रति संवेदनशील है। अतः कोई भी ऐसी क्रिया जो कि प्रकृति के विरुद्ध हो आपदा को जन्म देती है। राज्य में हरिद्वार एक बहुआपदा ग्रस्त जनपद है। बाढ़, भूकम्प, भूस्खलन, भगदड़, सड़क दुर्घटना एवं औद्योगिक दुर्घटनाएं जनपद में होने वाली प्रमुख प्राकृतिक व मानव जनित आपदायें हैं। अन्य प्राकृतिक आपदाओं में अतिवृष्टि, भू-कटाव तथा सूखा है। भारत के भूकम्प मानचित्र के अनुसार जनपद का अधिकतर भाग जोन IV में आता है। जनपद बाढ़ की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है।

उत्तराखण्ड का आपदा प्रबन्धन तंत्र राज्य में आपदा की स्थिति के नियोजन को सम्बोधित करता है। जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना जनपद स्तर पर बहुआपदा प्रतिक्रिया तन्त्र की आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास है। जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पूर्व तैयारी व न्यूनीकरण उपायों का क्रियान्वयन आवश्यक है।

बहु-आपदा प्रतिक्रिया कार्ययोजना :

जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना जनपद में होने वाली विभिन्न आपदाओं जैसे-बाढ़, भूकम्प, भूस्खलन, औद्योगिक दुर्घटनाएं व सड़क दुर्घटनाओं आदि के समय जनपद में कार्यरत विभिन्न सरकारी व औद्योगिक संस्थाओं की प्रतिक्रिया को निर्देशित करती है। कुछ प्राकृतिक आपदायें जैसे-बाढ़, भूकम्प व भूस्खलन एक बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, जान-माल व पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाती है। ऐसी आपदाओं के प्रबन्धन व राहत कार्य में संसाधन व मानव शक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता होती है।

प्रस्तुत कार्ययोजना आपदा से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु संस्थागत उपायों की आवश्यकता की रूपरेखा एवं आपदा हेतु प्रस्तावित बहु-प्रतिक्रिया योजना है। आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना में संलग्न विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आपदा के समय किये जाने वाले कार्यों को भी निर्देशित करती है। प्रथम स्तर या स्थानीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया तन्त्र आपदा के प्रकार पर आधारित होता है, परन्तु जनपद स्तर पर नियन्त्रण सभी प्रकार की आपदाओं हेतु लगभग समान ही रहेगा।

उद्देश्य : योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं

- प्रतिक्रिया के सभी आम तत्वों की पहचान करना।
- जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना की एक ऐसी तैयारी योजना के रूप में कल्पना की गई है, जिसमें सम्भावित आपदा के संकेतों के प्रति प्राप्तकर्ता त्वरित रूप से सचेत हो सकें तथा कार्यवाही एवं न्यूनीकरण व्यवस्थाओं को बिना समय गंवाये सक्रिय कर सकें।
- यह योजना कार्यवाही एवं न्यूनीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाओं में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों तथा प्रतिक्रिया व्यवस्था की पूर्व में जानकारी प्रदान करेगी।
- उपलब्ध मानव संसाधन, सामग्री, उपकरण आदि संसाधनों की पहचान तथा पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का हस्तान्तरण जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (DDMAP) के सफल संचालन के लिए आवश्यक है।

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का महत्व :

जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के निर्माण से एक सुनियोजित प्रतिक्रिया तन्त्र व उत्तरदायित्व के विभाजन के अभाव में संसाधनों के कुप्रबन्धन एवं विभिन्न एजेंसियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों में दोहराव को रोकने में मदद मिलेगी, जिससे किसी भी आपदा के समय उपयुक्त प्रतिक्रिया कर आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

- प्रतिक्रिया कार्यों का क्रमबद्ध पूर्व नियोजन।
- प्रतिभागी एजेंसियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण।
- संसाधनों का प्रभावी प्रबन्धन,
- आपदा प्रबन्धन में संलग्न विभिन्न विभागों एवं राहत एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल हेतु कोड व विशिष्ट परिचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का विकास।

जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के तत्व :

विगत अनुभवों पर आधारित आपदा के समय होने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान व जनपद के परिप्रेक्ष्य में उनका सम्भावित समाधान निम्न प्रमुख तत्व हैं—

- आपदा से पूर्व व आपदा के पश्चात जरूरी कार्यों का चिन्हीकरण व इन कार्यों का व्यक्ति विशेष, संगठनों, विभागों में वितरण।
- प्रशासनिक तंत्र के आत्मबल में वृद्धि हेतु एक प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित किया जाना।
- गैर सरकारी संगठनों सहित सभी प्रतिक्रिया दलों के बीच एक सुगठित व प्रभावी प्रतिक्रिया हेतु तालमेल स्थापित करना।
- राज्य स्तरीय प्रतिक्रिया तंत्र के साथ बेहतर तालमेल।

जनपद में खतरों के प्रकार :

प्राकृतिक खतरे

- भूकम्प
- बाढ़
- भूस्खलन

मानव निर्मित खतरे

- औद्योगिक एवं रासायनिक खतरे
- आग
- भगदड़
- सांप्रदायिक दंगे
- सड़क/रेल दुर्घटनाएं
- वन अग्नि
- आतंकवादी खतरे आदि



बरसात में गंगा का रौद्र रूप

अध्याय-2

जनपद हरिद्वार एक परिचय

परिचय:

प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाओं के प्रति हरिद्वार जिले के जोखिम को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। हरिद्वार जिला बाढ़, भूकम्प, भगदड़, अग्निकाण्ड, सड़क दुर्घटना, आतंकवादी हमले आदि आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। आपदाओं से होने वाले नुकसान वर्ष दर वर्ष बढ़ते जा रहे हैं। आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु एक प्रभावी आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना की जरूरत महसूस की जा रही है। इसके साथ ही जिले में आपदा प्रबन्धन हेतु मजबूत संगठनात्मक ढांचे की भी आवश्यकता है।

आपदाओं के सामान्य वर्गीकरण से आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने में मदद मिलेगी। किसी भी आपदा की स्थिति में कार्यवाही, प्रक्रियाओं और जिम्मेदारियों को समय पर सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारियों को पूर्व में अच्छी तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार करनी आवश्यक है, जिसमें बहु-आपदा घातकता तथा पूर्व तैयारी हेतु ऑपरेशन टीम, लाजस्ट्रिक टीम संचार टीम, और हैण्डबुक के रूप में स्पष्टता से व्यक्त किया गया हो। इस व्यवस्था के अर्न्तगत जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र तथा इन्सीडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम(IRS) सेवन डेस्क सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण मापदण्डों, आवश्यकताओं और संगठनात्मक संरचना को तैयार किया गया है।

जनपद का इतिहास

प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग, हरिद्वार भारतीय संस्कृति और सभ्यता को प्रस्तुत करता है। हरिद्वार को मायापुरी, कपिला, गंगाद्वार आदि नामों से भी जाना जाता है। भगवान शिव (हर) और भगवान विष्णु (हरि) के अनुयायियों के अनुसार क्रमशः इस जगह को हरि का द्वार अर्थात् हरिद्वार कहा जाता है। हरिद्वार हिन्दुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है क्योंकि यह देवभूमि और चारधामों जो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री के लिए प्रवेश का एक बिन्दु के रूप में है।

ऐसा माना जाता है कि महाराजा भागीरथ अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा नदी को लाये थे, यह भी माना जाता है कि हरिद्वार को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान विष्णु के पैरों के निशान हर की पैड़ी पर उपस्थित है। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि हरिद्वार में पवित्र गंगा में डुबकी के बाद उनका उद्धार हो जाता है और वे स्वर्ग में जा सकते हैं।



हरिद्वार उन चार स्थानों में से एक है जहां कुंभ मेला हर बारह साल में तथा अर्द्धकुंभ मेला हर छः साल में लगता है ऐसी मान्यता है कि अमृत की बूंद हर की पैड़ी के ब्रह्म कुण्ड में पड़ी थी इसलिए इस खास दिन में गंगा में डुबकी लगाने का विशेष महत्त्व है। हरिद्वार आयुर्वेदिक दवाओं और हर्बल उपचार के लिए एक खास स्थान रखता है।

क्षेत्रफल एवं भौगोलिक परिचय :

हरिद्वार जिला का क्षेत्रफल लगभग 2,360 वर्ग किलोमीटर है जो कि उत्तराखण्ड राज्य के पश्चिम में स्थित है। जिला 29.58 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 78.13 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 250 मीटर है। दिनांक 28 दिसम्बर 1998 को जिला हरिद्वार अस्तित्व में आया। जिले के उत्तर और पूर्व में देहरादून, पूर्व में पौड़ी



गढ़वाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य का सहारनपुर जिला तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले स्थित है। जिला मुख्यालय रोशनाबाद में स्थित है जो पवित्र तीर्थ नगरी से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड की फैक्टरी (भेल) एक “नवरत्न पी.एस.यू.” हरिद्वार जिले में स्थित है। रुड़की में रुड़की विश्वविद्यालय विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सीखने का सबसे पुराने और प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। जिले के अन्य विश्वविद्यालय गुरुकुल का विशाल परिसर है जिसमें अपनी ही तरह की पारंपारिक शिक्षा दी जाती है।

हरिद्वार जिला अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और भूकम्प के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। जिले में वर्ष 1995, 1997, 1998, 2010, 2011 तथा 2013 में बाढ़ की स्थिति से जीवन और सम्पत्ति का भारी नुकसान हुआ।

जनपद एक दृष्टि में

अक्षांश	78°10”
देशान्तर	29° 30” North
भौगोलिक क्षेत्रफल	2360 वर्ग कि०मी०
तहसील	04 (हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर)
विकासखण्ड	06 (बहादुराबाद, रुड़की, लक्सर, खानपुर, नारसन, भगवानपुर)
न्याय पंचायतें	46
ग्राम पंचायतें	308
आबाद ग्राम	503
गैर आबाद ग्राम	91
वन ग्राम	05
कुल ग्राम	597
पुलिस स्टेशन	19 (ग्रामीण-09, शहरी-08, जी०आर०पी०-02)
नगर निगम क्षेत्र	02 (हरिद्वार, रुड़की)
नगर पालिका परिषद	03 (शिवालिकनगर, मंगलौर, लक्सर)
नगर पंचायत	04 (झबरेडा, लण्ढौरा, भगवानपुर, पिरान कलियर)
छावनी क्षेत्र	01
विकास प्राधिकरण	01 (हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण)
संसदीय क्षेत्र	01
विधानसभा क्षेत्र	11
जनसंख्या (2011 के अनुसार)	18,90,422 (पुरुष-10,05,295 + महिला-8,85,127)
कुल परिवारों की संख्या	3,38,104
हिन्दू	12,14,935
मुस्लिम	6,48,119
सिख	17364
इसाई	4878
बौद्ध	709
जैन	2501
अन्य	1916
जनसंख्या का घनत्व(प्रति वर्ग कि०मी०)	801
अनुसूचित जाति जनसंख्या	4,11,274 (पुरुष-2,17,981 + महिला-1,93,293)
अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	6,323 (पुरुष-3,385 + महिला-2,938)
लिंगानुपात	880
ग्रामीण जनसंख्या	11,61,884 (पुरुष-6,15,223 + महिला-5,40,661)
साक्षरता	73.43% (पुरुष 81.04% व महिला 64.79%)
औसत तापमान	न्यूनतम 2° सेन्टीग्रेट से अधिकतम 44°सेन्टीग्रेट
औसत वर्षा	949.3 मि०मी०
जिला अस्पताल	01
जिला महिला अस्पताल	01
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	29
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	08

संयुक्त चिकित्सालय	01
प्रसूति केन्द्र	01
परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण सेन्टर (मुख्य)	13
परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण सेन्टर (उपकेन्द्र)	166
ऐलोपैथिक अस्पताल	28
आयुर्वेदिक अस्पताल	25
यूनानी अस्पताल	04
होम्योपैथिक अस्पताल	14
पशुचिकित्सालय	16
पशु सेवा केन्द्र	39
पशुधन प्रसार अधिकारी केन्द्र	39
जूनियर बेसिक स्कूल	1155
सीनियर बेसिक स्कूल	751
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	275
स्नातकोत्तर महाविद्यालय	14
महाविद्यालय	09
विश्वविद्यालय	03
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	01 (रूड़की)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	55
पॉलेटेक्निक	21
डाकघर	112 (नगरीय 36, ग्रामीण 76)
पंजीकृत कार्यरत कारखाने/उद्योग की संख्या	1191
लघु औद्योगिक ईकाइयां	11756
लघु उद्योग कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	298772
विद्युतिकृत कुल ग्राम	501

भौगोलिक स्थिति का विवरण :

हरिद्वार उन पहले शहरों में से एक है जहाँ गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। गंगा का पानी, अधिकतर वर्षा ऋतु जब कि ऊपरी क्षेत्रों में से मिट्टी इसमें घुलकर नीचे आ जाती है के अतिरिक्त एकदम स्वच्छ व ठंडा होता है। गंगा नदी विभिन्न प्रवाहों जिन्हें जंजीरा भी कहते हैं की श्रृंखला में बहती है जो कि अधिकतर जंगलों से घिरे हैं। अन्य छोटे प्रवाह हैं : रानीपुर राव, पथरी राव, रावी राव, हर्नोई राव, बेगम नदी आदि जिले का अधिकांश भाग जंगलो से घिरा है व राजाजी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जिले की सीमा में ही आता है जो इसे वन्यजीव व साहसिक कार्यों के प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान बनाता है। राजाजी इन गेटों से पहुंचा जा सकता है:- रामगढ़ गेट व मोहंड गेट जो देहरादून से 25 किमी० की दूरी पर स्थित है जबकि मोतीचूर, रानीपुर और चीला गेट हरिद्वार से केवल 9 किमी० की दूरी पर हैं। कुनाओ गेट ऋषिकेश से 6 किमी० की दूरी पर है। लालढांग गेट कोटद्वार से 25 किमी० की दूरी पर है। 2360 वर्ग किमी० क्षेत्र से घिरा हरिद्वार जिला भारत के उत्तराखण्ड राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके अक्षांश व देशांतर क्रमशः 29.96 डिग्री उत्तर व 87.16 डिग्री पूर्व हैं। हरिद्वार समुद्र तल से 249.70 मी० की ऊंचाई पर उत्तर-पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों तथा दक्षिण में गंगा नदी के बीच स्थित है।

जलवायु:

जनपद हरिद्वार की जलवायु मध्यम समशीतोष्ण तथा तीन विशिष्ट मौसम (गर्मी, बरसात तथा जाड़े) युक्त है। यहां का तापमान मार्च में 29 डिग्री से बढ़ना शुरू हो जाता है तथा मई में 42 डिग्री तक पहुंच जाता है। मध्य जून तक मानसून के पहुंचने पर तापमान पुनः गिरने लगता है। तापमान नवम्बर में 10.5 डिग्री से कम होने लगता है तथा माह दिसम्बर-जनवरी में न्यूनतम 5 डिग्री तक पहुंच जाता है। वर्षा ऋतु में अधिकतम आद्रता (प्रातः 85 प्रतिशत तथा सांय 79 प्रतिशत) अप्रैल और मई के महीने में न्यूनतम आद्रता (प्रातः 40 प्रतिशत तथा सांय 24 प्रतिशत) पाई जाती है। हवा की अधिकतम गति 7.4 कि०मी० प्रति घण्टा मई-जून में तथा न्यूनतम 2.6 किमी. प्रति घण्टा अक्टूबर में पाई गई है। अधिकतम वाष्पीकरण 199 मि०मी० माह-मई में तथा न्यूनतम 38.5 मिमी० माह-दिसम्बर में पाया गया है।

वर्षा एवं तापमान, रिकॉर्डिंग स्टेशन :

हरिद्वार जिले में वार्षिक सामान्य औसत वर्षा 949.30 मि०मी० रिकार्ड की गई है। अधिकतम वर्षा जनपद के उत्तरी क्षेत्र में तथा न्यूनतम दक्षिणी क्षेत्र में रिकार्ड की गई है। पिछले वर्ष 2018 में माह जुलाई में 573.67, अगस्त में 230.67 तथा सितम्बर में 70.33 मि०मी० औसत वर्षा रिकार्ड की गई।

जिले वर्षवार औसत वर्षा विवरण	वास्तविक वर्षा (मि०मी०)	औसत वर्षा (मि०मी०)
वर्ष 2010	1577.99	131.49
वर्ष 2011	1440.00	1144.00
वर्ष 2012	963.00	1144.00
वर्ष 2013	1465.00	1144.00
वर्ष 2014	1036.00	1144.00
वर्ष 2015	1019.00	1144.00
वर्ष 2016	1104.00	1144.00
वर्ष 2017	2664.40	888.13
वर्ष 2018	3918.85	979.71

रिकॉर्डिंग स्टेशन:

क्र.सं.	कार्यालय/स्थल	संपर्क	फोन नम्बर
1	तहसील परिसर, हरिद्वार	तहसीलदार हरिद्वार	01334-254807
2	तहसील परिसर, रुड़की	तहसीलदार रुड़की	01332-272318
3	तहसील परिसर, लक्सर	तहसीलदार लक्सर	01332-254377
4	धनौरी, रुड़की	निदेशक, मौसम विभाग, देहरादून	0135-2714143
5.	राजकीय बालिका इण्टर कालेज, ज्वालापुर, हरिद्वार	प्रधानाचार्य,	01334-250706
6	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (I.I.T.), रुड़की	निदेशक, आई. आई. टी.	01332-284328
7			

भू-गर्भीय संरचना और मृदा :

जनपद के उत्तरी भाग में भौगोलिक स्थिति ऊंची-नीची व पर्वतीय है तथा दक्षिण का अधिकांश हिस्सा मैदानी है। यहां की ऊंचाई 869 मी० से 232 मी० के मध्य है। शिवालिक पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में खड़ी ढाल है। हरिद्वार जिले को चार भू-आकृतिक इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है जो बाढ़ प्रभावित मैदानी क्षेत्र, निचले मैदान, ऊपरी मैदानी क्षेत्र और संरचनात्मक पहाड़ियां हैं। मैदानी क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त, अपेक्षाकृत समतल, गहरा और सोलानी नदी के निकट है। यह क्षेत्र मोटी एवं बारीक रेत, मलवा एवं महीन मिट्टी (क्ले) से बना है। बाढ़ की स्थिति में यह क्षेत्र बार-बार पानी में डूबता रहता है। निचला मैदानी क्षेत्र कहीं समतल तथा कहीं ऊंचा-नीचा है, जिसका ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है।

नदी और नाले :

हरिद्वार जिला वह पहला स्थान है जहां गंगा नदी मैदान को पहली बार छूती है इसलिए इसे गंगाद्वार भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यहां निम्न नदियां और नाले हैं :-

क्र०सं०	नदियां	ब्लाक/क्षेत्र
1	गंगा	हरिद्वार शहर, बहादुराबाद, लक्सर, खानपुर
2	सोलानी नदी	भगवानपुर, रुड़की, लक्सर, खानपुर, नारसन
3	रतमऊ राव	भगवानपुर, बहादुराबाद, रुड़की
4	बाणगंगा राव	खानपुर
5	पीली नदी	बहादुराबाद
6	रवासन नदी	बहादुराबाद
7	मोहण्ड राव	भगवानपुर
8	गोलना नदी	बहादुराबाद
9	कोटावाली राव	बहादुराबाद
10	उत्तरी खण्ड गंगनहर	हरिद्वार शहर, बहादुराबाद, रुड़की, नारसन

सड़क नेटवर्क

लो०नि०वि० के अन्तर्गत जनपद में पक्की सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)

क्र०सं०	मद	मार्गों की संख्या	वर्ष (2016-17) किमी०
1	राष्ट्रीय राज मार्ग	4	152.00
2	प्रादेशिक राज मार्ग	7	177.40
3	मुख्य जिला मार्ग	8	74.59
4	अन्य जिला मार्ग	22	99.60
5	ग्रामीण मार्ग	802	1130.51
	योग	807	1634.10

जनपद में विकास खण्डवार पक्की सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)

(वर्ष 2018-19 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	विकास खण्ड	पक्की सड़कों की लम्बाई		सब ऋतु योग्य सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या (जनसंख्यावार)		
		कुल	लो०नि०वि०	1000 से कम वाले ग्राम	1000 से 1499 वाले ग्राम	1500 से अधिक वाले ग्राम
1	भगवानपुर	303.28	303.28	18	10	51
2	रुड़की	264.70	264.70	28	12	48
3	नारसन	324.30	324.30	35	13	48
4	बहादुराबाद	370.23	370.23	27	15	66
5	लक्सर	228.59	228.59	31	11	38
6	खानपुर	143.00	143.00	25	6	15
	योग	1468.906	1468.906	164	67	266

स्थानीय निकायों/पंचायती राज के तहत सड़कें वर्ष-2016 के अनुसार

7	जिला पंचायत	493.50 कि०मी०
8	शहरी स्थानीय निकाय	385.45 कि०मी०
विभिन्न विभागों के तहत सड़कें		
9	सिंचाई विभाग	47.35 कि०मी०
10	गन्ना विभाग	337.49 कि०मी०
11	वन विभाग	150.10 कि०मी०
12	अन्य विभाग	08 कि०मी०

जनपद हरिद्वार में स्थित हैलीपैड स्थलों का विवरण :-

क्र० सं०	स्थान	कॉर्डिनेट		स्वामित्व विभाग का नाम	हैलीपैड की स्थिति (कच्चा/ पक्का)	अन्य अभियुक्ति
		Latitude	Longitude			
1	2	3	4	5	6	7
1	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय (मैदान के निकट) हरिद्वार	29°55'08" North	78°07'30"East	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय	कच्चा	—
2	दिल्ली पब्लिक स्कूल बी०एच०ई०एल०	29°56'09"North	78°05'34"East	बी०एच०ई०एल०	कच्चा	—
3	बी०एच०ई०एल० स्पोर्ट्स स्टेडियम	29°57'06"North	78°06'22"East	बी०एच०ई०एल०	कच्चा	—
4	केन्द्रीय विद्यालय बी०एच०ई०एल०	29°56'44"North	78°05'54"East	बी०एच०ई०एल०	कच्चा	—
5	संस्कृत विश्वविद्यालय बहादुराबाद	29°55'16"North	78°03'27"East	संस्कृत विश्वविद्यालय बहादुराबाद	कच्चा	—
6	न्यू ट्रांसपोर्ट नगर ज्वालापुर (कृषि मंडी समिति)	29°54'45"North	78°06'10"East	कृषि मंडी समिति	कच्चा	—
7	फेरुपुर इन्टर कालेज	29°12'30"North	78°10'56"East	फेरुपुर इन्टर कालेज	कच्चा	—
8	पुलिस लाइन रोशनाबाद	29°58'0"North	78°02'40"East	पुलिस विभाग	कच्चा	—
9	कन्या इन्टर कालेज लालढांग	29°51'05"North	78°19'11"East	कन्या इन्टर काजेल, लालढांग	कच्चा	—
10	गुरुद्वारा गैन्डीखाता	29°47'30"North	78°15'19"East	गुरुद्वारा समिति	कच्चा	—
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लण्ढौरा	29°48'27.5"North	77°56'04.6"East	—	कच्चा	—
12	गोल्ड प्लस ग्लास, फैक्ट्री लण्ढौरा	29°48'27.5"North	77°56'04.6"East	—	कच्चा	—
13	पतंजलि योगपीठ के पास आरोग्यत हेतु	29°54'07"North	77°58'56"East	—	कच्चा	—
14	पतंजलि योगपीठ के पास एन-एच.58 से दायीं ओर	29°53'55"North	77°59'16"East	—	कच्चा	—
15	बी०डी० इन्टर कालेज, भगवानपुर	29°56'10.8"North	77°48'48.9"East	—	कच्चा	—
16	आर०टी०आई० कालेज, पुहाना	29°54'16.4"North	77°50'26.6"East	—	कच्चा	—
17	बी०ई०जी० कैंन्ट, रुड़की	29°51'05"North	77°53'32"East	—	कच्चा	—
18	मंगलौर-झबरेडा मोटर मार्ग के कि०मी० 06 लाठरदेवा हूण एस०आई० ग्लास फैक्ट्री	29°47'49"North	77°48'38"East	—	कच्चा	—
19	कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग रुड़की (COER)	29°53'35.8"North	77°57'48.3"East	—	कच्चा	—
20	सी०एम०डी० इन्टर कालेज, चुडियाला के सामने मैदान	29°54'45"North	77°45'57"East	—	कच्चा	—
21	नेहरु स्टेडियम, रुड़की	29°52'26"North	77° 53'10"East	—	कच्चा	—
22	राजा महेन्द्र प्रताप (पी०जी०) कालेज, नारसन	29°42'06"North	77°51'01"East	—	कच्चा	—
23	सरस्वती राजकीय बालिका इन्टर कालेज झबरेडा	29°48'18.60"North	77°46'33.7"East	—	कच्चा	—
24	हैरीटज ग्लोबल एकेडमी, इकबालपुर	29°52'2.20"North	77°47'53"East	—	कच्चा	—
25	लकेशरी में स्थित	29°58'18"North	77°46'52"East	—	कच्चा	—

	जी0एस0बी0ए0 कॉलेज के मैदान (रुड़की-छुटमलपुर मार्ग एन0एच0-73 पर लकेशरी औद्योगिक क्षेत्र के पास)					
26	जे0पी0 सीमेन्ट फैक्ट्री ग्राउन्ड में	29°53'18"North	77°48'39"East	—	कच्चा	—
27	राजकीय जूनियर हाईस्कूल, लाठरदेवा शेख	29°50'12.1"North	77°50'26.2"East	—	कच्चा	—
28	आई0आई0टी0, रुड़की (लाल बहादुर स्टेडियम)	29°52'10"North	77°53'55"East	—	कच्चा	—
29	लिथो प्रेस कालोनी, निकट जेल रुड़की	29°52'31"North	77°52'21"East	—	कच्चा	—
30	ढण्डेरा में महाराणा प्रताप जूनियर हाईस्कूल के पास मैदान	29°50'22"North	77°53'55" East	—	कच्चा	—
31	कन्हैया लाल डी0ए0वी0 इन्टर कालेज, रुड़की	29°52'12"North	77°52'46"East	—	कच्चा	—
32	चौधरी भरत सिंह, डी0ए0वी0 बालक महाविद्यालय झबरेडा	29°48'27"North	77°46'25"East	—	कच्चा	—
33	दरगाह शरीफ के पीछे मैदान के पास	29°55'36.7"North	77°56'8.4"East	—	कच्चा	—
34	बिरला टायर फैक्ट्री, लक्सर	29°44'15"North	78°00'55"East	—	कच्चा	—
35	पंचवली घाट लक्सर	29°43'800"North	78°6'205"East	—	कच्चा	—
36	ग्राम गनौली लक्सर	29°43'08"North	78°00'25"East	—	कच्चा	—
37	होली क्रॉस स्कूल लक्सर	29°44'47"North	78°01'05"East	—	कच्चा	—
38	नेहरु इन्टर कॉलेज मंगलौर	29°47'10"North	77°51'38"East	—	कच्चा	—
39	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-58 राइट हैण्ड साइट ग्राउण्ड गुरुकुल नारसन	29°42'02"North	77°51'05"East	—	कच्चा	—
40	सुल्तानपुर में मुख्य मार्ग के पास ग्राउण्ड	29°45'21"North	78°06'07"East	—	कच्चा	—
41	भोगपुर (बन्ध के किनारे)	29°46'58"North	78°10'25"East	—	कच्चा	—
42	राजा महेन्द्र प्रताप (पी0जी0) कालेज, नारसन	29°42'06"North	77°51'01"East	—	कच्चा	—
43	खानपुर ब्लॉक के निकट मैदान	29°38'25"North	78°00'33"East	—	कच्चा	—
44	जूनियर गर्ल्स स्कूल खानपुर	29°38'47"North	78°00'56"East	—	कच्चा	—
45	पतन्जलि फूड एण्ड हर्बल पार्क पदार्था	29°50'00"North	78°07'10"East	—	कच्चा	—
48	हाईस्कूल खेल का मैदान ग्राम जसवावाला	29°57'48"North	77°57'16"East	—	कच्चा	—
49	नेशनल इण्टर कालेज धनौरी	29°56'18"North	77°57'28"East	—	कच्चा	—
50	सहकारी समिति र्मदान, इकबालपुर	29°52'22"North	77°48'02"East	—	कच्चा	—
51	पुहाना में रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ़ टैक्नोलोजी	29°54'22"North	77°50'30"East	—	कच्चा	—
52	गुड मंडी मंगलौर	29°46'55"North	77°51'30"East	—	कच्चा	—
53	नारसन कुरडी विकास खण्ड	29°46'55"North	77°51'30"East	—	कच्चा	—
54	क्वान्टम इंजीनियरिंग कालेज मंडावार चैक पोस्ट के पास मैदान	30°00'39"North	77°45'54"East	—	कच्चा	—

55	बेलड़ा एन0एच0-58 के पास ग्राउन्ड	29°53'28"North	77°56'48"East	—	कच्चा	—
56	भगवानपुर-इमलखेड़ा मार्ग के 1 में दायें ओर मैदान के	29°56'16"North	77°49'07"East	—	कच्चा	—
57	लण्ढौरा पुलिस चौकी के पीछे मैदान के कॉडिनेट्स	29°48'30"North	77°56'20"East	—	कच्चा	—
58	ग्राम बुग्गावाला में पुलिस स्टेशन के पास मैदान	30°05'08"North	77°54'18"East	—	कच्चा	—
59	महालक्ष्मी शुगर मिल इण्टर कालेज, इकबालपुर	29°52'24"North	77°47'30"East	—	कच्चा	—
60	ग्राम बन्दरजूड के पास मैदान	30°03'06"North	77°56'27"East	—	कच्चा	—
61	एन0एच0-58 के कि0मी0 168 हुंडई शोरूम के समीप	29°48'57"North	77°52'50"East	—	कच्चा	—
62	ग्राम बेलड़ा में हरिशरणम् आश्रम की ओर जाने वाले मार्ग के प्रारंभ में दायी ओर स्थित मैदान	29°53'19.8"North	77°56'47.6"East	—	कच्चा	—

सूचना, संचार एवं मीडिया

अनुमान एवं चेतावनी व्यवस्था हेतु हरिद्वार, रुड़की, लक्सर में वर्षा मापक यंत्र लगाये गये हैं। जनपद में गंगा नदी के जलस्तर की स्थिति सम्बन्धी विवरण यू0पी0 हैडवर्क्स (सिंचाई विभाग, उ0प्र0) द्वारा रिकार्ड किया जाता है। नदी का जलस्तर बढ़ने की सूचना सम्बन्धित द्वारा नियमित रूप से जिला कार्यालय व आपदा कंट्रोल रूम को दी जाती है।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) द्वारा जिला अधिकारी कार्यालय रोशनाबाद, हरिद्वार में इंटरनेट की बेहतर सुविधा उपलब्ध है। जिला मुख्यालय में राज्य वाइड एरिया नेटवर्क (एस0डब्लू0ए0एन0) स्थापित किया गया है। जिले के चारों तहसील हरिद्वार, लक्सर, भगवानपुर और रुड़की तथा समस्त विकासखण्ड कार्यालय यथा—बहादुराबाद, लक्सर, खानपुर, भगवानपुर, रुड़की और नारसन भी एस0डब्लू0ए0एन0 नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।

जनपद में दूरसंचार व्यवस्था का प्रसार किया जा रहा है। साथ ही आपदा की स्थिति में दूरसंचार व्यवस्था को शीघ्र सुचारु करने हेतु उपाय किये जा रहे हैं। ग्राम स्तर पर दूरसंचार व्यवस्थाओं का प्रसार करना प्राथमिकता में है, तथा अब तक समस्त ग्राम पंचायतों को संचार/मोबाइल नेटवर्क सुविधा से सीधा जोड़ा जा चुका है। आपातकालीन एवं विशेष परिस्थितियों में उपयोग हेतु जनपद में कुल 06 सैटेलाइट फोन शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत् :-

S.N	District Name	Satellite Phone Number	Inspection Date	Outgoing Call Bars Validity	Credit Validity	Amount Balance
1	Haridwar	8991112027	09.04.2019	26.09.2019	-	4020.0849
2		8991112975		13.12.2019	28.12.2019	4199.4578
3		8991112974		13.12.2019	28.12.2019	4199.4578
4		8991119789		28.02.2020	14.03.2020	3960.0849
5		8991119790		28.02.2020	14.03.2020	3960.0849
6		8991119791		28.02.2020	14.03.2020	3960.0849

जनपद में मॉस-मीडिया के रूप में रेडियो, समाचार पत्रों, टी0वी0 चैनलों का काफी प्रचलन एवं प्रभाव है। समाचार पत्रों से आपदा के घटित होने, जन एवं सम्पदा के नुकसान तथा क्षेत्रगत स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित किये जाते हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के आधार पर भी त्वरित कार्यवाही दलों को स्थितिगत समीक्षा करनी चाहिए।

- 1— आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण योजना अन्तर्गत ऐसे समाचार सूचनाओं पर त्वरित अवलोकन कर कार्यवाही की जायें।
- 2— रेडियो, टेलीविजन एवं अखबारों में जन-प्रचार, प्रसार, तथा जन चेतना विकास सम्बन्धी समाचार, “क्या करें, क्या न करें” सम्बन्धी जानकारीयों का समय-समय पर प्रकाशन किया जाये।
- 3— जिला सूचना कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध सम्बन्धी जन प्रसार सामग्री का प्रकाशन एवं वितरण करवाया जाये।

भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (IDRN) डाटा बेस :

जिला मुख्यालय के एन0आई0सी0 में स्थित कम्प्यूटर सिस्टम में आपदा के समय उपयोगी उपकरणों एवं संसाधनों का एक डाटा बेस बनाया गया है। साथ ही India Disaster Resource Network (I.D.R.N) की वेबसाइट (idrn.gov.in) पर पड़ोसी जनपदों, विभिन्न विभागों, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का कम्प्यूटराइज्ड डाटा बेस है। भूकम्प व अन्य किसी भी आपदा की स्थिति में इन सूचनाओं का उपयोग करते हुये राहत, बचाव एवं सामान्य स्थिति की बहाली के लिये कार्यवाही की जायेगी। आवश्यकतानुसार निकटवर्ती उपलब्ध स्रोतों से सम्पर्क कर आवश्यक उपकरणों को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जायेगा। जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत 56 विभागों के पास उपलब्ध संसाधनों की सूची को माह मार्च-अप्रैल, 2019 तक भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

अध्याय—3

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना तहसील हरिद्वार

क्र०सं०	पदनाम नाम	अधिकारी का नाम	कार्यालय दूरभाष न०	मोबाइल नं०
1	उप जिलाधिकारी, हरिद्वार	श्रीमती कुशम चौहान	01334-254807	8755176343
2	तहसीलदार, हरिद्वार	श्री आशीष घिल्डियाल	01334-254807	7535047189 8755507819
5	प्रभारी, तहसील बाढ़ नियंत्रण कक्ष, हरिद्वार	—	01334-254807	

रिपोर्टिंग के लिये कार्मिक

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर
1	श्री बिजेन्द्र कुमार	रजिस्ट्रार कानूनगो	9319022339

तहसील अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थापित बाढ़ चौकी का नाम :—

क्र०सं०	बाढ़ चौकी का नाम	चौकी प्रभारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नं०
1	गैण्डीखाता	—	—	—
2	श्यामपुर	—	—	—
3	जसवावाला	—	—	—
	बिशनपुर झरडा(कुंडी)	—	—	—

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना वर्ष 2019 के अन्तर्गत जिला हरिद्वार में स्थापित बाढ़ नियंत्रण चौकियों का विवरण :-

क्र०सं	नदी का नाम	बाढ़ सुरक्षा चौकी का नाम	लोकेशन	खाद्यान्न केन्द्र	चिकित्सा केन्द्र	बाढ़ प्रभावित ग्रामों के नाम (श्रेणीवार)			प्रभावित जनसंख्या	प्रभावित क्षेत्रफल (हे० में)	प्रभावित क्षेत्रफल कृषि (हे०में)	बाढ़ चौकी से दूरी (किमी०)
						निम्न	मध्य	उच्च				
1	2	3	5	6	7	8			9	10	11	12
1	रवासन गंगा नदी	गैण्डीखाता	शहीद मनोज सिंह चौहान, राजकीय इन्टर कालेज, गैण्डीखाता	गैण्डीखाता	गैण्डीखाता	1-रसूलपुर मीठीबेरी		दुधला दयालवाला	4500	1250	820	5
2	गंगा नदी	श्यामपुर	वन विभाग विश्राम गृह श्यामपुर	श्यामपुर	श्यामपुर	—		1-कांगडी 2-गाजीवाला 3-श्यामपुर नौआबाद 4-सजनपुर पीली	1200 1000 2000 1400	495 365 175 102	98 122 71 102	02 01 — 02
3	रतमऊ	जसवावाला	पंचायत घर जसवावाला	जसवावाला	जसवावाला	1-जसवावाला 2-कोटा मुरादनगर 3-हजाराग्रन्ट 4-दादूबांस मजरा लालवाला	—	—	2300 4100 3100 1200	130 201 190 215	78 160 75 140	— 1.5 2.5 3
4	गंगा नदी	बिशनपुर झरडा(कुंडी)	पंचायत घर बिशनपुर, झरडा(कुंडी)	बिशनपुर झरडा (कुंडी)	फेरुपुर रामखेडा	—	—	1-बिशनपुर झरडा(कुंडी) 2-भोगपुर	11000	3650	1419	3

क्र. सं.	तहसील का नाम	बाढ़ प्रभावित ग्राम/स्थल का नाम	अनुमानित परिवारों की संख्या	सुरक्षित स्थानों का नाम/विवरण	गत वर्ष की संक्षिप्त आख्या/जल भराव, बाढ़ के उपाय (पूर्व/पश्चात)
1	हरिद्वार	रसूलपुर मीठीबेरी	200	रा0इण्टर कालेज लालढांग	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गैण्डभखात, श्यामपुर नौआबाद, बिशनपुर कुन्डी एवं जसवावाला में बाढ़ चौकियों की स्थापना की गयी थी। जिस पर रोटेशनवार कार्मिकों की तैनाती की गयी थी जिनके द्वारा गंगा नदी एवं अन्य नदियों में पानी के डिस्चार्ज की सूचना प्राप्त होने पर ग्रामवासियों को अवगत कराया जाता रहा है। गत वर्ष गंगा नदी से ग्राम कांगडी के पास आबादी क्षेत्र की ओर कटाव किया गया था, जिसके तटबंध मरम्मत से सम्बन्धित कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया गया। तटबंध एवं पैचिंग का कार्य सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है एवं गत वर्ष अतिवृष्टि के कारण गुज्जर बस्ती मुस्तफाबाद(पथरी) में जंगल से अत्यधिक पानी आने के कारण आबादी क्षेत्र में जल भराव हो गया था तथा बी0एच0ई0एल0 बेरियर, ग्राम जमालपुर खुर्द व पथरी पावर हाउस के आस-पास के क्षेत्रों में अतिवृष्टि का अत्यधिक पानी भर गया था। जल पुलिस द्वारा पानी की निकासी कराई गयी थी तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, बन्धों आदि का निर्माण सिंचाई विभाग/पी0डब्लू0डी0 द्वारा किया गया। ग्राम जमालपुर कलां में ईट भट्टा खुदान की भूमि में नवनिर्मित कॉलोनी रमा विहार में जल भराव हो गया था, जिसकी निकासी तहसील द्वारा पम्प सैट के द्वारा कराई गई थी।
		दुधलादयालवाला	400	शहीद मनोज सिंह चौहान रा0इ0का0, गैण्डीखाता	
		कांगडी	200	रा0उ0मा0 विद्यालय श्यामपुर नौआबाद,	
		गाजीवाली	150	आर्दश इण्टर कालेज श्यामपुर नौआबाद,	
		श्यामपुर नौआबाद	250	वन विश्राम गृह श्यामपुर नौआबाद	
		सजनपुर पीली	150		
		भोगपुर	600	रा0इण्टर कालेज, भोगपुर	
				जगतपुर श्री चन्दभगवान इण्टर कालेज शाहपुर	
		बिशनपुर झरडा(कुन्डी)	150	फेरुपुर इण्टर कालेज फेरुपुर	
		जसवावाला	50	रा0जू0 हा0 स्कूल शिवदासपुर तेलीवाला	
		कोटामुरादनगर	50		
		हजारा ग्रन्ट	70	गुरुनानक आर्दश उ0मा0वि0 डालूवाला मजबता	
		दादूबांस मजरा लालवाला	50	रा0उ0मा0वि0 मानूबांस ग्रन्ट	
		गुज्जर बस्ती मुस्ताफाबाद(पथरी)	100	रा0उ0मा0गुज्जर बस्ती मुस्तफाबाद(पथरी)	
				रा0प्रा0वि0 गुज्जर बस्ती मुस्तफाबाद(पथरी)	
		जमालपुर खुर्द	100	आर्य इ0 कालेज बाँगला, बहादुराबाद	
		जमालपुर कलां	800	जू0हाई0स्कूल जमालपुर कलां	
				राजकीय प्राथमिक विद्यालय जमालपुर कलां	
				पंचायत घर जमालपुर कलां	

तहसील हरिद्वार के अन्तर्गत जल-भराव वाले संवेदनशील क्षेत्रों का विवरण :-

क्र०सं०	क्षेत्र/ग्राम का नाम	जल भराव का कारण
1	1-मौ० नीलखुदाना ज्वालापुर	सभी क्षेत्र अतिवृष्टि में आये अधिक पानी से जल भराव होने से प्रभावित
	2-पीठ बाजार ज्वालापुर	
	3-झण्डा चौक ज्वालापुर	
	4-मौ० लाटोवाली कनखल	
	5-हनुमानगढ़ी कनखल	
	6-भगत सिंह चौक रानीपुर मोड़ बी०एच०ई०एल०	सभी क्षेत्र अतिवृष्टि के समय जंगल/पर्वत से आये अधिक पानी से प्रभावित
	7-चन्दाचार्य चौक रानीपुर मोड़	
	8-रेलवे पुल ललताराव के पास का क्षेत्र	
	9-सिंह सभा के सामने हरिद्वार मेला अस्पताल मार्ग पर	
	10-मोती बाजार व बड़ा बाजार हरिद्वार	
	11-भीमगोडा क्षेत्र खड़खड़ी	
	12-बैकुण्ठ धाम के पास का क्षेत्र भूपतवाला खुर्द	
	13-शम्भू आश्रम का क्षेत्र भूपतवाला खुर्द	
	14-भागीरथी नगर भूपतवाला	
	15-भारत माता मन्दिर का क्षेत्र भूपतवाला	
	16-गंगा नदी में अवैध रूप से बसी बस्तियां चण्डीघाट माजरा, बैरागी कैम्प एवं अन्य बस्तियां	गंगा नदी से प्रभावित
2	ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत	
	1-ग्राम कांगड़ी	गंगा नदी से प्रभावित
	2-ग्राम दुधलादयालवाला उर्फ टाटवाला	गंगा नदी/जंगल से आये पानी से प्रभावित
	3-ग्राम गैण्डीखाता गुर्जर बस्ती	जंगल से आये पानी से प्रभावित
	4-बिशनपुर झरड़ा(पुरानी कुण्डी)	गंगा नदी से प्रभावित
	5-ग्राम भोगपुर मजरा तिलकपुरी	गंगा नदी से प्रभावित
	6-पथरी गुर्जर बस्ती	जंगल से आये पानी से प्रभावित
	7-पथरी स्टेशन के निकट गुर्जर बस्ती	
	8-ग्राम रसूलपुर मजरा डालूवाला कलां	
	9-बी०एच०ई०एल० बेरियर, जमालपुर खुर्द का क्षेत्र	अतिवृष्टि के कारण सिडकुल एवं रावली महदूद की ओर से आये अधिक पानी से प्रभावित
	10-ग्राम जमालपुर कलां(रमा विहार कॉलोनी)	रमा विहार कॉलानी, भट्टा खुदान की भूमि में बसी होने के कारण अतिवृष्टि होने पर जल भराव से प्रभावित, गहरे क्षेत्र से पानी निकासी का कोई स्थाई प्रबन्धन नहीं है।

बाढ़ की स्थिति में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सुरक्षित रखने हेतु चिह्नित स्थलों की सूची
तहसील-हरिद्वार

क्र०सं०	चिह्नित स्थल का नाम	क्षमता मनुष्य	क्षमता पशु
1	राजकीय इंटर कालेज लालढांग	200	50
2	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पीलीपड़ाव	100	50
3	शहीद मनोज सिंह चौहान रा० इंटर कालेज, गेण्डीखाता	100	50
4	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्यामपुर, नौआबाद	50	20
5	आर्दश इंटर कालेज श्यामपुर नौआबाद	100	20
6	वन विश्राम गृह श्यामपुर नौआबाद	30	100
7	राजकीय इंटर कालेज भोगपुर	300	100
8	जगतगुरु श्रीचन्द भगवान इंटर कालेज शाहपुर शीतलाखेडा	100	50
9	फेरुपुर इंटर कालेज फेरुपुर	100	50
10	राजकीय जूनियर हाईस्कूल शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला	50	20
11	गुरुनानक आर्दश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानूबांस ग्रन्ट	50	20
12	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानूबांस ग्रन्ट	100	50
13	डा० हरिराम इंटर कालेज कनखल हरिद्वार	200	50
14	वैश्य कुमार धर्मशाला कनखल	100	—
15	पन्नाला भल्ला म्यु० इंटर कालेज हरिद्वार	400	100
16	रा० उ० मा० गुज्जर बस्ती मुस्तफाबाद(पथरी)	100	50
17	आर्य इंटर कालेज बाँगला बहादुराबाद	400	200
18	जू० हाई० स्कूल जमालपुर कलां	300	50
19	राजकीय प्राथमिक विद्यालय जमालपुर कला	150	30
20	पंचायत घर जमालपुर कलां	150	20

**आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना,
तहसील रुड़की**

क्र०सं०	पदनाम नाम	अधिकारी का नाम	कार्यालय दूरभाष न०	मोबाइल नं०
1	संयुक्त मजिस्ट्रेट, रुड़की	श्रीमती नमामी बंसल	01332-272484	7835500464
2	तहसीलदार, रुड़की	श्री कृष्णा नन्द पन्त	01332-272318	9412063912
5	प्रभारी, तहसील बाढ़ नियंत्रण कक्ष, रुड़की	—	01332-272318	

रिपोर्टिंग के लिये कार्मिक

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर
1	श्री राजेश मारवाह	रजिस्ट्रार कानूनगो	8954886954

तहसील अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थापित बाढ़ चौकी का नाम :-

क्र०सं०	बाढ़ चौकी का नाम	चौकी प्रभारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नं०
1	बढेडी राजपूताना	—	—	—

- 1— तहसील रुड़की में बाढ़ नियंत्रण कक्ष एवं एक चौकी स्थापित की जाती है, तथा कार्मिकों की तैनाती का कार्य गतिमान है।
- 2— बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का पूर्व के वर्षों से मिलान करते हुए चिन्हीकरण कर लिया गया है।
- 3— बरसाती नाले, गदरों पर किये गये अतिक्रमण को मुक्त कराने हेतु राजस्व निरीक्षकों को निर्देश दिये गये हैं।
- 4— ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों में पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था।
- 5— बाढ़ प्रभावित ग्रामों के समीप अस्थाई राहत शिविर हेतु प्राथमिक विद्यालय, सरकारी भवन का चिन्हीकरण।
- 6— तहसीलों पर अनुरक्षित खोज-बचाव व राहत उपकरण को क्रियाशील स्थिति में रखना।

बाढ़ चौकी बढेडी राजपुताना												
क्र० सं०	नदी का नाम	बाढ़ सुरक्षा चौकी का नाम	लोकेशन	खाने केन्द्र	चिकित्सा केन्द्र	बाढ़ प्रभावित ग्रामों के नाम जो बाढ़ चौकियों पर लगाये गये हैं।			प्रभावित जनसंख्या	प्रभावित क्षेत्रफल	कृषि क्षेत्रफल है०	बाढ़ चौकी से दूरी (कि०मी०)
						निम्न	मध्य	उच्च				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सोलानी नदी	बढेडी राजपुताना	रा०प्रा० वि० बढेडी राजपुतान	बढेडी राजपुतान	मरगूबपुर दीदाहेडी	1-शान्तरशाह	—	—	206	—	230	01
						2-बढेडी राजपुताना	—	—	10661	—	417	00
						3-बहादरपुर सैनी	—	—	1473	—	94	1.5
						4-भारापुर	—	—	3687	—	118	03
						5-भौरी	—	—	5896	—	130	03
						6-बेलडा	—	—	7176	—	346	03
						7-मिर्जापुर उर्फ मुस्तफाबाद	—	—	2751	—	267	05
						8-मरगूबपुर दीदाहेडी	—	—	5307	—	179	05
						9-हलवाहेडी रहमतपुर	—	—	1489	—	70	05
						10-डण्डेडी ख्वाजगीर	—	—	2907	—	294	04
						11-बेलडी साल्हापुर	—	—	1853	—	222	04
						12-फिरोजपुर	—	—	01	—	46	0.5

तहसील रुडकी के अन्तर्गत जल-भराव वाले सम्भावित संवेदनशील क्षेत्रों का विवरण:-

क्र० सं०	तहसील का नाम	बाढ़ प्रभावित ग्राम/स्थलों का नाम	अनुमानित परिवार/सदस्यों की (लगभग) संख्या	सुरक्षित स्थानों का नाम/विवरण	गत वर्ष की संक्षिप्त/जल भराव बाढ़ के उपाय पूर्व/पश्चात
1	रुडकी	बढेडी राजपूतान	10661	प्राइमरी स्कूल/पंचायत घर	—
2		शान्तरशाह	206	प्राइमरी स्कूल/पंचायत घर	—
3		बहादरपुर सैनी	1473	प्राइमरी स्कूल/पंचायत घर	—
4		भारापुर	3687	प्राइमरी स्कूल/पंचायत घर	—
5		भौरी	5896	प्राइमरी स्कूल/पंचायत घर	—
6		बेलडा	7176	प्राइमरी स्कूल/पंचायत घर	—
7		मिर्जापुर उर्फ मुस्तफाबाद	2751	प्राइमरी स्कूल/पंचायत घर	—
8		मरगूबपुर दीदाहेडी	5307	प्राइमरी स्कूल/पंचायत घर	—
9		हलवाहेडी	1489	प्राइमरी स्कूल/पंचायत घर	—
10		डण्डेडी ख्वाजगीपुर	3907	प्राइमरी स्कूल/पंचायत घर	—
11		रहमतपुर	4665	प्राइमरी स्कूल/पंचायत घर	—
12		बेलडी साल्हापुर	1853	प्राइमरी स्कूल/पंचायत घर	—
13		फिरोजपुर (गैर आबाद)	01	प्राइमरी स्कूल/पंचायत घर	—
14		डण्डेरा (गोल भट्टे सहित)	1800	प्राइमरी स्कूल/पंचायत घर	ग्राम डण्डेरा गोल भट्टा में पम्पिंग द्वारा जल भराव का पानी निकाला गया है।
15		मोहनपुरा मोहम्मदपुर	1250	प्राइमरी स्कूल/पंचायत घर	—
16		मतलबपुर	470	प्राइमरी स्कूल/पंचायत घर	—
17		रामपुर	220	प्राइमरी स्कूल/पंचायत घर	—

आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा तहसील रुड़की को उपलब्ध कराये गये खोज-बचाव

उपकरणों/सामग्री की सूची :-

क्र०सं०	उपकरण/सामग्री का नाम	मात्रा	क्रियाशील/अक्रियाशील /मरममत योग्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	रोप नायलोन रस्सी	04	क्रियाशील	
2	रस्सी पुलो के साथ	02	क्रियाशील	
3	टेप सिलिंग	12	क्रियाशील	
4	रेप लेडर (रस्सी की सीढ़ी)	02	क्रियाशील	
5	मनीला रोप (मोटी रस्सी)	02	क्रियाशील	
6	कैराबिनर	02	क्रियाशील	
7	सीट हारनेस (कुर्सी रस्सी वाली)	06	क्रियाशील	
8	डिसेन्डर (निचे उतरने वाली रस्सी के लिये)	08	क्रियाशील	
9	लाइफ जेकैट	03	क्रियाशील	
10	नायलोन टारपोलिन (त्रिपाल)	03	क्रियाशील	
11	गैती	06	क्रियाशील	
12	फावडा	06	क्रियाशील	
13	सब्ल छोटा व बडे	04	क्रियाशील	
14	कुल्हाडी	01	क्रियाशील	
15	तसला	02	क्रियाशील	
16	लालटेन गैस वाली	01	क्रियाशील	
17	बैटरी	05	क्रियाशील	
18	बारिस सूट बरसाती	21	क्रियाशील	
19	दस्ताने	05	क्रियाशील	
20	घायलों को ले जाने वाली शीट	06	क्रियाशील	
21	बक्सा	01	क्रियाशील	
22	सर्च लाइट	02	क्रियाशील	
23	कैनोपी तिरपाल	17	क्रियाशील	
24	स्ट्रेचर	12	क्रियाशील	
25	मच्छरदानी	10	क्रियाशील	
26	पोर्टेबल वायरलेसपी0ए0 एम्पलीफायर एड्रेस सिस्टम	03	क्रियाशील	
27	सोलर हैण्ड्री लाइट	04	क्रियाशील	
28	सर्च लाइट (02 छोटी 03 बडी)	05	क्रियाशील	
29	टैन्ट मय सहवर्ती उपकरण	31	क्रियाशील	
30	बुड शॉ	01	क्रियाशील	
31	ड्रेगन लाइट	02	क्रियाशील	
32	कलाईम्बिंग रोप 100 मीटर	01	क्रियाशील	
33	पांजा	04	क्रियाशील	
34	तलवार (घास काटने वाली)	04	क्रियाशील	
35	सोलर लाइट पैनल सहित	03	क्रियाशील	
36	हेलमेट लाइट सहित	04	क्रियाशील	
37	पम्प सेट (पाइप एसेसरीज सहित)	04	क्रियाशील	
38	आस्का इन्फ्लेटेबिल टावर लाइट सिस्टम	01	क्रियाशील	
39	होरीजनल डब्ल माउन्टींग सॉयरन	01	क्रियाशील	
40	एल0ई0डी0 टेलीविजन 30 इंच	01	क्रियाशील	
41	ईन्वटर 650 वॉट	01	क्रियाशील	
42	बैटरी 12 वॉट	01	क्रियाशील	
43	पोन्चू	08	क्रियाशील	
44	बॉडी बैग	10	क्रियाशील	
45	डिजिटल कैमरा सोनी-810	01	क्रियाशील	
46	मोटोरोला डिजिटल स्टेटिक माइक	01	क्रियाशील	
47	जी0पी0एस0,गारमीन	01	क्रियाशील	
48	रकसक बैग	01	क्रियाशील	

तहसील रुड़की द्वारा क्रय किये गये उपकरणों/सामग्री का विवरण, मई, 2019

क्र०सं०	उपकरण/सामग्री का नाम	मात्रा	क्रियाशील/अक्रियाशील /मरममत योग्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	बक्सा	01	क्रियाशील	
2	लोहे की रैंक	04	क्रियाशील	
3	एच०पी० डेस्कटॉप कम्प्यूटर	01	क्रियाशील	
4	एच०पी० लेजर जेट प्रिन्टर एम०-1005	01	क्रियाशील	
5	छाता	15	क्रियाशील	
6	बारिस सूट बरसाती	20	क्रियाशील	
7	लाईफबॉय ट्यूब	06	क्रियाशील	
8	नॉयलान रोप 12 मीटर, 100 मीटर	05	क्रियाशील	
9	एल्मूनियम लीडर 6 फिट	01	क्रियाशील	
10	फायर एग्जीक्यूटर	01	क्रियाशील	
11	प्रोजेक्ट एप्शन	01	क्रियाशील	
12	टूल कीट	01	क्रियाशील	
13	हेमर	01	क्रियाशील	
14	बोल्ड कटर	01	क्रियाशील	

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना

तहसील लक्सर

उत्तराखण्ड राज्य एक विषम भौगोलिक परिस्थिति का राज्य है एवं विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के लिए संवेदनशील हैं। जनपद हरिद्वार बाढ़, भूकम्प, भूस्खलन, वनाग्नि, अतिवृष्टि घरेलू आग आद्योगिक स्थानों में अग्निकांड सड़क दुर्घटना आदि प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील है इसी को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 प्रावधानों के तहत जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर में आपातकालीन परिचालन केन्द्र की स्थापना की गयी है। तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार की आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली तहसील है जिसका दूरभाष नम्बर 01332-254376 हैं।

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना,

क्र०सं०	पदनाम	अधिकारी का नाम	कार्यालय दूरभाष नं०	मोबाइल नं०
1	उपजिलाधिकारी, लक्सर	श्री पूरन सिंह राणा	01332-254377	9411176000
2	तहसीलदार, लक्सर	श्रीमती सुनेना राणा	01332-254376	9458182521
3	रजिस्ट्रार कानूनगो लक्सर	श्री मनोज कुमार पाण्डेय		6395762810

तहसील अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थापित बाढ़ चौकी का नाम :-

क्र०सं०	बाढ़ चौकी का नाम	चौकी प्रभारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नं०
1	गोरधनपुर	—	—	—
2	मांडाबेला	—	—	—
3	रायसी	—	—	—
4	भिकमपुर जीतपुर	—	—	—

- 1— बाढ़ चौकियों पर कार्मिकों की पालीवार तैनाती की जा रही हैं।
- 2— बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण।
- 3— ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों में पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था।
- 4— बाढ़ प्रभावित ग्रामों के समीप अस्थाई राहत शिविर की स्थापना हेतु स्थल का चिन्हीकरण।
- 5— तहसील मुख्यालय पर अनुरक्षित खोज-बचाव व राहत उपकरण को क्रियाशील स्थिति में हैं।

1	तहसील लक्सर में कुल ग्रामों की संख्या	166
2	कुल बाढ़ ग्रस्त ग्रामों की संख्या	कुल आबाद-32, गैर आबाद-10
3	कुल बाढ़ चौकियों की संख्या	04 (1-गोरधनपुर, 2-खानपुर मांडाबेला, 3-रायसी, 4-भिकमपुर जीतपुर)
4	निम्न बाढ़ वाले ग्राम	07 (1-हबीबपुर कुडी, 2-फतवा अह0, 3-रायपुर रायघटी, 4-रामपुर रायघटी मु0, 5-जसपुर रणजीतपुर अह0, 6-जसपुर रणजीतपुर मु0, 7-सिकन्दरपुर)।
5	मध्य बाढ़ वाले ग्राम	04 (1-झीवर हेडी, 2-सईपुर, 3-इब्राहिमपुर, 4-मांडाबेला)
6	उच्च बाढ़ वाले ग्राम	21 (1-आलमपुर, 2-हस्तमौली, 3-दुधला, 4-दल्लावाला, 5-जोगावाला, 6-चन्द्रपुरी बांगर, 7-चन्द्रपुरी खादर, 8-बानूवाला, 9-चखेरी, 10-शेरपुरबेला हिरदेराम, 11-शेरपुरबेला महाजीटीप, 12-महाराजपुर खुर्द, 13-गंगदासपुर अह0, 14-गंगदासपुर मु0, 15-रघुनाथपुर उर्फ बालावाली, 16-मन्सूरपुर उर्फ कपूरों, 17-गिद्धावाली, 18-कलसिया, 19-नन्दपुर मजरा रायसी, 20-शिवपुरी मु0, 21-शिवपुरी अह0)
7	कुल अनुमानित प्रभावित क्षेत्रफल	6073.00 हैक्टेयर
8	कुल अनुमानित प्रभावित क्षेत्रफल	5130.00 हैक्टेयर
9	कुल अनुमानित प्रभावित जनसंख्या	22530
10	बाढ़ कटाव ग्रस्त ग्रामों का विवरण	1-हस्तमौली (आबादी एवं कृषिक क्षेत्र) 2-रामपुर रायघटी अह0 (कृषि क्षेत्र) 3-जसपुर रणजीतपुर मु0 व अह0 (कृषिक्षेत्र)
11	बाढ़ से आबादी के प्रभावित होने की आशंका वाले ग्रामों का नाम	1-महाराजपुर खुर्द, 2-रघुनाथ उर्फ बालावाली, 3-कलसिया, 4-गंगदासपुर, 5-नन्दपुर मजरा रायसी, 6-शेरपुर बेला हिरदेरामपुर, 7-गिद्धावाली, 8-दल्लावाला, 9-जोगावाला, 10-आलमपुर, 11-हस्तमौली
12	नाव की आवश्यकता पडने वाले सम्भावित ग्राम	1-जोगावाला, 2-दल्लावाला, 3-आलमपुर, 4-हस्तमौली, 5-महाराजपुर खुर्द, 6-गंगदासपुर, 7-नन्दपुर मजरा रायसी
13	नाव की प्राप्ति व स्थान	1-एक नाव गंगदासपुर मे उपलब्ध है। 2-चार नाव एन0डी0आर0एफ0 की टीम के पास है।

		3-अत्याधिक नाव की आवश्यकता पडने पर उपजिलाधिकारी रूडकी के सहयोग से बी0ई0जी0 रूडकी से प्राप्त की जा सकती है।
14	रिलीफ सैन्टर	1-जू0हा0स्कूल गोस्धनपुर, (बाढ चौकी गोस्धनपुर के लिए) 2-भगवान शंकर इन्टर कालेज खानपुर (बाढ चौकी मांडाबेला के लिए), 3-कृषक इन्टर कालेज रायसी (बाढ चौकी रायसी के लिए), 4-जू0हा0स्कूल भिक्कमपुर जीतपुर (बाढ चौकी भिक्कमपुर जीतपुर के लिए) उपरोक्त रिलीफ सैन्टर मे व्यक्तियों की संख्या अत्याधिक होने पर पंचवली मन्दिर मे रिलीफ सैन्टर बनाया गया है।
15	हैलीपैड	01-बिरला टायर्स, लक्सर
16	वर्तमान स्थिति:-	- वर्तमान समय में तहसील लक्सर के बाढ प्रभावित ग्रामो में सिंचाई विभाग के द्वारा पक्का तटबन्ध बना दिया गया है। जिससे तहसील लक्सर के ग्रामों की आबादी सुरक्षित हो गयी है यदि अत्यधिक वर्षा होती है व टिहरी बांध/श्रीनगर बांध से अत्यधिक मात्रा में पानी छोडा जाता है, उस दशा में जोगावाला, दल्लावाला, शेरपुरबेला, चन्दपुरी खादर आदि ग्रामों के कृषि भूमि पर पानी भर जाता है, जिसकी धीरे-धीरे करके निकासी हो जाती है। - गंगा नदी में तटबन्ध बन जाने से ग्रामो की आबादी सुरक्षित हो गयी है, लेकिन फिर भी आपदा की स्थिति उत्पन्न होने की दशा से निपटने के लिये तहसील लक्सर में उपरोक्त वर्णित बाढ चौकियों बनायी जाती है व इन बाढ चौकियों पर राजस्व विभाग, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, विकास विभाग, पशुचिकित्सा विभाग से कार्मिको की तैनाती 24 घण्टे कर दी जाती है।

बाढ चौकी रायसी (लक्सर)

क्र०सं०	नदी का नाम	बाढ सुरक्षा चौकी का नाम	लोकेशन	खाद्यान्न केन्द्र का नाम	चिकित्सा केन्द्र का नाम	बाढ चौकियों पर नियम बाढ प्रभावित ग्रामों का नाम			प्रभावित			बाढ चौकी से ग्राम की दूरी (कि०मी०)
						निम्न	मध्य	उच्च	जनसंख्या	क्षेत्रफल	कृषि क्षेत्रफल हे०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गंगा नदी	रायसी	कृषक इण्टर कॉलेज, रायसी	कृषक इण्टर कॉलेज, रायसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायसी	हबीबपुर कुंडी	—	—	800	50	50	02
2						—	—	महाराजपुर खुर्द	1500	400	300	03
3						—	—	गंगदासपुर अह०	—	160	400	04
4						—	—	गंगदासपुर मु०	1200	60	40	04
5						—	—	रघुनाथ पुर उर्फ बालावाली	1400	240	240	04
6						—	—	मन्सुरपुरी उर्फ कपुरो	300	90	90	05
7						—	—	गिद्धावाली	1100	430	430	05
8						—	—	कलसिया	250	65	65	05
9						—	—	भोवावाली	300	100	100	04
10						—	—	नन्दपुरी मजरा रायसी	300	40	20	03
11						—	—	शिवपुरी मु०	200	80	80	06
12						—	—	शिवपुरी अह०	—	85	85	07

बाढ चौकी माडाबेला (लक्सर)

क्र०सं०	नदी का नाम	बाढ सुरक्षा चौकी का नाम	लोकेशन	खाद्यान्न केन्द्र का नाम	चिकित्सा केन्द्र का नाम	बाढ चौकियों पर नियम बाढ प्रभावित ग्रामों का नाम			प्रभावित			बाढ चौकी से ग्राम की दूरी (कि०मी०)
						निम्न	मध्य	उच्च	जनसंख्या	क्षेत्रफल	कृषि क्षेत्रफल हे०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सोलानी नदी	माडाबेला	प्राथमिक विद्यालय, माडाबेला	प्राथमिक विद्यालय, माडाबेला	प्राथमिक स्वा० केन्द्र, माडाबेला	माडाबेला	—	—	2000	150	150	0
2						—	—	दुधला	—	80	20	04
3						—	—	दल्लावाला	1250	150	100	05
4						—	—	चन्दपुरी खादर	2200	200	150	04
5						—	—	चन्दपुरी बागर	2300	210	170	03
6						—	—	बानुवाला	—	250	100	01
7						—	—	चखेरी	—	100	90	01
8						—	—	शेरपुरबेला महाजीहिरदेरामपुर	1400	368	300	02
9						—	—	शेरपुर बेला महाजीटीप	—	270	100	02
10						—	—	जोगावाला	1000	900	300	02

बाढ चौकी गोरधनपुर (लक्सर)

क्र०सं०	नदी का नाम	बाढ सुरक्षा चौकी का नाम	लोकेशन	खाद्यान्न केन्द्र का नाम	चिकित्सा केन्द्र का नाम	बाढ चौकियों पर नियम बाढ प्रभावित ग्रामों का नाम			प्रभावित			बाढ चौकी से ग्राम की दूरी (कि०मी०)
						निम्न	मध्य	उच्च	जनसंख्या	क्षेत्रफल	कृषि क्षेत्रफल हे०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सोलानी नदी	गोरधनपुर	जु०हा० स्कुल गोरधनपुर	जु०हा० स्कुल गोरधनपुर	प्रा०स्वा० केन्द्र गोरधनपुर	सिकन्दरपुर	—	—	100	30	30	04
2						—	झीवरहेडी	—	—	130	110	05
3						—	सईपुर	—	450	65	50	06
4						—	इब्राहिमपुर	—	—	200	150	05
5						—		आलमपुर	200	140	120	04
6						—		हस्तमौली	300	150	150	04

बाढ चौकी भिक्कमपुर (लक्सर)

क्र०सं०	नदी का नाम	बाढ सुरक्षा चौकी का नाम	लोकेशन	खाद्यान्न केन्द्र का नाम	चिकित्सा केन्द्र का नाम	बाढ चौकियों पर नियम बाढ प्रभावित ग्रामों का नाम			प्रभावित			बाढ चौकी से ग्राम की दूरी (कि०मी०)
						निम्न	मध्य	उच्च	जनसंख्या	क्षेत्रफल	कृषि क्षेत्रफल हे०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गंगा नदी	भिक्कमपुर	जूनियर हाईस्कूल, भिक्कमपुर जीतपुर	जूनियर हाईस्कूल, भिक्कमपुर, जीतपुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिक्कमपुर जीतपुर	फतवा अह०	—	—	—	50	40	03
2						रामपुर रायघटी	—	—	—	450	350	02
3						जसपुररणजीतपुर मु०	—	—	1500	200	150	03
4						रामपुर रायघटी	—	—	2800	280	250	02
5						जसपुर अह०	—	—	—	50	50	04

एस0डी0आर0एफ0 में बेसिक आपदा प्रबधन कोर्स शुदा तहसील लक्सर के पीआरडी कार्मिकों का विवरण:—

क0सं0	नाम	पिता का नाम	विकासखण्ड	मोबाइल नं0
1	जादपाल	श्री जोती राम	लक्सर	7351553054
2	शीशपाल	श्री सुग्गन सिंह	लक्सर	9756350978
3	महेश चन्द्र	श्री कुरडी	लक्सर	7350108093
4	राजेश कुमार	श्री पल्टू सिंह	लक्सर	9568270898
5	मांगेराम	श्री साधुराम	लक्सर	8057125415
6	महकार सिंह	श्री भोपाल सिंह	लक्सर	8477926431
7	चुन्नू राम	श्री बुग्गल राम	खानपुर	9012119967
8	रिंक कुमार	श्री सोमपाल सिंह	लक्सर	9720651812
9	गोरधन	श्री संकटू सिंह	खानपुर	9720659326
10	राजेश	श्री मंगू सिंह	लक्सर	8958746713

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना
तहसील भगवानपुर

क्र०सं०	पदनाम नाम	अधिकारी का नाम	कार्यालय दूरभाष न०	मोबाइल नं०
1	उपजिलाधिकारी, भगवानपुर	श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय	01332-232003	9411112595
2	तहसीलदार, भगवानपुर	श्रीमती सुशीला कोठियाल	01332-232003	8279685422

तहसील अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थापित बाढ़ चौकी का नाम :-

क्र०सं०	बाढ़ चौकी का नाम
1	फिरोजपुर उर्फ बुग्गावाला
2	फतेहउल्लापुर उर्फ तेलपुरा
3	बहाबपुर छांगामजरी

- 1- बाढ़ चौकियों की स्थापना की गयी तथा अधिकारी/कर्मचारियों की तैनाती हेतु कार्यावाही गतिमान है ।
- 2- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हीकरण ।
- 3- बरसाती नाले, गदरों पर किये गये अतिक्रमण को मुक्त कराने हेतु राजस्व निरीक्षकों को निर्देश ।
- 4- ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों में पानी की समुचित निकासी तथा क्षतिग्रस्त व कमजोर तटबन्धों/कलमठों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है ।
- 5- बाढ़ प्रभावित ग्रामों के समीप अस्थाई राहत शिविर की स्थापना हेतु विद्यालय/पंचायत घरों का चिन्हीकरण कर लिया गया है ।
- 6- तहसीलों पर अनुरक्षित खोज-बचाव व राहत उपकरण को क्रियाशील स्थिति में रखना ।

तहसील भगवानपुर के अन्तर्गत स्थापित बाढ़ चौकी व उनके अन्तर्गत प्रभावित ग्रामों का विवरण

क्र० सं०	नदी का नाम	बाढ़ सुरक्षा चौकी का नाम	बाढ़ चौकी की स्थापना	बाढ़चौकी के अन्तर्गत प्रभावित ग्राम	प्रभावित परिवारों की संख्या	सुरक्षित स्थान का विवरण	मनुष्य क्षमता	पशु क्षमता	खाद्यान्न केन्द्र	चिकित्सा केन्द्र	बाढ़ चौकी से दूरी (कि०मी०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	120
1	धूलिया व रतमऊ (रायघटी)	फिरोजपुर उर्फ बुग्गावाला	स्वास्थ्य केन्द्र फिरोजपुर उर्फ बुग्गावाला	1-फिरोजपुर उर्फ बुग्गावाला	250	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बुग्गावाला	30	15	फिरोजपुर उर्फ बुग्गावाला	भगवानपुर	0.0
				2-नौकराग्रन्ट	500	गुरुनानक इण्टर कालेज, नौकराग्रन्ट	200	70			0.5
				3-शहीदवाला ग्रन्ट	650	जूनियर हाईस्कूल, शहीदवाला ग्रन्ट	150	60			1.0
				4-दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद	905	लक्खी शाह इन्टर कालेज, बन्जारेवाला ग्रन्ट	100	50			4.0
				5-लालवाला खालसा	225	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लालवाला खालसा	30	15			4.0
				6-लालवाला मजबता	220	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लालवाला मजबता	50	30			5.0
				7-मजाहिदपुर सतीवाला मजबता	825	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मजाहिदपुर सतीवाला मजबता	30	15			4.0
				8- मजाहिदपुर सतीवाला खालसा	100	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मजाहिदपुर सतीवाला खालसा	30	15			4.0
				9-लामग्रन्ट	250	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लामग्रन्ट	30	15			
2	मोहण्ड रौं व चिल्ला वाली व रजवा	फतेहउल्ला पुर उर्फ तेलपुरा	फतेहउल्ला पुर उर्फ तेलपुरा	1-फतेहउल्लापुर उर्फ तेलपुरा	778	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, फतेहउल्लापुर उर्फ तेलपुरा	50	20	फतेहउल्लापुर उर्फ तेलपुरा	भगवानपुर	0.0
				2-बंजारेवाला ग्रन्ट	940	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बन्जारेवाला ग्रन्ट	50	20			2.0
				3-हसनावाला	516	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हसनावाला	40	15			4.0
				4-खेड़ी शिकाहपुर	825	जूनियर हाई स्कूल, खेड़ी शिकोहपुर	80	35			5.0
				5-औरंगजेबपुर	230	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 35औरंगजेबपुर	50	20			5.0
				6-मुकर्रम उर्फ कालेवाला	455	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मुकर्रमपुर उर्फ कालेवाला	50	20			6.0
				7-लोदीवाला		गैरआबाद ग्राम	—	—			6.0
3	सोलानी व सपोला	बहावपुर छांगामजरी		1-बहावपुर छांगामजरी	260	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बहावपुर छांगामजरी	30	15	बहावपुर छांगामजरी	भगवानपुर	0.0

			2-भगवानपुर	625	आर0एन0आई0 इण्टर कालेज, भगवानपुर	300	150			2.0
			3-शाहपुर	530	बारुमल दयानन्द इण्टर कालेज, भगवानपुर	200	100			2.0
			4-मक्खनपुर महमूद आलम	240	आर0एन0आई0 इण्टर कालेज, भगवानपुर	300	150			3.0
			5-हकीमपुर तुर्रा	625	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हकीमपुर तुर्रा	30	15			4.0
			6-कलालहटी	320	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, धीरमजरा 2	30	15			4.0
			7-धीरमजरा	75	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, धीरमजरा	35	20			4.0
			8-मानक मजरा	860	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मानक मजरा	50	25			5.0
			9-हल्लू मजरा	847	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हल्लूमजरा	60	25			5.0
			10-बहबलपुर हंसोवाला	722	किसान इन्टर कालेज, बहबलपुर हंसोवाला	200	70			4.0
			11-अकबरपुर कालसो	320	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, अकबरपुर कालसो	50	20			4.0
			12-खेलडी	70	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खेलडी	50	20			4.0
			13-सिकरोडा	450	राजकीय इन्टर कालेज, सिकरोडा	150	60			4.0
			14-हबीबपुर निवादा	280	सन्दल सिंह इन्टर कालेज, हबीबपुर निवादा	150	60			4.0
			15-नांगल	925	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नांगल	50	20			4.0
			16-पलूनी	525	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पलूनी	50	20			4.0
			17-इब्राहिमपुर मसाही	730	पंचायतघर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, इब्राहिमपुर मसाही	80	35			3.0
			18-जलालपुर डाडा	320	पंचायतघर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जलालपुर डाडा	80	35			5.0
			19-पटटी डाडा	288	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पटटी डाडा	50	20			5.0
			20-हसनपुर मदनपुर	225	पंचायतघर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हसनपुर मदनपुर	80	35			6.0

पुलिस विभाग, हरिद्वार कार्ययोजना

- सर्किल ऑफिसर (7) सी0ओ0 सदर, सी0ओ0 शहर, सी0ओ0 कनखल, सी0ओ0 रुड़की, सी0ओ0 यातायात, सी0ओ0 मंगलौर और सी0ओ0 लक्सर ।
- पुलिस स्टेशन (17) कोतवाली नगर, कोतवाली ज्वालापुर, कोतवाली रानीपुर, कोतवाली रुड़की, कोतवाली गंगनहर, कोतवाली मंगलौर, कोतवाली लक्सर ।
- थाना श्यामपुर, थाना कनखल, थाना बाहदराबाद, थाना बुग्गावाला, थाना खानपुर, थाना झबरेडा, थाना भगवानपुर, थाना पथरी, थाना सिडकुल, थाना पिरान कलियर,

उपलब्ध मानव संसाधन

क्र० स०	पुलिस स्टेशन	उपलब्ध स्टाफ			
		इन्सपेक्टर	सब-इन्सपेक्टर	हेड कास्टेबल	कास्टेबल/एल.सी.
1	17 पुलिस स्टेशन	07	147	59	938
2	पुलिस लाइन (ए0एफ0)	1	6	112	504
3	घुडसवार पुलिस	—	1	2	12
4	एल0आई0यू0	1	8	4	10
	योग	09	162	177	1464

1. आपदा प्रबन्धन के लिए पुलिस विभाग/फायर सर्विस का ढाँचा:—

विभाग से सम्बन्धित सूचना

विवरण			
		सर्किल	नाम थाना
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार	पुलिस अधीक्षक, नगर हरिद्वार	क्षेत्राधिकारी नगर, हरिद्वार	कोत0नगर
			श्यामपुर
		क्षेत्राधिकारी सदर हरिद्वार	ज्वालापुर
			रानीपुर
			सिडकुल
		क्षेत्राधिकारी कनखल हरिद्वार	कनखल
	पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण हरिद्वार	क्षेत्राधिकारी रुड़की हरिद्वार	बहादुराबाद
			कोत0रुड़की
			कोत0गंगनहर
		क्षेत्राधिकारी मंगलौर हरिद्वार	कलियर
			कोत0 मंगलौर
			भगवानपुर
			झबरेडा
		क्षेत्राधिकारी लक्सर हरिद्वार	बुग्गावाला
			कोत0लक्सर
			पथरी
	पुलिस अधीक्षक, यातायात/अपराध	क्षेत्राधिकारी यातायात हरिद्वार	खानपुर
			निरीक्षक यातायात हरिद्वार
			निरीक्षक यातायात रुड़की
			सी0पी0यू0 हरिद्वार/ रुड़की
-----	मुख्य अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार		प्रतिसार निरी0रिजर्व पुलिस लाईन हरिद्वार
			फायर स्टेशन मायापुर
			फायर स्टेशन सिडकुल
			फायर स्टेशन रुड़की
			फायर स्टेशन लक्सर
		सहायक रेडियो अधिकारी	निरीक्षक, रेडियो हरिद्वार

2. आपदा के दौरान विभाग के अन्दर विभिन्न स्तरों पर किये जाने वाले कार्य एवं जिम्मेदार व्यक्ति:—

कार्य	जिम्मेदारी
नियोजन	पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी आपदा प्रबन्धन
कियान्वयन	आपदा ग्रस्त क्षेत्र का क्षेत्राधिकारी
रिवीजन	आपदा ग्रस्त क्षेत्र के थाना प्रभारी
समीक्षा	आपदा ग्रस्त क्षेत्र का क्षेत्राधिकारी/नोडल अधिकारी आपदा
संस्तुत	
सम्बन्धित दस्तावेजों का रख-रखाव	आपदा ग्रस्त थाना/क्षेत्राधिकारी कार्यालय/नोडल अधिकारी कार्यालय

3. विभाग की दृष्टि से आपदा/आपदाएं:—

आपदा	आवृत्ति	तीव्रता
बाढ़	पहाड़ी जनपदों में अत्यधिक वर्षा / बादल फटना आदि	—

4. विभाग की दृष्टि से आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र:—

नाम तहसील	क्र०सं०	नाम बाढ़ राहत चौकी	नियुक्त पुलिस बल का विवरण
लक्सर	1	भिवकमपुर जीतपुर	02 आरक्षी आपदा प्रशिक्षित
	2	गोवर्धनपुर	02 आरक्षी आपदा प्रशिक्षित
	3	रायसी	02 आरक्षी आपदा प्रशिक्षित
	4	मांढाबेला	02 आरक्षी आपदा प्रशिक्षित
भगवानपुर	5	फिरोजपुर उर्फ बुग्गावाला	02 आरक्षी आपदा प्रशिक्षित
	6	फतेउल्लापुर उर्फ तेलपुरा	02 आरक्षी आपदा प्रशिक्षित
	7	वहाबपुर छांगा मजरी	02 आरक्षी आपदा प्रशिक्षित
	8	चौकी बढेडी राजपूतान	02 आरक्षी आपदा प्रशिक्षित
हरिद्वार	9	गैण्डीखाता	02 आरक्षी आपदा प्रशिक्षित
	10	श्यामपुर	02 आरक्षी आपदा प्रशिक्षित
	11	जस्वावाला	02 आरक्षी आपदा प्रशिक्षित
	12	विशनपुर झरड़ा (कुंडी)	02 आरक्षी आपदा प्रशिक्षित

5. वर्ष—2010 से वर्ष 2017 तक मुख्य आपदाओं के कारण/विभाग को होने वाली क्षति

वर्ष	जनपद	आपदा	क्षति—1	क्षति—2	क्षति—3	क्षति—4	क्षति—5
2010	हरिद्वार	बाढ़	—				
2013	हरिद्वार	बाढ़	घुड़सवार पुलिस लाईन की ब्राउण्डी वाल टूटना आदि सम्पत्ति को क्षति, थाना खानपुर, लक्सर में पानी भरने के कारण सरकारी सम्पत्ति को क्षति				

6. जनपद में उपलब्ध संचार उपकरणों स्टैटिक/हैण्ड हैल्ड/सहवर्ती उपकरणों का विवरण:—

क्र०सं०	नाम उपकरण	कितने उपलब्ध है	कार्यशील	अकार्यशील
01	रिपीटर सेट	8	कार्यशील	—
02	स्टैटिक सेट	252	251	1
		—	—	—
03	हैण्डहैल्ड सैट	380	378	2
		—		—

7. जनपद हरिद्वार में लगाये स्टैटिक/हैण्डहैल्ड/रिपीटर वायरलैस सैटो का विवरण:-

क्र०सं०	थाना/चौकी/ अन्य स्थान का नाम	नाम उपकरण	कितने उपलब्ध है	कार्यशील	अकार्यशील
01	जिलाधिकारी हरिद्वार	स्टैटिक सैट	05	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
02	अपर जिलाधिकारी हरिद्वार	स्टैटिक सैट	05	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	04	कार्यशील	—
03	एसडीएम हरिद्वार/ लक्सर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
04	मुख्य विकास अधिकारी	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
05	तहसीलदार	स्टैटिक सैट	02	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
06	सीजेएम	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
07	सिटी मजि० हरिद्वार	स्टैटिक सैट	—	—	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
08	जिला जज हरिद्वार	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
09	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार	स्टैटिक सैट	09	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	02	कार्यशील	—
10	पुलिस अधीक्षक, नगर	स्टैटिक सैट	04	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	02	कार्यशील	—
11	क्षेत्राधिकारी नगर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
12	क्षेत्राधिकारी सदर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	02	कार्यशील	—
13	क्षेत्राधिकारी लक्सर	स्टैटिक सैट	02	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
14	क्षेत्राधिकारी यातायात	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
15	क्षेत्राधिकारी कनखल	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
16	सहायक रेडियो अधिकारी हरिद्वार	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
17	आपदा कंट्रोल हरिद्वार	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
18	नगर नियन्त्रण कक्ष	स्टैटिक सैट	03	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
19	जनपद नियन्त्रण कक्ष	स्टैटिक सैट	05	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
20	प्रतिसार निरीक्षक	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
21	पुलिस लाईन हरिद्वार	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
22	अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
23	अग्निशमन अधिकारी लक्सर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
24	अग्निशमन अधिकारी सिडकुल	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
25	मुख्य अग्निशमन	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—

	अधिकारी	हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
26	फायर सर्विस हरिद्वार / लक्सर / सिडकुल	स्टैटिक सैट	11	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
27	संचार स्टोर हरिद्वार	स्टैटिक सैट	11	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	25	कार्यशील	—
		रिपीटर सैट	06	कार्यशील	—
28	कोतवाली नगर हरिद्वार	स्टैटिक सैट	02	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	14	कार्यशील	—
29	चौकी हरकी पैडी	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	03	कार्यशील	—
30	चौकी खडखडी	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
31	चौकी सप्तऋषि	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
32	चौकी रोडीबेलवाला	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
33	चौकी मायापुर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
34	चौकी औद्योगिक क्षेत्र	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
35	कोतवाली ज्वालापुर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	11	कार्यशील	—
36	डामकोठी	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
37	चौकी बाजार	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
38	चौकी रेल	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
39	कोतवाली रानीपुर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	11	कार्यशील	—
40	चौकी गैस प्लांट	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
41	चौकी सुमननगर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
42	चौकी कोर्ट	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	02	कार्यशील	—
43	थाना सिडकुल	स्टैटिक सैट	02	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	02	कार्यशील	—
44	चैक पोस्ट राजाबिस्कुट	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
45	चैक पोस्ट सलेमपुर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
46	थाना कनखल	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	11	कार्यशील	—
47	चौकी जगजीतपुर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
48	थाना जीआरपी हरिद्वार	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	02	कार्यशील	—
49	थाना श्यामपुर	स्टैटिक सैट	02	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	02	कार्यशील	—
50	चौकी चंडीघाट	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—

		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
51	चौकी लालढांग	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
52	चैक पोस्ट चिडियापुर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
53	थाना बहादुराबाद	स्टैटिक सैट	02	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	07	कार्यशील	—
54	चौकी शांतरशाह	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
55	चैक पोस्ट पथरीरोह	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
56	कोतवाली लक्सर	स्टैटिक सैट	02	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	07	कार्यशील	—
57	चौकी बाजार	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
58	चौकी सुल्तानपुर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
59	चौकी रायसी	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
60	चौकी भिकमपुर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
61	जीआरपी लक्सर	स्टैटिक सैट	02	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
62	थाना खानपुर	स्टैटिक सैट	02	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
63	चौकी गोवर्धनपुर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
64	चैकपोस्ट पुरकाजी बोर्डर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
65	थाना पथरी	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	03	कार्यशील	—
67	चौकी फेरुपुर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
68	टीपी लाइन	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	37	कार्यशील	—
69	टी0आई0 मोबाइल	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
70	घुडसवार पुलिस	स्टैटिक सैट	—	—	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	04	कार्यशील	—
71	बीडीएस	स्टैटिक सैट	—	—	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
72	पुलिस लाइन कार्यालय	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
73	डाग स्कवाड	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
74	क्यू0आर0टी0 प्रथम	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
75	क्यू0आर0टी0 द्वितीय	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—

		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
76	ब्रज वाहन	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
77	क्राउड कन्ट्रोल मोबाइल	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
78	इन्टर सैप्टर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
79	पुलिस लाईन रिजर्व मो0	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
80	एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मोबाइल	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
81	मानव वध सैल कार्यालय	स्टैटिक सैट	02	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
82	रिपीटर चण्डीदेवी	रिपीटर सैट	03	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
83	पीसी 01	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
84	पीसी 03	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
85	ईगल प्रथम	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
86	ईगल द्वितीय	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
87	सीपीयू मोबाइल	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	19	कार्यशील	—
88	निरीक्षक/उपनिरीक्षक	स्टैटिक सैट	—	—	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	11	कार्यशील	—
89	सीसीटीवी हरिद्वार	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
90	कर्मशाला हरिद्वार	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
91	थाना रूडकी	स्टैटिक सैट	02	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	13	कार्यशील	—
92	सोत बी चौकी	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	02	कार्यशील	—
93	थाना गंगनहर	स्टैटिक सैट	02	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	12	कार्यशील	—
94	सोत ए चौकी	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
95	तहसील चौकी	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
96	सालियर चौकी	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
97	चौकी जेल	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
98	थाना भगवानपुर	स्टैटिक सैट	02	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	08	कार्यशील	—
99	काली नदी चौकी	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
100	मंडावर चौकी	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—

101	चौकी तेजपुर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
102	कोतवाली मंगलौर	स्टैटिक सैट	02	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	14	कार्यशील	—
103	कस्बा चौकी	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
104	चौकी गुरुकुल नारसन	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
105	नारसन बोर्डर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
106	लंदौरा चौकी	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	02	कार्यशील	—
107	थाना झबेरडा	स्टैटिक सैट	02	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	03	कार्यशील	—
108	कस्बा झबेरडा चौकी	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
109	चौकी इकबालपुर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
110	चौकी लखनौता	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
111	थाना कलियर	स्टैटिक सैट	02	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	05	कार्यशील	—
112	चौकी इमलीखेडा	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	04	कार्यशील	—
113	चौकी धनौरी	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
114	थाना बुग्गावाला	स्टैटिक सैट	03	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
115	पुलिस कन्ट्रोल रूम रुडकी	स्टैटिक सैट	19	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	06	—	—
116	पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण	स्टैटिक सैट	04	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
117	क्षेत्राधिकारी रुडकी	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	02	कार्यशील	—
118	क्षेत्राधिकारी मंगलौर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
119	जीआरपी रुडकी	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
120	ज्वाइंट मजि0 रुडकी	स्टैटिक सैट	02	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	01	—	—
121	क्रेन रुडकी	स्टैटिक सैट	—	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
122	पीसी 05	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
123	पीसी 06	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
124	पीसी 07	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
125	फायर स्टेशन रुडकी	स्टैटिक सैट	07	कार्यशील	—

		हैण्ड हैल्ड सैट	01	कार्यशील	—
126	फायर सर्विस भगवानपुर	स्टैटिक सैट	01	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	—	—	—
127	जलपुलिस	स्टैटिक सैट	—	—	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	05	कार्यशील	—
128	स्टोर रूडकी	स्टैटिक सैट	10	कार्यशील	—
		हैण्ड हैल्ड सैट	15	कार्यशील	—

- **सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा का विवरण :-** जनपद हरिद्वार में मुख्यतः सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा जल भराव (बाढ़) है।
- **आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र का विवरण :-** जनपद हरिद्वार में जल भराव से प्रभावित होने वाले क्षेत्र मुख्यतः थाना लक्सर/श्यामपुर/खानपुर/बुग्गावाला क्षेत्रान्तर्गत होता है।
- **आपदा के दौरान पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ :-** जनपद हरिद्वार में आपदा के दौरान पुलिस विभाग द्वारा आपदा की सूचना प्राप्त होने पर बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांव/स्थान/नदी किनारे रहने वाले लोगों को स्थानीय पुलिस द्वारा लाउण्ड स्पीकर के माध्यम से सचेत करते हुये समय से सुरक्षित स्थानों पर जाने हेतु अवगत कराया जाता है, साथ ही स्थानीय पुलिस द्वारा जल पुलिस के सहयोग से आपदा प्रभावित व्यक्तियों को पूर्व से चिन्हित स्थानों यथा स्कूल/धर्मशाला/पंचायत भवन आदि में पहुंचाया जाता है।
- **आपदा से पूर्व विभाग द्वारा की जाने वाली तैयारी :-** जनपद हरिद्वार में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु वर्षाकाल प्रारम्भ होने से पूर्व जनपद स्तर पर चिन्हित आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ राहत चौकियों की स्थापना कर उनमें आपदा प्रशिक्षित कर्मचारीगण की नियुक्ति की जाती है, साथ ही आपदा से निपटने हेतु जनपद में उपलब्ध जल पुलिस एवं 40वीं वाहिनी ई दल(पलड कम्पनी) को त्वरित कार्यवाही हेतु मय उपकरणों सहित तैयारी की दशा में रहने हेतु निर्देशित किया जाता है, जिससे आपदा की सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित को तत्काल आपदा प्रभावित स्थल पर मदद हेतु भेजा जाता है।
- **आपदा के बाद विभाग की जिम्मेदारी :-** जनपद हरिद्वार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के पश्चात स्थानीय थाना पुलिस द्वारा लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गश्त की जाती है, जिससे आपदा प्रभावित व्यक्तियों को किसी प्रकार की असुरक्षा का अनुभव न हो, आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली राहत सामग्री वितरण के दौरान कैम्पो में किसी भी कानून व्यवस्था/अप्रिय स्थिति से निपटने हेतु समुचित पुलिस प्रबन्धन किया जायेगा।
- **प्रभावित क्षेत्रों में जनपद स्तर पर पुलिस विभाग के स्थापित हेडक्वार्टर/थाना/चौकी पर तैनात पदाधिकारी/थानाध्यक्षों का नाम, पदनाम मोबाईल नम्बर**

क्र०सं०	नाम	पदनाम एवं तैनाती स्थल	दूरभाष
1.	श्री सैन्थिल आबूदाई कृष्ण	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार	9411112987
2.	श्री मंजूनाथ टी०सी०	पुलिस अधीक्षक, अपराध/यातायात	8006007222
3.	श्रीमती कमलेश उपाध्याय	पुलिस अधीक्षक, नगर हरिद्वार	9411112768
4.	श्री श्री एस०के० सिंह	पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण हरिद्वार	9411112729
5.	पुलिस उपाधीक्षक	श्री मुकेश ठाकुर	9411112795
6.	पुलिस उपाधीक्षक (नगर)	श्री परीक्षित कुमार	9411112992
7.	पुलिस उपाधीक्षक (सदर)	श्री प्रकाश चन्द देवली	9411111954
8.	पुलिस उपाधीक्षक, कनखल	सुश्री पूर्णिमा गर्ग	9411112755 8979373080
9.	पुलिस उपाधीक्षक, रूडकी	श्री चन्दन सिंह बिष्ट	9411112996 9568555057
10.	पुलिस उपाधीक्षक, मंगलौर	श्री मनोज कत्याल	9411112199 7830211026
11.	पुलिस उपाधीक्षक, लक्सर	श्री अवनीश शर्मा	9411112084 7503974555
12.	पुलिस उपाधीक्षक, पथरी	श्री राजन सिंह	9410710777
13.	पुलिस उपाधीक्षक, यातायात/लाइन/ऑफिस	श्री विजेन्द्र दत्त डोभाल	9411463702
14.	निरीक्षक (SHO) कोतवाली नगर, हरिद्वार	श्री प्रवीण कौशियारी	9411112827 9410393555
15.	निरीक्षक (SHO), कोतवाली ज्वालापुर	श्री योगेश सिंह देव	9411112828 7830020100

16.	निरीक्षक (SHO) कोतवाली रानीपुर	श्री शंकर सिंह बिष्ट	9411112830 9412409524
17.	निरीक्षक (SHO) कोतवाली रुड़की	श्रीमती अमरजीत सिंह	9411112831 7830220018
18.	निरीक्षक (SHO) कोतवाली गंगनहर	श्री प्रदीप बिष्ट	9411112832 7830100115
19.	निरीक्षक (SHO) कोतवाली मंगलौर	श्री प्रदीप चौहान	9411112836 8650607085
20.	थानाध्यक्ष (SO) कनखल	श्री हरिओम राज चौहान	9411112820 9927779944
21.	थानाध्यक्ष (SO), झबरेडा	श्री रविन्द्र शाह	9411112834 9412916066
22.	थानाध्यक्ष (SO), भगवानपुर	श्री संजीव थपलियाल	9411112833 7830222797
23.	थानाध्यक्ष (SO), कलियर	श्री संतोष कुंवर	9456593968 8979943294
24.	थानाध्यक्ष (SO), सिडकुल	श्री प्रशान्त बहुगुणा	9411112516 7037345172
25.	थानाध्यक्ष (SO), बुग्गावाला	श्री कमल मोहन भण्डारी	9411111957 7830100116
26.	थानाध्यक्ष (SO), श्यामपुर	श्री दीपक कठैत	9411112835 9690703475
27.	थानाध्यक्ष (SO), पथरी	श्री सुखपाल मान	9411112838 9105533613
28.	थानाध्यक्ष (SO), लक्सर	श्री वीरेन्द्र नेगी	9411112837 8755674867
29.	थानाध्यक्ष (SO), खानपुर	दिलमोहन	9411112839 9557557579
30.	थानाध्यक्ष (SO), बहादुराबाद	श्री गोविन्द कुमार	9411111958 9634587094

● विभाग के पास उपलब्ध आपदा राहत उपकरण :-

Assessment of Search and Rescue Equipments in District Haridwa Police				
S.No	Name of Equipments	No. of available Equipments	Requirement if any	Name of Location Where Equipments are Kept
1	मेनुअल राफ्ट	1		Police Line
2	लाइफ जैकेट	74		Police Line
3	स्टैचर	1		Police Line
4	लाइफ बॉय	36		Police Line
5	प्रेसर गेज	2		Police Line
6	स्लारकर विद ड्रेनवाल	2		Police Line
7	फिन्स इडजैस्टेवल	2		Police Line
8	फेस मास्क हॉफ	1		Police Line
9	डायवर्स हुड	2		Police Line
10	रेगुलेटर आक्टोपस	2		Police Line
11	बी0सी0 (वायोसी कंट्रोल यूनिट)	2		Police Line
12	वेट काली	30		Police Line
13	रेस्क्यू बैग	2		Police Line
14	वेट पीस	103		Police Line
15	पम्प कारलासन	1		Police Line
16	गार्ड पैडल	1		Police Line

17	नारमल पैडल	8		Police Line
18	स्कूवा डाईविंग सूट	2		Police Line
19	फ्लोटिंग जेटी	2		Police Line
20	बैरल हेडपम्प	2		Police Line
21	पैडल नार्मल	4		Police Line
22	हेलमेट (ग्रेवनर)	3		Police Line
23	लाईफ लाइन रोप	2		Police Line

जल पुलिस और नावों की अस्थाई व्यवस्था:-

जल पुलिस पोस्ट का नाम	खोज एवं बचाव दल के सदस्यों की सं.	मोबाइल नम्बर
हर की पौड़ी थाना कोतवाली नगर	एच सी 52 ए. पी अतुल सिंह डाईवर जन्नू पाल डाईवर गौरव शर्मा कान्स. 212 सचिदानन्द	8410702341 9690463583 9997938110 9997005690
भूमा निकेतन थाना कोतवाली नगर	कान्स. 13 विजय बलोदी कान्स. 207 गगनदीप	8006265469 9897236060
प्रेम नगर आश्रम थाना ज्वालापुर	डाईवर सुनील कुमार कान्स .234 कुलतार किशन कान्स. आशीष शर्मा	9058131319 8126338550 9759598951
जटवारा ब्रिज थाना ज्वालापुर	कान्स. ए. पी. विजय प्रताप कान्स. 24 ए.. विरेन्द्र चौहान डाईवर प्रवीन शर्मा	8650036543 8958325542 9639696002
सोनाली पार्क थाना रुडकी	कान्स. 239 प्रीतम कुमार कान्स. 277 प्रदीप कान्स. अशोक कुमार कान्स. मुकेश कुमार डाईवर अमित पुरोहित	8650037575 7417515217 9627551918 9045793839 8126161362

उपलब्ध उपकरण/सामग्री विवरण:-

क्र०सं०	पुलिस स्टेशन	उपलब्ध औजार
1	कोतवाली रुडकी	हैलमेट-2, लाइफ जैकेट-4, फाइबर ट्यूब-4, वाहन-2, सर्च लाइट-1
2	थाना श्यामपुर	टार्च-6, सिलेन्डर 2 किलो.-1, टारपोलिन-2, फावड़ा-2, सबल-4, दस्ताने-5 जोड़ी, सोवल-2, कुल्हाड़ी-2, फस्ट एड बक्स-1
3	कोतवाली मंगलोर	लाइफ जैकेट-4, रबर सीट कवर सहित-6, टैंट-2, बरसाती कवर सहित -6 टार्च-5, पेट्ररोमेक्स -1, आपदा प्रबन्धन पर डाक्यूमेन्ट-12, नाइलोन रस्सी-2, फावड़ा -2, कुल्हाड़ी -2 सबल बड़ा-2,सबल छोटे-2, फस्ट एड बक्स -1
4	थाना बाहदराबाद	रस्सी, फावड़ा, सबल, टैन्ट पल्ली सभी एक एक
5	थाना पथरी	हैलमेट-5, ड्रैगन लाइट -1, बाडी प्रोटेक्टर -12
6	कोतवाली गंगनहर	ड्रैगन लाइट-2, हैलमेट-12, टॉर्च-20, स्ट्रैचर-4, रस्से-6
7	लक्सर	पीली कार्बोनेट केन-10, सिंगगार्ड-10, टॉर्च-5, तसला-2, सबल-4, बेलचा-2, गैंती-2, कुल्हाड़ी-2, हैलमेट-2, फावड़ा-2, लाइफ जैकेट-15, रस्सा-4,
8	ज्वालापुर	लाइफ जैकेट-5, लाइफ बॉय-2, रस्सा-2
9	भगवानपुर	लाइफ जैकेट-4, लाइफ ट्यूब-2, रस्से-10, बेलचा-2, फावड़ा-2, टॉर्च-4, ड्रैगन लाइट-1
10	बुग्गावाला	लाइफ जैकेट-2, रस्सा-1, लाइफ बॉय-1,
11	झबरेडा	रस्से-4, फावड़े-5, लाइफ जैकेट-7, लाइफ बॉय-2, ड्रैगन लाइट-2
12	कनखल	रस्से-4, लाइफ बॉय-2, लाइफ जैकेट-4,
13	कोतवाली नगर	लाइफ जैकेट-2, स्वीमींग ट्यूब-1, ड्रैगन लाइट-1
14	खानपुर	रस्से-4, लाइफ जैकेट-5, लाइफ बॉय-2
15	फायर स्टेशन रुडकी	पिक एक्स (गैंती)-4,स्पेड(फावड़ा)-4, एक्स(कुल्हाड़ी)-2रोप प्लास्टिक-4, रोप मनीला/शार्ट लाईन-6, हैमर विग-2,सावेल(बेलचा)-1,क्रोबार-3, स्ट्रेचर

		(फोल्टिंग) -1, स्ट्रेचर (कैनवास)-1, सर्च लाईट मय केबिल जनरेटर-2, लाईफ सैविंग जैकेट-3, लाईफ ब्याय-3, न्यू मैटिक एयर प्रेशर बैग-1, इन्फ्लोटींग लाईटिंग टावर मय सहवर्ती उपकरण-1, क्वीक रिलीफ नाईफ-2, सेपटी टूल विड हुक-1, कोम्बी टूल्स-1, रोप लेडर-1, रेस्क्यू कांटा-2, उडन कटर शॉ-1, ड्रेगन लाईट-1
15	फायर स्टेशन लक्सर	लाईफ जैकेट-2, लाईफ ब्याय-2, स्ट्रेचर कैनवास-1, एक्सटेंशन लैडर-2, रोप लैडर-1, रोप नॉयलोन-2, रोप मनीला-1, फावडा-2, गैती-2, बेलचा-2, कोबार-2, लार्ज एक्स-2, फायर एक्स-7, सर्च लाईट-2, ड्रेगन लाईट-1, फायर हेलमेट-7, बोल्ट कटर-4, न्यू मैटिक एयर प्रेशर बैग मय सिलेण्डर-1, ब्रीदिंग अपरेट्स सेट-2, टार्च-2, हॉस्पिटल ब्लैकट-2, बुडन कटर चैन शॉ मय पावर पम्प-1, पोर्टेबल पम्प-1, पोर्टेबल जनरेटर-1
16	फायर स्टेशन सिडकुल	बेलचा-2, ब्रीदिंग अपरेट्स सेट-3, बोल्ट कटर-2, डार ब्रेकर-1, ड्रग हुक-1, फायर हुक-4, कोबार-2, कॉम्बी टूलस-1, क्वीक रिलीफ नाईफ-2 लाईफ जैकेट-2, लाईफ बाय-2, पिक एक्स (गैती)-1, लाल कम्बल-2, फावडा-1, सर्च लाईट-1, सेपटी टूल विड हुक-1, टार्च-03, सैल स्टील-1, टाच 04 सैल स्टील-2, रस्सा मनीला 30 मी0-3, रस्सा मनीला 15 मी0-2
17	फायर स्टेशन मायापुर	इन्फ्लोटींग लाईटिंग टावर मय सहवर्ती उपकरण-5, कोबार-8, कॉम्बी टूलस-1, क्वीक रिलीफ नाईफ-2, जनरेटर-1, ड्रेगन लाईट-3, न्यू मैटिक एयर प्रेशर बैग-1, पिक एक्स (गैती)-7, बुडन कटर इलै0 पावर चैन शॉ-2, कम्बल-2, सावेल (बेलचा)-6, आर0सी0सी0 कटर शॉ-2, आयरन कटर शॉ-1, सर्कुलर शॉ-1, बोल्ट कटर-3, रस्सा मनीला-2, रेस्क्यू कांटा-2, रोप लैडर-1, रस्सा नायलान-2, लार्ज एक्स-8, लाईफ जैकेट-4, लाईफ बाय-3, वायर कटर-1, फावडा-8, स्ट्रेचर फोल्टिंग-3, सर्च लाईट सेट-2, टार्च-3, बी0ए0सेट-2, बुडन कटर शॉ मय इंजन-2,
18	पुलिस लाईन	मेनुअल राफ्ट-1, लाईफ जैकेट-74, स्टैचर-1, लाईफ बाय-36, प्रेशर गेज-2, स्लारकर विड ड्रेनवाल-2, फिन्स इडजैस्टेवल-2, फेस मास्क हॉफ-1, डायवर्स हुड-2, रेगुलेटर आक्टोपस-2, बी0सी0 (वायोसी कंट्रोल यूनिट)-2, वेट काली-30, रेस्क्यू बैग-2, वेट पीस-103, पम्प कारलासन-1, गार्ड पैडल-1, नारमल पैडल-8, स्कूवा डाईविंग सूट-2, फलोटींग जेटी-2, बैरल हेडपम्प-2, पैडल नार्मल-4, हेलमेट (ग्रेवनर)-3, लाईफ लाइन रोप-2,

जल पुलिस और नावों की अस्थाई व्यवस्था

जल पुलिस पोस्ट का नाम	खोज एवं बचाव दल के सदस्यों की सं.	मोबाइल नम्बर
हर की पौडी थाना कोतवाली नगर	एच सी 52 ए. पी अतुल सिंह ड्राईवर जन्मू पाल ड्राईवर गौरव शर्मा कान्स. 212 सचिदानन्द	8410702341 9690463583 9997938110 9997005690
भूमा निकेतन थाना कोतवाली नगर	कान्स. 13 विजय बलोदी कान्स. 207 गगनदीप	8006265469 9897236060
प्रेम नगर आश्रम थाना ज्वालापुर	ड्राईवर सुनील कुमार कान्स .234 कुलतार किशन कान्स. आशीष शर्मा	9058131319 8126338550 9759598951
जटवारा ब्रिज थाना ज्वालापुर	कान्स. ए. पी. विजय प्रताप कान्स. 24 ए.. विरेन्द्र चौहान ड्राईवर प्रवीन शर्मा	8650036543 8958325542 9639696002
सोनली पार्क थाना रुडकी	कान्स. 239 प्रीतम कुमार कान्स. 277 प्रदीप कान्स. अशोक कुमार कान्स. मुकेश कुमार ड्राईवर अमित पुरोहित	8650037575 7417515217 9627551918 9045793839 8126161362

मानक प्रचालन विधि (STANDARD OPERATIONS PROCEDURE-SOP)

- 1-किसी भी आपदा/आपातकाल की स्थिति में विभाग द्वारा प्रभावित स्थल पर प्रशिक्षित/मौजूद पुलिस टीम को तत्काल रवाना करना।
- 2-बाढ़ एवं भूकम्प की स्थिति में आपदा प्रबन्धन समिति/टीम द्वारा तत्काल प्रभाव से राहत एवं बचाव कार्य करना।
- 3-यदि शान्ति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति में व्यवधान पैदा होता है, तो तत्काल मौके पर पहुंचकर भीड़ नियन्त्रण कर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाना।
- 4-पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा व उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल पहुंचाना।
- 5-प्रभावित/घटना स्थल पर पहुंचकर तत्काल उच्चाधिकारियों को वस्तु स्थिति से अवगत कराना।
- 6-बाढ़ की सूचना मिलने पर पुलिस को वायरलेस स्टॉफ, तैराकों की टीम प्राथमिक चिकित्सा टीम, लाईफ जैकेट, नायलोन के बने जाल, सर्च लाईट आदि के साथ मौके पर पहुंचाना।
- 7-बाढ़ की सूचना उच्चाधिकारियों को देते हुये बाढ़ स्थल पर वायरलेस स्टेशन कायम करना, एवं बाढ़ स्थल का निरीक्षण करके वस्तु स्थिति से वरिष्ठ अधिकारियों उपरोक्तानुसार को सूचित करना।
- 8-बचाव व राहत कार्यो के लिये सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय बना कर जनशक्ति जुटाना।
- 9-राजस्व विभाग से समन्वय बनाना।
- 10-आवश्यकता पड़ने पर सेना तथा केन्द्रीय बल की मांग करना व उनसे समन्वय स्थापित करना।
- 11-आपदा की स्थिति में राज्य, डिवीजन, जिला तथा स्थानीय स्तर पर प्रबन्ध समितियों को सहयोग देना।
- 12-वायरलेस संचार व्यवस्था कायम करना तथा कन्ट्रोल रूम की स्थापना करना।
- 13-मलवे से दबे लोगों को बाहर निकालना, घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सालय भेजना।

वन विभाग, हरिद्वार कार्ययोजना

प्रभाग की भौगोलिक स्थिति

हरिद्वार वन प्रभाग का विस्तार शिवालिक श्रृंखला में अवस्थित चाण्डी देवी पर्वत मालाओं के साथ-साथ गंगा नदी की तलहटी से लेकर हरिपुर-खानपुर घाड़ क्षेत्रों तक तथा राजाजी राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्र के अतिरिक्त समस्त जनपद हरिद्वार हैं। प्रभाग के वन क्षेत्र भाबर तथा तराई दोनों ही प्रकार के हैं। प्रभाग का कुल क्षेत्रफल 39074.11 हैक्टेयर हैं, जिसमें से 33037.96 हैक्टेयर क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र, 2123.00 हैक्टेयर क्षेत्र संरक्षित तथा 3913.15 हैक्टेयर निहित क्षेत्र हैं इसमें से कुल वनों का क्षेत्रफल 77428 हैक्टेयर हैं। चिड़ियापुर व पथरी क्षेत्र में युकेलिप्टस, शीशम व खैर तथा मिश्रित प्रजाति के वन हैं। वहीं रसूलपुर, हजारा व खानपुर क्षेत्र में खैर व मिश्रित वन हैं। इसी के साथ-साथ नहर पटरी, रेलवे लाईन, सड़कों के किनारे स्थित वन भी हैं जो कि अग्नि घटना के लिये अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र की श्रेणी में हैं।

प्रभाग के वन क्षेत्र जहाँ बहुमूल्य प्रजातियों के वृक्षों से शोभित हैं वहीं विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों, भाभड़ घास एवं गौण वन उपज के साथ-साथ उप खनिजों की भी बाहुल्यता हैं। हरिद्वार वन प्रभाग के वन क्षेत्र न केवल वन सम्पत्ति से सम्पन्न हैं अपितु विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों से भी परिपूर्ण हैं। वन्य प्राणियों में हाथी, गुलदार, हिरन की पांच प्रजातियाँ – पाड़ा, काकड़, चीतल, सांभर एवं बारहसिंघा, मगर एवं घड़ियाल आदि महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं। प्रभाग के वनों में वर्ष पर्यन्त विभिन्न प्रकार के पक्षी वास करते हैं व शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी बाहुल्यता में आते हैं। उत्तराखण्ड में बहुत कम मात्रा में पाये जाने वाले बारहसिंघा, (स्वाम्प डियर) की यह एक मात्र शरणस्थली हैं। इसके अतिरिक्त लक्सर क्षेत्र के अन्तर्गत बाणगंगा नदी में बहुतायत में मगरमच्छ एवं घड़ियाल भी पाये जाते हैं। प्रकृति से प्राप्त इस बहुमूल्य वन सम्पदा व वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यह प्रभाग वन्य जीव सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील प्रभागों में से एक हैं।

प्रभागवार/रेंज का क्षेत्रफल व विवरण –

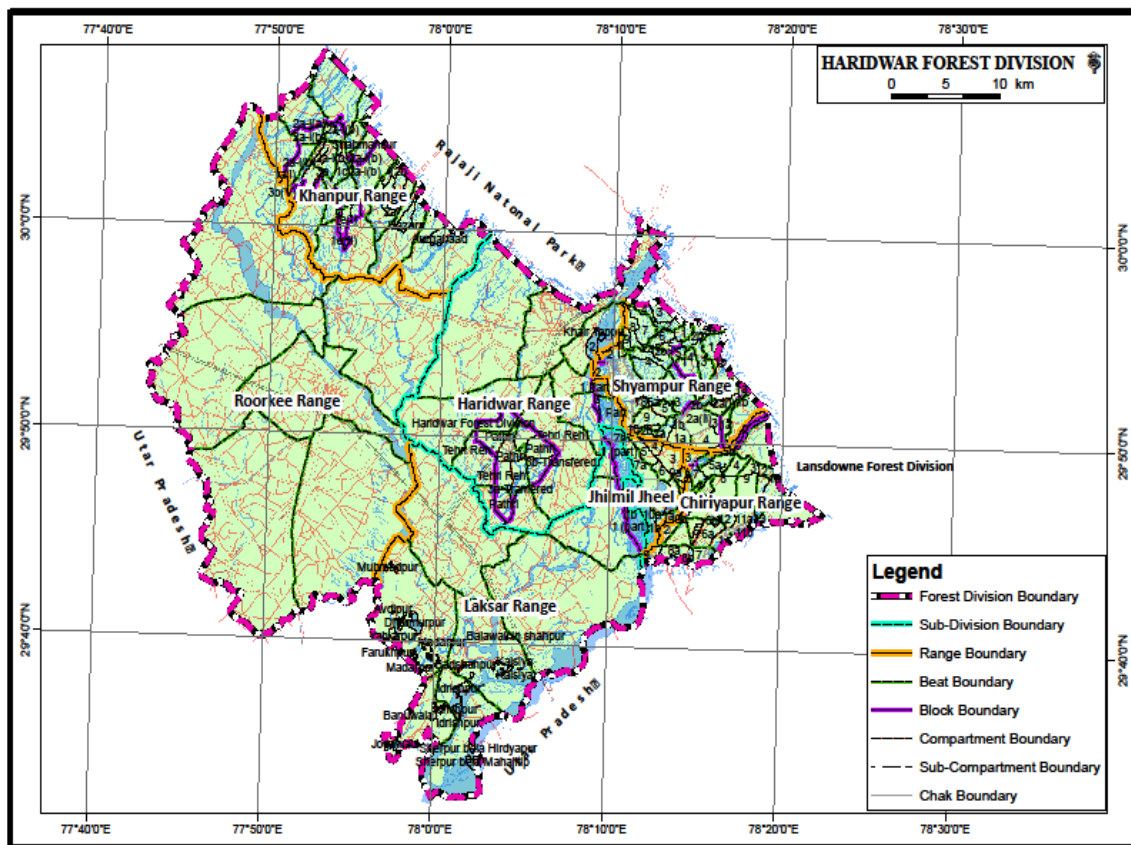
रेंज का नाम	सकल क्षेत्रफल	भूमि हस्तान्तरण	शुद्ध क्षेत्रफल
हरिद्वार	4889.70	1900.98	2988.7200
श्यामपुर	11622.70	13.3552	11609.3448
चिड़ियापुर	7206.00	769.180	6436.8200
सं० आरक्षित	3783.50	9.1956	3774.3044
खानपुर	5536.05	4.38	5531.6700
लक्सर	3913.15	15.63	2241.0372
योग	36951.10	—	32581.8964
हस्तान्तरित भूमि	—	—	2712.7208
सं० वन	211.17	—	211.77
निहित वन में अन्तर	—	—	1656.4828
योग	37162.87	—	34450.1492

वर्षा एवं जलवायु

वर्षा मुख्यतः मानसून में होती है, जो प्रायः जून के द्वितीय पखवाड़े से प्रारम्भ होकर सितम्बर के अन्त तक रहती है। इस अवधि में सर्वाधिक वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा बहुत कम होती है। प्रभाग में वर्षा सम्बन्धित आकड़े एकत्र करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

इस क्षेत्र की जलवायु सामान्यतः उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पायी जाने वाली उष्ण जलवायु जैसी है। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है तथा लू चलती है। अप्रैल से भीषण गर्मी का प्रकोप प्रारम्भ हो जाता है और लू के साथ धूल भरी आंधी चलने लगती है। क्षेत्र में गर्मियों में अधिक गर्मी तथा जाड़ों में अत्यधिक जाड़ा पड़ता है।

हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार का मानचित्र (रेंजवार)



प्रभाग में स्थित संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थलों का राजिवार विवरण

वन क्षेत्र के अन्तर्गत टौंगिया ग्राम का विवरण:-

ब्लॉक का नाम	टौंगिया ग्राम का नाम	अनुमानित आबादी	भूस्खलन हेतु संवेदनशील / अतिसंवेदनशील / सामान्य	मुख्य सम्पर्क मार्ग	आपदा की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग	आपदा की स्थिति में कैम्प का स्थान
बहादुराबाद	पुरुषोत्तमनगर	1350	सामान्य	पथरी-धनपुरा	पथरी-धनपुरा	पथरी वन परिसर
बहादुराबाद	कमलानगर	450	सामान्य	पथरी-धनपुरा	पथरी-धनपुरा	पथरी वन परिसर
भगवानपुर	हरिपुर	1600	रायघाटी नदी	बिहारीगढ़-बुग्गावाला मार्ग	बिहारीगढ़-बुग्गावाला	हरिपुर प्राथमिक विद्यालय

भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की सूची :- वन प्रभाग हरिद्वार के अन्तर्गत भूस्खलन की दृष्टि से कोई भी संवेदनशील क्षेत्र नहीं है। नदी नालों के कटाव से ही भूस्खलन होता है।

नदी नालों के कटाव की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की सूची :-

रेंज का नाम	खण्ड / कक्ष
हरिद्वार रेंज	देवपुरा विशनपुर, उत्तरी व दक्षिणी, पथरी पश्चिमी
रसियाबड़ यूनिट	1- रवासन नदी-नलोवाला क0सं0 8ब, 9ब, आमसोत क0सं0 1अ
	2- गंगा नदी-नलोवाला क0सं0 7ब, गंगा क0सं0-1अ व 1ब
श्यामपुर रेंज	गंगा नदी, अंजनी क0सं0 1, श्यामपुर
लक्सर रेंज	भोगपुर वन ब्लाक, कलसिया वन ब्लाक, बादशाहपुर वन ब्लाक, जोगावाला वन ब्लाक, इदरीशपुर वन ब्लाक, शेरपुर बेला, शेरपुरबेला एवं बालावाली व शाहपुर ब्लाक
चिड़ियापुर रेंज	रवासन नदी (नलोवाला-3 (मिट्टीबेरी-3), कोटावाली-7, सबलगढ़ क0सं0-3), कोटावाली नदी (सबलगढ़ क0सं0-1, 7, 8बी, 9)
खानपुर रेंज	रायघाटी नदी

1. दैवीय आपदा के प्रकार -

1. दावाग्नि।
 2. भू-स्खलन।
 3. अतिवृष्टि से नदी-नालों में बाढ़ आना।
 4. भूकम्प।
- **दावाग्नि** - दावाग्नि होने की स्थिति में समस्त कार्य पुलिस विभाग एवं अग्निशमन विभाग से अपेक्षित होते हैं, यदि वन विभाग से दावाग्नि की स्थिति में किसी भी प्रकार की सहायता मांगी जाती है, तो विभाग दिन रात सेवा हेतु तैयार रहेगा।
- **वनाग्नि** - वनाग्नि हेतु कार्ययोजना अलग से बनायी जाती है जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी के स्तर से कराकर विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

2. दैवीय आपदा प्रबन्ध के उद्देश्य :- प्रबन्ध के उद्देश्य निम्न प्रकार है।

- दैवीय आपदा होने पर जन, वन एवं माल हानि को न्यूनतम सम्भावित मात्रा में लाना और इस प्रयोजन हेतु विविध प्रशासनिक, वैज्ञानिक, सामाजिक तथा तकनीकी उपायों का प्रयोग करना।
- वन क्षेत्र के अन्दर एवं सीमा पर स्थित गावों में दैवीय आपदा की घटना होने पर सम्पर्क स्थापित कर, प्राथमिक उपचार, भोजन, जल एवं आवास की व्यवस्था करना।
- आपदाकाल में नियमित रूप से सुरक्षात्मक कार्यों का निष्पादन करना।

3. दैवीय आपदा जोखिम कम करने के विकल्प :

- भू-स्खलन प्रभावित क्षेत्रों में अभियांत्रिकी कार्य कर क्षेत्र को स्थायित्व प्रदान करना।
- नदी-नालों में क्षरण रोकने हेतु आवश्यक अभियांत्रिकी कार्य कराना।
- ग्रामीणों को भूकम्प एवं बाढ़ जैसी स्थिति में जान-माल सुरक्षा हेतु आवश्यक उपायों से परिचित कराना।
- किसी भी आपदा के घटित होने पर आसपास के अन्य समितियों से सहयोग प्राप्त कर आपदा निवारण की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- दैवीय आपदा में सहायनीय/उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्रामीणों को चिन्हित कर प्रभाग को सूचित करना।

5. आपदा प्रबन्धन हेतु संसाधन :-

हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार के अन्तर्गत तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के मोबाइल नम्बरों का विवरण :-

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	मोबाईल नम्बर
1	हरिद्वार वन प्रभाग	श्री आकाश कुमार वर्मा	उप वन संरक्षक	प्रभागीय कार्यालय	9458171109
2		श्री दिनेश प्रसाद नौडियाल	वन क्षेत्राधिकारी	हरिद्वार रेंज	7017953326
3		श्री खुशाल सिंह रावत	वन क्षेत्राधिकारी	श्यामपुर रेंज	9927415778
4		श्री मुकेश कुमार	वन क्षेत्राधिकारी	चिडियापुर रेंज	7248295999
5		श्री नत्थीलाल डोमाल	वन क्षेत्राधिकारी	खानपुर रेंज	9410755401
6		श्री आन सिंह कादली	वन क्षेत्राधिकारी	रुड़की रेंज	9410755401
7		श्री मयंक कुमार गर्ग	वन क्षेत्राधिकारी	लक्सर रेंज	8937957250
8		श्री राम सिंह	वन क्षेत्राधिकारी	वन्य जीव पुनर्वास केन्द्र, चिडियापुर	9760340168
9		श्री प्रदीप उनियाल	यूनिट प्रभारी	रसियाबड यूनिट	9690559907
10		श्री महेश प्रसाद सेमवाल	सुरक्षा बल प्रभारी	प्रभागीय सुरक्षा बल	9358674468
11		श्री अजय ध्यानी	यूनिट प्रभारी	सबलगढ़ यूनिट	9837894851

(1) कर्मचारी वर्ग – हरिद्वार वन प्रभाग के अन्तर्गत/बीट/अनुभाग में तैनात फील्ड कर्मचारियों के मोबाइल नम्बरों का विवरण :-

क्र.सं.	रेंज/कार्यालय का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	बीट/अनुभाग/क्रस्टेशन	मो0नं0
1	श्यामपुर रेंज	श्री रूपचन्द्र	वन दरोगा	चाण्डी	9759648073
2		श्री राघवेन्द्र पाण्डे	वन दरोगा	चाण्डी क्रस्टेशन	9719359895
3		श्रीमती विनीता पाण्डे	वन आरक्षी	नस्तरवाली	9412030779
4		श्री रविशंकर दूबे	वन दरोगा	अंजनी क्रस्टेशन	9719456714
5		श्री अशोक कुमार	वन आरक्षी	अंजनी	9675621360
6		श्री दिनेश नौडियाल	वन आरक्षी	सिद्ध प्रथम	9458311203
7		श्री करुण सैनी	वन आरक्षी	सिद्ध द्वितीय	9410144618
8		श्री सुनील कुमार	वन आरक्षी	श्यामपुर क्रस्टेशन	9758493191
9		श्री रामतेज तिवारी	वन आरक्षी	श्यामपुर	9759207285
10		श्री राकेश कुमार	वन आरक्षी	सजनपुर	9411153299
11		श्री नाथीराम	वन दरोगा	पीली क्रस्टेशन	9411476481
12		श्री अभिषेक नौडियाल	वन आरक्षी	पीली प्रथम	7579280591
13		श्री राकेश कुमार	वन आरक्षी	पीली द्वितीय	9411153299
14		श्री शिवेक कुमार	वन आरक्षी	रसूलपुर	9045985315
15		श्री शिवेक कुमार	वन आरक्षी	मीठीबेरी	9045985315
16		श्री आशुतोष निम	वन आरक्षी	खारा प्रथम	8193970038
17		श्री श्योदान सिंह	वन आरक्षी	खारा द्वितीय	9456715624
18		श्री अभिषेक नौडियाल	वन आरक्षी	कांसवाली	7579280591
	चिडियापुर रेंज	श्री मोहनलाल टम्टा	वन दरोगा	कोटावाली अनुभाग	9627771784
		श्री अमित कुमार	वन दरोगा	कटेबड	9412030779
		श्री मुकेश कुमार	वन दरोगा	कोटावाली	9758120325
		श्री रविन्द्र सिंह गुंसाई	वन दरोगा	बोक्सावाली	9411181763
		श्री बुद्ध सिंह	वन आरक्षी	कटेबड पश्चिमी	9756684378

		श्री सूर सिंह रावत	वन आरक्षी	गैडीखाता द्वितीय	9690926446
		श्री सुरेन्द्र कुमार	वन दरोगा	गैडीखाता	9557176598
		श्री सुनील कुमार	वन आरक्षी	गैडीखाता प्रथम	8410531455
		श्री शेरअली	वन आरक्षी	आमसोत	9917290591
		श्री सुन्दरलाल बिज्जलवाण	वन दरोगा	चिडियापुर	8006972682
		श्री धीरज सिंह राणा	वन आरक्षी	चिडियापुर बीट	9536730153
		श्री केदारनाथ	वन आरक्षी	शेरपुर	8077246218
	रसियाबड यूनिट	श्री गजपाल सिंह	वन दरोगा	रसियाबड द0नलोवाला,दि0अनु	9411120187
		श्री सुनील भदूला	वन दरोगा	द0नलोवाला प्र0अनुभाग	9410325009
		श्री महावीर सिंह नेगी	वन आरक्षी	सिद्धकुटी	9412920339
		श्री मनवर सिंह	वन आरक्षी	द0नलोवाला द्वि0	9456154450
		श्री मनवर सिंह	वन आरक्षी	उ0नलोवाला	9456154450
		श्री गोपाल सिंह नेगी	वन आरक्षी	द0नलोवाला प्र0	9412160422
		श्री मोहन सिंह रावत	वन आरक्षी	द0नलोवाला तृतीय	9917862819
		श्री मोहन सिंह रावत	वन आरक्षी	गंगा बीट	9917862819
		श्री जगमोहन कण्डारी	वन आरक्षी	वायरलेस सैट रेंज कार्यालय	9410973813
		श्रीमती लोकेश्वरी	वन आरक्षी	रेंज कार्यालय प्रभारी	9411565899
	लक्सर	श्री धीर सिंह	वन आरक्षी	गोवर्धनपुर	8411565899
		श्री राजकुमार दितीय	वन आरक्षी	भोगपुर द0	8755292642
		श्री प्रवेश कुमार	वन आरक्षी	सुल्लतानपुर	9756830954
		श्री बरियाम सिंह	वन आरक्षी	लक्सर बीट	9568382959
		श्री गौरव सोलंकी	वन आरक्षी	भोगपुर उ0	8937902144
		श्री छतरपाल सिंह	वन आरक्षी	खानपुर सैक्शन	9084067544
		श्री रामनाथ	वन आरक्षी	लक्सर सैक्सन	7466045614
		श्री संजय पन्त	वन दरोगा	भोगपुर सैक्सन	9837256103
		श्री राकेश कुमार सैनी	वन आरक्षी	खानपुर प्रथम	9058513805
		श्रीमती सोनी	वन आरक्षी	खानपुर द्वितीय	8630211304
		श्री विपिन चन्द	वन आरक्षी	खानपुर तृतीय	9761183227
		श्री नवीन कुमार	वन आरक्षी	रसूलपुर	7500333644
	खानपुर	श्री अशोक कुमार	वन दरोगा	औरंगाबाद	8192846224
		श्री रवि चौहान	वन आरक्षी	औरंगाबाद	9536670607
		श्री पूरन सिंह रावत	वन आरक्षी	शाहमन्सूर	8859165177
		श्री दुष्यन्त सैनी	वन आरक्षी	शाहमन्सूर	9012024966
		श्रीमती विपिन कुमारी	वन आरक्षी	रेंज कार्या0	9897585430
		श्री नकली राम	अर्दली	हरिपुर	8445586130
		श्री अनिल कुमार	उ0रा0	बुधवाशहीद व कुडकावाला	8057867620
		श्री दाता राम	वन आरक्षी	बुधवाशहीद पूर्वी	8445021551
		श्री पवन कुमार	वन आरक्षी	बुधवाशहीद पश्चिमी	8126236465
		श्री हरिश वालिया	वन आरक्षी	खानपुर केन्द्रीय व पश्चिमी	9837160805
		श्री नन्द किशोर	वन आरक्षी	खानपुर दक्षिणी	9927219607
		श्री सुभाष चन्द्र	वन दरोगा	मानूबास व खानपुर पू0	8279832657
		श्री मोहन सिंह	वन आरक्षी	खानपुर पूर्वी	9719928227
		श्री सुरेन्द्र पालसिंह	वन आरक्षी	मानुबास उ0	7088793338
		श्री रमेश	वन आरक्षी	मानुबास द0	7088626565
	रुड़की	श्री अमित त्यागी	वन आरक्षी	नारसन प्र0	9719435715
		श्री सोमनाथ	वन आरक्षी	धनौरी	9997514353
		श्री पंकज शर्मा	वन आरक्षी	नारसन द्वितीय	9759581752
		श्री अमन सिंह	वन दरोगा	भगवानपुर व मंगलौर	9012209703
		श्री परमजीत सिंह	वन आरक्षी	भगवानपुर प्र0	8474998793
		श्रीमती उषारानी	वन आरक्षी	भगवानपुर द्वि0	8630612973
		श्री राजेश चौहान	वन दरोगा	रुड़की सैक्शन	9917050410

		श्री सुनील कुमार	वन आरक्षी	रुड़की	8057574748
		श्री महाराणा प्रताप	वन दरोगा	हरिद्वार	9634163526
		श्री ओ०पी० सिंह	वन दरोगा	हरिद्वार सैक्शन	9719560251
		श्री नन्द किशोर पाण्डे	वन आरक्षी	बहादुराबाद	7060193035
		श्री राजेश कुमार	वन दरोगा	पथरी सैक्शन	9760016041
		श्री गौतम कुमार	वन आरक्षी	पथरी पूर्वी	9759813958
		श्रीमती आरती	वन आरक्षी	पथरी के०	7500442913
		श्री विशाल रवि	वन आरक्षी	पथरी पश्चिम	9761477591
		श्री अरविन्द कुमार	वन आरक्षी	पथरी टिगरी	9758110027
		श्री गजेन्द्र सिंह	वन दरोगा	बिशनपुर सैक्शन	9412902288
		श्री श्यामलाल	वन आरक्षी	बिशनपुर उत्तरी	9758183496
		श्रीमती शैलजा	वन आरक्षी	देवपुरा	9411548035
		श्री नवल पाठक	वन आरक्षी	बिशनपुर दक्षिणी	9760880449

(2) रेंजवार/स्थलवार संचार के साधन :

क्र. स.	राजि का नाम	स्थल का नाम	टेलीफोन		हैण्डसैट		वायरलेस बेस सैट / मोबाईल वाहन में		मोबाईल फोन	
			उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता
1.	चिड़ियापुर	कोटावाली	1(खराब)	1	0	9	02	01	05(खराब)	0
2.	झिलमिल झील	रसियाबड़	0	1	7	1	1	2	2(खराब)	0
3.	श्यामपुर	श्यामपुर	1(खराब)	1	3	6	4	1	0	0
4.	हरिद्वार	पथरी	1(खराब)	1	3(खराब) 01 ठीक	06	3(खराब) 01 ठीक	0	0	0
5.	लक्सर	लक्सर	1(खराब)	1	2,1(खराब)	3	3	0	1	0
6.	रुड़की	रुड़की	0	1	0	0	1	0	0	0
7.	खानपुर	हरिपुर	1	0	0	12	2	0	0	0

(3) यातायात के साधन :

रेंजवार/स्थलवार यातायात के साधन :-

क्र.सं.	राजि का नाम	स्थल का नाम / मुख्यालय	जीप / मार्शल		ट्रेक्टर		बुलेरो कैम्पर		मोटरसाइकिल		टाटा 207	
			उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता
1.	चिड़ियापुर	कोटावाली	0	1	1(खराब) 01 ठीक	0	1	0	2(खराब)	2	0	0
2.	रसियाबड़ यूनिट	रसियाबड़	0	1	1(खराब)	0	1	0	2	0	0	0
3.	श्यामपुर	श्यामपुर	0	1	0	0	1	0	1(खराब)	2	0	0
4.	हरिद्वार	पथरी	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
5.	लक्सर	लक्सर	0	1	0	0	2(खराब) 1 ठीक	0	1(खराब)	2	0	0
6.	रुड़की	रुड़की	0	1	1(खराब)	0	0	0	1(खराब)	1	0	0
7.	खानपुर	हरिपुर	0	1	0	0	1	0	1(मरम्मत)	2	0	0

6. आपदा हेतु व्यवस्था कार्य :- वर्तमान में हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार के अन्तर्गत राजिवार निम्न व्यवस्था कार्य किये गये हैं-

क्र. सं.	रेंज का नाम	आपदा की स्थिति में सामुहिक दाह संस्कार एवं शवों को दफनाने हेतु स्थान	शरण स्थलों व राहत कैम्पों के आस-पास अस्थायी शौचालय का निर्माण	महिलाओं व विकलांगों हेतु अलग से शरण स्थलों तथा शौचालय का निर्माण
1	हरिद्वार	विशानपुर कक्ष-2, देवपुरा अहतमाल	पथरी आरक्षित वन क्षेत्र	पथरी आरक्षित वन क्षेत्र
2	श्यामपुर	आरक्षित वन नलोवाला क0सं0-2बी	आरक्षित वन अंजनी	आरक्षित वन श्यामपुर
3	चिड़ियापुर	मीठीबेरी कम्पार्टमेन्ट न0-3 (रवासन एवं गंगा नदी के मिलान पर)	कोटावाली क0सं0-8 (इन्दिरानगर)	कोटावाली क0सं0-8 (इन्दिरानगर)
4	खानपुर	बुधवाशहीद	बुधवाशहीद	बुग्गावाला
5	लक्सर	भोगपुर वन ब्लाक / शेरपुरबेला महाद्वीप वन ब्लाक	भोगपुर वन ब्लाक / खानपुर	भोगपुर वन ब्लाक / खानपुर
6	रसियाबड़ यूनिट	रसियाबड़	रसियाबड़	रसियाबड़

7. वन मोटर मार्गों एवं पैदल बटिया का विवरण :-

क्र० सं०	रेंज का नाम	वन मोटर मार्ग/पैदल बटिया	कि०मी०	चौड़ाई	क्षेत्रफल (है० में)
1	हरिद्वार रेंज	(पथरी टिगरी बीट) पथरी-टिगरी मार्ग पक्का	4	3.50	1.40
2		(पथरी टिगरी बीट) जीप योग्य कच्चा मार्ग	2	3.50	0.70
3		(पथरी पश्चिमी बीट) पथरी-सुभाषगढ़ मोटर मार्ग कच्चा	1	3.50	0.35
4		(पथरी पश्चिमी बीट) जीप योग्य कच्चा मार्ग	1.50	3.50	0.525
5		(पथरी पूर्वी बीट) जीप योग्य कच्चा मार्ग	1	3.50	0.35
योग –			9.50	17.50	3.325
1	रसियाबड़ यूनिट	एफ०आर०एच० से झील क्षेत्र तक वन मोटर मार्ग	1.5	4.00	0.60
2		गैण्डीखाता सिद्धकुटी वन मोटर मार्ग	2.00	4.00	0.80
3		पीली नदी से रसियाबड़ वन मोटर मार्ग	7.00	4.00	2.80
4		पीली नदी से दासोवाला वन मोटर मार्ग	5.00	4.00	2.00
5		रसियाबड़ से सीपियानाला वन मोटर मार्ग	6.5	4.00	2.60
6		नलोवाला क०सं० 3 में पैदल बटिया	3.00	2.00	0.60
7		नलोवाला क०सं० 6 में पैदल बटिया	5.00	2.00	1.00
8		नलोवाला क०सं० 10अ में पैदल बटिया	5.00	2.00	1.00
योग –			35.00	26.00	11.4
1	श्यामपुर रेंज	अंजनी चौड़ (सिद्ध सोत) से काला पहाड़ तक वन मोटर मार्ग	08	3.00	2.40
2		एन०एच०-74 से पीली तक वन मोटर मार्ग	10	3.00	3.00
3		काला पहाड़ से पीली तक वन मोटर मार्ग	08	3.00	2.40
4		पीली से खारा तक वन मोटर मार्ग	04	3.00	1.20
5		पीली (बड़िया चौराहे) से मीठीबेरी 1ए के मिलान तक वन मोटर मार्ग	07	3.00	2.10
6		बाहर पीली से पापड़ी सोत तक वन मोटर मार्ग	03	3.00	0.90
7		श्यामपुर से मीठीबेरी तक पैदल बटिया	12	1.50	1.80
8		अंजनी से गंगा तक पैदल बटिया	04	1.50	0.60
9		नलोवाला-1ए से पीली तक पैदल बटिया	03	1.50	0.45
10		एन०एच०-74 से चाण्डी मन्दिर तक पैदल बटिया	1.10	3.00	0.33
11		काली मन्दिर से चाण्डी मन्दिर तक पैदल बटिया	03	3.00	0.90

योग –			63.1	28.50	16.08
1	चिड़ियापुर रेंज	गैण्डीखाता–सिद्धकुटी (वन मोटर मार्ग)	6	3.00	1.80
2		चिड़ियापुर–पोपलर तिराहा (वन मोटर मार्ग)	2	3.00	0.60
3		लाहड़पुर तिराहा–कोटावाली परिसर (वन मोटर मार्ग)	6	3.00	1.80
4		जटपुरा–कटेबड़ (वन मोटर मार्ग)	5	3.00	1.50
5		कोटावाली परिसर से लालढांग मिलान तक (वन मोटर मार्ग)	4	3.00	1.20
6		रवासन नदी से लाहड़पुर (बैलगाड़ी–घोड़ा मार्ग)	6	1.5	0.90
7		रवासन(आमसोत) से कोटावाली नदी (बैलगाड़ी–घोड़ा मार्ग)	8	1.0	1.20
योग –			37	17.5	9
1	खानपुर रेंज	बुग्गावाला – हरिपुर मार्ग	1	3.60	0.36
2		बहेड़ाचान – शाहमन्सूर	3	3.60	1.08
3		बुग्गावाला – बन्दरजूड – रसूलपुर	1.5	3.60	0.54
योग –			5.5	10.8	1.98

अग्निशमन विभाग, हरिद्वार कार्ययोजना

अग्निकाण्डः— जनपद हरिद्वार अधिकतर अग्नि दुर्घटनाएं सामान्य लापरवाही के अतिरिक्त जोखिम वाले उद्योगों जैसे— बॉटलिंग प्लान्ट, ऑयल डिपो, गैस फिलिंग स्टेशन औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार, सिडकुल रोशनाबाद, लकेश्वरी (भगवानपुर), लक्सर इत्यादि में होती है, हरिद्वार जिले में आग से प्रभावित होने वाला संभावित क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार, बहादुराबाद, सिडकुल रोशनाबाद, बेगमपुर, सलेमपुर महदूद, इण्डस्ट्रीयल एरिया मुण्डयाकी, सलेमपुर राजपूताना रुड़की सिसोना भगवानपुर, देवभूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया बन्ताखेड़ी, शिवगंगा इण्डस्ट्रीयल एरिया भगवानपुर, लकेश्वरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया भगवानपुर, लक्सर तथा पेट्रोल पम्प, छविगृह, निजी इमारतें एवं शहर के मध्य बसी घनी बस्तियां आदि आग से प्रभावित होने वाले क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त अप्रैल—मई—जून में जगजीतपुर, पथरी, श्यामपुर गैंडीखाता, भगवानपुर, बुग्गावाला, लक्सर, सुल्तानपुर आदि क्षेत्रों में गेहूँ की फसल के पकने के साथ ही अग्निकाण्ड की संभावना बढ़ जाती है, हरिद्वार में औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत लगातार अग्निकाण्डों की संख्या बढ़ती जा रही है, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में अग्निकाण्ड की सम्भावना हमेशा बनी रहती है।

विस्फोटः— जनपद हरिद्वार में इस सम्बन्ध में विगत वर्षों में कोई भी दुर्घटना घटित नहीं हुई है, जनपद हरिद्वार में औद्योगिक क्षेत्र में गैस, बॉयलर, सोलवेन्ट आदि का प्रयोग किया जाता है, गैस/एयर रिफिलिंग के दौरान भी औद्योगिक क्षेत्र में बिस्फोट हो सकता है, इस सम्बन्ध में वर्ष 2012 में एयर रिफिल सिलेण्डर के दौरान हुई दुर्घटना में जनहानि हुई थी, इसके अतिरिक्त जनपद हरिद्वार में विस्फोटक भण्डारण (आतिशबाजी) भी है, जिसके प्रमुख स्थल ज्वालापुर, रुड़की है, सम्बन्धित स्थलों पर विगत वर्षों से लेकर अभी तक कोई बड़ी दुर्घटना घटित नहीं हुई है।

रिसावः— रिसाव सम्बन्धी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जनपद हरिद्वार में स्थित कोल्ड स्टोर/बर्फखाना आदि में आमोनिया गैस आदि के आंशिक रिसाव होते रहे हैं, इसके अतिरिक्त औद्योगिक संस्थानों में भी विभिन्न प्रकार की गैसों का प्रयोग किया जाता है, इसी क्रम में गैस आथोरिटी ऑफ इन्डिया (गैस) कम्पनी द्वारा अपनी पाईप लाईन को बिछाने एवं मरम्मत का कार्य किया जाता है, वर्तमान समय में गैस रिसाव सम्बन्धी कोई भी ऐसी बड़ी दुर्घटना घटित नहीं हुई जिसमें कोई जनहानि हुई हो, या कोई वृहद स्तर का नुकसान हुआ हो, विगत वर्ष ज्वालापुर क्षेत्र में स्थित एक आईस फैक्ट्री में आमोनिया गैस रिसाव की घटना घटित हुई, जिसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई, सम्बन्धित आईस फैक्ट्री आबादी क्षेत्र में होने के कारण अन्यत्र स्थापित किये जाने हेतु आख्या उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है, इस प्रकार की रोकथाम हेतु सभी संस्थानों में समय-समय पर निरीक्षण के दौरान सुरक्षा हेतु सुझाव दिये जाते हैं।

दुर्घटनाः— जनपद हरिद्वार में स्थित हाईवे आदि में सड़क दुर्घटनायें घटित होती रहती हैं, इन दुर्घटनाओं में वाहनों के आपस में टकराने से समय-2 पर जीवहानि आदि होती रही है, जनपद हरिद्वार में नजीबाबाद रोड़, बहादुराबाद, रुड़की, मंगलौर, लक्सर में विगत वर्षों से दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, सड़क दुर्घटनाओं के दौरान सूचना प्राप्ति पर फायर सर्विस मय एम्बुलेन्स एवं अन्य आपदा उपकरणों के सहित घटना स्थल पर पहुँचकर राहत एवं बचाव का कार्य किया जाता है।

स्टोरेजः— जनपद हरिद्वार में भण्डारण के सम्बन्ध में बॉटलिंग प्लान्ट, ऑयल डिपो, गैस फिलिंग स्टेशन औद्योगिक ईकाईयों में भण्डारण यथा गैस, ऑयल, सोलवेन्ट, सल्फर आदि का भण्डारण किया जाता है, इन स्थानों में विगत वर्षों में किसी भी दुर्घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसके अतिरिक्त बॉटलिंग प्लान्ट बहादुराबाद, ऑयल डिपो लण्ढौरा आदि में नियमित रूप से मॉक ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाता है, इन स्टोरेजों में अग्निशमन हेतु पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गयी है, उपरोक्त सभी प्रकार के स्टोरेजों में अब तक किसी भी प्रकार की बड़ी दुर्घटना घटित नहीं हुई है।

खतरनाक पदार्थ एवं कैमीकल परिवहन सम्बन्धीः— जनपद हरिद्वार में खतरनाक पदार्थ एवं कैमीकल का भण्डारण बॉटलिंग प्लान्ट बहादुराबाद, ऑयल डिपो लण्ढौरा रुड़की, औद्योगिक ईकाईयों में सोलवेन्ट, सल्फर, मैथनौल, फिनौल आदि का भण्डारण किया जाता है, जिनके Transportation के दौरान सुरक्षात्मक उपायों हेतु सम्बन्धित संस्थान के निरीक्षण के दौरान आवश्यक सुझाव दिये जाते हैं, उपरोक्त बॉटलिंग प्लान्ट, ऑयल डिपो, सम्बन्धित औद्योगिक संस्थानों में Transportation के दौरान किसी भी दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है, पूर्व में बहादुराबाद बॉटलिंग प्लान्ट के समीप एक ट्रक में इस प्रकार की

घटना होते-होते बची है, तथा बहादुराबाद रुड़की रोड़ में एक कैरोसीन तेल के टैंकर में भी अग्निकाण्ड की घटना घटित हुई जिस कारण वहाँ आसपास की दुकानें, फर्नीचर आदि का भारी मात्रा में नुकसार पहुँचा था, निरीक्षण के समय सम्बन्धित को Transportation के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने हेतु निर्देशित किया जाता है।

1- INTRODUCTION: अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड, पुलिस विभाग का एक अंग है। अग्निशमन एवं आपात सेवा (फायर सर्विस) शाखा जनपद हरिद्वार में –

मुख्य अग्निशमन अधिकारी	—01
अग्निशमन अधिकारी	—04
अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	—04
लीडिंग फायरमैन	—16
फायर सर्विस चालक	—21
फायरमैन	—104 पद स्वीकृत है।

क्र०	पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त	अतिरिक्त
1	CFO	01	01	Nil	Nil
2	FSO	04	04	Nil	Nil
3	FSSO	04	02	02	Nil
4	LFM	16	02	14	Nil
5	FS DVR	21	08	13	Nil
6	FM	104	109	Nil	Nil
7	ASI (M)	04	Nil	04	Nil
8	O.P.	01	01	Nil	Nil
9	Cook /kahar	06	06	Nil	Nil
10	Sweeper	03	03	Nil	Nil

2- OBJECTIVE : फायर सर्विस का मुख्य कार्य अग्निदुर्घटना पर आग से बचाव कार्य तथा रेस्क्यू एवं आपदीय घटनाओं पर जीव रक्षा करना है।

3- TYPE OF DISASTER IN HARIDWAR: हरिद्वार में अग्निकाण्ड, सड़क दुर्घटना, बाढ़, भारी बरिश, भूकम्प इत्यादि प्रकार के आपदा की सम्भावना रहती है, हरिद्वार जिले में औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार, बहादुराबाद, सिडकुल रोशनाबाद, बेगमुपर, सलेमपुर महदूद, इण्डस्ट्रीयल एरिया मुण्डयाकी, सलेमपुर राजपूताना रुड़की, सिसोना भगवानपुर, देवभूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया बन्ताखेड़ी, शिवगंगा इण्डस्ट्रीयल एरिया भगवानपुर, लकैश्वरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया भगवानपुर, लक्सर तथा पेट्रोल पम्प, छविगृह, निजी इमारतें एवं शहर के मध्य बसी घनी बस्तियां हैं जिससे अधिकतर अग्निदुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। हरिद्वार जनपद में विभिन्न मेले पर्व, स्नान आदि एवं गढ़वाल मण्डल का प्रवेश द्वार होने के कारण हर समय वाहनों का आवागमन बना रहता है जिससे सड़क दुर्घटना होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा नदी एवं नहरों का बहाव जमीनी स्तर से ऊपर होने के कारण जल भराव एवं बाढ़ की सम्भावना बनी रहती है।

4- FUNCTIONAL AREAS OF THE DEPARTMENT: सम्पूर्ण हरिद्वार क्षेत्र में।

5- DETAILS OF SUB-OFFICES/SUB-UNITS/SUB-DIVISIONS IN EACH TEHSILS/BLOCKS

Name of Tehsil/Block	Name of Sub-office/centre/sub-unit with Telephone no	Name of the Villages/area/towns covered by the office/Centre/ sub-unit	Name of the Head with Telephone no	Resource Available		
				Equipments	Vehicles	Staff No
	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	जनपद—हरिद्वार	CFO श्री नरेन्द्र सिंह कुंवर 9411332222 CUG No.- 9456597199	—	बुलरो UK08GA-0257	CFO - 01
हरिद्वार	फायर स्टेशन मायापुर 01334-265600, 101	नगर क्षेत्र, ज्वालापुर, कनखल, भूपतवाला, रानीपुर, श्यामपुर, पथरी	FSO श्री शिशुपाल नेगी 9557132045 CUG No.- 9456597198	रोपलैंडर, सर्चलाइट, रस्से, ब्रीदिंगअपरेटस, ड्रेगनलाईट, जनेरेटर, पम्प, न्यूमैट्रिकएयर प्रेशर, एक्सटिंग्यूशर, बुडन कटर, जनेरेटर सैट, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट	वाटर टैंडर UA08J-3800 फोम टैंडर UA07G-5446 वाटर टैंडर UP10C-0319 वाटर टैंडर 80003 (NEW) पम्प कैरिंग UP07G-7614 मिनी वाटर टैंडर UK07GA-1012 टाटा जीनोन UK08GA-0360 UK08GA-0361 बैक पैक सैट UK07GA-0553 UK07GA-1575 UK07GA-1578 UK07GA-1593 एम्बुलेंस UA08A-4854	FSO- 01 FSSO-01 LFM- 04 DVR- 06 FM- 25
	फायर स्टेशन सिडकुल 01334-239888, 101	औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल	FSO श्री गोपाल सिंह बिष्ट 8449005414 CUG No.- 9456597197 FSSO श्री अनिल त्यागी 9412070359	ब्रीदिंगअपरेटस, ड्रेगनलाईट, पम्प, एक्सटिंग्यूशर लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट।	डीसीपीटैंडर UK08GA-0005 फोम टैंडर UK08GA-0006 वाटर टैंडर UK08GA-0010 टाटा जीनोन UK08GA-0318 मिनी वाटर टैंडर(टाटा जिनोन) UK08GA-0360 बैक पैक सैट UK07GA-1581 एम्बुलेंस UK08GA-0002 पम्प कैरिंग UK08GA-0034	FSO- 01 FSSO-01 LFM- 03 DVR- 04 FM- 16
रुड़की	फायर स्टेशन रुड़की 01332-273099, 101	रुड़की, भगवानपुर, मंगलौर, झबरेड़ा, बुग्गावाला,	FSO श्री.देवेन्द्र सिंह नेगी 9412070359 CUG No.- 9456597196	रस्से, ड्रेगनलाईट, जनेरेटर, पम्प, एक्सटिंग्यूशर लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट।	वाटर टैंडर UK07GA-0570 वाटर टैंडर UP05 – 0451 वाटर टैंडर UK17GA-0004 टाटा जीनोन UK08GA-0317 पम्प कैरिंग UP10C-0662 मिनी वाटर टैंडर UK08GA-0191 बैक पैक सैट UK07GA-1580	FSO- 01 DVR- 03 LFM- 03 DVR- 05 FM- 19
लक्सर	फायर स्टेशन लक्सर 01332-254615, 101	लक्सर, खानपुर,	FSO श्री मेहताब अली 9412137737 CUG No.- 9456597195	रस्से, ड्रेगनलाईट, एक्सटिंग्यूशर, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट।	वाटर टैंडर UP10B-5498 वाटर टैंडर UA08 – 6682 वाटर टैंडर UK08GA –0369 पम्प कैरिंग UP10B-3847 मिनी वाटर टैंडर UK08GA-0190 बैक पैक सैट UK07GA-1576	FSSO- 01 LFM- 03 DVR- 04 FM- 16

फायर सर्विस के वाहनों का विवरण:-

उपलब्ध:-

1. **वाटर टैंडर-** वाटर टैंडर फायर सर्विस में आग बुझाने का संसाधन मोटर फायर इंजन है जिसमें वाटर टैंक बना होता है तथा अग्निकाण्ड पर आग बुझाने के लिये एक प्रेशर पम्प लगा होता है। अधिकतर यह ठोस पदार्थ की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हरिद्वार में वर्तमान में 10 वाटर टैंडर उपलब्ध है—
 - I. UA 08J-3800 क्षमता — 4500 लीटर
 - II. UP 10C-0319 क्षमता — 2500 लीटर
 - III. UK 08GA-0010 क्षमता — 5000 लीटर
 - IV. UK 07GA-0570 क्षमता — 5000 लीटर
 - V. UK 17GA-0004 क्षमता — 5000 लीटर
 - VI. UP 05- 0451 क्षमता — 2500 लीटर
 - VII. UP10B-5498 क्षमता — 4500 लीटर
 - VIII. UA 08-6682 क्षमता — 2500 लीटर
 - IX. UK07GA-1962 क्षमता — 5000 लीटर
 - X. UK08GA -0369 क्षमता — 4500 लीटर
2. **फोम टैंडर-** फोम टैंडर में वाटर टैंक के साथ-साथ एक फोम टैंक भी बना होता है जिसका प्रयोग तरल पदार्थों की आग पर पानी के हाईप्रेशर के साथ किया जाता है जो आग पर झाग बनाकर आग को बुझाने में सहायक होता है। हरिद्वार में वर्तमान में 03 फोम टैंडर उपलब्ध है—
 - I. UA 07G-0031 क्षमता — 4500 लीटर पानी + 500 लीटर फोम
 - II. UK08GA-0006 क्षमता — 4500 लीटर पानी + 500 लीटर फोम
 - III. UK08GA-0006 क्षमता — 4500 लीटर पानी + 500 लीटर फोम
3. **डीसीपी टैंडर-** डीसीपी टैंडर में ड्राई कैमिकल पाऊडर का टैंक होता है तथा उसी पर एक एयर सिलेण्डर फिट रहता है जिसका कनेक्शन डीसीपी टैंक से रहता है जिससे अग्निकाण्ड पर प्रेशर से पाऊडर को आग पर छिड़क कर आग बुझाई जाती है। हरिद्वार में वर्तमान में 01 डीसीपी टैंडर उपलब्ध है—
 - I. UK08GA-0005 क्षमता — 500 किग्रा + 500 किग्रा = 1000 किग्रा डीसीपी
4. **मिनी वाटर टैंडर-** मिनी वाटर टेंडर मिक्सड वाटर टैक्नोलॉजी पर आधारित है। जो कि टाटा 207 पर हाईप्रेशर पम्प को फिट किया गया है जिसमें 300 लीटर पानी का टैंक तथा 50 लीटर फोम टैंक है। यह संकरी गलियों में घटित अग्निकाण्ड हेतु उपयोगी है। हरिद्वार में वर्तमान में 05 मिनी वाटर टेंडर मय हाई प्रेशर पम्प उपलब्ध है—
 - I. UK07GA-1012 क्षमता — 300 लीटर पानी + 50 लीटर फोम
 - II. UK07GA-0361 क्षमता — 300 लीटर पानी + 50 लीटर फोम
 - III. UK08GA-0190 क्षमता — 300 लीटर पानी + 50 लीटर फोम
 - IV. UK08GA-0191 क्षमता — 300 लीटर पानी + 50 लीटर फोम
 - V. UK07GA-0369 क्षमता — 300 लीटर पानी + 50 लीटर फोम
5. **मिनी वाटर टैंडर(वाटर मिक्सड टैक्नोलॉजी)-** मिनी वाटर टेंडर मिक्सड वाटर टैक्नोलॉजी पर आधारित है, जो कि टाटा 207 पर हाईप्रेशर पम्प को फिट किया गया है जिसमें 50 फोम एक्सटिंग्यूशन स्थापित है, यह संकरी गलियों में घटित अग्निकाण्ड हेतु उपयोगी है। हरिद्वार में वर्तमान में 02 मिनी वाटर टेंडर वाटर मिक्सड उपलब्ध है—
 - I. UK08GA-0318 क्षमता — 300 लीटर पानी + 50 लीटर फोम
 - II. UK08GA-0317 क्षमता — 300 लीटर पानी + 50 लीटर फोम
6. **रेस्क्यू टैंडर-** जीव रक्षा उपकरण को रखा जाता है, रेस्क्यू टैंडर रेस्क्यू कार्यों के लिए एक बहुउपयोगी वाहन है जिसमें रेस्क्यू सम्बन्धी अधिक उपकरण रहतु है जिनका घटनास्थल पर उपयोग किया जा सकता है।
 - I. UK07GA-1831

7. **टाटा जिनोन (मिनी वाटर टैंडर)**— मिनी वाटर टेण्डर मिक्सड वाटर टैक्नोलॉजी पर आधारित है, जो कि टाटा 207 पर हाईप्रेसर पम्प को फिट किया गया है जिसमें 300 लीटर पानी का टैंक तथा 50 लीटर फोम टैंक है, यह संकरी गलियों में घटित अग्निकाण्ड हेतु उपयोगी है। हरिद्वार में वर्तमान में 02 मिनी वाटर टेण्डर मय हाई प्रेशर पम्प उपलब्ध है—

आवश्यकता

1. **वाटर वाउजर**— वाटर वाउजर एक प्रकार का वाटर कैरी वाहन है जिसमें अधिक क्षमता का वाटर टैंक बना होता है तथा एक पम्प लगा होता है जिसका प्रयोग घटनास्थल पर फायर टैंडर को पानी उपलब्ध कराना होता है।
2. **क्रेश टैंडर**— क्रेश टैंडर एक प्रकार का फायर टैंडर है जिसमें वाटर टैंक के साथ-साथ फोम टैंक, सीओटू टैंक तथा डीसीपी टैंक बने होते हैं इसका उपयोग अधिकतर हैलीपैड, कैमिकल तथा तरल पदार्थों की आग पर होता है।
3. **रेस्क्यू टैंडर**— रेस्क्यू टैंडर रेस्क्यू कार्यों के लिए एक बहुउपयोगी वाहन है जिसमें रेस्क्यू सम्बन्धी अधिक से अधिक उपकरण रहते हैं जिनका घटनास्थल पर उपयोग किया जा सकता है।
4. **हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म**— हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म एक प्रकार का लैडर है जिसका प्रयोग बहुमंजिली इमारतों में आग बुझाने के लिए किया जाता है। क्योंकि उत्तराखण्ड में बहुमंजिली इमारतों को 22 मीटर ऊँचाई तक स्वीकृति हो रही है, तथा हरिद्वार में भी उक्त ऊँचाई के भवन स्वीकृत हो चुके हैं।

6- INFRASTRUCTURE VULNERABILITY AGAINST HAZARDS :

Infrastr ucture	Vulnerability against each Hazard									
	Flood/Heavy Rain		Earthquake		Chemical		Fire		Land slide	
	Population (approx)	Name of the Areas	Population (approx)	Name of the Areas	Population (approx)	Name of the Areas	Population (approx)	Name of the Areas	Population (approx)	Name of the Areas
					2,00,000 लगभग	औद्योगिक क्षेत्र सिडकूल	90,000 लगभग	ज्वालापुर		
					2,50,000 लगभग	औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार	75,000 लगभग	अपर मार्केट हरिद्वार		
					3,00,000 लगभग	औद्योगिक क्षेत्र रुड़की / भगवानपुर	90,000 लगभग	मेन मार्केट रुड़की		
					1,00,000 लगभग	औद्योगिक क्षेत्र लक्सर	30,000 लगभग	लक्सर		

7- IDENTIFICATION OF WEAK AND VULNERABLE POINTS :

Name of the Sub-Division/sub unit/sub-office	Name of the Road/Bridges/ Embankments/Water pipelines/Sewage/Hospital/Sc hool/sub-way etc	Name of the Block/ULB	Vulnerable points	Affected villages/ULBs (approx)
फायर स्टेशन मायापुर हरिद्वार	यह सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त की जा सकती है।	हरिद्वार	औद्योगिक क्षेत्र, स्कूल, होटल, धर्मशाला, मॉल, हॉस्पिटल, बॉटलिंग प्लांट	
फायर स्टेशन सिडकूल	"	हरिद्वार	औद्योगिक क्षेत्र, मॉल, होटल	
फायर स्टेशन रुड़की	"	रुड़की	औद्योगिक क्षेत्र, स्कूल, होटल, हॉस्पिटल, आई.आई.टी., बी.ई.जी., आई.आर.आई., इंडियन ऑयल प्लांट लण्डौरा	
फायर स्टेशन लक्सर	"	लक्सर	औद्योगिक क्षेत्र, स्कूल, होटल, हॉस्पिटल	

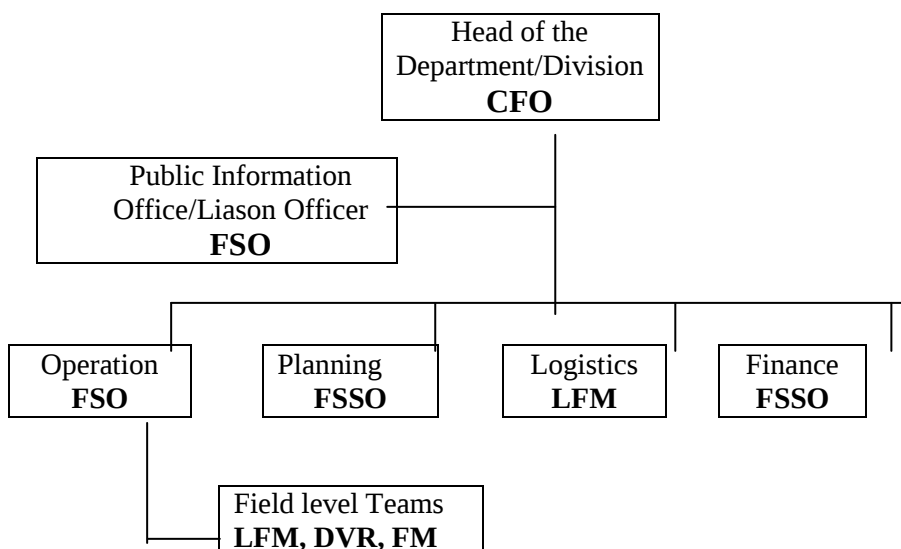
8- MITIGATION PLAN:

Name of Department PWD/Irrigation Health etc	IEC Activites	Mitigation measures	Responsible officer	Phone no
फायर सर्विस	अग्निशमन एवं जीव रक्षा पुकार	1. फायर ड्रिल डेमो देकर। 2. विभिन्न संस्थानों में जाकर प्रचार प्रसार कर। 3. हैण्डविल बाँटकर। 4. विभिन्न स्कूलों में जाकर अग्नि से बचाव की जानकारी देकर।	CFO श्री राजेन्द्र सिंह खाती FSO श्री शिशुपाल FSO श्री गोपाल सिंह बिष्ट FSO श्री मेहताब अली	9456597199 9456597198 9456597196 9456597197 9456597195 9412070359 9557122045

इसके अतिरिक्त अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष 14-20 अप्रैल तक मुम्बई बन्दरगाह पर हुए भीषण अग्निकाण्ड में शहीद हुए फायर कर्मचारियों की याद में अग्निशमन सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह में फायर सर्विस अधि०/कर्म० विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, होटलों, धर्मशालाओं, पेट्रोल पम्पों, विभिन्न व्यवसायिक संस्थानों, स्कूलों, दुकानों, गाँवों में जाकर अग्नि से बचाव के सुझाव देकर अग्निसुरक्षा सम्बन्धी प्रचार प्रसार किया जाता है तथा प्रचार-प्रसार के लिए हैण्डविल भी बाँटे जाते हैं। इस अवसर पर फायर ड्रिल का डेमो भी दिया जाता है।

प्रत्येक वर्ष 21 जनवरी को जनपद के एक स्कूल में स्टाफ एवं विद्यार्थियों के साथ मिलकर मॉक ड्रिल करायी जाती है। यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इस मॉक ड्रिल में छात्र-छात्राओं के माध्यम से अग्निसुरक्षा सुरक्षा एवं जागरुकता सम्बन्धी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है।

9- INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS) :



Roles and Responsibilities of each Officer:

1. Head of the Department/Division: जनपद स्तर पर फायर सर्विस का सम्पूर्ण इन्चार्ज रहेगा तथा जनपद स्तर के सभी फायर स्टेशनों का पर्वेक्षण करेंगे।
2. Liason Officer : फायर स्टेशन स्तर पर इन्चार्ज रहेंगे तथा फायर स्टेशन कर्म0 व उच्चाधिकारियों के बीच समवन्ध स्थापित रखेंगे।
3. Officer-In Charge, Operation: फायर स्टेशन स्तर पर होने वाले कार्यों का सम्पादन करेंगे तथा फायर स्टेशन की प्रत्येक गतिविधियों का संचालन करावेंगे।
4. Officer-In Charge, Planning: फायर स्टेशन स्तर पर होने वाले कार्यों की रुपरेखा तैयार करेंगे व फायर स्टेशन के दैनिक कार्यों का सम्पादन करावेंगे।
5. Officer-In Charge, Logistics: फायर स्टेशन स्तर पर स्टोर सम्बन्धी इन्चार्ज रहेंगे तथा फायर स्टेशन पर उपलब्ध संसाधनों का रखरखाव व उनकी कमियों को पूर्ण करावेंगे।
6. Officer-In Charge, Finance: फायर स्टेशन स्तर पर आपदा के समय अतिरिक्त संसाधनों के कय/मॉग हेतु सम्बन्धित उच्चाधिकारियों से सम्पर्क करेंगे।
7. Field level Teams: फिल्ड लेवल टीम में फायर यूनिट रहेगी जिसमें लीडिंग फायरमैन का कार्य घटना स्थल पर नेतृत्व करना है तथा फा0स0 चालक का कार्य फायर टैंकर का संचालन व फायर घटना पर पम्प ऑपरेटर का कार्य करना है व फायरमैन का कार्य लीडिंग फायरमैन के नेतृत्व में आग बुझाना है।

10- RESPONSE IN PRE, DURING AND POST DISASTER SITUATION:

Name of Department PWD/Irrigation Health etc	Preparedness	Pre disaster (after warning)	Durind Disaster	Post Disaster
अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड जनपद— हरिद्वार	फायर सर्विस के पास आग बुझाने के लिए फायर टैंकर व रेस्क्यू व आपदा के लिए एम्बुलेंस है।	घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल के लिए रवाना हेतु तैयारी हालात में रहेंगे	घटनास्थल पर पहुँचकर बचाव कार्य प्रारम्भ करेंगे। घायलों को उपलब्ध संसाधनों द्वारा हॉस्पिटल पहुँचावेंगे।	—

STANDARD OPERATIONS PROCEDURE (SOP)

What will be the action plan of the department after receiving warning or information of any disaster?

आग की सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो फायर स्टेशन पर तुरन्त फायर अलार्म बजाकर फायर टैंकर को मय कर्म0 के रवाना किया जाता है तथा उक्त घटना के सम्बन्ध में कन्ट्रोल रूम व उच्चाधिकारियों को वारलैस सैट के माध्यम से अवगत करा दिया जाता है। घटना स्थल पर पहुँचकर स्थिति को समझते हुए त्वरित कार्यवाही की जाती है तथा घटना स्थल पर गये अधि0/नेतृत्व कर्ता आग को देखते हुए यह निर्णय लेता है कि अतिरिक्त फायर टैंकर की आवश्यकता है कि नहीं। यदि आग भंयकर है तो वायरलैस सैट या टेलीफोन के माध्यम से फायर स्टेशन को अतिरिक्त फायर टैंकर भिजवाने के लिए अवगत करा दिया जाता है। इसके बावजूद भी यदि आग पर काबू पाना कठिन है या और अतिरिक्त फायर टैंकरों की आवश्यकता है तथा फायर स्टेशन पर उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में जनपद के अन्य फायर स्टेशनों (नजदीकी क्रम में) से माँग की जाती है। पानी समाप्त होने पर नजदीकी फायर हाइड्रेंटों/नहर/जलस्रोत से पानी प्राप्त कर आग बुझाने का कार्य जारी रखा जाता है। इस प्रकार आग पर पूर्ण रुप से काबू पाने के उपरान्त आग को पूर्ण रुप से शान्त किया जाता है व आग लगने का कारण व अनुमानित क्षति का जायजा लिया जाता है बाद अग्निशमन कार्य के घटनास्थल पर मौजूद जनता व मालिक को उचित

हिदायत व निर्देश दिये जाते हैं तथा घटना स्थल से वापस आकर गाड़ियों में पानी भरकर फायर टैंकरों को पुनः तैयारी हालात में रखा जाता है ताकि किसी भी फायर सूचना पर त्वरित कार्यवाही की जा सके।

यदि आग की सूचना सीधे फायर स्टेशन पर न आकर कन्ट्रोल रूम/थाने पर आती है तो ऐसी स्थिति में कन्ट्रोल रूम/थाने द्वारा त्वरित रूप से वायरलैस/टेलीफोन के माध्यम से सूचना को फायर स्टेशन को प्रेषित कर दिया जाता है या सूचना 108 को मिलती है तो 108 द्वारा उक्त सूचना को सम्बन्धित फायर स्टेशन को बिना बिलम्ब के दी जाती है। फायर स्टेशन पर सूचना प्राप्त होने के पश्चात् फायर सर्विस द्वारा उपरोक्त कार्यवाही की जाती है।

इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड में फायर सर्विस के पास अग्निशमन के अतिरिक्त जीव रक्षा का कार्य भी है। रेस्क्यू की सूचना आने पर फायर स्टेशन द्वारा अलार्म बजाकर फायर एम्बुलेंस को साजो सामान के घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया जाता है घटना स्थल पर पहुँचकर बचाव कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है तथा घायलों को तुरन्त उपलब्ध संसाधनों द्वारा नजदीकी हॉस्पिटल में पहुँचा दिया जाता है।

आग

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई हैं घरों में या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्योंकि वहां पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल-मई स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड़ देते हैं। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते हैं। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास-पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिनगारी पड़ने पर एवं कभी-कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकाण्ड बिजली शॉर्ट सर्किट व लापरवाही से लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को काफी क्षति होती है।

हरिद्वार जिले में अधिकतर आग दुर्घटनाएं सामान्य लापरवाही के अतिरिक्त जोखिम वाले उद्योगों जैसे— बॉटलिंग प्लान्ट, ऑयल डिपो, गैस फिलिंग स्टेशन औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार, सिडकुल रोशनाबाद, लकेश्वरी (भगवानपुर), लक्सर इत्यादि से भी हो सकती है।

हरिद्वार जिले में आग से प्रभावित हाने वाला संभावित क्षेत्र — हरिद्वार जिले में औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार, बहादुराबाद, सिडकुल रोशनाबाद, बेगमपुर, सलेमपुर महदूद, इण्डस्ट्रीयल एरिया मुण्डयाकी, सलेमपुर राजपूताना रुड़कीख सिसोना भगवानपुर, देवभूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया बन्ताखेड़ी, शिवगंगा इण्डस्ट्रीयल एरिया भगवानपुर, लकेश्वरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया भगवानपुर, लक्सर तथा पेट्रोल पम्प, छविगृह, निजी इमारतें एवं शहर के मध्य बसी घनी बस्तियां आदि आग से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त अप्रैल-मई-जून में जगजीतपुर, पथरी, श्यामपुर गैंडीखाता, भगवानपुर, बुग्गावाला, लक्सर, सुल्तानपुर आदि क्षेत्रों में गेहूँ की फसल के पकने के साथ ही अग्निकाण्ड की संभावना बढ़ जाती है।

(07)

सिसोना भगवानपुर, देवभूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया बन्ताखेड़ी, शिवगंगा इण्डस्ट्रीयल एरिया भगवानपुर, लकेश्वरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया भगवानपुर, लक्सर तथ्या पेट्रोल पम्प, छविगृह, निजी इमारतें एवं शहर के मध्य घनी बस्तियां आदि आग से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त अप्रैल-मई-जून में जगजीतपुर, पथरी, श्यामपुर गैंडीखाता, भगवानपुर, बुग्गावाला, लक्सर, सुल्तानपुर आदि क्षेत्रों में गेहूँ की फसल के पकने के साथ ही अग्निकाण्ड की संभावना बढ़ जाती है।

11- FIRE SERVICE

Name of the Fire Station	Name of person In-charge	Phone no	Communication System VRF etc	No of police man	Vehicles/Ambulances	Equipments Available
जनपद-हरिद्वार	CFO श्री नरेन्द्र सिंह कुंवर	9411332222C UG No.- 9456597199	वायरलैस सैट, टेलीफोन	CFO - 01	बुलोरो UK08GA-0257	—
फायर स्टेशन मायापुर हरिद्वार	FSO श्री शिशुपाल सिंह नेगी	8171099361 9557132045 CUG No.- 9456597198 01334-265600	वायरलैस सैट, टेलीफोन	FSO- 01 FSSO-01 LFM- 04 DVR- 06 FM- 25	वाटर टैंडर UA08J-3800 फोम टैंडर UA17GA-0031 वाटर टैंडर UP10C-0319 वाटर टैंडर UK07GA-1962 रंस्क्यू टैंडर UK07GA-1831 मिनी वाटर टैंडरUK07GA-1012 टाटा जीनोन UK08GA-0360 बुलोरो UK012GA-0103 बैक पैक सैट UK07GA-0553 UK07GA-1578 UK07GA-1593 एम्बुलेंस UA08A-4854	रोपलैंडर,सर्चलाईट, रस्से, ब्रीदिंग अपरेटस, ड्रेगनलाईट, जनेरेटर, पम्प, न्यूमैट्रिकएयर प्रेशर, एक्सटिंग्यूशर, जनेरेटर सैट
फायर स्टेशन सिडकुल	FSO श्री गोपालसिंह बिष्ट	8449005414 CUG No.- 9456597197 01334-239888	वायरलैस सैट, टेलीफोन	FSO- 01 FSSO-01 LFM-03 DVR- 02 FM- 16	डीसीपीटैंडर UK08GA-0005 फोम टैंडर UK08GA-0006 वाटर टैंडर UK08GA-0010 टाटा जीनोन UK08GA-0318 मिनी वाटर टैंडर(टाटा जिनोन) UK08GA-0360 बैक पैक सैट UK07GA-1576 एम्बुलेंस UK08GA-0002 पम्प कैरिंग UK08GA-0034	ब्रीदिंग अपरेटस, ड्रेगनलाईट, पम्प, एक्सटिंग्यूशर
फायर स्टेशन रुड़की	FSO श्री देवेन्द्र सिंह नेगी 9412070359	CUG No.- 9456597196 01332-273099	वायरलैस सैट, टेलीफोन	FSO- 01 FSSO-01 LFM-03 DVR- 05 FM- 19	वाटर टैंडर UK07GA-0570 वाटर टैंडर UP05 – 0451 वाटर टैंडर UK17GA-0004 फोम टैंडर UK17GA-0029 मिनी वाटर टैंडर(वाटर मिस्ड) UK08GA-0317 पम्प कैरिंग UP10C-0662 मिनी वाटर टैंडर UK08GA-0191 बैक पैक सैट UK07GA-1580 बैक पैक सैट UK07GA-1575	रस्से, ड्रेगनलाईट, जनेरेटर, पम्प, एक्सटिंग्यूशर
फायर स्टेशन लक्सर	FSO श्री मेहताब अली 9412137737	9411151806 CUG No.- 9456597195 01332-254615	वायरलैस सैट, टेलीफोन	FSSO- 01 LFM- 03 DVR- 04 FM- 14	वाटर टैंडर UA08 – 6682 वाटर टैंडर UK08 – 6682 पम्प कैरिंग UA07G-7614 बैक पैक सैट UK07GA-1576 मिनीवाटरटैंडर UK08GA-0190 बैक पैक सैट UK07GA-1576	रस्से,ड्रेगनलाईट, एक्सटिंग्यूशर,

आवश्यकता के अनुसार जनपद में फायर सर्विस वाहनों की माँग बी0एच0ई0एल0 की फायर यूनिट सी0आई0एस0एफ0 (केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) फायर सर्विस से की जा सकती है। जिनके पास वर्तमान 01—डीसीपी टेण्डर, 01—फोम टेण्डर, 02—वाटर टेण्डर उपलब्ध है। बीएचईएल फायर सर्विस कन्ट्रोल रूम का सम्पर्क नम्बर 0134—285222 है, इसके अतिरिक्त लक्सर क्षेत्र में मैसर्स बिरला टायर इण्डस्ट्रीज एवं रुड़की क्षेत्र में मैसर्स जे पी सीमेन्ट, इकबालपुर की भी एक—एक फायर यूनिट है जिनके पास वर्तमान में एक फायर टैंकर उपलब्ध है, बिरला फायर सर्विस यूनिट का कन्ट्रोल का नम्बर

01332-266000 एक एक्सटेंशन नम्बर है जिसका फायर सर्विस कोड-6010 है। इस प्रकार जनपद में अग्निकाण्ड के दौरान आवश्यकता पड़ने पर उक्त निजी कम्पनियों से सहायता ली जा सकती है।

क्र०	नाम फायर स्टेशन/यूनिट	टेलीफोन नं०
1.	फायर सर्विस यूनिट BHEL (CISF) रानीपुर हरिद्वार	01334-285222,
2.	फायर सर्विस यूनिट बिरला टायर लक्सर जनपद हरिद्वार	01332-256000,
3.	फायर सर्विस यूनिट जे०पी० सीमेन्ट इकबालपुर रुड़की	01332-231946,

हरिद्वार जनपद के सीमावर्ती जिलों के फायर स्टेशनों में ऋषिकेश, देहरादून, जनपद सहारनपुर(उ०प्र०) मुज्जफरनगर (उ०प्र०) नजीबाबाद बिजनौर(उ०प्र०) आदि आते हैं जिनसे आवश्यकता पड़ने पर संसाधनों की मांग की जा सकती है।

क्र०	नाम फायर स्टेशन	टेलीफोन नं०	क्र०	नाम फायर स्टेशन	टेलीफोन नं०
1	फायर स्टेशन देहरादून	0135-2716242	4	फायर स्टेशन अम्बाला रोड़ सहारनपुर	0132-2646100
2	फायर स्टेशन ऋषिकेश	0135-2430101	5	फायर स्टेशन बेहट रोड़ सहारनपुर	0132-2640419
3	फायर स्टेशन देवबन्द (सहारनपुर) उ०प्र०	0133-2644202	6	फायर स्टेशन मुज्जफरनगर (उ०प्र०)	0131-2623800

आपदा एवं खोज बचाव प्रशिक्षण कर्मचारियों की सूची (फायर सर्विस शाखा जनपद हरिद्वार)

फायर स्टेशन मायापुर में नियुक्त आपदा एवं खोज बचाव प्रशिक्षण फायर सर्विस कर्मचारियों की सूची

क्र०	पद	नाम कर्मचारी	मो० नं०	कोर्स का नाम	संस्थान (जहाँ से कोर्स किया)
1.	FM	रणजीत लाल	9410778178	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
2.	FM	सुमित कुमार	9410964381	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
3.	FM	पंकज थपलियाल	9410903865	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	एंडवेंचर गार्ड सोयायटी हल्द्वानी
4.	FM	राजेन्द्र लाल	9411372736	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
5.	FM	महिपाल सिंह	9756637394	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
6.	FM	अशोक नेगी	9690772524	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
7.	FM	मदन लाल	8192008887	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
8.	FM	चन्द्रप्रकाश	9456583776	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	एंडवेंचर गार्ड सोयायटी हल्द्वानी
9.	FM	सुनील तडियाल	9927253605	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
10.	FM	शैलेन्द्र भट्ट	9410735702	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
11.	FM	यशपाल सिंह	9927284400	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
12.	FM	सुन्दर सिंह	9761907228	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
13.	FM	अनुज रावत	8923793002	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
14.	FM	राजेश कुमार	9639217609	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
15.	FM	सुभाष सिंह	7895135471	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
16.	FM	हरेन्द्र सिंह	8171404538	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
17.	FM	राजेश कुमार	9997523608	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
18.	FM	मदन फरस्वाण	9410709660	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	पर्वतारोहण क्लब नैनीताल
19.	FM	सन्तोष कण्डेरी	9411111815	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
20.	FM	महेश कुमार	9411111815	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
21.	FM	हरजीत सिंह	8193885885	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
22.	FM	पंकज नेगी	9368119597	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
23.	FM	नरेश चन्द्र	7579118086	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी

फायर स्टेशन सिडकुल में नियुक्त आपदा एवं खोज बचाव प्रशिक्षण फायर सर्विस कर्मचारियों की सूची

क्र०	पद	नाम कर्मचारी	मो० नं०	कोर्स का नाम	संस्थान (जहाँ से कोर्स किया)
1.	FM	अमित कुमार	8958055446	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स / 20 दिवसीय अर्बन सर्च एण्ड रेस्क्यू मेडिकल फर्स्ट रिस्पोंडर	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी / नेशनल फायर अकादमी बड़ोदरा
2.	FM	अजय कुमार	9058705597	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी / पर्वतारोहण क्लब नैनीताल
3.	FM	हिमांशु नेगी	8057445888	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
4.	FM	कमल सिंह	9410102270	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
5.	FM	विनोद प्रसाद	9411111802	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
6.	FM	मनोज बुटोला	9568528554	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
7.	FM	सतीश सिंह	8273154514	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
8.	FM	संतोष सिंह	9719544116	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
9.	FM	दीपक सिंह	8791105157	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
10.	FM	शिशपाल सिंह	8755211039	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
11.	FM	भवानी सिंह	9456568200	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
12.	FM	अवतार सिंह	9411166038	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
13.	FM	सुनील सिंह चौहान	8126038796	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
14.	FM	महेश पुरोहित	8077085873	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी

फायर स्टेशन रुड़की में नियुक्त आपदा एवं खोज बचाव प्रशिक्षण फायर सर्विस कर्मचारियों की सूची

क्र०	पद	नाम कर्मचारी	मो० नं०	कोर्स का नाम	संस्थान (जहाँ से कोर्स किया)
1.	FM	भरत सिंह भण्डारी	9760574336	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
2.	FM	सतपाल सिंह	8445272853	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
3.	FM	शीशराम	8410009611	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	एंडवेंचर गार्ड सोयायटी बड़ी मुखानी हल्द्वानी
4.	FM	प्रमोद लाल	8126201858	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
5.	FM	मोहन सिंह	9411111805	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
6.	FM	अरुण रावत	9927840009	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
7.	FM	सुरेन्द्र सिंह नबियाल	9410992845	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	एंडवेंचर गार्ड सोयायटी बड़ी मुखानी हल्द्वानी
8.	FM	नागेन्द्र विष्ट	9410192635	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	एंडवेंचर गार्ड सोयायटी बड़ी मुखानी हल्द्वानी
9.	FM	सुनील कुमार	7351868216	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	एंडवेंचर गार्ड सोयायटी बड़ी मुखानी हल्द्वानी
10.	FM	देवेन्द्र सिंह भण्डारी	8273716114	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	एंडवेंचर गार्ड सोयायटी बड़ी मुखानी हल्द्वानी
11.	FM	राकेश गौड़	8110410884	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
12.	FM	प्रदीप लाल	9458352557	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	एंडवेंचर गार्ड सोयायटी बड़ी मुखानी हल्द्वानी
13.	FM	कपिल कुमार	9897001880	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	एंडवेंचर गार्ड सोयायटी बड़ी मुखानी हल्द्वानी
14.	FM	सुन्दर सिंह	9456170117	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	एंडवेंचर गार्ड सोयायटी बड़ी मुखानी हल्द्वानी
15.	FM	अजब सिंह	9457094280	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	एंडवेंचर गार्ड सोयायटी बड़ी मुखानी हल्द्वानी

फायर स्टेशन लक्सर में नियुक्त आपदा एवं खोज बचाव प्रशिक्षण फायर सर्विस कर्मचारियों की सूची :-

क्र०	पद	नाम कर्मचारी	मो० नं०	कोर्स का नाम	संस्थान (जहाँ से कोर्स किया)
1.	FM	कविन्द्र	7579006539	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
2.	FM	बलदेव सिंह	9837371024	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
3.	FM	पंकज नेगी-द्वितीय	8533887904	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
4.	FM	प्रदीप त्रिवेदी	7579024493	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	एंडवेंचर गाईड सोयायटी बड़ी मुखानी हल्द्वानी
5.	FM	कृपाल सिंह	7351777570	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
6.	FM	बीरेन्द्र सिंह गुंसाई	7417148600	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
7.	FM	सचिन सिंह	9917848297	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
8.	FM	अर्जुन सिंह सैलाल	8126545033	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
9.	FM	देवेन्द्र कण्डारी	9927851910	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
10.	FM	प्रदीप रावत	8449138294	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	एंडवेंचर गाईड सोयायटी बड़ी मुखानी हल्द्वानी
11.	FM	राजीव कुमार	7579018355	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
12.	FM	प्रताप सिंह	8881548500	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी
13.	FM	जुलफान खान	9458387633	20 दिवसीय खोज एवं बचाव कोर्स	हिमालय एंडवेंचर कैम्पटी फाल मसूरी

बिन्दु संख्या:- (B)

Fire Safety clearance:- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र वर्तमान में मुख्यालय स्तर निम्न प्रकार से निर्गत करने के आदेश प्राप्त हुये है-

- Pre-Establishment
- Pre-Operation
- Post-operation (finle)
- Annual clearance

उपरोक्त ढांचे के अनुरूप वर्तमान में अग्निशमन विभाग उच्चाधिकारियों के आदेश एवं स्वामी/ प्रबन्धक की अपेक्षा पर चरणबद्ध रूप में कार्यवाही अमल में लाता है, सम्बन्धित स्वामी/प्रबन्धक द्वारा प्रत्येक स्तर का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लेना होगा, स्वामी प्रबन्धक द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र(ऑन लाईन/ऑफ लाईन) के आधार पर सम्बन्धित संस्थान का निरीक्षण किया जाता है, तथा व्यवस्था पूर्ण होने पर क्षेत्र के अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति आख्या के आधार पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसमें अग्निशमन व्यवस्थाओं को सुचारु एवं कार्यशील दशा में बनाये रखने के आधार पर सशर्त प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, आकस्मिक निरीक्षण के माध्यम से मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ अग्निशमन अधिकारी द्वारा सम्बन्धित की अग्नि-निरोधक व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया जाता है।

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में फायर सर्विस एक्ट अस्तित्व में न होने के कारण सम्बन्धित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में नहीं लायी जा सकती है, निकट भविष्य में फायर सर्विस एक्ट उत्तराखण्ड राज्य में प्रख्याप्ति होने जा रहा है, उसके उपरान्त ही सम्बन्धित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा, एक्ट न होने के कारण सम्बन्धित संस्थान/स्वामी/प्रबन्धक द्वारा नियमानुसार प्रमाण पत्र न लेने एवं अग्नि-निरोधक व्यवस्था मानकानुसार न किये जाने पर आवश्यक दण्डात्मक/वैधानिक कार्यवाही अमल में नहीं लायी जा सकती है।

फायर सर्विस शाखा जनपद हरिद्वार में उपलब्ध राहत एवं बचाव उपकरणों की उपलब्धता का विवरण

क्र०स०	उपकरण/मशीन	कार्यशैली	उपलब्ध	वर्तमान स्थिति
1	Bolt Cutters (Shears)	ताले व लोहे की हल्की छड़ को काटने हेतु।	16	कार्यशील
2	Sledge hammer	किसी भी प्रकार की हल्की चीजों को तोड़ने हेतु।	16	कार्यशील
3	Heavy Axe	लकड़ी आदि काटने हेतु।	17	कार्यशील
4	Blankets	मनुष्य पर आग लगने के दौरान लपेटकर बचाव कार्य हेतु।	12	कार्यशील
5	Electric Generator	प्रकाश व्यवस्था हेतु।	04	कार्यशील
6	Lifebuoy	बाढ़ राहत एवं डूबने के दौरान बचाव कार्य के लिए।	10	कार्यशील
7	Life Jackets	बाढ़ राहत एवं डूबने के दौरान बचाव कार्य के लिए।	16	कार्यशील
8	Suit – fire proximity	अग्निकाण्ड के दौरान प्रयोग हेतु।	05	कार्यशील
9	Breathing apparatus – Compressor	अग्निकाण्ड के दौरान धुएं से बचाव जहरीली गैस युक्त वातावरण में कार्य करने हेतु।	10	कार्यशील
10	Pump – high pressure, portable	पानी का संसाधन होने पर आग बुझाने के लिये प्रेशर युक्त पानी।	05	कार्यशील
11	Extension Ladder	बहुमंजिला इमारतों अथवा जीने के बदले प्रयोग करने हेतु।	14	कार्यशील
12	Newmatic air presser bag	वाहन व वजनी वस्तु आदि को उठाने के लिए।	03	कार्यशील
13	Wooden cutter	लकड़ी आदि काटने हेतु।	06	कार्यशील
14	Combi tools	शटर व लोहे की छड़ आदि काटने हेतु।	03	कार्यशील
15	Stacher Folding	घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान तक ले जाने हेतु।	04	कार्यशील
16	ABC Type Fire Ex.	ठोस पदार्थों की छोटी मोटी आग बुझाने के लिये पोर्टेबल एक्सटिंग्यूशर।	15	कार्यशील
17	CO2 Type Fire Ex.	इलैक्ट्रिक/इलैक्ट्रॉनिक की छोटी मोटी आग बुझाने के लिये पोर्टेबल एक्सटिंग्यूशर।	15	कार्यशील
18	Foam Type Fire Ex.	तरल पदार्थों की छोटी मोटी आग बुझाने के लिये पोर्टेबल एक्सटिंग्यूशर।	06	कार्यशील
19	DCP Type Fire Ex.	धातु व बिजली की छोटी मोटी आग बुझाने के लिये पोर्टेबल एक्सटिंग्यूशर।	07	कार्यशील
20	Fire Tender	सामान्य अग्निकाण्डों पर आग बुझाने के लिये।	09	कार्यशील
21	Foam Tender	सामान्य व तरल पदार्थों की अग्निकाण्डों पर आग बुझाने के लिये।	02	कार्यशील
22	DCP Tender	धातु एवं बिजली की अग्निकाण्डों पर आग बुझाने के लिये।	01	कार्यशील
23	Hy presser (mini water tender)	तंग गलियों एवं पहुँच मार्ग सर्कीण होने पर सुगमता से आग बुझाने हेतु।	03	कार्यशील
24	Tata Zinon	सामान्य एवं छोटे अग्निकाण्डों को बुझाने हेतु।	04	कार्यशील
25	Rescue Tender	जीव रक्षा पुकार के दौरान राहत बचाव कार्य हेतु।	01	
26	Back pack set (moter cycle)	तंग गलियों एवं पहुँच मार्ग सर्कीण होने पर सुगमता से आग बुझाने हेतु।	07	कार्यशील
27	Light Ambulance Van	रेस्क्यू कार्य के दौरान बचाव कार्य हेतु।	01	कार्यशील
28	Inflatable Light Tower	प्रकाश आदि व्यवस्था हेतु।	10	कार्यशील

आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध कराये गये उपकरणों का विवरण :-

क्रसं	उपकरण का नाम	संख्या	फायर स्टेशनों को वितरण					योग
			रिजर्व स्टोर	मायापुर	सिडकुल	रुड़की	लक्सर	
1	उड़न कटर शॉ	06	01	02	01	01	01	06
2	आर0आर0सी0 कटर	03	—	02	—	01	—	03
3	आयरन कटर	01	—	01	—	—	—	01
4	डायमण्ड चैन शॉ कटर	01		01				01
5	हाईड्रोलिक रेस्क्यू कटर	01		01				1
6	हाईड्रोलिक पावर पम्प रेस्क्यू कटर	01		01				01
7	हाईड्रोलिक रेस्क्यू स्प्रेडर	01		01				01
8	हाईड्रोलिक पावर पम्प(रेस्क्यू स्प्रेडर)	01		01				01
9	हाईड्रोलिक रेस्क्यू मय स्प्रेडर(कौम्बी टूल्स)	01		01				01
10	सरकुलर शॉ	01		01				01
11	आयर स्टील कटर(सरकुलर शॉ)	01		01				01
12	पावर पम्प जनरेटर सैट	01		01				01
13	ड्रैगन लाईट	10		04	02	02	02	10
14	ऐजवस्टस सूट(टोपी, जूता)	25		07	06	06	06	25
15	ऐजवस्टस गलगज	25		07	06	06	06	25
16	गोगल्स(चस्मा)	50		20	10	10	10	50
17	कॉटन डागारी	20		08	04	04	04	20
18	रोप लेडर(50 मीटर)	10	02	02	02	02	02	10
19	पॉचा	40	08	08	08	08	08	40
20	फावड़े मय बैट	20		08	04	04	04	20
21	पिकएक्स(गैन्ती मय बैट)	20	04	04	04	04	04	20
22	तलवार(घास कटाने वाली)	20	04	04	04	04	04	20
23	फायर बूट	25		07	06	06	06	25
24	हैड टार्च	12		03	03	03	03	12
25	हैलमेट मय टार्च	20		08	04	04	04	20
26	कैराबिनरर्स(प्लेन)	20		05	05	05	05	20
27	कैराबिनरर्स(स्कूटाईप)	30		08	08	07	07	30
28	सीट हार्नेस	08		02	02	02	02	08
29	बॉडी हार्नेस	08		02	02	02	02	08
00	सिंगल पुली	08		02	02	02	02	08
31	टेनडैमपुल पुली(डबल)	08		02	02	02	02	08
32	डिसेन्डर	16		04	04	04	04	16
33	जुमार	08		02	02	02	02	08
34	कैनवास मिटॉन पियर	24		06	06	06	06	24
35	टैप सिलिंग	16 मी0		04	04	04	04	16
36	शार्ट सिलिंग	08		02	02	02	02	08
37	गिरीगिरी	08		02	02	02	02	08
38	स्ट्रेचर (स्पाईन) बोर्ड	03		01	01	01		03
39	रक्षक बैग	04		01	01	01	01	04
40	मल्टीपरपज रोप 12एम0एम0(100मी0)	12 बंडल		04	03	03	02	12

जनपद हरिद्वार में फायर सर्विस वाहन/टैण्डरों का विवरण :-

क्र० सं०	विभाग/संस्था का नाम	सम्पर्क व्यक्ति का नाम/पदनाम/सम्पर्क नम्बर	वाटर टैंडर संख्या	फोम टैंडर संख्या	डी०सी०पी० टैंडर संख्या	मिनी वाटर टैंडर संख्या	मिनी वाटर टैंडर (वाटर मिक्सड टैक्नोलॉजी) संख्या	रेस्क्यू टैंडर संख्या	टाटा जिनोन (मिनी वाटर टैंडर) संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अग्निशमन विभाग, हरिद्वार।	श्री नरेन्द्र सिंह कुंवर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, हरिद्वार 9456597199 01334-265700	10	03	01	05	02	01	04	मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय द्वारा दूरभाष पर प्राप्त सूचनानुसार प्राईवेट संस्थाओं यथा महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, बिरला टार्यस, अम्बूजा, अल्ट्राटेक सीमेन्ट, के पास 1-1 फायर टैंडर उपलब्ध है। जिनकी पुष्टि दूरभाष पर सम्पर्क कर की गयी।
2	सी०आई०एस०एफ०, (BHEL) हरिद्वार।	श्री पी०के० सिन्हा 01334-281115 01334-285222	02	01	01					
3	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, हरिद्वार।	श्री अजय वर्मा 9719415343				01				
4	जे०के० बिरला टार्यस, लक्सर।	01332-256000	01							
5	अम्बूजा सीमेन्ट तहसील भगवानपुर, हरिद्वार।	श्री रणबीर सिंह 9897781562	01							
6	अल्ट्राटेक सीमेन्ट, इकबालपुर तहसील भगवानपुर, हरिद्वार।	श्री जे०पी० बिजल्वाण 9720165647 01332-231946	01							
योग			15	04	02	06	02	01	04	

कुल योग : 34 फायर सर्विस वाहन/टैण्डर।

नोट :- इस कार्यालय के पत्र संख्या-2650/13-आ०प्रब०-DEOC/2018-19 दिनांक 22.05.2018 के द्वारा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल को पत्र प्रेषित कर जनपद अन्तर्गत समस्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों से अग्निशमन उपकरणों की विस्तृत आख्या मांगी गयी हैं।

➤ हरिद्वार जनपद के सीमावर्ती जिलों के फायर स्टेशनों में ऋषिकेश, देहरादून, जनपद सहारनपुर(उ०प्र०) मुज्जफरनगर (उ०प्र०) नजीबाबाद बिजनौर(उ०प्र०) आदि आते हैं जिनसे आवश्यकता पड़ने पर संसाधनों की माँग की जा सकती है।

क्र०सं०	नाम फायर स्टेशन	टेलीफोन नं०	क्र०सं०	नाम फायर स्टेशन	टेलीफोन नं०
1	फायर स्टेशन देहरादून	0135-2716242	4	फायर स्टेशन अम्बाला रोड़ सहारनपुर	01332-2646100
2	फायर स्टेशन ऋषिकेश	0135-2430101	5	फायर स्टेशन बेहट रोड़ सहारनपुर	01332-2640419
3	फायर स्टेशन देवबन्द (सहारनपुर) उ०प्र०	01332-2644202	6	फायर स्टेशन मुज्जफरनगर (उ०प्र०)	01331-2623800

लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार कार्ययोजना

क्र० सं०	अधिकासी अभियन्ता का नाम, कार्यालय एवं निवास का दूरभाष सं० तथा मोबाइल नं०	खण्डीय नोडल अधिकारी का नाम, पता एवं दूरभाष सं०	खण्डीय नोडल अधिकारी के विकल्प के रूप में नामित द्वितीय नोडल अधिकारी का नाम, पता एवं फोन नं०
प्रान्तीय खण्ड , लो०नि०वि०, हरिद्वार			
1	इं० दीपक कुमार अधिकासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो. नि.वि., हरिद्वार कार्यालय दूरभाष —01334—227446 मो०नं०—9719003703	इं० मुकेश चन्द सैनी, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., हरिद्वार कार्यालय दूरभाष—01334—227446 मो०नं०—9412843939	इं० संजीव कुमार, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., हरिद्वार कार्यालय दूरभाष —01334—227446 मो०नं०—9456767567
निर्माण खण्ड , लो०नि०वि०, लक्सर			
2	इं० महिपाल सिंह रावत अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., लक्सर मो०नं०—9837265133	इं० ललित गोयल सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., लक्सर मो०नं०—9412919971	इं० घनश्याम सिंह सैनी सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., लक्सर मो०नं०—8192928867
निर्माण खण्ड , लो०नि०वि०, रुड़की			
3	इं० सतवीर सिंह त्यागी, अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., रुड़की मो०नं०—9412363619	इं० विजय कुमार मोगा, सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., रुड़की मो०नं०—9760122392	इं० नवीन कौशिक सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., रुड़की मो०नं०—9412923086
रा०मा० खण्ड , लो०नि०वि०, रुड़की			
1	इं० शैलेन्द्र मिश्रा, कार्यालय का दूरभाष सं० 01332—272619 मोबाइल नं० : 7906464023	इं० जे० सी० काण्डपाल, सहायक अभियन्ता रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की कार्या० दूरभाष— 01332—272619 मोबाइल नं० : 7895059016	इं० सउद अली खॉं, सहायक अभियन्ता रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की कार्यालय का दूरभाष—01332—272619 मोबाइल नं० : 9412545858

दैवीय आपदा का कोर ग्रुप का विवरण

क्र० सं०	मुख्य मार्ग का नाम एवं सहायक अभियन्ता का नाम	टीम लीडर का नाम, पदनाम, दूरभाष सं० एवं पता (अपर सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता का नाम)	टीम लीडर के साथ टीम के मैम्बर्स का नाम पदनाम तथा फोन नं०
प्रान्तीय खण्ड , लो०नि०वि०, हरिद्वार			
1	पुराना दिल्ली नीतिपास मुख्य जिला मार्ग— 11. 42 कि.मी., इं० आर०पी० नैथानी, सहायक अभियन्ता मो०नं०—9412902367	इं० आशुतोष पुरोहित अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—9456590730 इं० रणजीत बहादुर, कनिष्ठ अभियन्ता	श्री राकेश कुमार — मेट मो०नं०— 9837440559
2	ज्वालापुर—ललताराव—चण्डी घाट अन्य जिला मार्ग— 5.505 कि.मी. इं० आर०पी० नैथानी, सहायक अभियन्ता, मो०नं०—9412902367	इं० अनीता भण्डारी कनिष्ठ अभियन्ता मो०नं०—9568537934	श्री शिव कुमार — मेट श्री जयपाल — बेलदार श्री बलजीत — बेलदार
3	हिल बाईपास अन्य जिला मार्ग — 6.38 कि.मी. इं० आर०पी० नैथानी, सहायक अभियन्ता मो०नं०—9412902367	इं० आशुतोष पुरोहित अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—9456590730	— मेट मो०नं० —
4	निरीक्षण भवन पहुंच मार्ग — अन्य जिला मार्ग— 0.750 कि.मी., इं० आर०पी० नैथानी, सहायक अभियन्ता, मो०नं०—9412902367	इं० उमेश सैनी कनिष्ठ अभियन्ता मो०नं०—9259632401	— मेट मो०नं० —
5	सीतापुर—जमालपुर कलां—जियापोता मुख्य जिला मार्ग संख्या—11 — 5.50 कि.मी. इं० संजीव कुमार,, सहायक अभियन्ता मो०नं०—9456767567	इं० अनीता भण्डारी कनिष्ठ अभियन्ता मो०नं०—9568537934	श्री हरज्ञान — बेलदार श्री धर्मपाल — बेलदार श्री कालू राम — बेलदार

क्र० सं०	मुख्य मार्ग का नाम एवं सहायक अभियन्ता का नाम	टीम लीडर का नाम, पदनाम, दूरभाष सं० एवं पता (अपर सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता का नाम)	टीम लीडर के साथ टीम के मैम्बर्स का नाम पदनाम तथा फोन नं०
6	रोहालकी-सहदेवपुर ग्रामीण मार्ग- 2.00 कि. मी., इं० रविन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9412115108	इं० ज्ञानेन्द्र चौधरी अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०-7579110654	श्री हरज्ञान - बेलदार श्री धर्मपाल - बेलदार श्री कालू राम - बेलदार
7	पथरी पावर हाऊस से सलेमपुर महदूद ग्रामीण मार्ग - 1.00 कि.मी., इं० देशराज सिंह, सहायक अभियन्ता, मो०नं०-9720926336	इं० अजीत सिंह कनिष्ठ अभियन्ता मो०नं०-8650699675	श्री हरज्ञान - बेलदार श्री धर्मपाल - बेलदार श्री कालू राम - बेलदार
8	ज्वालापुर से ईदगाह, सुभाषनगर पीएससी होते हुए शिवालिक नगर तक ग्रामीण मार्ग - 3.00 कि.मी., इं० देशराज सिंह, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9720926336	इं० अजीत सिंह कनिष्ठ अभियन्ता मो०नं०-8650699675	श्री हरज्ञान - बेलदार श्री धर्मपाल - बेलदार श्री कालू राम - बेलदार
9	रोशनाबाद-बिहारीगढ़ राज्य मार्ग संख्या-27 - 21.735 कि.मी., इं० देशराज सिंह, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9720926336	इं० अजीत सिंह कनिष्ठ अभियन्ता मो०नं०-8650699675	श्री राज कुमार - मेट श्री ओम प्रकाश - बेलदार श्री सत्तू - बेलदार श्री देवराज - बेलदार श्री यशपाल - बेलदार
10	धनौरी-डालूवाला-कुड़कावाला -बुग्गावाला-बिहारीगढ़ मुख्य जिला मार्ग संख्या-4 - 15.50 कि.मी. इं० अरविन्द सतवारिया, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9412413525	इं० ज्ञानेन्द्र चौधरी अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०-7579110654	श्री राज कुमार - मेट श्री ओम प्रकाश - बेलदार श्री सत्तू - बेलदार श्री देवराज - बेलदार श्री यशपाल - बेलदार
11	ज्वालापुर-सराय सुभाषगढ़- ऐथल-बसेड़ी खादर मुख्य मार्ग संख्या-3 - कि.मी.1-11, 11 कि.मी., इं० संजीव कुमार, सहायक अभियन्ता, मो०नं०-9456767567	इं० प्रभात शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता मो०नं०-8171202902	श्री मदन - बेलदार श्री दल सिंह - बेलदार श्री अनिल - बेलदार
12	बडेढी-राजपुताना-अलावलपुर मुख्य जिला मार्ग संख्या-9 - 4.50 कि.मी. इं० अरविन्द सतवारिया, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9412413525	इं० ज्ञानेन्द्र चौधरी अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०-7579110654	श्री विक्रम - मेट मो०नं०- 9759079263
13	गढ़संघीपुर से मुकर्रमपुर रणसुरा मार्ग का शेष भाग ग्रामीण मार्ग- 1.50 कि.मी. इं० अरविन्द सतवारिया, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9412413525	इं० ज्ञानेन्द्र चौधरी अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०-7579110654	श्री विक्रम - मेट मो०नं०- 9759079263
14	गैन्डीखाता-लालढांग मुख्य जिला मार्ग संख्या-5 - 9.625 कि.मी. इं० ए०के० केसरवानी, सहायक अभियन्ता मो०नं०-7895133570	इं० राजेश कुमार अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०-9411120588	श्री सुखे सिंह - मेट मो०नं०- 9690714813 श्री मनोज - मेट मो०नं०- 8171221478 श्री बलराम - बेलदार श्री पदम सिंह- बेलदार
15	बहादुराबाद रोहाल्की तिराहे से अलीपुर-सुकरासा-पथरी अम्बूवाला ग्रामीण मार्ग - 10.50 कि.मी. इं० संजीव कुमार, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9456767567	इं० प्रभात शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता मो०नं०-8171202902	कोई गैंग उपलब्ध नहीं है
16	बहादुरपुर जट से एकड़कला ग्रामीण मार्ग - 2.50 कि.मी. इं० संजीव कुमार, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9456767567	इं० अब्दुरहीम अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०-7500526117	कोई गैंग उपलब्ध नहीं है
17	शाहपुर शीतलाखेड़ा से टांडा भागमल ग्रामीण मार्ग- 3.50 कि.मी. इं० संजीव कुमार, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9456767567	इं० अब्दुरहीम अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०-7500526117	कोई गैंग उपलब्ध नहीं है

क्र० सं०	मुख्य मार्ग का नाम एवं सहायक अभियन्ता का नाम	टीम लीडर का नाम, पदनाम, दूरभाष सं० एवं पता (अपर सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता का नाम)	टीम लीडर के साथ टीम के मैम्बर्स का नाम पदनाम तथा फोन नं०
18	शाहपुर शीतलाखेड़ा से रानीमाजरा रोड से गंगातट तक ग्रामीण मार्ग—1.50कि.मी. इ० संजीव कुमार, सहायक अभियन्ता मो०नं०—9456767567	इ० अब्दुरहीम अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—7500526117	कोई गैंग उपलब्ध नहीं है
निर्माण खण्ड , लो०नि०वि०, लक्सर			
1	सुल्तानपुर से निहंदपुर होते हुए भिक्कमपुर मेन रोड तक ग्रामीण मार्ग — 5.00 कि.मी. इ० घनश्याम सैनी, सहायक अभियन्ता मो०नं०—8192928867	इ० रविन्द्र कुमार अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—7895443537	श्री मकसूद — बेलदार श्री रमेश — बेलदार श्री महिपाल — बेलदार श्री युद्धवीर — बेलदार
2	रायसी रेलवे स्टेशन से महाराजपुर होते हुए गंगादासपुर ग्रामीण मार्ग —5.50 कि.मी. इ० घनश्याम सैनी, सहायक अभियन्ता मो०नं०—8192928867	इ० रविन्द्र कुमार अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—7895443537	— तदैव —
3	रूड़की लक्सर बालावाली मार्ग से खडण्जा कुतुबपुर मुंडाखेड़ा कला होते हुए अकौड़ा खुर्द तक ग्रामीण मार्ग—6.50 कि.मी. इ० घनश्याम सैनी, सहायक अभियन्ता मो०नं०—8192928867	इ० रविन्द्र कुमार अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—7895443537	— तदैव —
4	रूड़की लक्सर बालावाली मार्ग के कि.मी. 16 से बहादुरपुर मलकपुर सीधड़ू ग्रामीण मार्ग — 3.70 कि.मी. इ० घनश्याम सैनी, सहायक अभियन्ता मो०नं०—8192928867	इ० रविन्द्र कुमार अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—7895443537	— तदैव —
5	पंचवली से प्रतापपुर ग्रामीण मार्ग — 1.20 कि. मी., इ० घनश्याम सैनी, सहायक अभियन्ता मो०नं०—8192928867	इ० रविन्द्र कुमार अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—7895443537	— तदैव —
6	अकौड़ाखुर्द से बानगंगा नदी तक ग्रामीण मार्ग—2.00कि.मी. इ० घनश्याम सैनी, सहायक अभियन्ता मो०नं०—8192928867	इ० रविन्द्र कुमार अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—7895443537	— तदैव —
7	इस्माइलपुर से मुण्डाखेड़ा कलां ग्रामीण मार्ग — 2.50 कि.मी. इ० घनश्याम सैनी, सहायक अभियन्ता मो०नं०—8192928867	इ० रविन्द्र कुमार अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—7895443537	— तदैव —
8	अलावलपुर—लादपूर—जैनपुर ग्रामीण मार्ग — 4. 40 कि.मी. इ० घनश्याम सैनी, सहायक अभियन्ता मो०नं०—8192928867	इ० रविन्द्र कुमार अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—7895443537	— तदैव —
9	पुरवाला इस्माईपु से जैतपुर ग्रामीण मार्ग — 2.42 कि.मी. इ० घनश्याम सैनी, सहायक अभियन्ता मो०नं०—8192928867	इ० रविन्द्र कुमार अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—7895443537	— तदैव —
10	सराय—सुभाषगढ़—ऐथल—बसेड़ी मुख्य जिला मार्ग—10.00कि.मी. इ० घनश्याम सैनी, सहायक अभियन्ता मो०नं०—8192928867	इ० रविन्द्र कुमार अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—7895443537	श्री मकसूद — बेलदार श्री रमेश — बेलदार श्री महिपाल — बेलदार श्री युद्धवीर — बेलदार
निर्माण खण्ड , लो०नि०वि०, रूड़की			
1	बढेड़ी राजपुताना—अलावलपुर मार्ग मुख्य जिला मार्ग— 7.50 कि.मी. इ० विजय कुमार मोघा, सहायक अभियन्ता मो०नं०—9760122392	इ० खलील अहमद, अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—9927223218	श्री राजकुमार — मेट मो०नं० — 7895380053

क्र० सं०	मुख्य मार्ग का नाम एवं सहायक अभियन्ता का नाम	टीम लीडर का नाम, पदनाम, दूरभाष सं० एवं पता (अपर सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता का नाम)	टीम लीडर के साथ टीम के मैम्बर्स का नाम पदनाम तथा फोन नं०
2	भगवानपुर सिकरोड़ा मार्ग अन्य जिला मार्ग— 8.00 कि.मी. इ० प्रदीप कुमार, सहायक अभियन्ता मो०नं०—9412393866	इ० महक सिंह सैनी अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—9412023973	श्री राजेश कुमार— वर्क एजेन्ट मो०नं० — 9412070826 श्री ललित कुमार — मेट मो०नं० — 9917385807
3	मंगलौर झबरेड़ा मार्ग अन्य जिला मार्ग — 8.70 कि.मी. इ० राजेश चौहान, सहायक अभियन्ता मो०नं०—9412904168	इ० सुनील कुमार, अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—9897310224	श्री रमेश कुमार — वर्क एजेन्ट मो०नं० — 9897581823 श्री राजकुमार — बेलदार मो०नं० — 8476059320
4	भगवानपुर सिकरोड़ा हल्लू माजरा धीर माजरा मार्ग — अन्य जिला मार्ग— 5.50 कि.मी. इ० विजय कुमार मोघा, सहायक अभियन्ता मो०नं०—9760122392	इ० महक सिंह सैनी अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—9412023973	श्री राजेश कुमार— वर्क एजेन्ट मो०नं० — 9412070826 श्री ललित कुमार — मेट मो०नं० — 9917385807
5	भगवानपुर सिकरोड़ा से खेड़ी शिकोहपुर वाया पट्टी डाडा जलालपुर मार्ग ग्रामीण मार्ग— 8.00 कि.मी. इ० विजय कुमार मोघा, सहायक अभियन्ता मो०नं०—9760122392	इ० महक सिंह सैनी अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—9412023973	श्री राजेश कुमार— वर्क एजेन्ट मो०नं० — 9412070826 श्री ललित कुमार — मेट मो०नं० — 9917385807
6	जौरासी—रणसूरा ग्रामीण मार्ग — 2.50 कि.मी. इ० अजय कुमार , सहायक अभियन्ता मो०नं०—7830010749	इ० सुधीर कुमार कनिष्ठ अभियन्ता मो०नं०—94120191233	श्री राजकुमार — मेट मो०नं० — 7895380053
7	सहदेवपुर शान्तरशाह मार्ग ग्रामीण मार्ग — 4.00 कि.मी. इ० विजय कुमार मोघा, सहायक अभियन्ता मो०नं०—9760122392	इ० खलील अहमद, अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—9927223218	श्री राजकुमार — मेट मो०नं० — 7895380053
8	भगवानपुर—इमली खेड़ा मार्ग से नागल मार्ग । ग्रामीण मार्ग — 2.60 कि.मी. इ० विजय कुमार मोघा, सहायक अभियन्ता मो०नं०—9760122392	इ० खलील अहमद कनिष्ठ अभियन्ता मो०नं०—9927223218	श्री धर्मेन्द्र कुमार—मेट मो०नं० — 9719249653
9	आसफनगर—इकबालपुर मार्ग ग्रामीण मार्ग — 10.46 कि.मी. इ० राजेश चौहान, सहायक अभियन्ता मो०नं०—9412904168	इ० डी०के० अग्रवाल, अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—9760753201	श्री श्यामकुमार — मेट मो०नं० — 7500003887
10	पुहाना—इकबालपुर—झबरेड़ा राज्य मार्ग— 29.645 कि.मी. इ० राजेश चौहान, सहायक अभियन्ता मो०नं०—9412904168	इ० अनिल कुमार, अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—8923695416 इ० डी०के० अग्रवाल, अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—9760753201	श्री तेजपाल— मेट मो०नं० — 9012475699 श्री दीपचन्द— बेलदार मो०नं० — 9837684447 श्री जलसिंह— मेट मो०नं० — 8006234187
11	मंगलौर—देवबन्द—ननौता मार्ग राज्य मार्ग— 10.91 कि.मी. इ० राजेश चौहान, सहायक अभियन्ता मो०नं०—9412904168	इ० डी०के० अग्रवाल, अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—9760753201	श्री प्रीतम— मेट मो०नं० — 9759709806
12	रुड़की—मेहवड़ से मौहम्मदपुर पाण्डा—इमली खेड़ा ग्रामीण मार्ग — 4.40 कि.मी. इ० नवीन कौशिक, सहायक अभियन्ता मो०नं०—9412923086 इ० विजय कुमार मोघा, सहायक अभियन्ता मो०नं०—9412923086	इ० खलील अहमद कनिष्ठ अभियन्ता मो०नं०—9927223218	श्री धर्मेन्द्र कुमार—मेट मो०नं० — 9719249653
13	बहादुराबाद—धनौरी—इमलीखेड़ा—भगवानपुर—गागलहेड़ी राज्य मार्ग— 25.15 कि.मी. इ० विजय कुमार मोघा, सहायक अभियन्ता मो०नं०—9412923086	इ० कपिल कुमार, अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०—9457015565	श्री ब्रिजेश कुमार— वर्क एजेन्ट मो०नं० — 9917054417 श्री धर्मेन्द्र कुमार—मेट मो०नं० — 9719249653

क्र० सं०	मुख्य मार्ग का नाम एवं सहायक अभियन्ता का नाम	टीम लीडर का नाम, पदनाम, दूरभाष सं० एवं पता (अपर सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता का नाम)	टीम लीडर के साथ टीम के मैम्बर्स का नाम पदनाम तथा फोन नं०
14	रुड़की-पिरानकलियर-धनौरी नहर मार्ग अन्य जिला मार्ग- 10.00 कि.मी. इं० विजय कुमार मोघा, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9412923086	इं० अमित त्यागी, अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०-9927015337	श्री नरेन्द्र कुमार-मेट मो०नं० - 9927244225
15	भगवानपुर चुड़ियाला भलस्वागाज अन्य जिला मार्ग- 11.40 कि.मी. इं० प्रदीप कुमार, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9412393866	इं० जितेन्द्र कुमार, अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०-9917510153	श्री रामस्वरूप- मेट मो०नं० - 9675832214
16	नागल से पलूनी ग्रामीण मार्ग- 0.900 कि.मी. इं० विजय कुमार मोघा, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9412923086	इं० अमित त्यागी, अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०-9927015337	श्री धर्मेन्द्र कुमार-मेट मो०नं० - 9719249653
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की			
1	रा०मा०सं०-334ए पुरकाजी-लक्सर-हरिद्वार मार्ग कि०मी० 15.00 से 61.500 इं० जे० सी० काण्डपाल, सहायक अभियन्ता मोबाइल नं० : 7895059016	श्री अश्वनी कुमार यादव, अपर सहायक अभियन्ता (8923550529) श्री बालेन्द्र सिंह, अपर सहायक अभियन्ता (9412323278) श्री भव्य काम्बोज, अपर सहायक अभियन्ता (9719249494) रा०मा०खण्ड,लो०नि०वि०, रुड़की	श्री कमल सिंह, मेट (9568122602) श्री रणजीत सिंह, मेट (9761793955) श्री शीशराम, श्री रामनिवास, श्री हरि कुमार, श्री निसार, श्री खेम्मा, बेलदार

खण्ड में उपलब्ध यंत्र/संयंत्र के संबंध में सूचना

क्र० सं०	मशीन का नाम एवं नम्बर	मशीन का प्रकार		चालक का नाम	मोबाईल नं०	मार्ग/क्षेत्र जहां पर मशीन रखी गयी है	मशीन से संबंधित जिम्मेदार विभागीय अधिकारी/ कर्मचारी का नाम, पदनाम, मो०नं०
		राजकीय	प्राईवेट				
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रान्तीय खण्ड , लो०नि०वि०, हरिद्वार							
1	ट्रक	राजकीय	—	श्री राम जतन	9411756332	खण्डीय भण्डार गृह	इं० संजीव कुमार सैनी सहायक अभियन्ता मो०नं०- 9456767567 इं० उमेश कुमार कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिक मो०नं०- 9259632401
निर्माण खण्ड , लो०नि०वि०, रुड़की							
1	रोड़ रोलर	राजकीय	—	श्री सब्बल सिंह, एवं श्री राज किशोर		विभागीय परिसर	इं० संजीव कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिक मो०नं०- 9412649268
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की							
1	महिन्द्रा बोलेरो UK07GA0668	राजकीय	—	श्री अमित कुमार	9759650280	रुड़की	कु० प्रीति चौरसिया, कनिष्ठ अभियन्ता(याँ) मोबाइल नं०-09897466221
2	टीपर UA07H5233	राजकीय	—	श्री अमन सिंह	9720884431	रुड़की	
3	रोड़ रोलर, W-18	राजकीय	—	श्री खुर्शीद	8057640706	रुड़की	
4	रोड़ रोलर, W-19	राजकीय	—	श्री तालिब	9690726407	रुड़की	
5	किरलोसकर कम्प्रेसर 8755	राजकीय	—	पद रिक्त	—	रुड़की	

क्र० सं०	मशीन का नाम एवं नम्बर	मशीन का प्रकार		चालक का नाम	मोबाईल नं०	मार्ग/क्षेत्र जहाँ पर देहरादून	मशीन से संबंधित जिम्मेदार विभागीय
6	टाटा सूमो UK07TA9111	—	प्राइवेट	श्री दीपक कुमार	9084355568	रुड़की	श्री आलोक मलिक, कनिष्ठ अभियन्ता(यों) मो०न०-9758153850
7	महिन्द्रा बोलेरो UK07G 11619	राजकीय	—	श्री अजीत सिंह	9898352629	रुड़की	
8	महिन्द्रा कैम्पर UK07GA1619	राजकीय	—	श्री अजीत सिंह	9898352629	रुड़की	
9	महिन्द्रा बोलेरा UK14TA1219 (2017)	—	प्राइवेट	श्री मनोज राणा	7618356201	रुड़की	

Machinery & Equipement taking from outsources from the Concerning person

S.No	Name of Contractor	Contact No.	Machinery/Equipement availability	Location
1	Shri Anil Jetali	9837027911	JCB, Tractor trolley,Dumper, Roller,Tanker,Hotmix Plant	Jwalapur/Ibrahimpur
2	Shri R.P. Agarwal	9719004005	JCB, Tractor trolley,Dumper, Roller,Tanker,Hotmix Plant, Stone Crasher	Haridwar/Ibrahimpur
3	Shri Rakesh Panwar	9759007600	JCB, Tractor trolley, Dumper, Roller,Tanker.	Roorkee
4	Shri Bhopal Saini	8923961029	JCB, Tractor trolley,Dumper, Roller,Tanker.	Bhagwanpur

मुख्य मार्गों के वैकल्पिक मार्गों की सूचना

क्र० सं०	मुख्य मार्ग का नाम एवं श्रेणी	मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग
प्रान्तीय खण्ड , लो०नि०वि०, हरिद्वार		
1	रोशनाबाद—बिहारीगढ राज्य मार्ग	इस मार्ग पर जगह—जगह पर नदियां पड़ती हैं जिसमें वर्षाऋतु में पानी आने से मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। धनौरी—डालूवाला मार्ग वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है।
2	मीठीबेरी से लालढांग ग्रामीण मार्ग	मार्ग अवरुद्ध होने पर कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।
निर्माण खण्ड , लो०नि०वि०, लक्सर		
3	महाराजपुर से कुड़ी भगवानपुर ग्रामीण मार्ग	महाराजपुर से गंगदासपुर होते हुए कुड़ी भगवानपुर मार्ग वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है।
निर्माण खण्ड , लो०नि०वि०, रुड़की		
— शून्य —		
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की		
1	रा०मा०सं०—334ए पुरकाजी—लक्सर—हरिद्वार मार्ग कि०मी० 15.00 से 61.500	रा०मा०सं०—334ए (पुरकाजी—लक्सर—हरिद्वार मार्ग) कि०मी० 34 (लक्सर—रुड़की)—हरिद्वार मार्ग)

खण्ड के अन्तर्गत भू-स्खलन वाले क्षेत्र

क्र० सं०	मार्ग का नाम	भूस्खलन प्रभावित लोकेशन (कि०मी०/है०मी०)
प्रान्तीय खण्ड , लो०नि०वि०, हरिद्वार		
1	हिल बाईपास अन्य जिला मार्ग	कि०मी० 2/है०मी० 2-4 कि०मी० 4/है०मी० 0-2
2	निरीक्षण भवन पहुंच मार्ग	यह मार्ग हिल बाईपास मार्ग के कि.मी. 3.00 से निकलता है। कि.मी. 1/है०मी० 2-4
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लक्सर		
-----शून्य -----		
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की		
-----शून्य -----		
रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की		
-----शून्य -----		

खण्ड के अन्तर्गत संवेदनशील मार्गों, स्थानों का चिह्निकरण एवं वैकल्पिक मार्ग :-

क्र०सं०	मार्ग का नाम	भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र	वैकल्पिक मार्ग
प्रान्तीय खण्ड , लो०नि०वि०, हरिद्वार			
1	हिल बाईपास अन्य जिला मार्ग	कि०मी० 2/है०मी० 2-4 कि०मी० 4/है०मी० 0-2	पुराना दिल्ली नीतिपास मुख्य जिला मार्ग
2	निरीक्षण भवन पहुंच मार्ग	यह मार्ग हिल बाईपास मार्ग के कि.मी. 3.00 से निकलता है। कि.मी. 1/है०मी० 2-4	वाहनों हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। निरीक्षण भवन जाने के लिए पैदल सीढ़ी मार्ग उपलब्ध है।
निर्माण खण्ड , लो०नि०वि०, लक्सर			
-----शून्य -----			
निर्माण खण्ड , लो०नि०वि०, रुड़की			
-----शून्य -----			
रा०मा० खण्ड , लो०नि०वि०, रुड़की			
-----शून्य -----			

खण्डों में उपलब्ध यंत्र/संयंत्र का संक्षिप्त विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	उपलब्ध JCB, Dozer, Robot		ट्रक/टिप्पर	कम्प्रेसर	Wood Cutter	मैनपावर गठित दल	कुल उपलब्ध श्रमिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार	—	—	01	—	—	06	37
2	निर्माण खण्ड, रुड़की	—	—	01 रोड़ रोलर	—	—	08	18
3	रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की	—	—	01 रोड़ रोलर	—	—	—	—
4	रा०मा०खण्ड, लो०नि०निर्माण विभाग, रुड़की	—	—	01	01	—	01	07

लोक निर्माण विभाग, रुड़की कार्ययोजना

क्र० सं०	अधिशाली अभियन्ता का नाम, कार्यालय एवं निवास का दूरभाष सं० तथा मोबाइल नं०	खण्डीय नोडल अधिकारी का नाम, पता एवं दूरभाष सं०	खण्डीय नोडल अधिकारी के विकल्प के रूप में नामित द्वितीय नोडल अधिकारी का नाम, पता एवं फोन नं०
निर्माण खण्ड , लो०नि०वि०, रुड़की			
1	इ० सतवीर सिंह त्यागी, अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., रुड़की मो०नं०-9837265133	इ० सोनू त्यागी, सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., रुड़की मो०नं०-9557903163	इ० प्रदीप कुमार सैनी सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., रुड़की मो०नं०-9412393866

दैवी आपदा का कोर ग्रुप का विवरण

क्र० सं०	मुख्य मार्ग का नाम एवं सहायक अभियन्ता का नाम	टीम लीडर का नाम, पदनाम, दूरभाष सं० एवं पता (अपर सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता का नाम)	टीम लीडर के साथ टीम के मैम्बर्स का नाम पदनाम तथा फोन नं०
निर्माण खण्ड , लो०नि०वि०, रुड़की			
1	बढेडी राजपुताना-अलावलपुर मार्ग मुख्य जिला मार्ग- 7.50 कि.मी. इ० नवीन कौशिक, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9412923086	इ० खलील अहमद, कनिष्ठ अभियन्ता मो०नं०-9927223218	श्री राजकुमार - मेट मो०नं० - 7895380053
2	भगवानपुर सिकरोड़ा मार्ग अन्य जिला मार्ग- 8.00 कि.मी. इ० प्रदीप कुमार, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9412393866	इ० प्रवेश कुमार अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०-9411138617	श्री राजेश कुमार- वर्क एजेन्ट मो०नं० - 9412070826 श्री ललित कुमार - मेट मो०नं० - 9917385807
3	मंगलौर झबरेड़ा मार्ग अन्य जिला मार्ग - 8.70 कि.मी. इ० ए०के० वर्मा, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9412058519	इ० राजकुमार, अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०-9456577525	श्री रमेश कुमार - वर्क एजेन्ट, मो०नं० - 9897581823 श्री राजकुमार - बेलदार मो०नं० - 8476059320
4	भगवानपुर सिकरोड़ा हल्लू माजरा धीर माजरा मार्ग - अन्य जिला मार्ग- 5.50 कि.मी. इ० प्रदीप कुमार, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9412393866	इ० प्रवेश कुमार अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०-9411138617	श्री राजेश कुमार- वर्क एजेन्ट मो०नं० - 9412070826 श्री ललित कुमार - मेट मो०नं० - 9917385807
5	भगवानपुर सिकरोड़ा से खेड़ी शिकोहपुर वाया पट्टी डाडा जलालपुर मार्ग ग्रामीण मार्ग- 8.00 कि.मी. इ० प्रदीप कुमार, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9412393866	इ० प्रवेश कुमार अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०-9411138617	श्री राजेश कुमार- वर्क एजेन्ट मो०नं० - 9412070826 श्री ललित कुमार - मेट मो०नं० - 9917385807
6	जौरासी-रणसूरा ग्रामीण मार्ग - 2.50 कि.मी. इ० नवीन कौशिक, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9412923086	इ० खलील अहमद, कनिष्ठ अभियन्ता मो०नं०-9927223218	श्री राजकुमार - मेट मो०नं० - 7895380053
7	सहदेवपुर शान्तरशाह मार्ग ग्रामीण मार्ग - 4.00 कि.मी. इ० विजय कुमार मोघा, सहायक अभियन्ता, मो०नं०-9760122392	इ० कु० विनिता आर्य कनिष्ठ अभियन्ता मो०नं०-9536391225	श्री राजकुमार - मेट मो०नं० - 7895380053
8	भगवानपुर-इमली खेड़ा मार्ग से नागल मार्ग। ग्रामीण मार्ग - 2.60 कि.मी. इ० विजय कुमार मोघा, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9760122392	इ० प्रदीप कुमार त्यागी, कनिष्ठ अभियन्ता मो०नं०-7830556798	श्री धर्मेन्द्र कुमार-मेट मो०नं० - 9719249653
9	आसफनगर-इकबालपुर मार्ग ग्रामीण मार्ग - 10.46 कि.मी.	इ० सुनील कुमार अपर सहायक अभियन्ता	श्री श्यामकुमार - मेट मो०नं० - 7500003887

क्र० सं०	मुख्य मार्ग का नाम एवं सहायक अभियन्ता का नाम	टीम लीडर का नाम, पदनाम, दूरभाष सं० एवं पता (अपर सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता का नाम)	टीम लीडर के साथ टीम के मैम्बर्स का नाम पदनाम तथा फोन नं०
	इ० राजेश चौहान, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9412058519	मो०नं०-9897310224	
10	पुहाना-इकबालपुर-झबरेड़ा राज्य मार्ग- 29.645 कि.मी. इ० राजेश चौहान, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9412058519	इ० जितेन्द्र कुमार, अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०-9917510153 इ० बासुदेव कुकरेती, अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०-9760753201	श्री तेजपाल- मेट मो०नं० - 9012475699 श्री दीपचन्द- बेलदार मो०नं० - 9837684447 श्री अमित कुमार- मेट मो०नं० - 8006234187
11	मंगलौर-देवबन्द-ननौता मार्ग राज्य मार्ग- 10.91 कि.मी. इ० राजेश चौहान, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9412058519	इ० बासुदेव कुकरेती, अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०-9760753201	श्री अमित कुमार- मेट मो०नं० - 8006234187
12	रुड़की-मेहवड़ से मौहम्मदपुर पाण्डा-इमली खेड़ा ग्रामीण मार्ग - 4.40 कि.मी. इ० विजय कुमार मोघा, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9760122392	इ० प्रदीप कुमार नेगी, कनिष्ठ अभियन्ता मो०नं०-7830556798	श्री जनेश्वर-मेट मो०नं० - 9639816037
13	बहादुराबाद-धनौरी-इमलीखेड़ा-भगवानपुर-गागलहेड़ी राज्य मार्ग- 25.15 कि.मी. इ० विजय कुमार मोघा, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9760122392	इ० जितेन्द्र कुमार, अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०-9917510153 इ० कु० विनिता आर्य, कनिष्ठ अभियन्ता मो०नं०-9536391225	श्री ब्रिजेश कुमार- वर्क एजेन्ट मो०नं० - 9917054417 श्री धर्मेन्द्र कुमार-मेट मो०नं० - 9719249653
14	रुड़की-पिरान कलियर-धनौरी नहर मार्ग अन्य जिला मार्ग- 10.00 कि.मी. इ० विजय कुमार मोघा, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9760122392	इ० प्रदीप कुमार नेगी, कनिष्ठ अभियन्ता मो०नं०-7830556798	श्री धर्मेन्द्र कुमार-मेट मो०नं० - 9719249653
15	भगवानपुर चुड़ियाला भलस्वागाज अन्य जिला मार्ग- 11.40 कि.मी. इ० विजय कुमार मोघा, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9760122392	इ० जितेन्द्र कुमार, अपर सहायक अभियन्ता मो०नं०-9917510153	श्री रामस्वरूप- मेट मो०नं० - 9675832214
16	नागल से पलूनी ग्रामीण मार्ग- 0.900 कि.मी. इ० विजय कुमार मोघा, सहायक अभियन्ता मो०नं०-9760122392	इ० प्रदीप कुमार नेगी, कनिष्ठ अभियन्ता मो०नं०-7830556798	श्री नरेन्द्र कुमार-मेट मो०नं० - 9927244225

खण्ड में उपलब्ध यंत्र/संयंत्र के संबंध में सूचना

क्र० सं०	मशीन का नाम एवं नम्बर	मशीन का प्रकार		चालक का नाम	मोबाईल नं०	मार्ग/क्षेत्र जहां पर मशीन रखी गयी है	मशीन से संबंधित जिम्मेदार विभागीय अधिकारी/ कर्मचारी का नाम, पदनाम, मो० नं०
		राजकीय	प्राइवेट				
1	2	3	4	5	6	7	8
निर्माण खण्ड , लो०नि०वि०, रुड़की							
1	रोड़ रोलर	राजकीय	—	श्री सब्बल सिंह, एवं श्री राज किशोर	9634599257 9627054298	विभागीय परिसर	इं० सुधीर कुमार, कनिष्ठ अभि० यांत्रिक मो०—9410191233
2	रोबोट	राजकीय	—	श्री राज किशोर	9627054298	विभागीय परिसर	इं० सुधीर कुमार, कनिष्ठ अभियंता मो०—9410191233

मुख्य मार्गों के वैकल्पिक मार्गों की सूचना

क्र० सं०	मुख्य मार्ग का नाम एवं श्रेणी	मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग
निर्माण खण्ड , लो०नि०वि०, रुड़की		
1	बढ़ेडी राजपुताना—अलावलपुर मार्ग(एम०डी० आर—9)	मार्ग अवरुद्ध होने पर कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।
2	पुहाना इकबालपुर झबरेड़ा गुरुकुल नारसन मार्ग(एस०एच—28)	1—पुहाना से खानपुर—रुहालकी दयालपुर होते हुए इकबालपुर 2—पुहाना से भगवानपुर—चुडियाला भलस्वागाज होते हुए झबरेड़ा 3—पुहाना से रुड़की—आजादनगर पनियाला होते हुए झबरेड़ा 4—लहबोली गर्बी रजवाहे की पटरी होते हुए गुरुकुल नारसन 5—लखनौता चौराहे से मखदुमपुर—सढौली होते हुए झबरेड़ा—पुहाना 6—लखनौता चौराहे से आसफनगर—इकबालपुर होते हुए पुहाना
3	बहादुराबाद—धनौरी—इमलीखेड़ा—भगवानपुर—गागलहेड़ी मार्ग(एस०एच०—68)	यदि कि०मी० 22 में सोलानी नदी सेतु पर रास्ता बन्द होता है तो छांगामजरी—हल्लूमाजरा होते हुए भगवानपुर। यदि धनौरी स्थित नहर सेतु एवं रतमऊ सेतु पर रास्ता बन्द होने की स्थिति में धनौरी से कलियर होते हुए बेड़पुर चौराहे से भगवानपुर

खण्ड के अन्तर्गत भू—स्खलन वाले क्षेत्र

क्र० सं०	मार्ग का नाम	भूस्खलन प्रभावित लोकेशन (कि०मी०/है०मी०)
निर्माण खण्ड , लो०नि०वि०, रुड़की		
-----शून्य-----		

खण्ड के अन्तर्गत संवेदनशील मार्गों, स्थानों का चिह्निकरण एवं वैकल्पिक मार्ग

क्र० सं०	मार्ग का नाम	भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र	वैकल्पिक मार्ग
निर्माण खण्ड , लो०नि०वि०, रुड़की			
-----शून्य-----			

खण्डों में उपलब्ध यंत्र/संयंत्र का संक्षिप्त विवरण

क्र० सं०	खण्ड का नाम	उपलब्ध JCB, Dozer, Robot		ट्रक/टिप्पर	कम्प्रेसर/रोबोट	Wood Cutter	मैनपावर गठित दल	कुल उपलब्ध श्रमिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	निर्माण खण्ड, रुड़की	—	—	1 रोड़ रोलर	01 रोबोट	1 (हस्त चालित)	वर्कएजेन्ट—8 मेट—15	बेलदार—41

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना

लोक निर्माण विभाग, लक्सर

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर
1	श्री महिपाल सिंह रावत	अधिशाली अभियन्ता	9412348188
2	श्री ललित कुमार गोयल	सहायक अभियन्ता(प्रथम)	9412919971
3	श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट	सहायक अभियन्ता(द्वितीय)	9927041074
4	श्री घनश्याम सिंह सैनी	सहायक अभियन्ता(तृतीय)	9410574695
5	श्री अरूण कुमार	सहायक अभियन्ता(चतुर्थ)	9719003723
6	श्री अमित कुमार सैनी	सहायक अभियन्ता(पंचम)	7533854002
7	श्री अमित कुमार वर्मा	अपर सहायक अभियन्ता	9058114889
8	श्री राजीव कुमार	अपर सहायक अभियन्ता	9411166685
9	श्री सुरेश बाबू पाल	अपर सहायक अभियन्ता	9410114001
10	श्री अनिल कुमार	अपर सहायक अभियन्ता	9411717480
11	श्री सुशील कुमार	अपर सहायक अभियन्ता	9639442065
12	श्री सतेन्द्र पाल	अपर सहायक अभियन्ता	9927078783
13	कु० अलका रानी	अपर सहायक अभियन्ता	9837999674
14	श्री दिनेश कुमार	अपर सहायक अभियन्ता	8057995858
15	श्री प्रदीप कटारियां	अपर सहायक अभियन्ता	9690071687
16	श्री अतुल वर्मा	अपर सहायक अभियन्ता	9411189735
17	श्री सतोष सिंह नेगी	कनिष्ठ अभियन्ता(प्रा०)	9675109443
18	श्री अमित कुमार चौधरी	कनिष्ठ अभियन्ता	9760035227
19	मौ० इकराम	कनिष्ठ अभियन्ता	8171024672
20	श्री मनोज कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता	9458970920
21	श्रीमती मोनिका आर्य	कनिष्ठ अभियन्ता	8791574592
22	कु० प्रीति चौरसिया	कनिष्ठ अभियन्ता	9897466221
23	कु० शिवानी पाल	मानचित्रकार	7409790339
24	श्री विकास यादव	लेखाकार(परि०)	8899536662
25	श्री राकेश कुमार	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	7417186374
26	श्री रामवीर सिंह	वरिष्ठ सहायक	8445942832
27	श्री सरफुद्दीन अन्सारी	वरिष्ठ सहायक	9897513335

खण्ड मे कार्यरत चतुर्थ कर्मचारियों के मो० नम्बर

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मो० नम्बर
विधानसभा खानपुर			
1	श्री मुनेश कुमार त्यागी	कार्य अभिकर्ता	9758151422
2	श्री ब्रह्मपाल	मेट	9759344161
3	श्री रामसिंह	बेलदार	9927913275
4	श्री फूल कुमार	बेलदार	9927913275
5	श्री सोमपाल	बेलदार	9758163868
6	श्री मामचन्द	बेलदार	7351800426
7	श्री रामपाल	बेलदार	9536445642
8	श्रीमती मुनेश रानी	बेलदार	9837585297
9	श्री संजीत कुमार		7248724097
10	श्री बिट्टू		9012507998
11	श्री दिनेश कुमार		9927227553
12	श्री नरेश कुमार	माली / चपरासी	9756504759

विधानसभा मंगलौर			
क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मो०नम्बर
1	श्री विनोद कुमार	कार्य अभिकर्ता	9927722684
2	श्री राजकुमार	कार्य अभिकर्ता	9358437332
3	श्री सहेन्द्र	मेट	9756460481
4	श्री कैलाश	मेट	9897949050
5	श्री इरफान	बेलदार	9368745252
6	श्री अंकित	बेलदार	9012459963
7	श्री बीजा	बेलदार	9997167859
8	श्री ओम सिंह	बेलदार	9837692399
9	श्री सुलेन्द्र	बेलदार	9761482907
10	श्री अजीत	बेलदार	9557214277
11	श्री अजय कुमार	बेलदार	9917718383
विधानसभा लक्सर			
क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मो०नम्बर
1	श्री मकशूद	बेलदार	7830559079
2	श्री युद्धवीर	बेलदार	8057215880
3	श्री वजीर	रोलर चालक	9639115270

खण्ड में उपलब्ध यंत्र/संयंत्र के संबंध में सूचना

क्र० सं०	मशीन का नाम एवं नम्बर	मशीन का प्रकार		चालक का नाम	मोबाईल नं०	मार्ग/क्षेत्र जहां पर मशीन रखी गयी है एवं संख्या	मशीन से संबंधित जिम्मेदार विभागीय अधिकारी/ कर्मचारी का नाम, पदनाम, मो०नं०
		राजकीय	प्राईवेट				
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रान्तीय खण्ड , लो०नि०वि०, लक्सर							
1	कम्प्यूटर	राजकीय	—	—	—	05	—
2	फोटो स्टेट मशीन	राजकीय	—	—	—	01	—
3	वाहन	राजकीय	—	—	—	01	—
4	रोड रोलर	राजकीय	—	—	—	01	—

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना
लघु सिंचाई, खण्ड, हरिद्वार

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर			
क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर
1	इं० महिपाल सिंह रावत	अधिशासी अभियन्ता	9412348188
2	श्री राजेश बन्दुनी	खण्डीय लेखाधिकारी	9412364746
3	श्रीमती प्रियंका शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता/ अपर सहायक अभियन्ता	9712364746
4	श्री विद्याधर पाण्डेय	प्रारूपकार	9412000331
5	श्रीमती सुमन यादव	प्रधान सहायक	9412961590
6	नईम अहमद	वरिष्ठ सहायक	9897483740
7	मौ० हसीन सिद्दिकी	वाहन चालक	9760812510
8	श्री आदेश कुमार	अनुसेवक	9012522881
उप खण्ड कार्यालय हरिद्वार			
1	श्री हरिराज सिंह यादव	सहायक अभियन्ता	9458380946
2	श्री सुनील कुमार गोयल	कनिष्ठ अभियन्ता/ अपर सहायक अभियन्ता	9675913806
कनिष्ठ अभियन्ता/विकास खण्ड			
3	श्री अंकित कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता, बहादुराबाद	8449215835
4	श्री डी०एम० नेगी	कनिष्ठ अभियन्ता, लक्सर	9627572687
5	श्री अनुज कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता, खानपुर	9758761284
6	श्री प्रमोद कुमार	बोरिंग टै०	7248112373
7	श्री हंसराज	सहाय बोरिंग टै०	9720502760
8	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	वरिष्ठ सहायक	9412003859
9	श्रीमती रामवती	अनुसेवक	9927363777
उप खण्ड कार्यालय रुड़की			
1	श्री भरतराम	सहायक अभियन्ता	9627102853
2	श्री आशुतोष कुमार शुक्ला	कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहाय अभियन्ता	94120977451

होमगार्ड विभाग कार्ययोजना

परिचय: होमगार्ड विभाग की उत्पत्ति किसी भी आपात स्थिति जैसे बाढ़, भूकम्प आदि में समुदाय की सहायता करने के उद्देश्य से हुई है।

उद्देश्य : विभाग का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में विभिन्न प्रशासनिक विभागों के साथ काम करना है। जो आपदा के समय अपने प्रशिक्षित स्वैच्छिक जन शक्ति के माध्यम से पुलिस तथा जन समुदाय की सहायता करते हैं।

जनपद में आपदाओं के मुख्य प्रकार

- भूकम्प
- बाढ़
- आग

विभाग के सक्रिय क्षेत्र: प्रशिक्षित कर्मियों की व्यवस्था करना तथा आपदा न्यूनीकरण, आपदा के बाद राहत कार्यों में मदद करना।

तहसीलवार/ब्लाक में उप कार्यालयों/उप इकाइयों /उप प्रभागों का विवरण

तहसील / ब्लाक का नाम	विवरण	होमगार्ड की संख्या	मुख्य अधिकारी का नाम	उपलब्ध संसाधन				ड्राइवर का नाम व फोन न.
				औजार	वाहन	स्टाफ सं.	वाटर टैंक / जेसीबी आदि	
हरिद्वार	कम्पनी-1, 2, 3	245						
रूड़की	कम्पनी-3, 4, 7	223						
लक्सर	कम्पनी- 10	99						
मंगलौर	कम्पनी- 05	91						
बहादुराबाद	कम्पनी- 06	95						
भगवानपुर	कम्पनी- 08	96						
नारसन	कम्पनी- 09	92						

न्यूनीकरण प्लान

विभाग का नाम	आई. ई. सी. गतिविधियां	न्यूनीकरण उपाय	जिम्मेदार अधिकारी	फोन नं.
होम गार्ड विभाग	आपातकालीन स्थिति तथा आपदा के समय प्रशिक्षण, जागरूकता, पूर्व तैयारी, तुरन्त कार्यवाही	पुलिस बल और प्रशासन के साथ प्रशिक्षित स्वयं सेवियों की तैनाती तथा उन्हें प्रेरित करना	ए0डी0सी0	01334-225637 9415343751

अधिकारी की भूमिका और जिम्मेदारियां :-

क्र0सं0	अधिकारी की भूमिका	अधिकारी की जिम्मेदारियां
1	विभाग / डिवीजन का मुखिया	जिले में विभाग की सभी जिम्मेदारी
2	संपर्क अधिकारी	सभी अन्तर विभागीय तथा बाहरी विभागों के साथ संचार और समन्वय
3	आफिसर इन चार्ज ऑपरेशन	स्वैच्छिक बल की तैनाती और मोबेलाइजेशन
4	आफिसर इन चार्ज, नियोजन	योजना और रणनीति तय करना
5	आफिसर इन चार्ज लाजिस्टिक	संसाधनों का प्रबन्धन, इक्वेटा करना तथा समन्वय करना
6	आफिसर इन चार्ज वित्त	स्वैच्छिक बल को डियूटी भत्ते का भुगतान करना
7	फील्ड स्तरीय टीम	होम गार्ड को एकत्रित करना, तैनात करना तथा निरीक्षण करना

आपदा से पूर्व, दौरान तथा बाद में प्रतिक्रिया

विभाग का नाम	तैयारियां	आपदा से पूर्व (चेतावनी के बाद)	आपदा के दौरान	आपदा के बाद
होमगार्ड विभाग	प्रशिक्षण एवं उपलब्धता	एकत्रित करना व तैनाती	पुलिस व प्रशासन के साथ आपदा के प्रभाव को कम करने का कार्य	समुदाय के साथ आपदा के प्रभाव को कम करने का कार्य

मानक प्रचालन विधि (Standard Operating Procedure-SOP)

किसी भी आपदा की चेतावनी या जानकारी प्राप्त करने के व जिलाधिकारी कार्यालय से सूचना एवं स्वीकृति प्राप्त होने के बाद पूरी मशीनरी सक्रिय हो जायेगी। पूरे जिले में कार्यरत स्वैच्छिक बल के साथ-साथ पुलिस और प्रशासन को राहत कार्यों में काम करने के लिए तैनात कर दिया जाएगा।

मानव संसाधन इन्वेन्टरी

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष नं०	मोबाइल
1	श्री गौतम कुमार	जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड	01334-225637	9457585300
2	श्री मोहन प्रसाद नैथानी	सहायक जिला कमाण्डेन्ट		9149258402
3	श्री ओमप्रकाश बलूनी	हैड क्लर्क		9897211730

स्वैच्छिक स्टॉफ

क्र० सं०	कम्पनी	पद	नाम	फोन नं.
1	नगर हरिद्वार	कम्पनी कमान्डर	श्री मुकेश कुमार	9058972321 9758359621
2	नगर हरिद्वार	टू आई सी	श्री शाहजाद अली	9456101762
3	महिला हरिद्वार	कम्पनी कमान्डर	श्रीमती सुदेश रानी	9719602862
4	नगर रुड़की	कम्पनी कमान्डर	श्री सुरेन्द्र सिंह	9759487741
5	नगर मंगलौर	कम्पनी कमान्डर	श्री चरण सिंह	9560587577 9412912184
6	बहादुराबाद	कम्पनी कमान्डर	श्री सुशील गौड़	9758898054
7	रुड़की	कम्पनी कमान्डर	श्री राकेश कुमार	9627984623
8	भगवानपुर	कम्पनी कमान्डर	श्री अवधेश कुमार	9719645355 9058109960
9	नारसन	कम्पनी कमान्डर	श्री ऋषिपाल सिंह	9758009841
10	लक्सर	कम्पनी कमान्डर	श्री शिव कुमार	9837960271

- आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आयोजित बैठक में नामित करने पर बैठकों में उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।
- भूस्खलन बाढ़ आदि से सम्बन्धित संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण प्राथमिकता के अनुसार उक्त स्थलों के निकटतम आपदा राहत संसाधनों की व्यवस्था पुलिस बल के साथ सहायक के रूप में सुनिश्चित की जायेगी।
- सम्बन्धित सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र एवं बाढ़ केन्द्र के नियमित संचालन से सम्बन्धित हैं।
- भविष्य में घटित होने वाली समस्त आपदाओं की सूचना यथासमय आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करवायी जायेगी।
- होमगार्ड्स विभाग पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करता है तथा आपदा के समय आवश्यकतानुसार राहत एवं बचाव कार्य में पुलिस बल के साथ कार्य सहयोग करते हुये त्वरित कार्यावाही की जायेगी।
- होमगार्ड्स जनपद के विभिन्न थाना/चौकियों में जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त के नियतन के अनुसार डियूटी पर तैनात किये जाते हैं। आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा खोज-बचाव कार्य में प्रशिक्षित होमगार्ड्स की तैनाती की जायेगी।

पशुपालन विभाग, हरिद्वार कार्ययोजना

दैवीय आपदा (सूखा एवं अतिवृष्टि) हेतु कार्य योजना— पशुपालन विभाग जनपद हरिद्वार।

विगत वर्षों में वर्षाकाल के दौरान दैवीय आपदा के कारण काफी अधिक मात्रा में पशुधन एवं परिसम्पत्तियों की क्षति हुई। वर्ष 2013-14 में विकासखण्ड लक्सर, खानपुर एवं बहादुराबाद व वर्ष 2016-17 में विकासखण्ड बहादुराबाद, रुडकी एवं भगवानपुर एवं विगत वर्ष 2017-18 में विकासखण्ड बहादुराबाद में मानसून ऋतु/बाढ़ की समस्या आ गई थी, जिसमें विकासखण्ड लक्सर, खानपुर, बहादुराबाद, रुडकी एवं भगवानपुर सबसे अधिक प्रभावित रहे। आगामी मानसून सत्र को दृष्टिगत रखते हुये एवं गतवर्ष मानसून ऋतु में दैवीय/अतिवृष्टि से हुई क्षति से इस मानसून में सम्भावित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में विभाग द्वारा की जाने वाली पूर्व तैयारी एवं सुरक्षात्मक उपाय एवं सुझाव निम्नानुसार है:-

1- आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना:-

आपदा से प्रभावित पशुओं की सम्पूर्ण जानकारी एवं परिसम्पत्तियों की सुरक्षा की दृष्टि से एक आपदा नियंत्रण कक्ष पशु चिकित्सालय सदर, पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय समय के उपरान्त भी एक कर्मचारी को आपातकालीन संदेश ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें। पशुचिकित्साधिकारी, हरिद्वार सदर को आपदा प्रबन्धक कन्ट्रोल रूम का प्रभारी नियुक्त किया जाता है। डा० विजयपाल सिंह जादोन का दूरभाष न० 9412984364 व कार्यालय दूरभाष संख्या-01334-226826 है। कन्ट्रोल रूम प्रभारी द्वारा विकासखण्डवार संकलित सूचना 3:00 बजे सांय तक अनिवार्य रूप से मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करेंगे।

2- जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित करना- डा० रमन चोपड़ा, उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, हरिद्वार आपदा नियंत्रण हेतु पशुपालन विभाग को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है कि वे आपदा नियंत्रण से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सुचारु रूप से सम्पादन करेंगे। डा० रमन चोपड़ा, उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, हरिद्वार का दूरभाष संख्या-9837109111, कार्यालय फैक्स/दूरभाष संख्या-01334-239978 व ईमेल आईडी0 cvohardwar@gmail.com है।

3- आपदा नियंत्रण टीम-

विकासखण्ड स्तर पर आपदा नियंत्रण टीम का गठन निम्नानुसार किया जाता है जो आपदा कार्यों का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर करेगी।

क्र० सं०	विकास खण्ड	अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम	संस्था का नाम	दूरभाष
1	बहादुराबाद	विकासखण्ड-नोडल अधिकारी 1-डा० विपुल जैन, प०चि०अ०,ग्रेड-1	हरिद्वार, सदर	9456483544
		2-श्री राजपाल सिंह, प०प्र०अ०	प०से०के०-ज्वालापुर	9837490234
		3-श्री शशिकान्त घिल्लियाल, प०प्र०अ०	प०से०के०-अलावलपुर	9411129458
		4-श्री नरेश कुमार, प०प्र०अ०	प०से०के०-पथरी	9412379235
		5-राम विलास, प०सहा०	हरिद्वार, सदर	
2	रुडकी	विकासखण्ड-नोडल अधिकारी 1-डा० उमेश चन्द्र भट्ट, प०चि०अ०,ग्रेड-1	प०चि०-रुडकी	8937000904
		2-श्री बीरेशबल, प०प्र०अ०	प०से०के०-नन्हेडा	9756841983
		3-श्रीमती रेनु वर्मा, प०प्र०अ०	प०से०के०-खाताखेडी	9456747515
		4-श्री कुरडी सिंह, प०सहा०	प०चि०-रुडकी	9897207138
		5-श्री अनिल त्यागी, प०सहा०	प०चि०-बेलडी	9627386225
3	नारसन	विकासखण्ड-नोडल अधिकारी 1-डा० सत्य विकास, प०चि०अ०,ग्रेड-1	प०चि०-नारसन	9639344300
		2-श्री मनीष कुमार, प०प्र०अ०	प०से०के०-लिब्ररहेडी	9837111378
		3-श्री विपिन कुमार, वैट०फार्मे०	प०से०के०-लण्डौरा	9456615402
		4-महेन्द्र, प०सहा०	प०चि०-मंगलौर	9411713850
		5-श्री बचन सिंह, प०सहा०	प०चि०-नारसन	—
4	भगवानपुर	विकासखण्ड-नोडल अधिकारी 1-डा० महेन्द्र कुमार, प०चि०अ०	प०चि०-भगवानपुर	9412940668
		2-श्री संदीप कुमार, प०प्र०अ०	प०से०के०-हल्लूमाजरा	9720078059
		3-श्री नितिन, प०प्र०अ०	प०से०के०-बुग्गावाला	9410249163

		4-श्री गौकरण, प0सहा0	प0चि0-सिकरौडा	8057068955
		5-मौ0 इस्लाम, प0सहा0	प0चि0-सिकरौडा	9411845947
5	खानपुर	विकासखण्ड-नोडल अधिकारी	प0चि0-खानपुर	9557135311
		1-डा0 गुरप्रीत सिंह, प0चि0अ0		
		2-श्री घनश्याम सिंह, क्षेत्र0अ0	प0से0के0-सुल्तानपुर	9411713850
		3-श्री विनोद कुमार, वैट0फार्मे0	प0से0के0-खानपुर	9012261816
		4-श्री ईश्वरदयाल, प0सहा0	प0चि0-खानपुर	9758997358
		5-श्री विपिन कुमार, प0सहा0	प0चि0-गोरधनपुर	9456615402
6	लक्सर	विकासखण्ड-नोडल अधिकारी	प0चि0-लक्सर	9411022964
		1-डा0 राजपाल सिंह, प0चि0अ0		
		2-श्री देवेन्द्र सिंह, वैट फार्मे0	प0से0के0-रायसी	9897207138
		3-श्री एफ0डी0 खान, प0प्र0अ0	प0से0के0-मुण्डाखेडाक ला	9412980354
		4-श्री रमेश कुमार, प0सहा0	प0चि0-रायसी	
		5-श्री चन्दूलाल, प0सहा0	प0चि0-लक्सर	

उक्तानुसार बाढ़ राहत टीम अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आपदा के समय घायल पशुओं का उपचार कर प्रतिदिन सूचना कन्ट्रोल रुम, पशुचिकित्साधिकारी, हरिद्वार को उपलब्ध करायेगें, ताकि कन्ट्रोल रुम से सूचना संकलित कर उच्चाधिकारियों को यथा समय प्रेषित कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में एक अन्य आपदा प्रबन्धन हेतु टीम का गठन किया जा रहा है, जो कि जनपद के प्रत्येक विकासखण्ड में आपदा के समय यथा समय वैक्सीन दवा अन्य चारा संबंधी कार्य त्वरित गति से सम्पादित करेगी।

क्र0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	संस्था का नाम	दूरभाष
1-	डा0 विजयपाल सिंह जादोन, प0चि0अ0, ग्रेड-1	रोशनाबाद, हरिद्वार,	9837109111
2-	डा0 राजपाल सिंह, प0चि0अ0, ग्रेड-1	हरिद्वार, सदर	9412984364
3-	श्री विकास चौहान, वैट0फार्मे0	स0प0चि0, हरिद्वार, सदर	9758741100
4-	श्री गिरीश रावत, प0सहा0	हरिद्वार, सदर	9412902270

4- आपदा से परिसम्पतियों का नुकसान संबंधी आंकलन-

प्रत्येक राहत टीम द्वारा परिसम्पतियों को हुई क्षति की सूचना कन्ट्रोल रुम को भेजना तथा पशुचिकित्साधिकारी सदर, हरिद्वार सूचना एकत्रित कर इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

5- आपदा से पशुधन हानि (मृत/घायल)-

महामारी की स्थिति में मृत एवं घायल पशुओं की सम्पूर्ण जानकारी कन्ट्रोल रुम में उपलब्ध करायी जायेगी, घायल पशुओं की समुचित चिकित्सा तथा मृत पशुओं शव परीक्षण आपदा राहत टीम द्वारा बिना वक्त गवाये गांवों में ही निष्पादित किया जायेगा। आपदा की स्थिति में पर्याप्त मात्रा में रोग निरोधक टीके व ओषधियों यथासमय केन्द्रीय भण्डार से प्राप्त कर आरक्षित कर ली जाय।

6- आपदा प्रबन्धन पशुओं का उपचार, भूसे की व्यवस्था दवाईयां मिनरल मिक्चर आदि की व्यवस्था:-

पशुचिकित्साधिकारी, हरिद्वार सदर आपदा राहत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय भण्डार में उपलब्ध औषधियों एवं वैक्सीन का 10 प्रतिशत आपदा राहत हेतु रिजर्व रखेंगे। इसी प्रकार जनपद में चारा बैंको में पदस्थ पशु चिकित्साधिकारी भी चारा बैंको में समुचित फीड ब्लाक तथा चाटन भैली का भण्डारण करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला पूर्ति विभाग, हरिद्वार कार्ययोजना

आपदा की स्थिति में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण

- 1— जनपद हरिद्वार में वर्तमान में छः विपणन शाखा के खाद्यान्न गोदाम क्रमशः रुड़की, लक्सर, मंगलौर, भगवानपुर, बहादुराबाद, ज्वालापुर में कार्यरत हैं जिनकी कुल भण्डारण क्षमता लगभग 10540 मी०टन है। उक्त खाद्यान्न गोदामों से गेहूँ/चावल का उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से उठान करवा कार्डधारकों में वितरण कार्य कराया जाता है। आपदा की स्थिति में उक्त खाद्यान्न गोदामों से गेहूँ/चावल का उठान कर वितरण कार्य कराया जाएगा।
- 2— वर्तमान समय में जनपद हरिद्वार में 556 उचित दर विक्रेता कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से कार्डधारकों में गेहूँ, चावल, चीनी एवं मिट्टी तेल का खाद्यान्न गोदामों से उठान कर वितरण का कार्य किया जाता है। जनपद के आपदा/बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के उचित दर विक्रेताओं को आपदा की स्थिति में अग्रिम उठान कर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न का वितरण का कार्य किया जाता है। उचित दर विक्रेताओं की सूची संलग्न है।
- 3— आपदा/बाढ़ आदि की स्थिति में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने के दृष्टिगत पूर्व से ही जनपद के सभी विकासखंडों/शहरी क्षेत्रों में तैनात पूर्ति निरीक्षकों, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरते जाने एवं ऐसी स्थिति से निपटने हेतु अपने क्षेत्रान्तर्गत उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी तेल, का कुछ कोटा आरक्षित करवाया जाता है, जिसका आपदा/बाढ़ की स्थिति में कार्डधारकों में वितरण कराया जाता है। साथ ही उचित दर की दुकानों में आवश्यक वस्तुओं यथा सूखा दूध पाउडर, गुड, भुना चना, नमक, अन्य खाद्य पदार्थ एवं दैनिक उपयोगी वस्तुओं को भी संग्रहण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है ताकि आपदा/बाढ़ की स्थिति में उनका वितरण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कराया जा सकें।
- 4— जनपद हरिद्वार में वर्तमान समय में 130 पेट्रोल पम्प, 08 मिट्टी तेल थोक विक्रेता कार्यरत हैं।
- 5— जनपद हरिद्वार में 31 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं, जिन्हें आपदा की स्थिति से निपटने हेतु घरेलू गैस सिलेंडर आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं ताकि आपदा में किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जा सकें :-

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम नाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री के०के० अग्रवाल	जिला पूर्ति अधिकारी	9412973674
2	श्री बचन सिंह रावत	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी	7351235566

आई०आर०एस० सिस्टम में नामित नोडल अधिकारियों की सूची:-

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम नाम	मोबाईल नम्बर	वैकल्पिक मो० नम्बर
1	श्री मदन सिंह रावत	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, लक्सर	8449865054	9411154917
2	श्री एम०एल०वर्मा	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, बहादुराबाद	9411190166	9690840257
3	श्री संदीप नेगी	पूर्ति निरीक्षक, रुड़की	9412937953	8755572237

दैवीय/बाढ़ आपदा की स्थिति में त्वरित कार्य किये जाने हेतु तहसीलवार/क्षेत्रवार कार्य योजना:-

क्र० सं०	तहसील का नाम	क्षेत्र का नाम	सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक /क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी का नाम	मोबाईल संख्या	सम्बद्ध उचित दर विक्रेता	विपणन शाखा के गोदाम विवरण		गोदाम प्रभारी का नाम	मोबाईल संख्या	गैस एजेंसियों का नाम	पेट्रोल पम्पों की संख्या
						गोदाम का नाम	भंडारण क्षमता (मि०टन)				
1	हरिद्वार	बहादुराबाद ब्लॉक	श्री मोहन लाल वर्मा, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी	9411190166	115	बहादुराबाद	450	श्रीमती सरिता, व०वि०अधि०	7895617231	1-मै०गैदा गैस एजेंसी, बहादुराबाद(एचपी) 2-मै०राणा गैस लालढांग(बीपीसी) 3-मै०हरिगंगा भारत गैस, बहादुराबाद(बीपीसी) 4-मै० सत्या इण्डेन,बहादुराबाद(आईओसी) 5-मै०धनपुरा गैस एजेंसी बहादुराबाद(आईओसी)	24
2		हरिद्वार नगरीय क्षेत्र	1-श्रीमती ममता ग्वाडी, पूर्ति निरीक्षक	9456571818	20	ज्वालापुर	6000	श्री रेवाधर,व०वि०अधि० / श्री गुलाब रावत, वि०नि०	8923551960	6-मै०रुद्र गैस एजेंसी(बीपीसी) 7-मै०दीपिका गैस एजेंसी(आईओसी)	10
		कनखल नगरीय क्षेत्र	1-श्रीमती पूनम देवी, पूर्ति निरीक्षक	7830548929	18				9412996329	8-मै०भक्त गैस एजेंसी, ऋषिकुल, कनखल(आईओसी) 9-मै०हरिद्वार गैस एजेंसी(आईओसी) 10-मै०सिद्धिविनायक गैस एजेंसी हरिद्वार (आईओसी) 11-मै०पुष्पक गैस एजेंसी, कनखल(बीपीसी) 12-मै०सूर्या गैस एजेंसी, कनखल(बीपीसी)	
		बीएचईएल नगरीय क्षेत्र	1-श्रीमती बिन्दु नेगी, पूर्ति निरीक्षक	9458919099	14					13-मै०गायत्री इण्डेन(आईओसी) 14-मै०बी०एच०ई०एल० गैस एजेंसी(आईओसी) 15-मै०बाला जी गैस सर्विस एजेंसी शिवालिक नगर(बीपीसी)	
		ज्वालापुर नगरीय क्षेत्र	1-श्रीमती पूनम देवी, पूर्ति निरीक्षक	7830548929	23					16-मै०भागीरथी गैस एजेंसी(बीपीसी)	
	तहसील रुड़की	ब्लॉक नारसन	1-श्री पंकज बर्वाल	9458958182	85	मंगलौर	1000	भगवत सिंह	9756519835	17-मै०राधास्वामी लिब्ररहेडी(आईओसी)	12
		मंगलौर	1-श्री हिमांशु रावत,	9456785300	07					18-मै०मंगलौर गैस सर्विस,	09

			पूर्ति निरीक्षक							मंगलौर(आईओसी)	
		लण्डौरा			04					19-मै0अम्बा गैस सर्विस, लण्डौरा(आईओसी)	04
		झबरेडा			02					20-मै0सूर्याश गैस सर्विस, झबरेडा(आईओसी)	06
		ब्लॉक, रुड़की	1-श्री संदीप नेगी	9412937953	83	रुड़की	1000	श्रीमती अनु जैकरे	8171867101	21-मै0चौद इण्डेन,पिरान कलियर(आईओसी) 22-मै0ब्रह्मानन्द गैस सर्विस, भौरी(आईओसी) 23-मै0सावित्री इण्डेन गैस सर्विस,रुड़की(आईओसी)	22
		नगरीय क्षेत्र रुड़की	1-श्री हिमांशू रावत, पूर्ति निरीक्षक	7088115071	30					24-मै0रुड़की गैस सर्विस, रुड़की(आईओसी) 25-मै0एकता गैस सर्विस रुड़की(आईओसी) 26-मै0दीपाली गैस सर्विस, रुड़की(आईओसी) 27-मै0छवि गैस सर्विस रुड़की(आईओसी) 28-मै0देवभूमि गैस सर्विस रुड़की(आईओसी) 29-मै0आदि शक्ति गैस सर्विस रुड़की(बीपीसी) 30-मै0प्रभात इण्डेन गैस सर्विस, रुड़की	09
	तहसील, लक्सर	लक्सर ब्लॉक	1-श्री एम0एस0रावत, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी	8449865054	65	लक्सर	800	हरेन्द्र सिंह	8077868274	31-मै0अन्नपूर्णा भारत गैस लक्सर(बीपीसी) 32-मै0हरिप्रिया गैस गैस एजेन्सी लक्सर(बीपीसी) 33-शिवशक्ति भारत गैस	19
		खानपुर ब्लॉक			22						03
		नगरीय क्षेत्र लक्सर			05						—
	तहसील भगवानपुर	भगवानपुर, ब्लॉक	1-श्री तोयनाथ शर्मा, पूर्ति निरीक्षक	8650254985	75	भगवानपुर	1350	श्री धवल,वि0नि0	9528434964	34-लक्ष्मी इण्डेन ग्रामीण, चुडियाला(आईओसी)	24
				योग	568	योग	10540			35-ईशु दीप भारत गैस सर्विस	142

जनपद हरिद्वार के ब्लॉक एवं नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत उचित दर विक्रेताओं की सूची			
क्र०सं०	नाम उचित दर विक्रेता	पता	फोन नं०/मो०नं०
	ब्लॉक नारसन		
1	श्रीमति इन्द्रेण	मखदूमपुर	9690921996
2	श्री ऋषिपाल	लखनौता	9761247708
3	श्री रहतू सिंह	टिकौला कलां	9412979518
4	सुनीता देवी	सुसाडी खुर्द	(नि०)सम्बद्ध ऋषिपाल लखनौता
5	कि०से०स०स०	लहबोली	9719244632
6	मांगेराम	सढौली	9719250578
7	मिन्दू	सढौला	----
8	श्री राजपाल	शेरपुर खेलमउ	9719800701
9	श्री महिपाल	हश्यामपुर	-----
10	गीता देवी	लाठरदेवा हुण	9675330100
11	रिक्त	खानमपुर	0
12	श्री आशीष	झबीरन जट	
13	श्री राकेश	झबरेडी कलां	9627501164
14	श्री रविन्द्र	बस्वाखेडी	9758308896
15	श्री कालूराम	गदरजुडडा	9761040150
16	श्री गुलफाम	कुमराडी	----
17	श्री बालेश्वर	कोटवाल	9627220383
18	श्री इमरान	कोटवाल	9761695050
19	श्री प्रीतम सिंह	नूरपुर	
20	श्री देशराज	बुडपुर चौहान	
21	श्रीरामकुमार	भक्तोवाली	
22	श्री पप्पू	डन्ढेरा	
23	श्री सदाकत अली	डन्ढेरा	9837826737
24	श्री दिनेश पाल	मिलाप नगर	9319476059
25	श्रीमतीसरोज थपलियाल	अशोक नगर	9760446857
26	श्री अशफाक पुत्र स्व० मुस्तकीम	नगला इमरती	750765371
27	श्री राजेन्द्र	खटका	9837407563
28	श्री सुशीलकुमार	बिझौली	9917248333
29	श्री विजेन्द्र कुमार	आसफ नगर	9719689114
30	श्री इरफान	मौहम्मदपुरा	9319641808
31	श्री मुकेश कुमार	मोहनपुरा	999787946
32	श्री श्यामसुन्दर	मोहनपुरा	7417562844
33	श्री नसीम	जौरासी	9917101562
34	श्री राम गोपाल	नारसन कलां	8979514202
35	श्री राजकुमार	नारसन कलां	9756016420
36	श्री सुनील शर्मा	सकौती	9897038355
37	रिक्त स० वीरेन्द्र	उल्हेडा	
38	श्री विरेन्द्र कुमार	खेडाजट	9690772361
39	श्री वीरेन्द्र प्रसाद	कुर्वोहेडी	9758514076
40	श्री देवराज	नगला सलारू	8979669100
41	संजू	मन्नाखेडी	----
42	श्री राजकुमार	मुण्डलाना	9897297020
43	श्री पुरुषोत्तम	सिकन्दरपुर	9897159811
44	श्री सागर सिंह	आमखेडी	9627511378
45	श्री नेत्रपाल	घोसीपुरा	9639809630
46	श्री देवेन्द्र कुमार	हरजौली जट	9410330213

47	श्री राजशेखर	ठोई	9719424060
48	श्री राजकुमार	नगलाचीना	9627277823
49	श्री ब्रह्मसिंह	हरचन्दपुर	
50	श्री ब्रिजेश कुमार	निजामपुर	9761373415
51	श्री विजेन्द्र सिंह	लिब्वरहेडी	9927112605
52	श्री सुखपाल सिंह	लिब्वरहेडी	9927112605
53	श्री महमूद	उद्दलहेडी	9690771025
54	श्री हंसराज	कुरडी	9627277980
55	श्री महेन्द्र	नजरपुरा	7417330225
56	श्री कल्याण सिंह	सैदपुरा	---
57	श्री काला	कुमराडा	9627276647
58	श्री कृष्णपाल	ठसका	9410561014
59	श्री रघुवीर सिंह	नगला एमाद	9536743221
60	श्री अनीस	थीथकी	9634008530
61	श्री सतीश	मुन्देट	9917006423
62	रिक्त	नसीरपुर	94122979710
63	अजय कुमार	मौहम्मदपुर	सम्बद्ध बुडपुर जट
64	श्रीमति उमा शर्मा	मुडियाकी	9012229850
65	रिक्त	मंडावली	9997067677
66	श्री जयप्रकाश	बुडपुरजट	7830038138
67	धमेन्द्र	ब्रह्मपुर	
68	फूलसिंह	दहियाकी	
69	रेखा	नारसन खुर्द	9761616380
70	इलम सिंह	नगला कोयल	9639305033
71	प्रीतम गिरी	गाघारौना	
72	रागिब हसन	बुक्कनपुर	9897553840
73	गुलबहार	थिथौला	7500957547
74	लियाकत	खेमपुर	9639149287
75	इस्तखार	शिकारपुर	9012916398
76	बाबूराम	हज्जरपुर	9012458841
77	मौहब्बत अली	जैनपुर	9627476493
78	श्री देवेन्द्र	पीरपुरा	
79	श्री मुरसलीन	टांडा भनेडा	9897340074
80	श्री दल सिंह	नाथूखेडी	9639117767
81	श्री शकील	भगवापुर	9837211510
82	श्री सुखपाल	अकबरपुर	9837706974
83	रिक्त	मौहम्मदपुर जट	
84	बलवेन्द्र पुत्र स्व० कृष्ण कुमार	ठसका	
85	जयवीर	ढंढेरा	
86	जगदीष	ढंढेरा	
87	नरेन्द्र	ढंढेरा	
88	राव परवेज	ढंढेरा	
89	मै०मंगलौर किसान सेवा समिति	मुंडलाना	
90	मै० जिला श्रम एवं निर्माण	मुंडलाना	

जनपद हरिद्वार में कार्यरत पेट्रोल पंपों की सूची-

क्र० सं०	ब्लाक/नगरीय क्षेत्र	कार्यरत पेट्रोल पम्पों के नाम	पता/स्थान	कम्पनी	प्रतिष्ठान का फोन नं०
न०क्षे० हरिद्वार					
1	1-	मै० आटो एण्ड साईकिल सेल्स	ज्वालापुर रोड	IBP	226158
2	2-	मै० हरि कृपा फिलिंग स्टेशन हरि०	ज्वालापुर रोड	IOC	9897028028
3	3-	मै० ठाकुरदास रामानन्द	रेलवे क्रासिंग, ज्वालापुर	HPC	9412157333
4	4-	मै० शिवालिक फिलिंग स्टेशन	रेलवे स्टेशन, ज्वालापुर	IOC	
5	5-	मै० मुरारी लाल शेखर चन्द्र जैन	ट्रक यूनियन, ज्वालापुर	HPC	250100
6	6-	मै० आटो एण्ड साईकिल सेल्स	बाईपास रोड, हरिद्वार	IBP	225158
7	7-	मै० हरिकृपा फिलिंग स्टेशन	बाईपास	IOC	
8	8-	मै० ओम फिलिंग स्टेशन	सीतापुर ज्वालापुर	HPC	9412070651
9	9-	मै० जगत पेट्रोलियम	ज्वालापुर रोड	HPC	9837015620
10	10-	मै० नार्दन फयूल स्टेशन	सिडकुल	IOC	
11	11-	मै० हमारा पम्प	सिडकुल	HPC	8126207293
न०क्षे० रुड़की					
12	1-	मै० कुमार सर्विस स्टेशन	मेन बाजार, सिविल लाईन, रुड़की	HPC	9837255823
13	2-	मै० रुड़की गैसोलीन स्टेशन रुड़की	सिविल लाईन नहर के पास	HPC	9837112792
14	3-	मै० फूलचन्द गुप्ता	सिविल लाईन नहर के पास	BPC	9837102392
15	4-	मै० शिखा पेट्रोलियम	गंगनहर पुल के पास	BPC	9412071246
16	5-	ए.बी.एल. फयूल	निकट रामनगर रोड	ESSAR	9412074855
17	6-	मै० गीता फिलिंग स्टेशन	गर्वमेंट स्कूल के पास	HPC	
18	7-		रेलवे स्टेशन रोड	IOC	
19	8-लढौरा	शिखा सर्विस्टेशन		IOC	01332-251348
20	9-	जगदम्बा फिलिंग स्टेशन		HPC	9927957651
21	10-	अम्बा ट्रांसपोर्ट		BPC	01332-251010
22	11-झबरेडा	किसान सेवा सहकारी समिति		IOC	9411198958
23	12-	राल पेट्रोलियम		HPC	9837473442
24	13-	रजनीश फिलिंग स्टेशन		IBP	9719764940
25	14-	-	-	-	-
26	15-	-	-	-	-
ब्लाक बहादुराबाद					
27	1-	मै० हरि कृपा फिलिंग स्टेशन	रुड़की, रोड सीतापुर ज्वालापुर हरिद्वार	IOC	325283 / 9897028028
28	2-	मैसर्स जगत पेट्रोलियम	रुड़की रोड, बहादुराबाद	HP	9837015620
29	3-	मैसर्स किसान फिलिंग स्टेशन	बहादुराबाद	IOC	325223 / 9837007001
30	4-	मैसर्स गंगोत्री फिलिंग स्टेशन	रुड़की रोड, बहादुराबाद	IOC	248377 / 9897659716
31	5-	मैसर्स गंगा शाविर फिलिंग स्टेशन	कलियर रोड, बहादुराबाद	IOC	248108-9719263912
32	6-	मैसर्स मोहन फिलिंग स्टेशन	जगजीतपुर, लक्सर रोड	IOC	240392 / 9897820885
33	7-	मैसर्स गंगा आटो केयर,	नजीबाबाद रोड, श्यामपुर	IOC	9759154001
34	8-	मैसर्स कृष्णा फिलिंग स्टेशन	मोहम्मदपुर कुन्हारी	IOC	252874 / 9412956940
35	9-	मैसर्स ओम फिलिंग स्टेशन	सीतापुर रोड (बाई पास रोड)	HP	250382 / 9837015616
36	10-	मैसर्स जय जगदीश फिलिंग स्टेशन	हृदीपुरग्रन्ट	ESSAR	212151-9897835836
37	11-	मै० आटो एण्ड साईकिल सेल्स	नजीमाबाद रोड	BPC	
ब्लाक रुड़की					
38	1-	मै० किसान सेवा केन्द्र	नन्हेडा	IOC	9897018087
39	2-	मै० साबिर सर्विस स्टेशन,	कलियर	HPCL	9837072226
40	3-	मै० नूरजहां किसान फिलिंग स्टेशन	कलियर	IOC	9997140640
41	4-	मै० गोयल फिलिंग स्टेशन,	मलकपुर	IOC	9412073200
42	5-	मै० महन्त सर्विस स्टेशन	रुड़की	IOC	9837173438
43	6-	मै० श्याम फिलिंग स्टेशन	बढ़ेडी	IBP	9897915700

44	7-	मै0 गायत्री फिलिंग स्टेशन	शान्तरशाह	HPC	9412072450
45	8-	मै0 सुधा फिलिंग स्टेशन	सालियर	BPC	9719770230,
46	9-	मै0 किसान सेवा सहकारी समिति	मरगूबरपुर	IOC	9412978535
47	10-	मै0 शहीद भरत सिंह फिलिंगस्टेशन	करींदी	HPCL	9411552041
48	11-	क्वालिटी फ्यूल	रामपुर	IOC	9897029030
49	12-	आस्था फिलिंग स्टेशन	पतंजलि	IOC	9997816907
ब्लाक नारसन					
50	1-	दीपशिखा फिलिंग स्टेशन,	आसफ नगर		9719014652
51	2-	फेयर फ्यूल,	मंगलौर	IBP	98957546999
52	3-	गणेश फिलिंग स्टेशन,	लिब्ररहेडी	IOC	9897055276
53	4-	भगवती फिलिंग स्टेशन,	लिब्ररहेडी	HPC	9758397439
54	5-	रायल पेट्रोलियम	झबरेडा	HPC	975620991
55	6-	रतन फिलिंग स्टेशन	ढंडेरा	IOC	9897332690
56	7-	रामा फिलिंग स्टेशन	लखनौता	IOC	9410561335
57	8-	मै0 कारगिर शहीद प्रताप पुण्डीर,	गुरुकुल नारसन	BPC	9917472655
58	9-	दक्ष पेट्रोलियम,	उल्हेडा	IOC	9997178634
59	10-	गणपती गैसोलीन	मंगलौर	IOC	9761617929
60	11-	गुरुकुल हाईव फिलिंग स्टेशन,	गु0ना0	IOC	9719000537
61	12-	इन्दिरा सर्विस स्टेशन	गु0ना0	HPC	9219618088
62	13-	मंगलौर हाइवे फिलिंग स्टेशन	कुरडी	IOC	9837303363
ब्लाक भगवानपुर					
63	1-	मै0 संजय गुरंग फिलिंग स्टेशन,	औरंगजेबपुर	HPC	9719415408
64	2-	मै0 शहीद ज्ञान सिंह बिष्ट	भगवानपुर	BPC	9456100238
65	3-	मै0 अमोल फिलिंग स्टेशन	औरंगजेबपुर	IOC	01332- 2784545
66	4-	मै0 साक्षी फिलिंग स्टेशन	इकबालपुर	IOC	9719770230
67	5-	मै0 श्री मोटर्स	अमानतगढ, औरंगजेबपुर	IBP	9719006336
68	6-	मै0 दीप फिलिंग स्टेशन	मण्डावर	IOC	01332-27816278
69	7-	मै0 लक्ष्मी फिलिंग स्टेशन	भगवानपुर	IOC	01332-232218
70	8-	मै0 राघव फिलिंग स्टेशन	मखनपुर	IBP	9719764940
71	9-	मै0 देव सर्विस स्टेशन	सिकन्दरपुर भैसवाल	HPC	9837204679
ब्लाक खानपुर					
72	1-	मै0 महादेव किसान सेवा केन्द्र	खानपुर	IOC	9927939163
73	2-	मै0 साई फिलिंग स्टेशन	खानपुर	HPC	941221115 9917512426
74	3-	मै0 जय शिव शंकर फिलिंगस्टेशन	गोर्वधनपुर खानपुर	IOC	01332.259245 9837756538
ब्लाक लक्सर					
75	1-	मै0 लक्ष्मी फिलिंग स्टेशन	लक्सर	HPC	9759294999 9837788924
76	2-	मै0 निर्मला फिलिंग स्टेशन	लक्सर	IOC	1332255396 9761715243
77	3-	मै0 शिव कृपा फिलिंग स्टेशन	बसेडी खादर लक्सर	IOC	133225560 9759154153
78	4-	मै0 चौधरी फिलिंग स्टेशन	हरिद्वार रोड लक्सर	BPC	1332255441 9719463222
79	5-	मै0 मारुति फिलिंग स्टेशन	सुल्तानपुर लक्सर	IBP	971909550 9897722786
80	6-	मै0 रानी सर्विस स्टेशन	सुल्तानपुर लक्सर	HPC	983701557 9897722786
81	7-	मै0 केशव किसान सेवा केन्द्र	जीतपुर मिक्कमपुर लक्सर	IOC	9411151211
82	8-	मै0रामसी फिलिंग स्टेशन	रायसी ,लक्सर	HPC	01332253320 9719004036

ब्लॉक स्तरीय खाद्यान्न/गैस गोदामों का विवरण

ब्लाक नारसन में स्थित खाद्यान्न गोदाम का नाम व पता –				
क्र०सं०	खाद्यान्न गोदाम का नाम व पता	गोदाम की क्षमता	गोदाम इंचार्ज का नाम	गोदाम इंचार्ज का फोन नं०
1	राजकीय अन्न भण्डार, मंगलौर	10,000कु०	कमल दुआ	9634277456
ब्लाक बहादुराबाद में स्थित खाद्यान्न गोदाम का नाम व पता–				
क्र०सं०	खाद्यान्न गोदाम का नाम व पता	गोदाम की क्षमता	गोदाम इंचार्ज का नाम	गोदाम इंचार्ज का फोन नं०
1	राजकीय अन्न भण्डार, बहादुराबाद	8602 कु०	श्रीमती रंजना	9897327440
ब्लाक बहादुराबाद में स्थित गैस गोदाम का नाम व पता–				
क्र०सं०	गैस गोदाम का नाम व पता	गोदाम की क्षमता	गोदाम इंचार्ज का नाम एवं फोन नं०	प्रोपराईटर का नाम व फोन नं०
1	मैसर्स गेन्दा गैस एजेन्सी, बहादुराबाद	अनुमानित 845 सिलेन्डर/ 12000 किग्रा०	श्री महक सिंह– 9412919594, 9358398064, 9412919594	श्री महक सिंह –9412919594, 9358398064, 9412307766
2	मैसर्स राणा गैस एजेन्सी गेंडीखाता	अनुमानित 600 सिलेन्डर 10000 किग्रा०	श्री प्रेम सिंह, 9917752192	श्रीमती मंजूराणा– 9412307766
रुड़की में स्थित गैस गोदाम का नाम व पता–				
क्र.सं.	गैस एजेन्सी का नाम व पता (गोदाम)	गोदाम की क्षमता	गोदाम इंचार्ज का नाम एवं फोन नं०	प्रोपराईटर का नाम व फोन नं०
1	मै० रुड़की गैस सर्विस, रुड़की। आदर्श नगर	12000 किग्रा०	भगवान सिंह, 9997577743	किशन कुमार गुप्ता, 9997577720
2	मै० एकता गैस, रुड़की। सलेमपुर राजपुतान	12000 किग्रा०	वीरेन्द्र तोमर, 9917137700	खीमादास
3	मै० दीपाली गैस सर्विस, रुड़की। ईदगाह रोड रुड़की	12000 किग्रा०	श्री बिट्टू, 9219386911	श्री योगेन्द्र पाल सिंह, नवनीत कुमार सिंघल 9412912389
4	मै० छवि गैस एजेन्सी, रुड़की। पनियाला रोड, रुड़की	12000 किग्रा०	श्री सतीश यादव, 9368447910	श्री शोभा सिंह, 9412071389
5	मै० देवभूमि गैस रुड़की। दिल्ली रोड	12000 किग्रा०	श्री अश्वनी कुमार, 9410164771	श्री मनीष सिंह, 9412023420
6	मै० आदिशक्ति गैस सर्विस रुड़की। ग्राम पनियाला	12000 किग्रा०	श्री स्नेह कुमार, 9997026338	श्री आशुतोष अग्रवाल, 9897602120
7	मै० मंगलौर गैस सर्विस, मंगलौर	12000 किग्रा०	श्री प्रेमराम केशवाल	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, 9719079489
8	मै० अम्बा गैस सर्विस, लंढौरा। निकट राजा भट्टी लंढौरा	12000 किग्रा०	श्री गंगा शरण गिरी, 8909673722	चौधरी विजेन्द्र सिंह, 9411151444
9	मै० सूर्याश गैस सर्विस, झबरेड़ा, नारसन रोड, झबरेड़ा	12000 किग्रा०	श्री प्रदीप कुमार, 9997745002	श्री नीरज त्यागी, 9997740740

प्रारूप-3				
रुड़की में स्थित खाद्यान्न गोदाम का नाम व पता				
क्र.सं.	खाद्यान्न गोदाम का नाम व पता	गोदाम की क्षमता	गोदाम इंचार्ज का नाम	गोदाम इंचार्ज का फोन/मोबाईल नं०
1	रुड़की	10,000 कु०	अनु जैकरे	8171867101
ब्लाक लक्सर में स्थित खाद्यान्न गोदाम का नाम व पता				
क्र.सं०	खाद्यान्न गोदाम का नाम व पता	गोदाम की क्षमता	गोदाम इंचार्ज का नाम	गोदाम इंचार्ज का फोन/मोबाईल नं०
1	राजकीय अन्न भण्डार, लक्सर मैन बाजार लक्सर, निकट पंजाब नेशनल बैंक लक्सर, हरिद्वार से दूरी 30 किमी०	10,000 कु०	हरेन्द्र सिंह	8394001177
ब्लाक लक्सर में स्थित गैस गोदाम का नाम व पता				
क्र.सं०	गैस गोदाम का नाम व पता	गोदाम की क्षमता	गोदाम इंचार्ज का नाम एवं फोन नं०	प्रोपराईटर का नाम व फोन नं०
1	मैसर्स हरि प्रिया गैस सर्विस, लक्सर निकट पुलिस थाना लक्सर हरिद्वार से दूरी 30 किमी०	8000 किलोग्राम	श्री ओम प्रकाश— 9412007304, 9012037781	श्री सुरेश कुमार मुखिया—9411503585
नगरीय क्षेत्र हरिद्वार में स्थित खाद्यान्न गोदाम का नाम व पता				
क्र.सं०	खाद्यान्न गोदाम का नाम व पता	गोदाम की क्षमता	गोदाम इंचार्ज का नाम	गोदाम इंचार्ज का फोन/मोबाईल नं०
1	राजकीय अन्न भंडार ज्वालापुर	6000 मी०टन	श्री एम०ए० रजा	9897466055
नगरीय क्षेत्र हरिद्वार में स्थित गैस गोदाम का नाम व पता				
क्र.सं.	गैस एजेन्सी का नाम व पता (गोदाम)	गोदाम की क्षमता	गोदाम इंचार्ज का नाम एवं फोन नं०	प्रोपराईटर का नाम व फोन नं०
1	मै० दिपिका इण्डेन गैस एजेंसी, जमालपुर रोड सीतापुर	8000 किग्रा०	बसन्त कुमार— 9719635545	सुरेश राठौर 9719411066
2	मै० भक्त गैस सर्विस, इण्डस्ट्रीयल एरिया, आय कर कार्यालय के समीप	12000 किग्रा०	अजय मिनोचा— 9412074870	मुकेश अग्रवाल— 9412071246
3	सिद्धि विनायक गैस एजेंसी, सिंहद्वार से दिल्ली बाईपास रोड निकट गुरुकुल कांगड़ी	12000 किग्रा०	महेश चन्द्र— 9997199805	श्रीमती संजय शर्मा— 01334—221313
4	मै० हरिद्वार गैस एजेंसी, सिंहद्वार से कनखल रोड	12000 किग्रा०	श्री आर०पी० मिश्रा— 9410109363	श्री गायत्री प्रसाद— 9412074464
5	मै० पुष्पक गैस एजेन्सी, सिंहद्वार से दिल्ली बाईपास रोड, गुरुकुल के पास	12000 किग्रा०	प्रदीप गुप्ता व संजय चौहान— 01334—321415	राजीव कुमार गुप्ता— 9837067213
6	मै० भेल गैस सर्विस, बी०एच०ई०एल० हरिद्वार	18000 किग्रा०	श्री रामपाल सिंह— 9927169295	श्री अरुण सचिव बी०एच०ई०एल०— 9412074701
7	मै० सूर्या गैस एजेंसी, श्यामपुर कांगड़ी	12000 किग्रा०	श्री गौतम	श्री संजय मलिक— 9422172451

स्वास्थ्य विभाग, हरिद्वार कार्ययोजना

- 1— जनपद स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जायेगी जिसमें 24 घण्टे कर्मचारी तैनात रहेंगे जो सूचना प्राप्त व प्रेषित करने का कार्य करेंगे।
- 2— जिला स्तर पर केन्द्रीय नियंत्रण टीम का गठन किया गया है जो कि बाढ़/आपदा नियंत्रण सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करेंगे।
- 3— विकासखण्ड स्तर पर व नगर हरिद्वार/रूड़की स्तर पर रैपिड रिस्पान्स टीम का गठन किया गया है जिसमें एक चिकित्सक, फार्मासिस्ट, क्षेत्र की ए0एन0एम0 व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहेंगे।
- 4— आवश्यक होने पर क्षेत्र की स्कूल हेल्थ टीम को भी बाढ़/आपदा नियंत्रण कार्य में प्रयोग किया जायेगा। जनपद हरिद्वार में 15 टीमों कार्यरत है।
- 5— जनपद हरिद्वार की समस्त कार्यशील एम्बुलेन्स को बाढ़/आपदा नियंत्रण हेतु तैयार स्थिति में रहने हेतु निर्देशित किया गया है।
- 6— जनपद में जिला चिकित्सालय, मेला चिकित्सालय व संयुक्त चिकित्सालय को 10 बेड आपात स्थिति हेतु आरक्षित करने का कहा गया है।
- 7— सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को बाढ़/आपदा नियंत्रण हेतु चिकित्सालय में पर्याप्त सुविधायें तैयार रखने हेतु कहा गया है। गम्भीर रोगियों को जिला चिकित्सालय हरिद्वार व संयुक्त चिकित्सालय, रूड़की रैफर किया जायेगा।
- 8— जनपद हरिद्वार के निजी चिकित्सालय मैट्रो चिकित्सालय, हरिद्वार, भूमानन्द/कैलाश चिकित्सालय हरिद्वार, रामकृष्ण मिशन चिकित्सालय हरिद्वार व बी0एच0ई0एल0 चिकित्सालय हरिद्वार को आवश्यकता होने पर सहयोग लिया जायेगा जिस हेतु इन्हें निर्देशित किया गया है।
- 9— जनपद के हरिद्वार व रूड़की ब्लड बैंक को आवश्यक मात्रा में रक्त रखने हेतु निर्देशित किया गया है। आवश्यक होने पर स्वैच्छिक रक्त दाताओं को रक्त देने हेतु अनुरोध किया जायेगा जिनकी जानकारी ब्लड बैंक में उपलब्ध है।
- 10— संयुक्त चिकित्सालय रूड़की में कार्यरत ट्रामा सेन्टर को आपात स्थिति हेतु तैयार रहने हेतु निर्देशित किया गया है।
- 11— स्वयंसेवी संगठनों/एन0जी0ओ0/शांतिकुंज/रेडक्रास सोसायटी का बाढ़/आपदा नियंत्रण कार्य में सहयोग लिया जायेगा।
- 12— बाढ़/आपदा के उपरान्त कोई महामारी न फैले इसके लिए आई0डी0एस0पी0 यूनिट व वैक्टर जनित रोग नियंत्रण युनिट को निर्देशित किया गया है जो कि बाढ़/आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पीने के पानी की सैम्पलिंग करेंगे व क्षेत्र में कीटनाशक छिड़काव की व्यवस्था करेंगे।
- 1— जनपद स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना—कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है जिसमें 24 घण्टे कर्मचारी तैनात रहेंगे, जो सूचना प्राप्त का कार्य करेंगे।

नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर—01334—239065

नोडल अधिकारी, आपदा प्रबन्धन—डा0 एच0डी0 शाक्य, मो0न0—09719837937

2- जनपद स्तर पर आपदा नियंत्रण टीम-

क्र० सं०	नोडल अधिकारी का नाम	पदनाम	कन्ट्रोल रूम नं०	कार्यालय/आवास/फैक्स न०	मोबाइल न०	ई-मेल आईडी
1	डा० एच०डी० शाक्य	अपर चिकित्साधिकारी	01334-239065	01334-239600 फैक्स- 239902	9719591937	cmoharidwar@gmail.com
2	डा० राजकुमार	प्रमुख अधीक्षक			9634161001	
3	डा० चन्दन मिश्रा	प्रमुख विशेषज्ञ			9411718258	
4	श्री गुरनाम सिंह	जिला वैक्टर जनित रोग नियंत्रण अधिकारी			9458316265	
5	श्री दिनेश जोशी	मुख्य प्रशानिक अधिकारी			9456151041	
6	श्री किरण भारती	चीफ फार्मसिस्ट	-	-	-	-

3-ब्लाक स्तर व नगर हरिद्वार व नगर रुडकी स्तर पर नोडल अधिकारी

क्र० सं०	नोडल अधिकारी का नाम	पदनाम	मुख्यालय/ब्लॉक कार्यक्षेत्र	कार्यालय का नाम	मोबाइल न०
1	डा० मनोज वर्मा	वरि० जिला क्षयरोग अधिकारी	हरिद्वार नगर	आई०डी०एच०, हरिद्वार	9897994241
2	डा० एच० के० सिंह	अधीक्षक	बहादुराबाद	सा०स्वा० केन्द्र, बहादुराबाद	9456358304
3	डा० एस०एन० सिन्हा	प्रभारी चिकित्साधिकारी	नारसन	प्रा०स्वा० केन्द्र, इमलीखेड़ा	9319714429
4	डा० विक्रान्त सिरोही	अधीक्षक	भगवानपुर	सामु०स्वा० केन्द्र, भगवानपुर	9997713974
5	डा० जावेद हुसैन	वरि० नगर स्वास्थ्य अधिकारी	रुडकी	नगर निगम रुडकी	9837392787
6	डा० अनिल वर्मा	अधीक्षक	लक्सर व खानपुर	सामु० स्वा० केन्द्र, लक्सर	941243963

4-स्कूल हेल्थ टीम को आपदा नियंत्रण कार्य में शामिल करना।

जनपद हरिद्वार में स्कूल हेल्थ टीमों का विवरण निम्नवत् है जिनका उपयोग आपदा की स्थिति में किया जायेगा। प्रत्येक टीम में एक पुरुष, एक महिला चिकित्सक, एक फार्मासिस्ट व एक स्टाफ नर्स/ए०एन०एम० शामिल होती हैं।

क्र०सं०	टीम संख्या	ब्लाक का नाम	टीम लीडर	मोबाइल
1	1	बहादुराबाद	डा० विनय	8266889000
2	2		डा० हेमन्त खर्कवाल	9927891022
3	3		डा० विवेक खन्ना	9837384182
4	4		डा० सनदीप कुमार	8445873574
5	5		डा० मनवीर	9412904435
6	6	नारसन	डा० सत्यप्रकाश	9720065010
7	7		डा० दिवाकर खन्तवाल	9456114442
8	8		डा० पंकज मिश्रा	9219271752
8	9	भगवानपुर	डा० रविन्द्र कालरा	7417744594
10	10	ईमलीखेड़ा	डा० आशीष चौहान	8057240776
11	11		डा० सिद्धार्थ शर्मा	7669397393
12	12		डा० गुर्जन सैनी	8006743401
13	13	लक्सर	डा० दुश्मन्त चौधरी	9719420462
14	14		डा० वरुण शर्मा	8791763483
15	15	खानपुर	डा० शिवेन्द्र सिंह	9997298415

List Of Hospital Ambulance(Govt.)

S.N	Type Of Hospital	Location	Number of Beds	Ambulances	Doctors/ Incharge	Mobile No.
1	Distt. H.M.G Hospital	Haridwar	70	Yes	Dr. Raj kumar	9634181001
2	rajkiye Mela Hospital	Haridwar	100	Yes	Dr. Rajesh Gupta	9412070678
3	Distt.Female Hospital	Haridwar	30	Yes	Dr.Shikha Jangpangi	8171284648
4	Combina Hospital Roorkee	Roorkee	70	Yes	Dr.D.K Chakarapangi	7310801525
5	C.H.C Bahadabad	Bahadabad	10	No	Dr.Hemant Arya	9758180997
6	P.H.C Jwalapur	Jwalapur	04	No	Dr. Hemant Arya	9758180997
7	P.H.C Laldhang	laldhang	04	No	Dr.Rajesh Verma	9412856341
8	P.H.C Roshnabad	Roshnabad	04	No	Dr.Gurjeet Gaur	9411565050
9	C.H.C Laksar	Laksar	30	Yes	Dr.Anil Verma	8445685785
10	C.H.C Narsan	Narsan	30	Yes	Dr.Vivek Gark	9627499599
11	C.H.C Bhagwanpur	Bhagwanpur	30	Yes	Dr.Vikrant Sirohi	9997713974
12	C.H.C Manglore	Manglore	30	Yes	Dr.P.K Singh	7500300167
13	P.H.C Buggawala	Buggawala	04	No	Dr.Rakaran Sahu	-
14	P.H.C Khanpur	Laksar	10	Yes	Dr.Vineet	9997766609
15	P.H.C Pherupur	Laksar	04	No	Dinesh Mishra	9415078163
16	P.H.C Imlikhera	Roorkee	04	Yes	Dr.Delhi Raman	7906670424

List Of Private Hospital

S.N	Type Of Hospital	Location	Number of Beds	Ambulances	Doctors/ Incharge	Mobile No.
1	Metro Hospital	Roshnabad	200	Yes	Mr. Dilip Chopra	8191902600
2	City Hospital	Haridwar	40	Yes	Sri S.K Kapoor	01334220180
3	Pantjali Ayurved Hospital	haridwar-delhi Highway	100	Yes	Dr.D.N Sharma	9410789806
4	Hans Foundation	Haridwar-Delhi Highway	20	Yes	Dr. Rajan Pradhan	01334236888
5	Palna Bhatnagar	Roorkee	30	Yes	Dr. J.Bhatnagar	9760012433
6	Acharya Shriram Sharma Shatabdi Hospital	haridwar	20	Yes	Dr.R.P Pandey	9258365503
7	New Dew Bhumi Hospital	Haridwar	40	yes	Dr.Sushila Kumar Sharma	9837906777
8	Ganga Mata Hospital	haridwar	60	Yes	Dr.O.P Bansal	9412931046
9	Bishamber Satay Medical College And reasurch Center	Haridwar	100	Yes	Sh.Divya Bhushan Sharma	9760205535
10	Matrachaya Hospital	Roorkee	15	Yes	Dr.Ajay Panwar	01332241015
11	Motherhood Hospital	Bhagwanpur	250	Yes	Dr.Rahul Nehra	7078002748
12	Shatabdi Hospital	Shivalik Nagar	15	Yes	Dr.Ritwik Saraswat	01334235239
13	Salar Hospital	Roorkee	18	Yes	Dr.Praveen Salar	9411921555

ऐंबुलेंस की व्यवस्था :-

क्र०सं०	वाहन संख्या	स्थान	ऑन रोड/ऑफ रोड	मेक/माडल
1	UA 07 D-2048	जिला महिला चिकित्सालय,	ऑन रोड	टैम्पो ट्रेवलर-2002
2	UA 08 J-5574	हरिद्वार	ऑन रोड	टाटा सूमो-2007
3	UK 08 GA-0154	मेला चिकित्सालय, हरिद्वार	ऑन रोड	टाटा सूमो-2010
4	UA 08 J-5299	सा0स्वा0के0 भगवानपुर	ऑन रोड	टाटा सूमो-2007
5	UA 08 J-4081	सा0स्वा0केन्द्र, लक्सर	ऑन रोड	टाटा सूमो-2007
6	UA 07 D-2041			टैम्पो ट्रेवलर 2002
7	UK 08 GA-0266	सा0स्वा0केन्द्र, खानपुर	ऑन रोड	टाटा सूमो 2015
8	UK 08 GA-0166	सा0स्वा0केन्द्र, मंगलौर	ऑन रोड	टैम्पो ट्रेवलर 2010
9	UP 32 T-5034	प्रा0स्वा0केन्द्र, ईमलीखेडा	ऑन रोड	मारुति वैन 1996
10	UA 07 D-2049	सा0स्वा0केन्द्र, बहादुराबाद	ऑन रोड	टैम्पो ट्रेवलर 2002
11	UA 08 E-9747	जिला एच0एम0जी0 चिकि0,	ऑन रोड	मारुति वैन 2005
12	UA 07 D-2050	हरिद्वार		टैम्पो ट्रेवलर 2002
13	UA 07 F-0602	संयुक्त चिकि0, रुड़की	ऑन रोड	मारुति चिप्सी 2004
14	UK 08 GA-0247			टाटा विंगर 2014

5- सरकारी चिकित्सालयों का विवरण

क्र० सं०	ब्लाक	चिकित्सालय का नाम	बैड क्षमता
1	बहादुराबाद	जिला एच०एम०जी चिकित्सालय, हरिद्वार	70
2		जिला चैनराय महिला चिकित्सालय, हरिद्वार	30
3		मेला चिकित्सालय, हरिद्वार	100
4		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुराबाद	10
5		प्रा०स्वा० केन्द्र, ज्वालापुर	4
6		प्रा०स्वा० केन्द्र, रोशनाबाद	4
7		प्रा०स्वा० केन्द्र, औरंगाबाद	4
8		प्रा०स्वा० केन्द्र, सुमन नगर	4
9		प्रा०स्वा० केन्द्र, कोटामुरादनगर	4
10		प्रा०स्वा० केन्द्र, बिहारी नगर	4
11		प्रा०स्वा० केन्द्र, फेरुपुर	4
12		प्रा०स्वा० केन्द्र, लालढांग	4
13	लक्सर	सा०स्वा० केन्द्र, लक्सर	30
14		प्रा०स्वा० केन्द्र, रायसी	4
15		प्रा०स्वा० केन्द्र, सुल्तानपुर	4
16		प्रा०स्वा० केन्द्र, भिक्कमपुर	4
17	खानपुर	सा०स्वा० केन्द्र, खानपुर	10
18		प्रा०स्वा० केन्द्र, चन्द्रपुरी	4
19	नारसन	सा०स्वा० केन्द्र, नारसन	30
20		सा०स्वा० केन्द्र, मंगलौर	10
21		प्रा०स्वा० केन्द्र, मुण्डलाना	4
22		प्रा०स्वा० केन्द्र, लण्डौरा	4
23		प्रा०स्वा० केन्द्र,	4
24		प्रा०स्वा० केन्द्र, झबरेडा	4
25		प्रा०स्वा० केन्द्र, लखनौता	4
26	रुडकी	प्रा०स्वा० केन्द्र, ईमलीखेडा	4
27		प्रा०स्वा० केन्द्र, बेलडा	4
28		प्रा०स्वा० केन्द्र, सलेमपुर	4
29		प्रा०स्वा० केन्द्र, कलियर	4
30		प्रा०स्वा० केन्द्र, नन्हेडा	4
31		प्रा०स्वा० केन्द्र, मरगूबपुर	4
32		प्रा०स्वा० केन्द्र, पनियाला	4
33	भगवानपुर	सा०स्वा० केन्द्र, भगवानपुर	30
34		प्रा०स्वा० केन्द्र, भलस्वार्गज	4
35		प्रा०स्वा० केन्द्र, सिकरोडा	4
36		प्रा०स्वा० केन्द्र, मानपुर	4
37		प्रा०स्वा० केन्द्र, बुग्गावाला	4

6- निजी चिकित्सालयों का विवरण

क्र०सं०	ब्लॉक	चिकित्सालय का नाम
1	बहादुराबाद	मेट्रो चिकित्सालय, रोशनाबाद
2		भूमानन्द / कैलाश चिकित्सालय, हरिद्वार
4		रामकृष्ण मिशन चिकित्सालय, हरिद्वार
4		बी०एच०ई०एल मुख्य चिकित्सालय, हरिद्वार
5		सिटी चिकित्सालय, हरिद्वार

7-ब्लड बैंक का विवरण

ब्लड बैंकों की सूची				
क्र०सं०	राजकीय क्षेत्र	स्थान	निजी क्षेत्र	स्थान
1	जिला एच०एम०जी० चिकित्सालय, हरिद्वार	हरिद्वार	बी०एच०ई०एल० चिकित्सालय	हरिद्वार
2	संयुक्त चिकित्सालय रुड़की	रुड़की	रामकृष्ण मिशन चिकित्सालय	हरिद्वार
3	सेना चिकित्सालय, रुड़की	रुड़की	—	रुड़की

8-ब्लड बैंक का विवरण

क्रम०सं०	रक्त दाताओं की संख्या	ब्लड ग्रुप	मॉबाईल नं०
1	1000	उपलब्ध	उपलब्ध

9-ब्लड बैंक का विवरण

जनपद में ट्रामा सेन्टर की स्थिति				
स्थान	ट्रामा सेन्टर की स्थिति			
	स्वीकृत	निर्माणधीन	निर्मित	क्रियाशील
संयुक्त चिकित्सालय रुड़की	—	—	निर्मित	क्रियाशील

10-ब्लड बैंक का विवरण

दैवीय आपदा हेतु मानव संसाधन				
क्रम०सं०	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी	04	02	02
2	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	04	03	01
3	चिकित्सा अधीक्षक	09	05	04
4	सर्जन	11	03	07
5	फिजिशियन	07	—	07
6	महिला चिकित्सक	08	03	05
7	निश्चेतक	11	04	07
8	दन्त रोग विशेषज्ञ	06	06	00
9	अस्थि रोग विशेषज्ञ	08	01	07
10	बाल रोग विशेषज्ञ	11	04	05
11	रेडियोलोजिस्ट	11	03	08
12	चिकित्साधिकारी	45	30	15
13	उपचारिका	18	17	01
14	ए०एन०एम०	184	162	22
15	एक्स-रे टेक्नीशियन	06	03	03
16	नेत्र सहायक	07	07	00
17	फार्मासिस्ट	44	42	02
18	लैब टेक्नीशियन	12	10	02
19	वाहन चालक	16	09	07
20	सफाई कर्मचारी	34	31	03

वॉटर सैम्पलिंग व वॉटर ट्रीटमेन्ट : आपदा की स्थिति में विशेषकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की सैम्पलिंग की जायेगी तथा पेयजल दूषित होने पर क्लोरिन दवा/टैबलेट व ब्लीचिंग पाउडर द्वारा उसका शोधन किया जायेगा। यह कार्य क्षेत्र के स्वास्थ्य पर्यवेक्षक व ए०एन०एम० कार्यकर्त्रियों के द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

कीटनाशक छिड़काव : आपदा के उपरान्त किसी भी प्रकार की महामारी को रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्र में मैलाथियान व ब्लीचिंग पाउडर की डस्टिंग, वर्जित व लार्वानाशी का छिड़काव व थर्मल फॉगिंग कार्यवाही आवश्यकतानुसार की जायेगी। इस कार्य हेतु जिला मलेरिया अधिकारी, डा० गुरनाम सिंह जिनका दूरभाष नम्बर—9458316265, हरिद्वार को प्रभारी बनाया गया है।

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण कार्ययोजना

विभाग का परिचय : नगर में विकास एवं निर्माण कार्यों में अत्यधिक वृद्धि जनित समस्याओं के निराकरण के साथ ही वृद्धिमान जनसंख्या को आधारभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति एवं नगर के समीपवर्ती ग्रामीण भाग पर भी विकास कार्यों को सुनियोजित एवं नियंत्रित किये जाने तथा इस विनियमन में अधिकार सीमित होने के कारण पुनः उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-3692/11-5-86-23 (1)-डी.ए.-85 लखनऊ दिनांक 4 जून 1986 द्वारा हरिद्वार विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इस अधिसूचना से घोषित विकास प्राधिकरण में हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र एवं मुनीकीरोती अधिसूचित क्षेत्र भी सम्मिलित करते हुए 20 राजस्व ग्राम सम्मिलित किए गए हैं। जिसमें जनपद देहरादून के 14 ग्राम, जनपद टिहरी गढ़वाल के 5 ग्राम एवं जनपद पौड़ी गढ़वाल का एक ग्राम सम्मिलित किया गया। इस प्रकार कुम्भ मेला के प्रभावित सम्पूर्ण क्षेत्र को हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन, आवास विभाग, देहरादून द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 959/V-2014-90(आ०)/2011, दिनांक 27 अगस्त 2014 द्वारा (पूर्व में घोषित हरिद्वारा विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अतिरिक्त) रूड़की नगर पालिका (वर्तमान में नगर निगम), मंगलौर नगर पालिका, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौक, नगर पंचायत लण्डौरा सहित 112 ग्राम सभाओं को सम्मिलित करते हुए हरिद्वार विकास प्राधिकरण के स्थान पर

इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम (आई. सी. एस.) INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS):

जन सूचना अधिकारी / सम्पर्क अधिकारी :-

क्र०सं०	जन सूचना अधिकारी / सम्पर्क अधिकारी	अधिकारी का पदनाम
1	श्री सुनील परासर (हरिद्वार कार्यालय)	अधिशाली अभियन्ता
2	श्री विजय कुमार माथुर (रूड़की आफिस)	सहायक अभियन्ता
3	श्री गिरीश चन्द्र भट्ट (रूड़की शाखा)	सहायक अभियन्ता

अधिकारीगण —

क्र०सं०	पद	नाम	फोन नं०
1	उपाध्यक्ष	श्री आलोक कुमार पाण्डेय	01334-2657702
2	सचिव	श्री हरबीर सिंह	—
3	मुख्य वित्त अधिकारी	डा० तन्जीम अली	9456713426 01334-221558

अन्य स्टाफ (तकनीकी / गैर तकनीकी)

क्र०सं०	पद	नाम	फोन नं०
1	अधिशाली अभियन्ता	श्री सुनील परासर	9760028399
2	सहायक अभियन्ता	श्री गिरीश चन्द्र भट्ट	8006406510
3	सहायक अभियन्ता	श्री विजय कुमार माथुर	9997031088
4	अवर अभियन्ता	श्री रमेश चन्द्र जोशी	9412017427
5	अवर अभियन्ता	श्री गोविन्द सिंह	9319840534
6	अवर अभियन्ता	श्री प्रेमपाल सिंह	9412018679
7	अवर अभियन्ता	श्री संजीव अग्रवाल	9837061012
8	प्रशासनिक अधिकारी	श्री अनिल कुमार सक्सेना	9319680703
9	रोकड़िया	श्री हरीश कुमार	9634337346
10	आशुलिपिक	श्री नारायण किशोर नौटियाल	94113774040
11	मानचित्रकार	श्री महेशानन्द गौड़	8755999941
12	सर्वेयर	श्री बलराम सिंह	9410710335
13	सर्वेयर	श्री शिशुपाल सिंह राणा	9410508005
14	ट्रेसर	श्री सुरेश कुमार	9760303888
15	वरिष्ठ सहायक	श्री विनोद कुमार राव	9897238233

16	कनिष्ठ सहायक	श्री धनश्याम चन्द्र अधिकारी	9897352940
17	कनिष्ठ सहायक	श्री केशव चन्द्र उपाध्याय	9837550220
18	कनिष्ठ सहायक	श्री राकेश कुमार	9897108685
19	कनिष्ठ सहायक	री राममर्ति लाल	9837229080
20	कनिष्ठ सहायक	श्रीमति मृदुला गंवार	9410594823
21	कनिष्ठ सहायक	श्री संजीव कुमार	9634107676
22	कनिष्ठ सहायक	श्री विनय कुमार	9997054608
23	ड्राइवर	श्री शोरन लाल	9557866970
24	कार्यवाहक लिपिक	श्री दीपक कुमार	9897314693
25	कार्यवाहक लिपिक	श्री अशोक कुमार तिवारी	9759076087
26	अनुसेवक	श्री भूवन चन्द पंत	01334—221558
27	अनुसेवक	श्री दुर्गा बहादुर थापा	9411503639
28	अनुसेवक	श्री ललित कुमार	9319051944
29	अनुसेवक	श्री शम्भू सिंह	9412941885
30	अनुसेवक	श्री राज बाहदुर	9897720612
31	अनुसेवक	श्री विजय बाहदुर	8057659936
32	अनुसेवक	श्री मुकेश जोशी	9411775039
33	अनुसेवक	श्री मुकेश कुमार	9897524482
34	अनुसेवक	श्री सत्य कुमार	9897464354
35	अनुसेवक	श्री नरेन्द्र कुमा	9411151298
36	अनुसेवक	श्री नन्दन सिंह नेगी	8449613579
37	अनुसेवक	श्री राजेन्द्र मिश्रा	9410748924
38	अनुसेवक	श्री महेन्द्र कुमार	9634127218
39	अनुसेवक	श्री ज्ञान सिंह	7895472870
40	अनुसेवक	श्री शिव शंकर	9411775586
41	अनुसेवक	श्री संजय कुमार	9760052675
42	अनुसेवक	श्री राधव राम	9759241904
43	चौकीदार	श्री किशन स्वरूप	9719438261
44	चौकीदार	श्री पदम कुमार	8126791751
45	सफाई कर्मचारी	श्रीमति सुशीला	01334—221558

सिंचाई विभाग, हरिद्वार कार्ययोजना

प्रस्तावना :-

सिंचाई खण्ड, हरिद्वार के अन्तर्गत विभिन्न छोटी एवं बड़ी नदियां आती हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है :-

- गंगा नदी
- सोलानी नदी
- रतमऊ नदी
- रवासन नदी
- पथरी रौ नदी
- बाण गंगा नदी

उपरोक्त नदियों में बाढ़ की दृष्टि से गंगा नदी एवं सोलानी नदी दो प्रमुख नदियां हैं।

मानसून अवधि के दौरान इस खण्ड द्वारा लगातार भीमगोडा बैराज स्थित बाढ़ सूचना केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर गंगा नदी का डिस्चार्ज पता किया जाता है। भीमगोडा बैराज पर गंगा नदी का 294.00 मी० लेवल क्रिटिकल लेवल माना जाता है। इस समय नदी का डिस्चार्ज लगभग 275000 क्यूसेक होता है। अतः इस लेवल एवं डिस्चार्ज के पश्चात् हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। विगत वर्ष 2016-17 में लगभग 206538 क्यूसेक डिस्चार्ज सुगमतापूर्वक तटबन्धों को बिना क्षति पहुंचाये पास हुआ, परन्तु इसके अतिरिक्त विगत वर्षों में आई बाढ़ के कारण नदी का बैड लेवल ऊथला हो गया है, जिस कारण जिस एच०एफ०एल० एवं डिस्चार्ज के लिये तटबन्ध डिजाइन हैं, उसके कम लेवल एवं डिस्चार्ज होने पर भी पानी तटबन्ध को ओवर टॉप कर सकता है, जिससे तटबन्धों को क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है।

मानसून अवधि में सिंचाई खण्ड, हरिद्वार द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना :-

मानसून अवधि शुरू होने से पूर्व इस खण्ड में कार्यरत फील्ड अधिकारी /कर्मचारियों द्वारा कार्यक्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर संवेदनशील स्थानों पर Sand Filled bag एवं Wire crate को स्थलों पर स्टॉक कर लिया जाता है एवं विभिन्न बाढ़ से सम्बन्धित सहायक उपकरणों एवं सामग्री जैसे:- जे०सी०बी० आदि को सुरक्षित स्थानों पर उपलब्ध करा लिये जाता है, जिन्हें बाढ़ के समय तात्कालिक आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सके।

खण्ड के अन्तर्गत बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील स्थल एवं प्रभावित गांवों के नाम :-

Infrastructure	Vulnerability against each Hazard	
	Flood/Heavy Rain	
	Population	Name of the areas
1. Dudhia band marginal embankment on Rt. Bank of Ganga river.	28000	Bhupatwala, Haripurkala.
2. Belwala marginal embankment on Rt. Bank of Ganga river	5000	Rodi Belwala, Laljiwala.
3. Kankhal marginal embankment on Rt. Bank of Ganga river.	22000	Beragi camp, Kankhal, Jagjeetpur.
4. Vishanpur – Kundi marginal embankment on Rt. Bank of river Ganga.	38665	Katarpur, Chandpur, Ferupur, Dhanpura, Mustafabad Padarth, Vishanpur, Kundi, Ranimajra, Tada Bhagmal, shahpur, Dhariwala, Tikola.
5. Bhogpur – Balawali marginal embankment on Rt. Bank of river Ganga.	40200	Bhogpur, Majada, Baditeep, Tilakpuri, Fatwa, Bhikkampur, Rampur Raighati, Kbulpur Raighati, Bhikkampur Tanda, Lawalpur, Ranjeetpur, Sonpari, Bakarpur Maharajpur khurd, Gagdaspur.
6. Ajeetpur marginal embankment on Rt. Bank of river Ganga.	15000	Ajeetpur, Missarpr, Panjanhedi, Jiyapota.
7. Khanpur marginal embankment on Rt. Bank of river Banganga.	17800	Mana Bela, Sherpur, Khanpur, Chandrpuri Kala, Chandrapuri Khurd, Tugalpur, Dalawala Naiwala.
8. Solani marginal embankment on Lt. Bank of Solani river	11200	Kunwa kheda, Dhadki, Mathana, Mohammadpur.
9. Kotamurd Nagar marginal embankment on Lt. Bank of Ratmau river	8700	Kota macheri, Kota Pakistan.
10. Jassawala marginal embankment Lt. bank of Kansro river	8500	Jassawala.
11. Ibrahimpur marginal embankment on Rt. Bank of Ranipur rao.	4000	Ibrahimpur.
12. Kanwar road KM 0.00 to KM 12.50	5000 Beneficiaries through Vehicals.	Jwalapur, Bahadrabad,

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थापित बाढ़ चौकी का नाम :-

क्र०सं०	तहसील	बाढ़ चौकी का नाम	बाढ़ चौकी के अन्तर्गत आने वाले गांव
1	हरिद्वार	गैण्डीखाता	रसूलपुर मीठीबेरी
		श्यामपुर	1.कांगडी, 2.गाजीवाली, 3.श्यामपुर नौआबाद, 4.सजनपुर पीली
		जसवावाला	1.जसवावाला, 2.कोटा मुरादनगर, 3.हजाराग्रन्ट, 4.दादूबांस मजरा 5. लालवाला
		बिशनपुर झरड़ा कुण्डी	1.भोगपुर
2	भगवानपुर	फिरोजपुर उर्फ बुग्गावाला	1.फिरोजपुर उर्फ बुग्गावाला, 2.नौकराग्रन्ट, 3.लालवाला खालसा, 4. लामग्रन्ट, 5.बहावपुर छांगामजरी, 6.हकीमपुर, तुर्रा, 7.हसनावाला, 8. खेडली, 9.हसनपुर, 10.फतेहउल्लापुर उर्फ तेलपुरा, 11.हसनावाला, 12.बंजारेवाला ग्रन्ट, 13.खेडी शिकोहपुर, 14.औरंगजेबपुर, 15. मुकर्रमपुर उर्फ कालेवाला।
		फतेहउल्लापुर उर्फ तेलपुरा	1.फतेहउल्लापुर उर्फ तेलपुरा, 2.बंजारेवाला ग्रन्ट, 3.हसनावाला, 4. खेडी शिकोहपुर, 5.औरंगजेब पुर, 6.मुकर्रम उर्फ कालेवाला, 7. लोदीवाला (गैर आबाद)।
		बहावपुर छांगामजरी	1.वहाबपुर छांगामजरा, 2.भगवानपुर, 3.शाहपुर, 4.मक्खनपुर महमूद आलम, 5.हकीमपुर तुर्रा, 6.कलालहटी, 7.धीरमजरा, 8.मानक मजरा, 9.हल्लू मजरा, 10.बहबलपुर हंसोवाला, 11.अकबरपुर कालसी, 12. खेलडी, 13.सिकरोड़ा, 14.हबीबपुर निवादा, 15.नांगल, 16.फ्लूनी, 17. इब्राहिमपुर मसाही, 18.जलालपुर डाडा, 19.पटटी डाडा, 20.हसनपुर मदनपुर।
3	लक्सर	गोवर्धनपुर	1.सिकन्दरपुर, 2.झीवरहेडी, 3.सईपुर, 4.इब्राहिमपुर, 5.आलमपुर हस्तमौली।
		मांडाबेला जीतपुर	1.मांडा बेला, 2.दुधला दल्लावाला, 3.चन्दपुरी खादर, 4.चन्दपुरी बांगर, 5.बानूवाला, 6.चखेरी, 7.शेरपुरबेलामहा जी हिरदेरामपुर, 8. शेरपुरबेला महाजी टीम, 9.जोगावाला
		रायसी	1.हबीबपुर कुडी, 2.महारापुर खर्द गंगदासपुर अह0, 3.गंगदासपुर मु0, 4.रघुनाथपुर उर्फ बालावाली मंसूर उर्फ कपूरों, 5.गिद्धावाली, 6. कलसिया, 7.भोवावाला, 8.नन्दपुर मजरा रायसी, 9.शिवपुरी मु0 शिवपुरी अह0।
		भीक्कमपुर जीतपुर	1.फतवा अह0, 2.रामपुर रायघटी अह0, 3.जसपुर रणजीतपुर मु0, 4. रामपुर रायघटी, 5.जसपुर रणजीतपुर अह0।
4	रुडकी	बढेडी राजपुताना	1.शान्तरशाह, 2.बढेडी राजपुताना, 3.बहादुरपुर सैनी, 4.भारापुर, 5. भौरी, 6.बेलडा, 7.मिर्जापुर उर्फ मुस्तफाबाद, 8.मरगूबपुर दीदाहेडी, 9. हलवाहेडी रहमतपुर, 10.डण्डेडी ख्वाजगीर, 11.बेलडी साल्हापुर, 12. फिरोजपुर।

मानसून अवधि में बाढ़ नियन्त्रण सूचना केन्द्र की स्थापना :-

मानसून अवधि (दिनांक 15.06.2017 से 15.10.2017 तक) में इस खण्ड के अन्तर्गत बाढ़ नियन्त्रण सूचना केन्द्र जिसका दूरभाष नं०-01334-224438 है, की स्थापना की जाती है, जो 24/7 चालू रहता है एवं बाढ़ से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इस अवधि में खण्ड के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी पाली के अनुसार लगाई जाती है।

भीमगोडा बैराज स्थित बाढ़ सूचना केन्द्र का दूरभाष नं०-01334-220233 है।

➤ **खण्ड के अन्तर्गत निर्मित बाढ़ सुरक्षा योजना का नाम :-**

क्र० सं०	योजना का नाम	क्र० सं०	योजना का नाम
1	सोलानी मार्जिनल बन्ध	14	कटाव निरोधक कार्य /नदी नियन्त्रक कार्य वर्ष 1986-87 तक निर्मित कार्य
2	सीपिया बन्ध	अ)	सोलानी नदी पर स्पर संख्या, 1, 2, 4, 5, 6 8ए व 10
3.	रतमऊ पर दांया तटबन्ध (अपस्ट्रीम)		स्पर सं० 3, 7, 8 स्पर सं० 9, 9ए
4	सलेमपुर और पथरी के मध्य क्रास बन्ध	ब)	रतमऊ नदी पर स्पर संख्या 1, 1ब, 2 , 2ब, 3
5	दांया सलेमपुर बांध (डाउनस्ट्रीम)		बैडवार नं०-2, 3 व अपस्ट्रीम एवं 2 नं० डाउनस्ट्रीम रतमऊ रोह तथा 6नग गंगा नदी में बैडवार
6	अपस्ट्रीम सलेमपुर क्रास बन्ध	स)	दूधिया बन्ध -स्पर नं० - 1,2,9,10, 10ए, स्पर नं० -3,4,4ए,5,6,7,8 स्पर नं० - 10,11,12,13,14 स्पर नं० - 15,16,17,18
7	गंगा नदी पर अजीतपुर बन्ध	द)	बेलवाला बन्ध - स्पर नं० - 1,2,3,4,5,6,7
8	गंगा नदी पर बिशनुर कुण्डी बांध	ड)	कनखल स्पर
9	कनखल बांध	च)	सीपिया नदी स्पर नं०1,2,10,10ए,11,14,3,4, 5,6,7,8,9, 12,13
10	बेलवाला बन्ध	15.	स्टड्स
11	दूधिया बन्ध	अ)	बिशनपुर कुण्डी बंध के पास अजीतपुर एवं टाण्डा भागमल के पास बने स्टड
12	खानपुर ब्लाक में आबादी एवं खेती की भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु बाण गंगा नदी के दांये किनारे पर मार्जिनल बन्ध का निर्माण।	ब)	बिशनपुर कुण्डी बंध के पास बने स्टड 1 से 8 तक तथा भोगपुर के पास 1 से 10 तक।
13	खानपुर ब्लाक में आबादी एवं खेती की भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु गंगा नदी के दांये किनारे पर मार्जिनल बन्ध का निर्माण।	स)	खानपुर विकास क्षेत्र में गंगा नदी के दांये किनारे पर डुमनपुरी मे 1 से 5 तक स्टड
द)	ग्राम कोटामुरादनगर की बाढ़ सुरक्षा हेतु 4 नं० स्टड्स		
16.	वर्ष 1988-89 मे निर्मित कटाव निरोधक कार्य	28	वर्ष 2006-07 में निर्मित कटाव निरोधक कार्य
अ)	ग्राम औरंगाबाद की आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा हेतु स्टड्स	(अ)	हरिद्वार जनपद के विकास खण्ड बहादुराबाद में रतमऊ नदी के बायें किनारे पर बसे ग्राम सन्दल एवं धनौरी की बाढ़ सुरक्षा योजना (2006-07)
ब)	ग्राम कोटा मुरादनगर की बाढ़ सुरक्षा हेतु स्टड्स	(ब)	हरिद्वार जनपद के विकास खण्ड बहादुराबाद में खाला टीरा नाला पर ग्राम खाला टीरा की आपातकालीन कटाव निरोधक योजना। (2006-07)
स)	ग्राम डाडी की आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा हेतु स्टड्स	(स)	हरिद्वार जनपद के विकास खण्ड बहादुराबाद में पथरी रौ नदी के बायें तट पर आपातकालीन कटाव निरोधक योजना। (2006-07)
17	वर्ष 1989-90 मे निर्मित कटाव निरोधक कार्य	29	वर्ष 2007-08 में निर्मित कटाव निरोधक कार्य
अ)	ग्राम कोटा मुरादनगर की बाढ़ सुरक्षा हेतु स्टड्स बंध का निर्माण।	(अ)	जनपद हरिद्वार में सलेमपुर टोरेन्ट नदी पर बसे ग्राम सलेमपुर की बाढ़ सुरक्षा योजना
18	वर्ष 1990-91 मे निर्मित कार्य पथरी नदी के डाउनस्ट्रीम में बांये किनारे पर बने 1. 22 किमी० लम्बे बंध पर 11नं० स्टड तथा दांये किनारे पर बने बन्ध के 4 नं० स्टड।	30	बाढ़ सुरक्षा कार्य भोगपुर
19	वर्ष 1991-92 मे निर्मित कार्य दूधियाबंध के स्पर-15 की नोज पर घाट का निर्माण।	31	बाढ़ सुरक्षा कार्य हस्तमोली
20	वर्ष 1995-96 मे निर्मित कार्य गंगा नदी के बांये किनारे पर स्पर नं०- 10 के डाउनस्ट्रीम में पानी के तेज बहाव को रोकने हेतु	32	बाढ़ सुरक्षा कार्य आलमपुर

	बैडवार का निर्माण		
21	वर्ष 1996-97 में निर्मित कार्य	33	बाढ़ सुरक्षा कार्य शेखवाला
अ)	बिशनपुर कुण्डी बन्ध की सुरक्षा हेतु कि०मी० 5 से 6 के बीच स्टड का निर्माण। बल्ला स्टड नं० 1,2,3,4		
ब)	बल्ला स्टड नं० 5,6,7,8	34	बाढ़ सुरक्षा कार्य औरंगाबाद
स)	बल्ला स्टड नं० 9,10,11,12	35	बाढ़ सुरक्षा कार्य जस्सावाला
22	वर्ष 1997-98 में निर्मित कटाव निरोधक कार्य	36	बाढ़ सुरक्षा कार्य अलावलपुर
अ)	बिशनपुर कुण्डी बन्ध की सुरक्षा हेतु स्टड नं० 4 की 4बी का निर्माण	37	बाढ़ सुरक्षा कार्य कोटा मुरादनगर
ब)	बिशनपुर कुण्डी बन्ध की सुरक्षा हेतु कि०मी० 5 से 6 के बीच स्टड का निर्माण।	38	बाढ़ सुरक्षा कार्य डालूमगबता
23	वर्ष 1998-99 में निर्मित कटाव निरोधक कार्य	39.	बाढ़ सुरक्षा कार्य आनेकीहेतमपुर
अ)	ग्राम श्यामपुर कांगड़ी की सुरक्षा हेतु गंगा नदी के बांये किनारे पर दो स्टड एवं 180 मी० वायरक्रेट एप्रन का निर्माण।	40.	बाढ़ सुरक्षा कार्य हसनावाला
ब)	सोलानी नदी पर कुआ खेड़ी एवं ढाढेकी ग्रामों की सुरक्षा हेतु वर्ष 98-99 में कटाव निरोधक कार्य	41.	बाढ़ सुरक्षा कार्य लालवाला
24	वर्ष 2000-2001 में निर्मित कटाव निरोधक कार्य	42.	बाढ़ सुरक्षा कार्य सतरवाला मुजाहिदपुर
अ)	ग्राम बिशनपुर कुण्डी बन्ध के कि०मी० 5.60 से 7.00 कि०मी० के मध्य	43	बाढ़ सुरक्षा कार्य सिकंदरपुर
25	वर्ष 2003-04 में निर्मित कटाव निरोधक कार्य	44	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे बसे ग्रामों की आबादी एवं कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु स्टड एवं मार्जिनल बन्ध निर्माण की योजना यू०के०-18
अ)	रतमऊ नदी पर बसे ग्राम मानुबास, शेखवाला ग्रण्ट, दालूवाला एवं कोटा मुरादनगर बाढ़ सुरक्षा हेतु 16 नं० स्टड		
26	वर्ष 2005-06 में निर्मित कटाव निरोधक कार्य	45	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी पर भोगपुर से बालावाली कि०मी० 0.00 से किमी० 20.500 तक दायें मार्जिनल बन्ध के स्ट्रैन्थिनिंग के कार्यों की योजना। यू०के०-15
27	वर्ष 2006-07 में निर्मित कटाव निरोधक कार्य		
अ)	जनपद हरिद्वार में रवासन नदी पर बसे ग्राम मिट्ठीबेरी एवं ढंढेनवाला की बाढ़ सुरक्षा योजना।		
ब)	विकासखण्ड बहादुराबाद में कोटावाली नदी पर बसे ग्राम लाहड़पुर की बाढ़ सुरक्षा योजना।		

➤ खण्ड के अन्तर्गत निर्माणाधीन बाढ़ सुरक्षा योजना का नाम :-

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना की लागत	लाभान्वित ग्राम
1	जनपद हरिद्वार में विकास खण्ड लक्सर के अन्तर्गत सोलानी नदी के बायें किनारे पर बाढ़ नियन्त्रण कार्यो के निर्माण की योजना। यू०के०-13	2260.57	ग्राम रणसुरा, नगला, मुकरपुर, जैनपुर खुर्द, लादपुर, सफीपुर, नबादा डोसनी, कुआंखेडा, ढाढकी, मथाना, मौहम्मदपुर, करणपुर, दाबकी कला, महेश्वरा, गनौली, रोहालकी, खेडी, लक्सर,, शहीपुर, सिकन्दरपुर, अवधिपुर एवं अय्यापुर आदि
2	जनपद हरिद्वार गंगा नदी एवं बाण गंगा पर निर्मित मार्जिनल बन्ध के स्ट्रेन्थनिंग के कार्यो की योजना यू०के०-14	1752.82	ग्राम बिशनपुर कुण्डी, रानी माजरा, टाडा भागमल, भोगपुर, फतवा, शेरपुर बेला, माणा बेला, चन्द्रपुरी खादर, चन्द्रपुरी बांगर, नाईवाला, दल्लावाला एवं जोगीवाला आदि।
3.	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी पर भोगपुर से बालावाली कि०मी० 0.00 से कि०मी० 20.500 तक दायें मार्जिनल बन्ध के स्ट्रेन्थनिंग के कार्यो की योजना। यू०के०-16	1306.00	ग्राम भोगपुर, फतवा, रामपुर रायघटी, रणजीतपुर, शिवपुरी, बहादराबाद, महाराजपुर खुर्द, महाराजपुर कला, नन्दपुरी, पण्डितपुरी एवं गंगदासपुर आदि
4	जनपद हरिद्वार में सोलानी बन्ध, भोगपुर बालावाली बन्ध खानपुर बन्ध, बिशनपुर कुण्डी बन्ध एवं कांगड़ी के क्षतिग्रस्त बाढ़ कार्यो के पुर्नस्थापना की योजना	1129.27	ग्राम मथाना, मौहम्मदपुर, करणपुर, दाबकीकलां, महेश्वरा, गनौली, रोहालकी, शिवपुरी, रणजीतपुर, शेरपुर बेला, माणा बेला, चन्द्रपुरी खादर, चन्द्रपुरी बांगर, नाईवाला, दल्लावाला एवं जोगीवाला आदि
5	जनपद हरिद्वार में मीठीबेरी, कांगड़ी पुण्यभूमि, अय्यापुर, कोटवाल आलमपुर हस्तमौली प्रह्लादपुर, ब्राह्मणवाला, शाहपुर एवं आलमपुर ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा योजना	1005.08	ग्राम मीठीबेरी, कांगड़ी, पुण्यभूमि, अय्यापुर, कोटवाल, हस्तमौली, प्रह्लादपुर, ब्राह्मणवाला, शाहपुर एवं आलमपुर, मदारपुर आदि।
6	जनपद हरिद्वार में भगवानपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत सोलानी नदी के ग्रामों की आबादी, कृषि भूमि सुरक्षा हेतु स्टड एवं मर्जिकल बांध के निर्माण की योजना	3889.81	---
7	जनपद हरिद्वार में भगवानपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम महरीपुर टोंगिया एवं बादीवाला (नोकराग्रन्ट) की बाढ़ सुरक्षा योजना	839.84	---
8	जनपद हरिद्वार में भगवानपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम मजाहीदपुर सतीवाला मजबत, मजाहीदपुर सतीवाला खालसा एवं लामग्रन्ट की बाढ़ सुरक्षा योजना	933.91	---
9	जनपद हरिद्वार में भगवानपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम कुतुबपुरग्रान्ट की बाढ़ सुरक्षा योजना	308.05	---
10	जनपद हरिद्वार में भगवानपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम गाजावाला एवं हसनावाला की बाढ़ सुरक्षा योजना	267.71	---
11	जनपद हरिद्वार के रूड़की विकास खण्ड में स्थित ग्राम भारापुर, हलवाहेडी, मरगूबपुर तथा रतनपुर की बाढ़ सुरक्षा योजना	1278.77	---
12	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत सोलानी नदी पर ग्राम जलालपुर से जोरासी तक की बाढ़ सुरक्षा कार्य	1211.58	---

13	जनपद हरिद्वार के नारसन विकास खण्ड में सोलानी नदी पर ग्राम भिकरपुर, गोसपुर, आमखेडी तथा मुडलाना की बाढ़ सुरक्षा योजना	816.20	---
14	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विकासखण्ड भगवानपुर के ग्राम खेमपुरहज्जपुर की बाढ़ सुरक्षा योजना	814.06	---
15	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विकासखण्ड भगवानपुर के ग्राम नागल एवं पलूनी की बाढ़ सुरक्षा योजना	272.70	---
16	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विकास खण्ड भगवानपुर के ग्राम दरियापुर दयालपुर की बाढ़ सुरक्षा योजना	155.83	---
17	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विकास खण्ड भगवानपुर के ग्राम धीरमजरा की बाढ़ सुरक्षा योजना	519.43	---
18	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर ब्लॉक में सोलानी नदी के बायें किनारे ग्राम किशनपुर करोन्दी में बाढ़ सुरक्षा कार्य योजना	1258.24	---
19	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर ब्लॉक में सोलानी नदी के बायें किनारे ग्राम हसनपुरमदनपुर से ग्राम खुब्बनपुर तक बाढ़ सुरक्षा कार्य योजना	1565.74	---
20	जनपद हरिद्वार के ग्राम छांगामजरी की कृषि भूमि को हिन्दोला नाले से बचाने हेतु हिन्दोलान नाले के निर्माण की योजना	271.02	---
20	विकास खण्ड रुड़की के अन्तर्गत ग्राम ढन्ढेरी ख्वाजगीपुर, मिजापुर, मुस्तफाबाद, खटकी की रतमऊ नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना	1031.90	---
21	जनपद हरिद्वार के भगवानपुर के ग्राम करोन्दी, किशनपुर, चौल्ली एवं खेड़ीशिकोहपुर की बाढ़ सुरक्षा योजना	1609.00	---

5- Details Of Sub Offices/Sub-Units/Sub-Divisions In Each Tehsils/Blocks

Name of Tehsil/ Block	details(Village)	Name of the A.E with telephone No.	Junior Engineer Name/Contact No.	Resources Available				Name and Telephone no of the Driver
				Equip ment	Vehicles	Staff No.	Water Tank /JCB/Trucks /Crans / Ambulance	
Haridwar/ Bahadrabad	Sub div-I Baharpeeli, Tatwala, Kangri, Gajjiwala, Shayampur, Pili Padaw, Area left bank of Ganga river, Kanwar patri, Dhadenwala, Laldhang, Mithiberi	Mr. Vinod Kumar dangwal 9412001777	1-Mr. Amit Kumar, 8755772902 2-Mr. Jeley Singh, 885909179 3-Mr. Vishal Singh Rawat 9557244116		One Jeep Shared Among 07 Officer			Mr. Anil Saini 9758708153
Laksar Block	Sub div-II Ransura, Nagala,Mukarpur, Nabada dosni, Kunwakhera, Dhadki, Mathana, Mohamadpur, Karanpur, Dabki Kala,Maheshwara, Ganoli, Rohalki Kheri, laksar, Shahipur, Shikandarpur, Awadhipur, Ayyapur, Hastmoli, Alampura,Makhiyali Khurd, jainpur Khurd, Ladpur Khurd, Ladpur Kala, Safipur	Mr. Pan singh Bisht 9410746119	1-Mr. Jaydeep Singh 9012045454 2-Mr. Alok Saini 9756972156					
Bahadrabad /Haridwar/ Laksar	Sub div-III Haridwar, Bhogpur, Fatwa, Rampur Raighati, Ranjeetpur, Shivpuri, Maharajpur Khurd, Maharajpur Kala, Nandpuri, Panditpuri, Gangdaspur, Majada, Tilkpuri, Bikkampur, Kabulpur, Bikkampur, Kabulpur, Jagjeetpur	Mr. Chandra Shekhar Pant 9579155450	1-Mr. Dharmendra Kumar 9411560424 2-Mr. Rovindra Kumar 9759223017					
Bahadrabad /Haridwar/ Laksar	Sub div-IV Bishanpur Kundi, Ranimajra, tada Bhagmal, Jyapota, Ajeetpur, ranimajra, Jogiwala, Subhash Garh, Sari Akkar, Panjanheri minor, Manubas,Dadubas, Kota Muradhnagar, Jassawala, Sohalpur, Dhanori, Lalwala, Anaiki, Shidaspur Urf Teliwala, Garmirpur, Hazaragrانت BHEL	Mr. Dinesh Chandra Uniyal 9720135566	1-Mr. Rajneesh Thapliyal 8395025400 2-Mr. Ankit Dhiman 8954780532 3-Mr. Yogendra Tomar 9760879919					
Laksar/ Khanpur	Sub div.-V laksar, Dumanpuri,(Ramsawala), Kalsiya, Himatpur Bela, Idrispur, Khanpur, Sherpur bela, Mana bela, Chandpuri Khaddar, Chandrapuri bangar, Dallawala, naiwala, Tugalpur etc.etc	Mr. Indra Kunwar 9412949790	1-Mr. Deepak Saini 7055218433 2-Mr. Vishal Singh Rawat 9557244116					

सिंचाई विभाग, रुड़की कार्ययोजना

आपदा प्रबन्धन का उद्देश्य:

- किसानों को समय से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
- गंगा नदी, बाणगंगा, सोलानी, रतमऊ, रवासन, पथरी राव, रानीपुर राव आदि के साथ लगे आवासों और कृषि भूमि का संरक्षण।
- त्यौहारों और मेलों के अवसर पर पवित्र स्नान हेतु सुरक्षित, साफ और स्वच्छ घाट प्रदान करना।
- त्यौहारों और मेलों के अवसर पर सुरक्षित उप रास्ता (कांवड़ रोड) प्रदान करना।

आपदा के प्रकार

हरिद्वार में निम्न प्रकार की आपदाएँ आने की सम्भावनाये होती है।

- बाढ़
- भारी वर्षा के कारण आपदा आने का खतरा
- भूकम्प
- आग से आपदा
- भूस्खलन
- भगदड़ से आपदा

विभाग का कार्य क्षेत्र: गंगा नदी, बाणगंगा, सोलानी, रतमऊ, रवासन, रानीपुर राव, पथरी राव, और सहायक नदियों से घिरा क्षेत्र, गंगा नदी और गंगा नहर के किनारे सभी स्नान घाट, नहरें, नालें, (नगर निगम क्षेत्र, तालाब, जलाशय, बांध, बैराज आदि के अतिरिक्त) आदि से ग्राम व शहरी क्षेत्र की सुरक्षा का कार्य।

तहसील/ब्लाक के सब-आफिस/सब-यूनिट/सब-डिविजन की सूचना का विवरण-

तहसील/ ब्लाक का नाम	विवरण	संख्या	मुख्य अधिकारी का नाम	उपलब्ध संसाधन				झाइवर का नाम व फोन न.
				औजार	वाहन	स्टाफ सं.	वाटर टैंक/ जेसीबी आदि	
भगवानपुर/ भगवानपुर	सब डिविजन 1 खेडी शिकोहपुर, गंजामजरा, गौशाला अलावलपुर, हसनपुर मदनपुर, चोली शाहबुद्धीनपुर, खुब्बनपुर, अहमदपुर खेडी, डाडा पट्टी, मानक मजरा, किशनपुर करौन्दी,		श्री आलोक कुमार 7088778451			कनि0अभि0-03 मेट-01 एस.डी.सी.-01		
भगवानपुर/ भगवानपुर	सब डिविजन-2 शहीदवाला ग्रन्ट, बुग्गावाला ग्रन्ट, हरिपुर टौंगिया, बुद्धाशहीद, सतीमजाहीदपुर, दौडबसी, बंजारेवाला, तेलपुरा, भगवानपुर, शाहपुर, मक्खनपुर, हाल्लुमज्जरा, छांगामजरी, दरयापुर दयालपुर, नागल पलूनी, धीरमजरा		श्री अभय सिंह 8765838236			कनि0अभि0-02 मेट-02 एस.डी.सी.-01		
रुड़की/रु ड़की	सब डिविजन-3 बीचपडी, बहादुरपुर, शंतरशाह, खेलडी, बेगमपुर, इब्राहिमपुर, रामपुर, मलकपुर, आर्दशनगर,		श्री शशि भूषण वर्मा 9412004665		जैप-1	कनि0अभि0-03 मेट-01 बेलदार-01 एस.डी.सी.-01		श्री राम भण्डारी 95363453 21

	सोलानीपुरम,खंजरपुर, खानपुर, भंगेडी, जलालपुर							
नारसन / रुड़की	सब डिविजन-4 रहमतपुर, बढेडी, राजपुताना, मलकपुर मजरा, कल्हानपुर, ढंडेरी ख्वाजीगपुर		श्री मनोज बिष्ट, 7351590279			कनि0अभि0-03 मेट-02 एस.डी.सी.-01		
नारसन / रुड़की	सब डिविजन-5		श्री संजिव कुमार सिंह 9411587500			सहा0अभि0-01 कनि0अभि0-02 एस.डी.सी.-01		

खतरों से ढांचागत संवेदनशीलता

स्थान	बाढ़/तेज वर्षा	
	जनसंख्या (लगभग)	क्षेत्र का नाम
पथरी रौ से ग्राम शांतरशाह मार्जिनल बांध का निर्माण	5800	बीचपडी, बहादरपुर, शंतरशाह, खेलडी, बेगमपुर,
सोलानी नदी पर ग्राम खेडी शिकोहपुर सीमान्त तटबन्ध का निर्माण	252000	नानकगढ,औरंगजेबपुर,लौधीयावाला, कालावाला, खेडी सिकोहपुर
सोलानी नदी पर ग्राम छांगामजरी, शाहपुर, भगवानपुर, हाल्लुमजरा, मानक मजरा सीमान्त तटबन्ध का निर्माण	252000	छांगामजरी, शाहपुर, भगवानपुर, हाल्लुमजरा, मानक मजरा
सोलानी नदी पर ग्राम बुग्गावाला, नौकरा ग्रन्ट सीमान्त तटबन्ध का निर्माण	119000	शहिदवाला ग्रन्ट, बुग्गावाला, नौकरा ग्रन्ट, बढीवाला, दौरबसी
सोलानी नदी पर ग्राम सोलानीपुरम,आदर्शनगर, खंजरपुर, खानपुर, भंगेडी सीमान्त तटबन्ध का निर्माण	412000	इबराहिमपुर, रामपुर, मलकपुर, आदर्श नगर, सोलानीपुरम, खंजरपुर, खानपुर, भंगेडी, जलालपुर
वायरकेट दिवार आफ रतमाऊ नदी	4860	रहमतपुर, बढेडी राजपुताना, भौरी डेरा

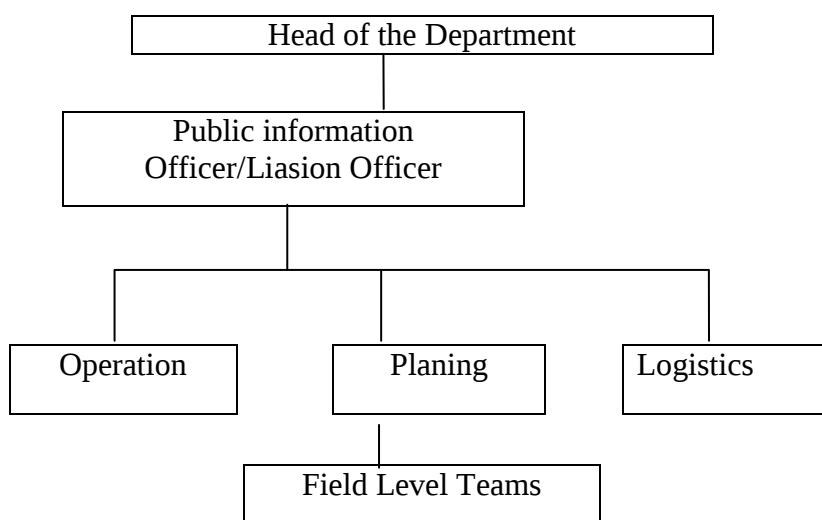
कमजोर और संवेदनशील बिन्दुओं की पहचान

सब डिविजन/ सब यूनिट/ सब आफिस का नाम	रोड/पुल/तटबन्ध /पाइपलाइन/ अस्पताल/स्कूल/ सब-वे का नाम	ब्लाक/ ULB का नाम	संवेदनशील बिन्दु	प्रभावित गांव/ यू. एल. बी (लगभग)
सब डिविजन-1	गांजा मजरा खड़ी तटबंध चोली तार टोकरें किशनपुर क्रान्धी टोकरा दीवार	भगवानपुर		खेडी शीकोहपुर
सब डिविजन-2	एम्बैकमैट वायर क्रेट वाल इन ग्राम भगवानपुर शाहपुर हल्लुमजरा चैज माजरी नौकराग्रन्ट बुग्गावाला शहीदवाला ग्रन्ट बाददीवाला	भगवानपुर	ढाढेकी, मथाना	
सब डिविजन-3	ग्राम रहमतपुर में वायर टोकरी की दीवार बढेडी राजपूतान और भौरी डेरा	रुड़की	रहमतपुर बढेडी राजपूतान और भौरी डेरा	
सब डिविजन-4	ग्राम रहमतपुर में वायर टोकरी की दीवार बढेडी राजपूतान और भौरी डेरा	नारसन	रहमतपुर बढेडी राजपूतान और भौरी डेरा	
सब डिविजन-5		नारसन		

न्यूनीकरण प्लान

विभाग का नाम	आई ई सी गतिविधियां	न्यूनीकरण के उपाय	जिम्मेदार अधिकारी	मोबाइल न.
सिचाई		1-कमजोर तटबन्धों का मजबूतीकरण और ऊंचाई बढ़ाना 2-बाढ़ से निपटने की सामग्री संग्रह जैसे रेत के बैग, वायर केरेट्स, रस्सी आदि	1-श्री ए0एस0 बिष्ट, अधि0अभि0 2-श्री आलोक कुमार, सहा0अभि0 3-श्री अभय सिंह, सहा0अभि0 4-श्री एस0बी0, सहा0अभि0 5-श्री मनोज बिष्ट, सहा0अभि0 6-श्री एस0के0 सिंह, सहा0अभि0	9412363451 7088778451 5765838236 9412004665 7351590279 9411587500

इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम (आई. सी. एस.) INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS):



अधिकारी की भूमिका और जिम्मेदारियां :-

क्र०सं०	अधिकारी की भूमिका	अधिकारी की जिम्मेदारियां
1	विभाग/डिवीजन का मुखिया	अधिशासी अभियन्ता के पास नियन्त्रण व्यवस्था की सभी जिम्मेदारी ।
2	संपर्क अधिकारी	श्री अभय सिंह, सहा०अभि० सम्पर्क अधिकारी होंगे जो कि अन्य विभागों, स्थानीय लोगों तथा जिला प्रशासन के साथ संचार और समन्वय करेंगे।
3	आफिसर इन चार्ज ऑपरेशन	श्री आलोक कुमार, सहा०अभि० फील्ड स्तरीय टीमों की सहायता से सभी सुरक्षा गतिविधियों, नुकसान की मरम्मत और रखरखाव का कार्य करेंगे।
4	आफिसर इन चार्ज, नियोजन	श्री शशी भूषण, सहा०अभि० खतरे के समय राहत कार्य हेतु किस प्रकार के सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है उसकी रणनीति तय करेंगे जैसे रेत के बैग, बोल्टर, वॉयर करेट आदि।
5	आफिसर इन चार्ज लाजिस्टिक	श्री मनोज बिष्ट/एस०के० सिंह, सहा०अभि० राहत हेतु इन चार्ज होंगे जो राहत कार्य हेतु आवश्यक सामग्री जैसे खाली सीमेन्ट बैग, रेत/आर०बी०एम०, बड़े पत्थर, तार के बंडल, रस्सी आदि का प्रबंधन करेंगे।
6	फील्ड स्तरीय टीम	सभी कनि०अभि० मेट, बेलदार, आफिसर इन चार्ज श्री सी पी भट्ट के निर्देशन में कार्य करेंगे।

आपदा से पूर्व, दौरान तथा बाद में प्रतिक्रिया

विभाग का नाम	तैयारियां	आपदा से पूर्व (चेतावनी के बाद)	आपदा के दौरान	आपदा के बाद
सिंचाई (बाढ़/ भारी वर्षा और भूस्खलन)	बचाव टीम एक घंटे के अन्दर आपदा के स्थान पर पहुंचेगी।	रेत के बैग, वायर करेटस, रस्सी आदि का संग्रह और कमजोर स्थलों का उपचार करना।	रेत के बैग, मोटे पत्थर का ढेर लगाना, वायर करेट को बिछाना, बल्लियों को गाढ़ना क्षतिग्रस्त स्थानों पर घास के बंडल लगाना	नुकसान हुए हिस्से की मरम्मत करना तथा मजबूतीकरण करना

मानक प्रचालन विधि (Standard Operating Procedures)

सूचना प्राप्त होने के बाद हमारे फील्ड स्तरीय अधिकारी अपनी टीम के साथ जल्द से जल्द घटना स्थल पर पहुंचेंगे तथा नजदीकी स्टोर से राहत/फस्ट एड सामग्री को इक्कठा करेंगे और कमजोर स्थानों की मरम्मत करेंगे।

संसाधन इनवेन्टरी फोन न.

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पद	मोबाइल
1	1—श्री अतर सिंह बिष्ट	अधि०अभि०	9412363451
2	2—श्री आलोक कुमार	सहा०अभि०	9412904719
3	3—श्री मनोज बिष्ट,	सहा०अभि०	7351590279
4	4—श्री एस०के० सिंह,	सहा०अभि०	9411587500
5			

अन्य स्टाफ (तकनीकी/गैर तकनीकी)

कम्पनी	नाम	पद	मोबाइल न.
सिंचाई डिविजन रुड़की	श्री राज कुमार	ए०ए०ई०	9411147240
	श्री विकास कौशिक	कनि०अभि०	9997053410
	श्री विशाल रस्तौगी	कनि०अभि०	9897065096
	श्री कमल किशोर सिंह	कनि०अभि०	9997119856
	श्री संदीप	कनि०अभि०	9012521864
	कु० प्रिया सैनी	कनि०अभि०	9012069708
	श्री शिव कुमार	कनि०अभि०	7895675588
	श्री अमर सिंह	कनि०अभि०	8938922133
	श्री शोभित कुमार	कनि०अभि०	7417408116
	श्री राजबीर सिंह	कनि०अभि०	9456670157
	श्री गौरव राना	कनि०अभि०	9557535355
	श्री नितिन कुमार	कनि०अभि०	9897627459
	श्री अमित कुमार खटाना	कनि०अभि०	9410706781
	श्री मन्नु कुमार	कनि०अभि०	9997906786
	श्री बाबरेश कुमार	कनि०अभि०	9758144415

पशुपालन विभाग, हरिद्वार कार्ययोजना

दैवीय आपदा(सुखा एवं अतिवृष्टि) हेतु कार्य योजना- पशुपालन विभाग, हरिद्वार

विगत वर्षों में वर्षाकाल के दौरान दैवीय आपदा के कारण काफी अधिक मात्रा में पशुपालन एवं परिसम्पत्तियों की क्षति हुई। वर्ष 2013-14 में विकासखण्ड लक्सर,खानपुर एवं बहादुराबाद वर्ष 2016-17 में विकासखण्ड बाहदराबाद, रुड़की एवं भगवानपुर एवं वित्तग वर्ष 2017-18 में विकास खण्ड बाहदराबाद में मानसून ऋति /बाढ़/आकाशीय बिजली गिरने से पशुधन हानि हुई थी। आगामी मानसून सत्र में गतवर्ष मानसून ऋतु में दैवीय आपदा से हुई क्षति को दृष्टिगत रखते हुये इस मानसून में सम्भावित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में विभाग द्वारा की जाने वाली पूर्व तैयारी के सुरक्षात्मक उपाय एवं सुझाव निम्नानुसार है:-

1- आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना-

आपदा से प्रभावित पशुओं की सम्पूर्ण जानकारी एवं परिसम्पत्तियों की सुरक्षा की दृष्टि से एक आपदा नियंत्रण कक्ष पशु चिकित्सालय सदर में संचालित किया जायेगा। पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय समय के उपरान्त भी आपातकालीन संदेश ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें। पशुचिकित्साधिकारी, हरिद्वार सदर को आपदा प्रबन्धन कन्ट्रोल रूम का प्रभारी नियुक्त किया जाता है। **डा० विजयपाल सिंह जादोन का दूरभाष न०-9412984364 व कार्यालय दूरभाष संख्या-01334-226826 है।** कन्ट्रोल रूम प्रभारी द्वारा विकासखण्डवार सूचना प्राप्त कर, संकलित सूचना 3:00 बजे सांय तक अनिवार्य रूप से मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करेंगे।

2- जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित करना:-

डा० रमन चौपडा, उप पशुचिकित्साधिकारी,हरिद्वार को आपदा नियंत्रण हेतु पशु पालन विभाग को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है कि वे आपदा नियंत्रण से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सुचारु रूप से सम्पादन करेंगे। डा० रमन चौपडा,उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, हरिद्वार का दूरभाष संख्या-9837109111,कार्यालय फ़ैक्स/दूरभाष संख्या-01334-239978 व ईमेल आईडी0-cvoharidwar@gmail.com है।

3- आपदा नियंत्रण टीम-

विकास खण्ड स्तर पर आपदा नियंत्रण टीम का गठन निम्नानुसार किया जाता है जो आपदा के समय राहत कार्यों का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर करे।

क्र.सं	विकास खण्ड	अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम	संस्था का नाम	दूरभाष
1	बहादुराबाद	विकासखण्ड-नोडल अधिकारी 1-डा०विपुल जैन, प०चि०अ०,ग्रेड-1	हरिद्वार, सदर	9456483544
2		2-श्री राजपाल सिंह, प०प्र०अ०	प०से०के०-ज्वालापुर	9837490234
		3-श्री शशिकान्त घिल्डियाल, प०प्र०अ०	प०से०के०-अलावलपुर	9411129458
		4-श्री नरेश कुमार, प०प्र०अ०	प०से०के०-पथरी	9412379235
		5-श्री राम विलास, प०सहा०	हरिद्वार-सदर	
3	रुड़की	विकासखण्ड-नोडल अधिकारी 1-डा०उमेश चन्द्र भट्ट,प०चि०अ०,ग्रेड-1	प०चि०-रुड़की	8937000904
		2-श्री बीरेशबल, प०प्र०अ०	प०से०के०-नन्हेडा	9756841483
		3-श्रीमती रेनू वर्मा, प०प्र०अ०	प०से०के०-खाताखेडी	9456747515
		4-श्री कुरडी सिंह, प०सहा०	प०चि०-रुड़की	9897207138
		5-श्री अनिल त्यागी, प०सहा०	प०चि०-बेलडी	9627386225
3	नारसन	विकासखण्ड-नोडल अधिकारी 1-डा० सत्य विकास, प०चि०अ०,ग्रेड-1	प०चि०-नारसन	9639344300
		2-श्री मनीष कुमार, प०प्र०अ०	प०से०के०-लिब्वरहेडी	9837111378

		3—श्री विपिन कुमार, बैटोफार्मो	प0से0के0—लण्डौरा	9456615402
		4—श्री महेन्द्र, प0सहा0	प0चि0—मंगलौर	9411713850
		5—श्री सतीश कुमार, प0सहा0	प0चि0—नारसन	
4	भगवानपुर	विकासखण्ड—नोडल अधिकारी 1—डा0महेन्द्र कुमार, प0चि0अ0	प0चि0—भगवानपुर	9412940668
		2—श्री संदीप कुमार, प0प्र0अ0	प0से0के0—हल्लूमाजरा	9720078059
		3—श्री नितिन, प0प्र0अ0	प0से0के0—बुग्गावाला	9410249163
		4—श्री गौकरण, प0सहा0	प0चि0—सिकरौडा	8057068955
		5—मौ0इस्लाम, प0सहा0	प0चि0—सिकरौडा	9411845947
5	खानपुर	विकासखण्ड—नोडल अधिकारी 1—डा0गुरप्रीत सिंह, प0चि0अ0	प0चि0—खानपुर	9557135311
		2—श्री घनश्यामप सिंह, प0प्र0अ0	प0से0के0—सुल्तानपुर	9411713850
		3—श्री विनोद कुमार, बैटोफार्मो	प0चि0—खानपुर	9012261816
		4—श्री ईश्वरदयाल, प0सहा0	प0चि0—खानपुर	9758997358
		5—श्री विपिन कुमार, प0सहा0	प0चि0—गोरधनपुर	9456615402
6	लक्सर	विकासखण्ड—नोडल अधिकारी 1—डा0राजपाल सिंह, प0चि0अ0	प0चि0—लक्सर	9411022964
		2—श्री देवेन्द्र सिंह, बैटोफार्मो	प0से0के0—रायसी	9897207138
		3—श्री एफ0डी0 खान, प0प्र0अ0	प0से0के0—मुण्डाखेडाकला	9412980354
		4—श्री रमेश कुमार, प0सहा0	प0चि0—रायसी	
		5—श्री चन्दूलाल, प0सहा0	प0चि0—लक्सर	

उक्तानुसार बाढ़ राहत टीम अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आपदा के समय घायल पशुओं का उपचार कर प्रतिदिन सूचना कन्ट्रोल रूम, पशुचिकित्साधिकारी, हरिद्वार को उपलब्ध करायेंगे, ताकि कन्ट्रोल रूम से सूचना संकलित कर उच्चाधिकारियों को यथा समय प्रेषित कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में एक अन्य आपदा प्रबन्धन हेतु टीम का गठन किया जा रहा है जो कि जनपद के प्रत्येक विकासखण्ड में आपदा के समय यथा समय वैक्सीन दवा अन्य चारा सम्बन्धी कार्य त्वरित गति से सम्पादित करेगी।

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	संस्था का नाम	दूरभाष
1	डा0 अभय कुमार, उप मु0प0चि0 अधिकारी	रोशनाबाद, हरिद्वार	9412966149
2	डा0 विजयपाल सिंह जादोन, प0चि0अ0, ग्रेड-1	हरिद्वार, सदर	9412984364
3	श्री विकास चौहान, वे0फार्मो	स0प0चि0, हरिद्वार, सदर	9758741100
4	श्री गिरीश रावत, प0सहा0	हरिद्वार, सदर	9412902270

4— आपदा से परिसम्पत्तियों का नुकसान सम्बन्धी आंकलन—

प्रत्येक राहत टीम द्वारा परिसम्पत्तियों को हुई क्षति की सूचना कन्ट्रोल रूम को भेजा जायेगा तथा पशुचिकित्साधिकारी सदर, हरिद्वार सूचना एकत्रित कर इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

5— आपदा से पशुधन हानि (मृत/घायल)—

महामारी की स्थिति में मृत एवं घायल पशुओं की सम्पूर्ण जानकारी कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध करायी जायेगी, घायल पशुओं की समुचित चिकित्सा तथा मृत पशुओं शव परीक्षण आपदा राहत टीम द्वारा बिना वक्त गवायें, गावों में ही निष्पादित किया जायेगा। आपदा की स्थिति में पर्याप्त मात्रा में रोग निरोध टीके व ओषधियों यथासमय केन्द्रीय भण्डार से प्राप्त कर आरक्षित कर ली जाय।

6— आपदा प्रबन्धन पशुओं का उपचार, भूसे की व्यवस्था दवाईयां मिनरल मिक्चर आदि की व्यवस्था—

पशुचिकित्साधिकारी, हरिद्वार सदर आपदा राहत कार्यो के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय भण्डार में उपलब्ध औषधियों एवं वैक्सीन का 10 प्रतिशत आपदा राहत हेतु रिजर्व रखेंगे। इसी प्रकार जनपद में चारा बैकों में पदस्थ पशु चिकित्साधिकारी भी चारा बैकों में समुचित फीड ब्लॉक तथा चाटन भैली का भण्डार करना सुनिश्चित करेंगे।

विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना
शिक्षा विभाग, हरिद्वार।

1- परिचय: शिक्षा विभाग में जनपद मुख्यालय के चारों ओर भू-भाग पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हाईस्कूल, अशासकीय विद्यालय, इन्टर कालेज स्थित है, बहुत बड़ी संख्या में छात्र/छात्राओं को भूकम्प आग से बचाव, बाढ़ के संबंध में जानकारी देकर सावधान किया जा सकता है जनपद मुख्यालय में शिक्षा विभाग में पदों का विवरण निम्नवत् है-

Report for the Quarter Monitoring of Implementation of the National DM Guidelines on School safety Policy at the District Level-

Part I- Basic Information

- 1- District : Haridwar
- a) Total Blockes/Clusters : 06
- b) Total Villages : 508
2. Total Schools : 281
3. Category/Type of Schools
 - a) Total Govt. Aided Schools : 102
 - b) Total Govt. Private Schools : 38
 - c) Total Govt. Schools : 141
 - d) Total Govt. Schools(Urban) : 83
 - e) Total Govt. Schools(Rural) : 83
 - f) Total Govt. Schools(Elemen) : 19
 - g) Total Govt Schools(Secondary) : 102
4. Has the school safety Advisory committee been constituted at the District Level- No.

Part-II Status of Implementation of the National Guidelines on school safety Policy

S.No	Activity	Done	Yet to be	Total
1	Number of Schools which have finalized the School Disaster Management Plan(SDMP)	48	233	281
2	Number of Schools which have conducted safety audits: a) Structural b) Non-Structural	-	-	-
3	Number of schools which have conducted annual mock Drills	19	262	281
4	Number of Schools Where fire extingssers have been Installed	57	224	281
5	Number of School which adhere to safety norms with respect to storage of inflammable and toxic Material	61	220	281
6	Number of Schools which confirm to safety Standard as per Local Building bye/laws(As approved by Local Authoritied	678	203	281
7	Number of Schools which have been issued"Recognition certificate"under subrule(4)-Rule 15 of RTE rules 2010(Only to schools that comply with structural safety norms)	64	217	281
8	Number of Schools where Students and teachers undergo regular training in School safety and Disaster preparedness	49	232	281
9	Number of Schools where Disaster management is being taught as part of the curriculam	141	140	281

शिक्षा विभाग के जनपद स्तर के आपदा प्रबन्धन हेतु नोडल अधिकारी-

1-डा० श्री आनन्द भारद्वाज, मुख्य शिक्षा अधिकारी मो०न०-9412023457

नोडल अधिकारी के अवकास में अथवा मुख्यालय से बाहर रहने पर प्रभारी नोडल अधिकारी-

1-श्री गोविन्द राम जयसवाल, जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)-9412058172

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार	मुख्य शिक्षा अधिकारी	1	1	0
		मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
		वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
		प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
		वैयक्तिक सहायक	1	1	0

		प्रधान सहायक	1	1	0
		वरिष्ठ सहायक	2	1	1
		वाहन चालक	1	1	0
		परिचालक	1	1	0
		योग	10	08	02
2	जिला शिक्षा अधिकारी(मा0), हरिद्वार	जिला शिक्षा अधिकारी, मा0	1	1	0
		मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
		वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
		प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
		प्रधान सहायक	1	1	0
		वरिष्ठ सहायक	2	2	0
		कनिष्ठ सहायक	4	2	2
		वाहन चालक	1	1	0
		दफतरी	1	0	1
		परिचालक	5	4	1
		योग	18	13	05
3	लेखा	वित्त अधिकारी	1	1	0
		लेखाकार	5	0	5
		वरिष्ठ सहायक	1	1	0
		सम्प्रेक्षक	1	1	0
		सहायक लेखाकार	1	1	0
		कनिष्ठ लेखा लिपिक	2	1	1
		कनिष्ठलेखा लिपिक/टंकन	1	1	0
		परिचालक	2	1	1
		योग	14	07	07
		महायोग	41	47	14

रमसा कार्यालय:-

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	जिला परियोजना अधिकारी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	1	1	—
2	वित्त अधिकारी रा0मा0शि0अव	1	1	0
3	जिला सन्दर्भ व्यक्ति (आकादमिक)	01	01	01
4	जिला सन्दर्भ व्यक्ति (नियोजन)	01	0	01
5	लेखाकार	01	01	0
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	01	0

सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण:-

क्र0सं0		कार्यालय का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	—	जिला परिचोजना अधिकारी	1	1	0
2	श्री पुलम सिंह चौहान	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	1	1	0
3	श्री दरवान सिंह भण्डार	जिला समन्वयक	06	02	04
4	श्री सुन्दर सिंह नेगी	जिला समन्वयक	01	01	0
5	श्री विकास काम्बोज	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	01	0
6	श्री दीपक धिल्लियाल	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	01	0
7	श्रीमती साधना शर्मा	रिसोर्स अध्यापिका	02	01	01
8	सुश्री अर्चना पोखरियाल	लेखाकार	01	01	0
9	श्री भगत सिंह	परिचारक	01	01	0
मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ					
1	श्री दीपक पंवार	एम0डी0एम0 समन्वयक	01	01	0
2	श्री अशोक शर्मा	एम0आई0एस0 समन्वयक	01	01	0
3	श्री सत्यवीर सिंह	परिचारक	01	01	0

जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण:-

क्र०सं०		कार्यालय का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	—	जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)	01	01	0
		मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	01	01
		वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0
		प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0
		प्रधान सहायक	01	0	01
		वरिष्ठ सहायक	02	01	01
		कनिष्ठ सहायक	03	03	0
		परिचारक	04	04	0

जनपद के विकासखण्ड कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण:-

क्र०सं०		कार्यालय का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	मो०नम्बर
1	श्री इन्द्रभान सिंह	खण्ड शिक्षा अधिकारी नारसन	01	प्रभारी	01	9897872717
		मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		प्रधान सहायक	01	01	0	
		वरिष्ठ सहायक	01	01	0	
		कनिष्ठ सहायक	01	02	0	
2	श्री श्रीकान्त पुरोहित	खण्ड शिक्षा अधिकारी, रुड़की	01	01	0	9412420202
		मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		प्रधान सहायक	01	01	0	
		वरिष्ठ सहायक	01	01	0	
		कनिष्ठ सहायक	01	01	0	
3	श्रीभिवकम सिंह	खण्ड शिक्षा अधिकारी भगवानपुर	01	प्रभारी	01	9837751775
		मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		प्रधान सहायक	01	01	0	
		वरिष्ठ सहायक	01	01	0	
		कनिष्ठ सहायक	01	01	0	
4	श्री अजय कुमार चौधरी	खण्ड शिक्षा अधिकारी, बहादुराबाद	01	01	0	9412963410
		मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		प्रधान सहायक	01	01	0	
		वरिष्ठ सहायक	01	01	0	
		कनिष्ठ सहायक	01	01	0	
5	श्री जे०एन०यादव	खण्ड शिक्षा अधिकारी, खानपुर	01	प्रभारी	01	7017267567
		मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		प्रधान सहायक	01	01	0	
		वरिष्ठ सहायक	01	01	0	
		कनिष्ठ सहायक	01	01	0	
6	श्री अम्बिकाराम	खण्ड शिक्षा अधिकारी, लक्सर	01	01	0	9411377540
		मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		प्रधान सहायक	01	01	0	
		वरिष्ठ सहायक	01	01	0	
		कनिष्ठ सहायक	01	01	0	

उपशिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण:-

क्र०सं०		कार्यालय का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	मो०नम्बर
1	वृजपाल सिंह	उपशिक्षा अधिकारी रुड़की	01	01	0	7055029911
		मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		प्रधान सहायक	01	01	0	
		वरिष्ठ सहायक	01	01	0	
		कनिष्ठ सहायक	02	01	01	
2	श्रीमती रीना	उपशिक्षा अधिकारी, नारसन	01	01	01	9149005137
		मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		प्रशासनिक अधिकारी	01	0	01	
		प्रधान सहायक	01	01	0	
		वरिष्ठ सहायक	01	01	0	
		कनिष्ठ सहायक	02	02	0	
3	श्री कुन्दनसिंह	उपशिक्षा अधिकारी, भगवानपुर	01	01	0	9558919791
		मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		प्रधान सहायक	01	01	0	
		वरिष्ठ सहायक	01	01	0	
		कनिष्ठ सहायक	02	01	0	
4	श्रीमती सुमन अग्रवाल	उपशिक्षा अधिकारी, बहादुराबाद	01	01	0	9412003836
		मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		प्रधान सहायक	01	01	0	
		वरिष्ठ सहायक	01	01	0	
		कनिष्ठ सहायक	02	01	01	
5	श्रीमती दीप्ति	उपशिक्षा अधिकारी, खानपुर	01	01	0	7055712425
		मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		प्रधान सहायक	01	01	0	
		वरिष्ठ सहायक	01	01	0	
		कनिष्ठ सहायक	02	01	01	
6	श्रीमती विमला	उपशिक्षा अधिकारी, खानपुर	01	प्रभारी	01	8439518963
		मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0	
		प्रधान सहायक	01	01	0	
		वरिष्ठ सहायक	01	01	0	
		कनिष्ठ सहायक	02	01	01	

खण्डवार तथा विद्यालय राजकीय विद्यालयों के प्रधानचार्यों का विवरण:-

क्र० सं०	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्यरत प्रधानचार्य/ प्रधानाध्यापक का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	लक्सर	रा०इ०का०मुण्डाखेडा कलां	श्रीमती विमला देवी	01	01	0
2		रा०इ०का०भोगपुर	डा०धनजीत	01	01	0
3		रा०इ०का०निरंजनपुर	श्री राम आसरे यादव	01	01	0
4	खानपुर	रा०इ०का०पोडोवाली	श्री जगन्नाथ सिंह	01	01	0
5	भगवानपुर	रा०इ०का०सिकरौडा	श्री भरतवीर सिंह	01	01	0
6		रा०इ०का०सिकन्दरपुर	श्री भीकम सिंह	01	01	0
7		रा०इ०का०कुंजा बहादुरपुर	श्री राम किशोर	01	01	0
8		रा०का०इ०का० सिकरौडा	श्रीमती अर्चना गुप्ता	01	01	0
9		रा०क०इ०का० बुग्गावाला	रिक्त	01	0	01
10		रा०क०इ०का०इकबालपुर	डा०सरोजिनी गुप्ता	01	01	0

11		रा0क0इ0का0भगवानपुर	श्रीमती अरुणा बलूनी	01	01	0
12	नारसन	रा0क0इ0का0मंगलौर	डॉ0राधा भारद्वाज	01	01	0
13		स0रा0क0इ0का, झबरेड़ा	श्रीमती पूनम शर्मा	01	01	0
14		रा0इ0का0, लाठारदेवाहूण	श्री इन्द्रभान सिंह	01	01	0
15		रा0इ0का, निजामपुर	श्री शचीन्द्र दत्त मित्रा	01	01	0
16	बहादुराबाद	रा0इ0का0 लण्डौरा	मौ0अख्तर खॉ	01	01	0
17		रा0इ0का0 पथरी	रिक्त	01	0	01
18		रा0इ0का0 गैण्डीखाता	श्री बी0सी0देवलियाल	01	01	0
19		रा0इ0का0कासमपुर	रिक्त	01	0	01
20		रा0इ0का0भेल	श्री जगपाल सिंह चौहान	01	01	0
21		रा0इ0का0, सलेमपुर	रिक्त	01	0	01
22		रा0इ0का0, लालढांग	रिक्त	01	0	01
23		रा0इ0का0श्यामपुर	श्रीमती शकुन्तला जुयाल	01	01	0
24		रा0इ0का0मानुवास ग्रन्ट	रिक्त	01	0	01
25		रा0क0इ0का0, ज्वालापुर	श्रीमती पूनम राणा	01	01	0
26		रा0क0इ0का0, धीरवाली	श्रीमती आरती चिटकारिया	01	01	0
27		रा0क0इ0का0, संघीपुर	रिक्त	01	0	01
28	रुड़की	रा0इ0का0, रुड़की	श्री जे0एस0 नेगी	01	01	01
29		रा0इ0का0, इमलीखेडा	श्री सुबोध कुमार	01	01	01
30		रा0इ0का, दौलतपुर	श्री राम मिलन	01	01	0
31		रा0इ0का0पिरान कलियर शरीफ	श्री मान सिंह	01	01	0
32		रा0क0इ0का0, रुड़की	श्रीमती नीलम कटियार	01	01	0
33		रा0बा0इ0का0भौरी	श्रीमती विनीत सिंह	01	01	0
34	रुड़की	रा0क0इ0का0, गुलाबशाहपीर	श्रीमती उर्मिला चन्दोला	01	01	0
कुल योग				34	27	07

खण्डवार तथा विद्यालय राजकीय विद्यालयों के प्रधानचार्यों का विवरण:-

क्र0 सं	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्यरत प्रधानचार्य/ प्रधानाध्यापक का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	लक्सर	रा0उ0मा0वि0महौराजपुर कलॉ	रिक्त	01	0	01
2		रा0उ0मा0वि0ऐथल	श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय	01	01	0
3		रा0उ0मा0वि0, मुबारिकपुर	श्री सतीशचन्द्र पालिवाल	01	01	0
4		रा0उ0मा0वि0,कबूलपुर रायघटी	श्री विनोद कुमार पाठक	01	01	0
5		रा0उ0मा0वि0, अकबरपुर ऊद	श्री मदन मोहन पाठक	01	01	0
6		रा0उ0मा0वि0 खेडी कलॉ	श्री महेश चन्द्र गोस्वामी	01	01	0
7		रा0क0उ0मा0वि0,मुण्डाखेडा	रिक्त	01	0	01
8	खानपुर	रा0उ0मा0वि0, बालावाली	श्री बसन्त बल्लभ पन्त	01	01	0
9		रा0उ0मा0वि0,चन्द्रपुरी कलॉ	रिक्त	01	0	01
10		रा0उ0मा0वि0, गोवर्द्धनपुर	श्री कफिल अहमद	01	01	0
11	भगवानपुर	रा0उ0मा0वि0, खुब्बनपुर	श्री दिनेश चन्द्र गौड	01	01	0
12		रा0उ0मा0वि0, गांजा मजरा	श्री प्रमोद कुमार रावत	01	01	0
13		रा0उ0मा0वि0, खेडी शिकोहपुर	श्री छोटेलाल रंजन	01	01	01
14		रा0उ0मा0वि0,इनायतपुर	श्री भानु प्रताप शर्मा	01	01	0
15		रा0उ0मा0वि0, बादीवाला	श्री प्रमोद कुमार रावत	01	01	0
16		रा0उ0मा0वि0, शहीदवाला ग्रन्ट	श्री कमलेश चन्द्र	01	01	0
17		रा0उ0मा0वि0,डाडा जलालपुर	श्री रघुवीर सिंह	01	01	0
18		रा0उ0मा0वि0, चौल्ली, शहाबुद्दीनपुर	श्री पूर्ण सिंह रावत	01	01	0
19		रा0उ0मा0वि0, लालवाला मजबता	श्री खुशीराम रतूडी	01	01	0
20		रा0उ0मा0वि0, लामग्रन्ट	श्री केवलधारी	01	01	0
21		रा0उ0मा0वि0, धीरमजरा	श्री खेमराज	01	01	0
22		रा0उ0मा0वि0, मोहितपुर	श्री जयकृत सिंह रावत	01	01	0

23		रा0उ0मा0वि0, सरटेढी सहाजहॉपुर	श्री विपिन बहुगुणा	01	01	0
24		रा0उ0मा0वि0, मानकपुर आदमपुर	श्री शिव प्रसाद	01	01	0
25		रा0उ0मा0वि0, बन्जारेवाला	श्री प्रवीण कुमार नैथानी	01	01	0
26	नारसन	रा0उ0मा0वि0, मानक चौक, मंगलौर	रिक्त	01	0	01
27		रा0क0उ0मा0वि0, लखनौता	रिक्त	01	0	01
28		रा0क0उ0मा0वि0, लण्ढौरा	रिक्त	01	0	01
29		रा0उ0मा0वि0, गाधारौना	श्री अरविन्द कुमार दुबे	01	01	0
30		रा0उ0मा0वि0, टाण्डा बन्हेडा	श्री सुखदेव सिंह	01	01	0
31		रा0उ0मा0वि0, अकबरपुर ढाढेकी	रिक्त	01	0	01
32		रा0उ0मा0वि0, किला मंगलौर	अताउर्रहमान	01	01	0
33		रा0उ0मा0वि0, टिकौला कलां	श्री चन्द्रवीर सिंह	01	01	0
34		रा0उ0मा0वि0, लिब्बरहेडी	श्री जगत सिंह लोधी	01	01	0
35		रा0उ0मा0वि0, हरजौली जट	श्री कैलाश सिंह यादव	01	01	0
36		रा0उ0मा0वि0, नंगला सलारु	श्री पृथ्वी सिंह	01	01	0
37		रा0उ0मा0वि0, खेड़ा जट	रिक्त	01	0	01
38		रा0उ0मा0वि0, बसवाखेडी	श्रीराम यादव	01	01	0
39		रा0उ0मा0वि, जैनपुर झंझेडी	रिक्त	01	0	01
40		रा0उ0मा0वि, बिझौली	श्री नीरज कुमार नैथानी	01	01	0
41	बाहदराबाद	रा0उ0मा0वि, सहदेवपुर	श्री उग्रसेन यादव	01	01	0
42		रा0उ0मा0वि,, रानीमाजरा	श्री राकेश कुमार शर्मा	01	01	0
43		रा0उ0मा0वि, रणसूरा मुकरपुर	श्री ओमकार सैनी	01	01	0
44		रा0उ0मा0वि, गढमीरपुर	श्री राम राज यादव	01	01	0
45		रा0उ0मा0वि, पीलीपडाव	श्री जिबजेन्द्र सिंह नेगी	01	01	0
46		रा0उ0मा0वि, टांडा टीरा	श्री रामनिवास मित्र	01	01	0
47		रा0उ0मा0वि, पीतपुर	रिक्त	01	0	01
48		रा0उ0मा0वि, सोहलपुर	श्री रामेश्वर प्रसाद सकलानी	01	01	0
49		रा0उ0मा0वि, भोवापुर चमरावल	रिक्त	01	0	01
50		रा0उ0मा0वि, जमालपुर कलां	रिक्त	01	0	01
51		रा0उ0मा0वि, आन्नेकी	श्री नरेश शाक्य	01	01	0
52		रा0उ0मा0वि, भगतनपुर आदिबपुर	श्री नरेश कुमार	01	01	0
53		रा0उ0मा0वि, टांटवाला	रिक्त	01	0	01
54		रा0उ0मा0वि, पथरी गुर्जर बस्ती	रिक्त	01	0	01
55		रा0उ0मा0वि, जसवावाला	रिक्त	01	0	01
56		रा0क0उ0मा0वि, बजीराबादी खड़खडी	श्रीमती दीपा गुप्ता	01	01	0
57		रा0क0उ0मा0वि, दक्ष कनखल	रिक्त	01	0	01
58	रुड़की	रा0उ0मा0वि, डेलना	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी	01	01	0
59		रा0उ0मा0वि, अकबरपुर झोझा	श्री वीरपाल सिंह राणा	01	01	0
60		रा0उ0मा0वि, ताशीपुर	श्री अविनन्द्र सिंह राणा	01	01	0
61		रा0उ0मा0वि, रामनगर	श्री प्रकाश चन्द्र कुलाशी	01	01	0
62		रा0उ0मा0वि, भारापुर भौरी	श्री मंजीत राणा	01	01	0
63		रा0उ0मा0वि, बेलडी	श्री चन्द्रपाल सिंह	01	01	0
64		रा0उ0मा0वि, कलियर	श्री बुद्धिमबल्लभ पांडे	01	01	0
65		रा0उ0मा0वि, नन्हेडा	श्री संदीप धीमान	01	01	0
66		रा0उ0मा0वि, सालियर	श्री सलीम अहमद	01	01	0
67		रा0क0उ0मा0वि, चन्द्रपुरी	श्री शैलेन्द्र कुमार गौड़	01	01	0
68		रा0क0उ0मा0वि, सोत	श्रीमती गीता कठैत	01	01	0
कुल योग				68	52	16

- 2. Objective:** 1- भूकम्प से हानि एवं उससे बचाव के सम्बन्ध में जानकारी देकर सावधान करना।
 2- आग से बचाव के सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग से सहयोग लेकर छात्र/छात्रा को जानकारी देना एवं उपलब्ध उपकरणों के उपयोग की जानकारी देना।
 3-अग्निशमन विभाग से सहयोग लेकर दुर्घटना के समय बचाव एवं उपलब्ध उपकरणों को प्रयोग करने के सम्बन्ध में जानकारी देना।
 4- गंगा घाटों पर स्नान करते समय बचाव के सम्बन्ध में जानकारी।

3. Type of Disaster in Haridwar: हरिद्वार में अग्निकाण्ड, सड़क दुर्घटना, बाढ़ भारी बारिश, भूकम्प इत्यादि प्रकार के आपदा की सम्भावना रहती है, हरिद्वार जिले में औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार, बहादुराबाद, सिडकुल रोशनाबाद, बेगमपुर, सलेमपुर, महदूद, इण्डस्ट्रीयल एरिया बन्ताखेडी, शिवगंगा इण्डस्ट्रीयल एरिया भगवानपुर, लकैश्वरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया, भगवानपुर तथा पेट्रोल पम्प, छविगृह, निजी इमारतें एवं शहर के मध्य बस्तियां हैं जिसमें अधिकतर अग्निदुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। हरिद्वार जनपद में विभिन्न मेले पर्व, स्नान आदि एवं गढ़वाल में एडल का प्रवेश द्वारा होने के कारण हर समय वाहनों का आवागमन बना रहता है। जिससे सड़क दुर्घटना होती रहती है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा नदी एवं नहरों का बहाव जमीन स्तर से उपर होने के कारण जल भराव एवं बाढ़ की सम्भावना बनी रहती है।

4. Fuctional areas of the Department: महानिदेश, शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक नियोजन/524-25/आपदा प्रबन्धन/(आर)-6 दिनांक 30 अप्रैल, 2018 के साथ संलग्नक भारत सरकार गृह मंत्रालय राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र संख्या दिनांक 13 मार्च, 2018 के द्वारा जनपद के दो शहरों हरिद्वार एवं रुड़की को अमरत शहर चयनित किया गया है। विकास खण्ड रुड़की एवं हरिद्वार के खण्ड शिक्षा अधिकारियों को पुलिस विभाग से सहयोग लेकर विकासखण्ड के एक-एक विद्यालय में **Disaster Management and mock Drills** प्रोग्राम आयोजन करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रायः समाचार पत्रों के माध्यम व कभी-कभी सुनने में आता है कि गंगा में नहाते समय छात्र/छात्रायें गंगा में बह जाते हैं इस सम्बन्ध में सावधान रहने के सम्बन्ध में जानकारी दिये जाने की आवश्यकता है।

AMURIT CITY रुड़की में विद्यालयों के नाम-

क्र०सं	विद्यालय का नाम
1	मारवाड क०इ०का०, रुड़की
2	मैथोडिस्ट गर्ल्स इ०का०, रुड़की
3	आर्य कन्या इ०का०, रुड़की
4	श्री गांधी शिल्प पा०क०इ०का०, रुड़की
5	एस०डी०पी०सी०गर्ल्स इ०का०, रुड़की
6	बी०एस०एम०इ०का०, रुड़की
7	के०एल०डी०ए०वी०इ०का, रुड़की
8	मूलराज क०इ०का०, रुड़की
9	रा०इ०का०, रुड़की
10	रा०बा०इ०का०, रुड़की
11	रा०बा०इ०का०, रुड़की
12	रा०उ०मा०वि०, सोत
13	रा०उ०मा०वि०, चन्द्रपुरी
14	रा०उ०मा०वि०, रामनगर

AMURIT CITY हरिद्वार में विद्यालयों के नाम-

क्र०सं	विद्यालय का नाम
1	रा०क०इ०का०, ज्वालापुर
2	ज्वालापुर, इ०का०, ज्वालापुर
3	पी०बी०म्यू०इ०का०, हरिद्वार
4	डा०हरिराम आ०इ०का०, कनखल
5	म०इ०का०, सतीकुण्ड, कनखल
6	एस०एम०एस०डी, कनखल
7	रा०क०उ०मा०वि०, खडखड़की
8	पार्थ सारथी रा०उ०मा०वि०, खडखड़की
9	स०वि०म०इण्टर कालेज, मायापुर
10	रा०क०इ०का०, धीरवाली, ज्वालापुर

11	रा0क0इ0का0, कनखल
12	माता वैष्णो देवी हाईस्कूल, ज्वालापुर
13	आ0स0स0म्यू0इ0का0, हरिद्वार

विकास खण्डवार राजकीय विद्यालयों का विवरण:-

क्र० सं०	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय में कार्यरत अध्यापको की संख्या (स0अ0एल0टी0)	छात्र संख्या
1	2	3	4	5
1	रूडकी	रा0उ0मा0वि0ब बेलडी	7	602
2	रूडकी	रा0उ0मा0वि0 भारापुर भैंरी	7	215
3	रूडकी	रा0उ0मा0वि0 रामनगर	7	275
4	रूडकी	रा0उ0मा0वि0 तांशीपुर	6	216
5	रूडकी	रा0क0उ0मा0वि0 चन्द्रपुरी	5	42
6	रूडकी	रा0क0उ0मा0वि0 सोत	6	65
7	रूडकी	रा0इ0का0 रूडकी (मॉडल विद्यालय)	17	904
8	रूडकी	रा0इ0का0 इमली खेडा (मॉडल विद्यालय)	7	518
9	रूडकी	रा0क0इ0का0 रूडकी	0	110
10	रूडकी	रा0उ0मा0वि0 डेलना	6	80
11	रूडकी	रा0इ0का0 दौलतपुर	5	155
12	रूडकी	रा0उ0मा0वि0 अकबरपुर झोझा	5	38
13	रूडकी	रा0उ0मा0वि0 कलियर	3	12
14	रूडकी	रा0इ0का0 पिरान कलियर शरीफ	2	11
15	रूडकी	रा0उ0मा0वि0 नान्हेडा	2	94
16	रूडकी	रा0उ0मा0वि0 सालियर	5	36
17	रूडकी	रा0क0इ0का0 भौरी	4	309
18	रूडकी	रा0क0इ0का0 गुलाब शाहपीर रामपुर	4	51
19	खानपुर	रा0इ0का0 पौडोवाली (मॉडल विद्यालय)	6	224
20	खानपुर	रा0उ0मा0वि0 चन्द्रपुरी कंला	6	154
21	खानपुर	रा0उ0मा0वि0 गोवर्द्धनपुर (मॉडल विद्यालय)	6	448
22	खानपुर	रा0उ0मा0वि0 बालावाली	4	161
23	बहादुराबाद	रा0इ0का0 भेल (मॉडल विद्यालय)	8	387
24	बहादुराबाद	रा0इ0का0 सलेमपुर	7	1175
25	बहादुराबाद	रा0इ0का0 लालढांग (मॉडल विद्यालय)	6	360
26	बहादुराबाद	रा0उ0मा0वि0 भगतनपुर आबिदपुर	5	399
27	बहादुराबाद	रा0इ0का0 पथरी	6	581
28	बहादुराबाद	रा0उ0मा0वि0 पीलीपडाव	7	142
29	बहादुराबाद	रा0उ0मा0वि0 रणसुरा	6	117
30	बहादुराबाद	रा0उ0मा0वि0 सोहलपुर	7	503
31	बहादुराबाद	रा0उ0मा0वि0 जमालपुर कंला	7	335
32	बहादुराबाद	रा0उ0मा0वि0 टांटवाला	7	133
33	बहादुराबाद	रा0इ0का0 मानुबास	7	348
34	बहादुराबाद	रा0उ0मा0वि0 सहदेवपुर	7	180
35	बहादुराबाद	रा0इ0का0 गैडीखाता	7	479
36	बहादुराबाद	रा0उ0मा0वि0 बहादुरापुरजट(विद्यालय संचालित नहीं है)	0	0
37	बहादुराबाद	रा0उ0मा0वि0 अन्नेकी	5	83
38	बहादुराबाद	रा0उ0मा0वि0 गढमीरपुर	5	122
39	बहादुराबाद	रा0उ0मा0वि0 भोवापुर	4	48
40	बहादुराबाद	रा0उ0मा0वि0 टाडाटीरा	4	65
41	बहादुराबाद	रा0इ0का0 कासमपुर	5	181
42	बहादुराबाद	रा0उ0मा0वि0 पीतपुर	7	81
43	बहादुराबाद	रा0इ0का0 श्यामपुर	7	329
44	बहादुराबाद	रा0उ0मा0वि0 जसवावाला	3	32

45	बहादुराबाद	रा0क0इ0का0 ज्वालापुर	15	1480
46	बहादुराबाद	रा0क0इ0का0 धीरवाली, ज्वालापुर	0	121
47	बहादुराबाद	रा0क0उ0मा0वि0 खडखडी	5	150
48	बहादुराबाद	रा0क0उ0मा0वि0 दक्षरोड	6	370
49	बहादुराबाद	रा0क0इ0का0 संधीपुर	6	19
50	बहादुराबाद	रा0उ0मा0वि0 पथरीगुर्जर बस्ती	4	28
51	बहादुराबाद	रा0उ0मा0वि0 रानीमाजरा	5	109
52	भगवानपुर	रा0उ0मा0वि0 लामग्रन्ट	4	267
53	भगवानपुर	रा0उ0मा0वि0 खुब्बनपुर	5	
54	भगवानपुर	रा0उ0मा0वि0 गांजा माजरा	5	60
55	भगवानपुर	रा0उ0मा0वि0 खेडी शिकोहपुर	7	359
56	भगवानपुर	रा0उ0मा0वि0 इनायतपुर	7	189
57	भगवानपुर	रा0उ0मा0वि0 बादीवाला	6	192
58	भगवानपुर	रा0इ0का0 सिकरौडा	7	421
59	भगवानपुर	रा0इ0का0 सिकन्दरपुर भैसवाल	5	214
60	भगवानपुर	रा0उ0मा0वि0 शहीदावाला ग्रन्ट	6	175
61	भगवानपुर	रा0उ0मा0वि0 डाडा जलालपुर	7	281
62	भगवानपुर	रा0उ0मा0वि0 चौली शहाबुददीन	7	223
63	भगवानपुर	रा0उ0मा0वि0 लालवाला मजवता	7	156
64	भगवानपुर	रा0इ0का0 कुंजा बहादुर (मॉडल विद्यालय)	6	258
65	भगवानपुर	रा0उ0मा0वि0 धीरमजरा	5	105
66	भगवानपुर	रा0उ0मा0वि0 मोहितपुर	7	87
67	भगवानपुर	रा0उ0मा0वि0 सरठेडी	1	46
68	भगवानपुर	रा0उ0मा0वि0 मानकपुर आदमपुर	2	32
69	भगवानपुर	रा0उ0मा0वि0 बंजारेवाला	3	29
70	भगवानपुर	रा0क0इ0का0 इकबालपुर	0	
71	भगवानपुर	रा0क0इ0का0 सिकरौडा (मॉडल विद्यालय)	6	389
72	भगवानपुर	रा0क0इ0का0 बुग्गावाला	7	379
73	भगवानपुर	रा0क0इ0का0 भगवानपुर	0	
74	नारसन	रा0उ0मा0वि0 बिझौली	5	74
75	नारसन	रा0उ0मा0वि0 नगला सलारु	4	45
76	नारसन	रा0इ0का0 लण्ढौरा (मॉडल विद्यालय)	7	459
77	नारसन	रा0उ0मा0वि0 किला मंगलौर	7	149
78	नारसन	रा0इ0का0 निजामपुर	4	246
79	नारसन	रा0उ0मा0वि0 लिब्बरहेडी	7	168
80	नारसन	रा0उ0मा0वि0	6	405
81	नारसन	रा0इ0का0 लाठरदेवाहूण	5	814
82	नारसन	रा0उ0मा0वि0 हरजौली जट	7	161
83	नारसन	रा0उ0मा0वि0 बसवाखेडी	5	104
84	नारसन	रा0उ0मा0वि0 अकबरपुर ढाढेकी	5	26
85	नारसन	रा0उ0मा0वि0 टांडा बन्हेडा	7	69
86	नारसन	रा0उ0मा0वि0 टिकोला कलौ	6	141
87	नारसन	रा0उ0मा0वि0 जैनपुर झेझेडी	3	35
88	नारसन	रा0उ0मा0वि0 खेडाजट	3	12
89	नारसन	रा0क0इ0का0 मंगलौर	0	483
90	नारसन	रा0क0इ0का0 झबरेडा (मॉडल विद्यालय)	6	1029
91	नारसन	रा0क0उ0मा0वि0 लण्ढौरा	6	447
92	नारसन	रा0क0उ0मा0वि0 मानकचौक	6	374
93	नारसन	रा0क0उ0मा0वि0 लखनौता	3	43
94	लक्सर	रा0उ0मा0वि0 अकबरपुरऊद	4	138
95	लक्सर	रा0इ0का0 मुण्डाखेडा (मॉडल विद्यालय)	7	457
96	लक्सर	रा0इ0का0 भोगपुर	7	507

97	लक्सर	रा0उ0मा0वि0 एथेल	6	538
98	लक्सर	रा0उ0मा0वि0 खेडीकला	5	161
99	लक्सर	रा0उ0मा0वि0 महाराजपुर	7	539
100	लक्सर	रा0इ0का0 निरंजपुर (मॉडल विद्यालय)	5	690
101	लक्सर	रा0उ0मा0वि0 मुबारिकपुर	4	82
102	लक्सर	रा0उ0मा0वि0 कबुलपुर रायघटी	4	90
103	लक्सर	रा0क0उ0मा0वि0 मुण्डाखेडा	7	308

जनपद हरिद्वार स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध कक्षा कक्षाओं/प्रयोगशालाओं व अन्य रूप में प्रयोग में लाये जा रहे कक्षा की अद्यतन स्थिति

क्र०सं	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	छात्र संख्या	शिक्षण हेतु प्रयोग में लाये जा रहे कक्षा कक्षाओं की संख्या	प्रयोग में लाये जा रहे प्रयोगशालाओं की संख्या	प्रधानाचार्य/कार्यालय / स्टाफ-रूम हेतु प्रयोग में लाये जा रहे कक्षाओं की संख्या
1	रा0क0इ0का0, रुड़की	रुड़की	105	2	3	3
2	रा0क0इ0का0मा0वि0, सोत		97	6	1	2
3	रा0उ0मा0वि0, डेलना		80	2	1	3
4	रा0उ0मा0वि0, रामनगर		276	8	1	3
5	रा0क0इ0का0, गुलाबशाहपीर		51	3	0	2
6	रा0उ0मा0वि0, भारापुर भौरी		215	5	1	3
7	रा0इ0का0, रुड़की		899	20	3	3
8	रा0क0उ0मा0वि0, चन्द्रपुरी		42	4	1	3
9	रा0इ0का0, हमलीखेडा		518	11	1	3
10	रा0उ0मा0वि0, तार्शीपुर		216	0	1	3
11	रा0उ0मा0वि0, बेलड़ी		602	10	1	3
12	रा0उ0मा0वि0, अकबरपुर-झोझा		38	10	1	3
13	रा0इ0का0, दौलतपुर		155	7	1	1
14	रा0बा0इ0का0भौरी		309	2	3	3
15	रा0इ0का0, पिरान कलियर		11	नवीन विद्यालय	0	0
16	रा0उ0मा0वि0, पिरान कलियर		12		0	0
17	रा0उ0मा0वि0, सालियर(रसमा)		36		0	0
18	रा0उ0मा0वि0, नन्हेडा(रमसा)		94		0	0
19	रा0उ0मा0वि0, गोवर्धनपुर	खानपुर	446	18	1	2
20	रा0उ0मा0वि0, चन्द्रपुरी खानपुर		154	15	1	2
21	रा0इ0का0पोडोवाली, खानपुर		224	7	2	3
22	रा0उ0मा0वि0, बालावाली		163	6	1	1
23	रा0उ0मा0वि0, भक्तनपुर	बहादरा बाद	399	6	1	3
24	रा0उ0मा0वि0, पीलीपडाव		141	5	3	3
25	रा0उ0मा0वि0, रणसुरा		103	5	1	2
26	रा0उ0मा0वि0, सोहलपुर		502	8	1	3
27	रा0उ0मा0वि0, जमालपुर		327	9	3	3
28	रा0उ0मा0वि0, टांटवाला		133	4	1	1
29	रा0उ0मा0वि0, मानुबास		341	12	1	3
30	रा0उ0मा0वि0, सहदेवपुर		179	5	1	3
31	रा0उ0मा0वि0, पथरीगुर्जर बस्ती		28	4	2	2
32	रा0उ0मा0वि0, रानीमाजरा		108	4	2	2
33	रा0उ0मा0वि0, बहादरापुरजट		विद्यालय संचालित नहीं है।			
34	रा0उ0मा0वि0, आन्नेकी		82	4	1	1
35	रा0उ0मा0वि0, गढमीरपुर		120	4	2	3
36	रा0उ0मा0वि0, भोवापुर		46	5	2	2
37	रा0उ0मा0वि0, टांडाटीरा		28	4	1	1
38	रा0उ0मा0वि0, पीतपुर		81	2	0	0
39	रा0क0उ0मा0वि0, खडखड़ी		153	4	1	1

40	रा0क0उ0मा0वि0, दक्षरोड़, कनखल		360	8	1	4
41	रा0इ0का0वि0, पथरी		583	8	0	2
42	रा0क0इ0का0, श्यामपुर		329	8	2	3
43	रा0इ0का0, भेल रानीपुर		383	9	1	5
44	रा0क0इ0का0, धीरवाली		120	भवनहीन विद्यालय		
45	रा0क0इ0का0, संघीपुर		19	भवनहीन विद्यालय		
46	शहीद मनोज सिंह, चौहान, रा0इ0का0, गैण्डीखाता		477	6	1	2
47	रा0क0इ0का0, ज्वालापुर		1510	20	4	3
48	रा0इ0का0, लालढाग		360	6	3	3
49	रा0इ0का0, कासमपुर		181	11	4	4
50	रा0इ0का0, सलेमपुर		1174	15	3	3
51	रा0उ0मा0वि0, जसवावाला (रसमा)		31	नवीन विद्यालय विद्यालय निर्माणाधीन		
52	रा0क0इ0का0, इकबालपुर	भगवान पुर	120	4	3	3
53	रा0क0इ0का0, सिकरोडा		386	8	3	3
54	रा0बा0इ0का0, बुग्गावाला		360	3	3	3
55	रा0इ0का0, सिकन्दरपुर भैंसवाल		220	10	3	3
56	रा0इ0का0, कुन्जाबहादरपुर		280	7	3	3
57	रा0इ0का0, सिकरोडा		328	9	3	3
58	रा0उ0मा0वि0, सरठेडी, भगवानपुर		20	नवीन विद्यालय	0	0
59	रा0उ0मा0वि0, बंजारेवाला	भगवान पुर	32	नवीन विद्यालय	0	0
60	रा0उ0मा0वि0, लामग्रन्ट		366	10	1	3
61	रा0उ0मा0वि0, खुब्बनपुर		150	5	1	2
62	रा0उ0मा0वि0, गांजा माजरा		51	3	0	1
63	रा0उ0मा0वि0, खेडी किशेहपुर		341	5	1	2
64	रा0उ0मा0वि0, इनायतपुर		221	6	1	1
65	रा0उ0मा0वि0, बादीवाला		189	7	1	2
66	रा0उ0मा0वि0, शहीदवाला, ग्रन्ट		173	6	1	2
67	रा0उ0मा0वि0, डडा जलालपुर		280	6	1	2
68	रा0उ0मा0वि0, चौली शहाबुददीन		225	10	1	2
69	रा0उ0मा0वि0, लालवाला		149	8	1	3
70	रा0उ0मा0वि0, धीरमजरा		100	6	1	2
71	रा0उ0मा0वि0, मोहितपुर		87	2	0	1
72	रा0उ0मा0वि0, मानकपुर		11	नवीन विद्यालय	0	0
73	रा0क0इ0का0, हकीमपुर		नया स्कूल	नवीन विद्यालय	0	0
74	रा0उ0मा0वि0, अकबरपुर	नारसन	26	2	0	0
75	रा0उ0मा0वि0, नगला सलारू		46	5	1	2
76	रा0क0उ0मा0, लखनौता		43	1	0	0
77	रा0उ0मा0वि0, टिकोला कला		140	4	0	1
78	रा0उ0मा0वि0, टाण्डा बन्हेडा		69	2	0	0
79	रा0क0इ0का0, मंगलौर		240	2	0	1
80	रा0उ0मा0वि0, बिझौली		74	5	1	3
81	रा0क0उ0मा0वि0, लंदौरा		443	5	1	1
82	रा0इ0का0, लंदौरा		460	11	0	2
83	रा0उ0मा0, लाठरदेवाहूण		814	8	1	2
84	रा0उ0मा0वि0, बसवाखेडी		103	3	0	1
85	रा0उ0मा0वि0, हरजौली जट		162	8	1	2
86	रा0क0मा0वि0, मानकचौक		360	4	0	2
87	रा0उ0मा0वि0, किला मंगलौर		149	5	0	2
88	स0रा0क0इ0का0, झबरेडा		1025	7	5	2
89	रा0उ0मा0वि0, गाधारौना		403	5	2	2

90	रा0उ0मा0वि0, निजामपुर	लक्सर	245	12	1	2
91	रा0उ0मा0वि0, लिब्ररहेडी		169	8	1	1
92	रा0उ0मा0वि0, जैनपुर झंझेडी		35	नवीन विद्यालय	0	0
93	रा0उ0मा0वि0, खेडाजट		12	नवीन विद्यालय	0	0
94	रा0उ0मा0वि0, ऐथल		237	5	1	2
95	रा0उ0मा0वि0, कबूलपुर		90	5	2	2
96	रा0उ0मा0वि0, मुबारिकपुर		82	0	0	विद्यालय का अपना भवन नहीं है।
97	रा0उ0मा0वि0, अकबरपुर		137	9	1	3
98	रा0उ0मा0वि0, महाराजपुर कला		531	8	1	3
99	रा0उ0मा0वि0, मुण्डाखेडाकला		308	3	2	3
100	रा0उ0मा0वि0, खेडीकला		161	5	2	2
101	रा0उ0मा0वि0, मुण्डाखेडा कलां		455	10	5	3
102	रा0इ0का0भोगपुर		507	7	1	3
103	रा0इ0का0निरंजनपुर		691	12	2	3
महायोग			25195	588	125	199

शिक्षा विभाग की कार्योजना का विवरण:- जनपद स्तर पर वर्ष 2018-19 हेतु आपदा प्रबन्धन की कार्ययोजना निम्नवत् है-

1- जनपद में शिक्षा विभाग का मुख्यालय रोशनाबाद, हरिद्वार में स्थित है जहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी के अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) तथा जिला शिक्षा अधिकारी(प्राथमिक शिक्षा) के अधिकारी कार्यरत है। जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के कार्य तथा जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0) के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा के कार्य का निष्पादन किया जाता है।

2- जनपद के छः विकासखण्डों में 6 खण्ड शिक्षा अधिकारी माध्यमिक स्तर के तथा 6 उपशिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा स्तर के द्वारा कार्य का निष्पादन किया जाता है।

प्रथम चरण:- में अमृत शहर हरिद्वार एवं रुड़की के एक-एक विद्यालय में पुलिस विभाग से सम्पर्क कर **Disaster management and mock Drills** प्रोग्राम आयोजित किये जायेंगे।

द्वितीय चरण:- में जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड के एक-एक विद्यालय में पुलिस/अग्निशमन विभाग से सहयोग लेकर **Disaster management and mock Drills** प्रोग्राम आयोजित किये जायेंगे।

तृतीय चरण:- में जनपद के खानपुर विकासखण्ड को छोड़कर शेष 5 विकास खण्डों के एक-एक विद्यालयों में(जिनमें प्रोग्राम आयोजित हो चुका हो को छोड़कर) **Disaster management and mock Drills** प्रोग्राम आयोजित किये जायेंगे।

40वीं वाहिनी विभाग, हरिद्वार कार्ययोजना

उत्तराखण्ड राज्य का अधिकांश भू-भाग पर्वतीय एवं वनोवाछित होने के साथ उच्चहिमालयों से घिरा हुआ है। उच्च हिमालय एवं पर्वतीय राज्य होने के कारण इस राज्य में विभिन्न प्रकार की आपदाओं के आने की सम्भावनाएँ बनी रहती हैं। आपदाओं के आने से जान-माल की क्षति होती है। जान-माल की क्षति को कम करने हेतु आपदाओं के आने से पूर्व हमको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं अतिसंवेदनशील स्थानों को चिह्नित करना पड़ता है जो कि भविष्य की आपदाओं के प्रभाव को कम करेगा इस दृष्टि से शासन द्वारा प्रत्येक जनपदों में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण स्थापित किया गया है।

आपदा प्रबन्धन और शमन पर्यावरण:- योजना और प्रस्ताव आपदा प्रबन्धन योजना

- 1— चार धाम यात्रा आरम्भ होने से पूर्व दल में नियुक्त समस्त कर्मचारियों को दल के व्यवस्थापनों पर पोस्ट प्रभारी द्वारा आपदा एवं पर्यटन प्रबन्धन प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा एवं आपदा प्रबन्धन ड्यूटी के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देशों आदि से अवगत कराया जायेगा। समस्त कर्मचारियों को पर्यटन प्रबन्धन के अन्तर्गत यात्रियों एवं श्रद्धालुओं से विभ्रम एवं मित्रता पूर्ण व्यवहार करते हुये मार्गदर्शक के रूप में ड्यूटी का सम्पादन करने हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- 2— दल में नियुक्त अधि०/कर्म० को बाढ़ राहत एवं आपदा राहत उपकरणों के बारे में विस्तृत रूप से बताना।
- 3— स्थानीय गोताखोरों के नाम व घर का पता मोबाइल नम्बर अंकित करना।
- 4— आपदा नियंत्रण कार्य हेतु स्वयंसेवी संगठनों व रेडक्रास सोसाइटी के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- 5— माह जून से मानसून सत्र प्रारम्भ हो जाता है, जनपद हरिद्वार में बड़ी एवं छोटी नदियों के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा जनपद हरिद्वार में नदियों के किनारे बसे हुए उन गांवों को चिह्नित किया जाना पर बाढ़ आने की पूर्ण सम्भावना बनी रहती है।
- 6— आपदा/बाढ़ राहत उपकरणों की आवश्यकता हेतु मांग पत्र प्रेषित किया जाना।
- 7— 16 जून को आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अतः अधिक से अधिक लोगों को आपदा के प्रति जागरूक किया जायेगा। मानसून के दौरान जनपद हरिद्वार में बाढ़ नियंत्रण केन्द्र एवं चौकिया स्थापित की जायेगी। जनपद कन्ट्रोल रूम से सम्पर्क कर बाढ़ नियंत्रण केन्द्र एवं चौकियों की स्थापना किया जाता है।
- 8— दूरभाष नम्बर लेकर आपदा की स्थिति में पूर्ण सहयोग दिया जायेगा।
- 9— बाढ़ की स्थिति में नदी के तटवर्ती व जलमग्न प्रभावित होने वाले स्थलों पर निवास करने वाले ग्रामवासियों व वहां की जनसंख्या को चिह्नित कर अस्थायी आश्रय हेतु सुरक्षित रखने हेतु स्थानों को चिह्नित करना।
- 10— दल के व्यवस्थापनों पर पोस्ट प्रभारी द्वारा कर्मचारियों को बाढ़ राहत एवं आपदा उपकरणों के उपयोग, संचालन एवं रख-रखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। ताकि बाढ़ राहत/आपदा प्रबन्धन ड्यूटी के दौरान किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। उक्त के अतिरिक्त जनपद स्तर पर चिकित्सा शिविर तथा राहत शिविर हेतु वैकल्पिक व्यवस्था हेतु चिह्निकरण किया जाना।
- 11— बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में महामारी नियंत्रण, पेय जल विद्युत खाद्यान्न, संचार आवागमन व निवास हेतु अस्थायी व्यवस्था का चिह्निकरण करना।
- 12— दल के व्यवस्थापनों पर पोस्ट प्रभारी द्वारा कर्मचारियों को बाढ़ राहत एवं आपदा उपकरणों के उपयोग, संचालन एवं रख-रखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। ताकि बाढ़ राहत/आपदा प्रबन्धन ड्यूटी के दौरान किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। उक्त के अतिरिक्त जनपद स्तर पर चिकित्सा शिविर तथा राहत शिविर हेतु वैकल्पिक व्यवस्था हेतु चिह्निकरण किया जाना।
- 13— बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में महामारी नियंत्रण पेयजल, विद्युत खाद्यान्न, संचार आवागमन व निवास हेतु अस्थायी व्यवस्था का चिह्निकरण करना।
- 14— जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा समय-समय भूकम्प, भूस्खलन आग बाढ़ जैसी आपदाओं पर किये जाने वाले मॉक ड्रिल अभ्यास में सम्मिलित होकर मॉक ड्रिल करना।

सूची बाढ़ :- राहत उपकरण 'ई' दल 40वीं वाहिनी पीएसी, हरिद्वार

क्र० सं०	नाम उपकरण	भार पर	कार्यशील	अकार्यशील	क्र० सं०	नाम उपकरण	भार पर	कार्यशील	अकार्यशील
1	नाव एल्यूमिनियम	04	01	03	25	खोजी कांटे	02	02	—
2	इंजन 25 एच०पी०	06	02	04	26	पोर्टेबल लाईट	08	08	—
3	इंजन 30 एच०पी०	02	02	—	27	लाउड हैलर	04	04	—
4	इंजन 40 एच०पी०	04	01	03	28	वाटर फिल्टर	03	03	—
5	इंजन 60 एच०पी०	02	—	02	29	प्लास्टिक केन	45	25	20
6	इलेक्ट्रॉनिक ईंजन	01	01	—	30	रोईंग सूट	20	20	—
7	राफ्ट मैनुअल	04	02	02	31	रबर सूट	20	20	—
8	राफ्ट मोटरराईज्ड	06	02	04	32	डेथ गेज	05	05	—
9	लाईफ जैकेट	84	55	29	33	स्कूबा डाईविंग सूट	05	05	—
10	थ्रो बैग	48	42	06	34	स्नार्कल	02	02	—
11	लाईफ ब्याय	94	90	04	35	रेगुलेटर माउथ पीस	05	05	—
12	राफ्ट हैलमेट	56	50	06	36	मास्क	01	01	—
13	स्टैन्डर्ड पैडल	28	28	—	37	बायोनसी कन्ट्रोल डिवाइस	05	05	—
14	गाईड पैडल	07	07	01	38	स्वीमिंग सूट	50	50	—
15	राफ्ट पम्प	02	01	01	39	कम्प्रेसर	02	02	—
16	अन्डर वाटर सर्च लाईट	02	01	01	40	लालटेन	16	12	—
17	सर्च लाईट	02	02	—	41	सुम्मी	03	03	—
18	हैड लाईट	17	17	—	42	आरी लकड़ी काटने हेतु	02	02	—
19	रस्सा लाईलोन 14एम०एम० 50मी०	01	01	—	43	सब्ल	06	06	—
20	रस्सा लाईलोन 18 एम०एम० 50मी०	50मी०	50मी०	—	44	डिल मशीन	01	01	—
21	नैट फिसिंग	12	12	—	45	बैट्री चार्जर	01	01	—
22	स्वीमिंग कास्टम	07	02	05	46	फस्ट एड बॉक्स	04	04	—
23	टैक सूट अपर	10	10	—	47	सोलर लाईट	03	03	—
24	बायनाकुलर	02	02	—		—	—	—	—

सूची आपदा प्रबन्धन उपकरण:-

क्र० सं०	नाम उपकरण	भार पर	कार्यशील	अकार्यशील	क्र० सं०	नाम उपकरण	भार पर	कार्यशील	अकार्यशील
1	सीट हारनेस	06	06	—	17	बाईनाकूल	05	05	—
2	चेस्ट हारनेस	06	06	—	18	टेन्ट होम सेपड	01	01	—
3	क्लाईमिंग रोप 100मी०	01	01	—	19	वायर कटर	01	01	—
4	रैप्लिंग रोप 100मी०	01	01	—	20	रॉक ड्रिल	01	01	—
5	लाईफ जैकेट	02	02	—	21	पुली	02	02	—
6	टार्च फिटेड हैलमेट	03	03	—	22	रॉक पिटन हेमर	02	02	—
7	रॉक पिटन	06	06	—	23	रोप लेडर 40मी०	02	02	—
08	कैराबिनर प्लेन	06	06	—	24	डांगरी	03	03	—
09	कैराबिनर स्कू	04	04	—	25	फैण्डस सैट	01	01	—
10	जुमार	05	05	—	26	ट्रेकिंग शूज	06	06	—
11	डिसेन्डर	02	02	—	27	एक्सटेंशन बोल्ट	03	03	—
12	मिटन कैनवास	05	05	—	28	वायर कटर	01	01	—
13	रुक सेक	04	04	—	29	स्ट्रेचर	01	01	—
14	विंडप्रूफ टाउजर	04	04	—	30	मल्टी परपज नाईफ	01	01	—
15	रेनकोट	06	06	—	31	फस्ट एड बॉक्स	03	02	01
16	चौकनट	03	03	—					—

अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा किये गये आपदा राहत कोर्सों का विवरण:-

क्र० सं०	पोस्ट कोड	अधिकारी/कर्मचारियों का नाम	किये गये कोर्स का विवरण	क्र० सं०	पोस्ट कोड	अधिकारी/कर्मचारियों का नाम	किये गये कोर्स का विवरण
1	HCP1098	श्री मदनमोहन	खोज एवं बचाव	25	CONST1556	श्री सतीश चन्द्र	खोज एवं बचाव
2	HCP1082	श्री बलवीर सिंह चौहान	खोज एवं बचाव	26	CONST1566	श्री कैलाश चन्द्र	खोज एवं बचाव
3	HCP1086	श्री उमाशंकर बधानी	खोज एवं बचाव	27	CONST1576	श्री महावीर नेगी	खोज एवं बचाव
4	HCP1094	जगमोहन राणा	खोज एवं बचाव	28	CONST1584	श्री धनवीर सिंह	खोज एवं बचाव / गोताखोरी
5	HCP1091	श्रीसूरजपालसिंह	खोज एवं बचाव / रापिटिंग	29	CONST1585	श्री वेद किशोर	खोज एवं बचाव / गोताखोरी एवं बेसिक माउन्ट्रेनिंग कोर्स
6	HCP1133	श्री महेन्द्र प्रसाद	बेसिक माउन्ट्रेनिंग कोर्स	30	CONST1588	श्री मुकेश चन्द्र	खोज एवं बचाव
7	NK1534	श्री उत्तम भण्डारी	खोज एवं बचाव / रापिटिंग गार्ड	31	CONST1589	श्री जितेन्द्र सिंह	खोज एवं बचाव / गोताखोरी एवं बेसिक माउन्ट्रेनिंग कोर्स
8	NK1540	श्री जयवीर सिंह	खोज एवं बचाव	32	CONST1594	श्री नोगेन्द्र सिंह	खोज एवं बचाव
9	NK1539	श्री भोपालसिंह	खोज एवं बचाव	33	CONST1598	श्री मनोज चौहान	खोज एवं बचाव
10	LNK1563	श्री सरवीर सिंह	खोज एवं बचाव	34	CONST1503	श्री संजय उनियाल	खोज एवं बचाव
11	LNK1549	श्री चन्द्रमोहन मनोडी	खोज एवं बचाव	35	CONST1298	श्री कल्याण सिंह	खोज एवं बचाव
12	LNK1573	श्री अनिल पाल	खोज एवं बचाव	36	CONST1704	श्री बलवीर सिंह	खोज एवं बचाव
13	LNK1574	श्री अनूप तोमर	खोज एवं बचाव	37	CONST1489	श्री विनोद बिष्ट	खोज एवं बचाव
14	LNK1575	श्री रमेश चौहान	खोज एवं बचाव	38	CONST1569	श्री जयदीप सिंह	खोज एवं बचाव
15	LNK1577	श्री दीपक ढौडियाल	खोज एवं बचाव	39	CONST1246	श्री पंकज सिंह	खोज एवं बचाव
16	LNK1578	श्री त्रैपन सिंह	खोज एवं बचाव / रापिटिंग गार्ड	40	CONST1245	श्री अजय सिंह	खोज एवं बचाव
17	LNK1579	श्री सुनील तोमर	खोज एवं बचाव	41	CONST1443	श्री राजमोहन सिंह	खोज एवं बचाव
18	LNK1595	श्री रणवीर सिंह	खोज एवं बचाव	42	CONST1707	श्री अनिल नेगी	खोज एवं बचाव
19	LNK1896	श्री अनुप रावत	खोज एवं बचाव	43	CONST1723	श्री विनोद राणा	खोज एवं बचाव
20	LNK1586	श्री सुनील रावत	खोज एवं बचाव	44	CONST1700	श्री कुलदीप सिंह	खोज एवं बचाव
21	CONST1564	श्री दिनेश प्रसाद	खोज एवं बचाव	45	CONST1783	श्री मनेन्द्र सिंह	खोज एवं बचाव
22	CONST1560	श्री रुस्तम कुमार	खोज एवं बचाव	46	CONST1615	श्री रमेश चन्द्र	खोज एवं बचाव
23	CONST1562	श्री विनोद नेगी	खोज एवं बचाव	47	CONST166	श्री विरेन्द्र कुमार	खोज एवं बचाव
24	CONST1556	श्री शैलेन्द्र चमोली	खोज एवं बचाव	48	CONST1854	श्री मातवर सिंह	खोज एवं बचाव

जोखिम विश्लेषण एवं आंकलन

जनपद में आपदाओं का इतिहास

बाढ़ : जनपद हरिद्वार के लिए बाढ़ एक नियमित एवं घातक घटना है। पूरा जनपद विशेषतौर पर निचले क्षेत्र तथा इसकी सहायक नदियों जैसे सोलानी, रतमऊ तथा पथरी के आस-पास बसे गांव बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में आते हैं। राज्य तथा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त पिछले पांच वर्षों के आकड़ों के अनुसार स्थिति काफी संवेदनशील है।

प्राप्त सूचना अनुसार वर्ष 2013-14 में आयी बाढ़ से 12 व्यक्तियों की मृत्यु, 3 व्यक्ति घायल, 26 पक्के मकान पूर्णतः ध्वस्त, 177 पक्के मकान को आंशिक क्षति, 14 कच्चे मकान की पूर्ण क्षति तथा 745 आंशिक क्षति 101 पशुओं की मृत्यु, 110720 हेक्टेयर कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हुई है। कुल मिलाकर उक्त घटना से जन, धन व पशु हानि तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाओं को कुल 2468.38 लाख रुपये की क्षति का आंकलन किया गया है।

भूकम्प : पिछले 10-11 वर्षों से जनपद में भूकम्प से किसी प्रकार की क्षति की सूचना नहीं है। भूकम्प मानचित्र के अनुसार जनपद हरिद्वार जोन चार में चिन्हित होने के कारण भूकम्प के प्रति संवेदनशील है। शहरीकरण, घने बसाव तथा भवन निर्माण डिजाइन की दृष्टि से जनपद भूकम्प के प्रति खतरे के दायरे में रखा जा सकता है। जनपद पौड़ी तथा देहरादून स्थित सीमाओं की ओर से मुख्य भ्रंस गुजरता है।

भूस्खलन : जनपद के उत्तरी दिशा में मंसा देवी मन्दिर की पहाड़ी भूस्खलन की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। यहां पर सन् 1998, 2007, 2010 तथा 2011 में भूस्खलन की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। 2010 में इससे एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। लगभग 200 परिवार इस भूस्खलन से संवेदनशील हैं। बरसात में स्थिति काफी खराब हो जाती है। इस भूस्खलन पर जिला प्रशासन द्वारा अध्ययन भी करवाये जा चुके हैं।

अग्नि : आग जिले में सबसे आम खतरा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र देहरादून से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सन् 2010 तक 37 प्रमुख आग की घटनाओं में 15 व्यक्तियों मृत्यु हुई है और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तथा करोड़ों रुपये से अधिक की सम्पत्ति नष्ट हो गई।

सड़क दुर्घटनाएं : सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु की गिनती दिन व दिन बढ़ रही है। यातायात पुलिस की अंतिम तिमाही (जून, जुलाई और अगस्त 2018) के आंकड़े जिले में सड़क दुर्घटनाओं की गम्भीरता को दर्शाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 69 दुर्घटनाओं में 26 पुरुषों, 4 महिलाओं और 2 बच्चों की मृत्यु तथा 58 पुरुषों, 11 महिलाओं और 3 बच्चों के घायल होने की सूचना है।

औद्योगिक अग्नि दुर्घटनाएं : हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्रों में हाल के दिनों में गैस फिलिंग फर्मों से अग्नि दुर्घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 21 जनवरी 2010 को शिवालिक एयर फिलिंग में विस्फोट से तीन श्रमिकों की मौत तथा 4 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गये। इसी प्रकार की एक दुर्घटना जून 2010 में रुडकी औद्योगिक क्षेत्र में भी हुई जिसमें सिलेंडरो में विस्फोट से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई।

भगदड़ : हरिद्वार एक धार्मिक शहर होने के कारण प्रति वर्ष लाखों लोगों को पवित्र गंगा में स्नान के लिए आकर्षित करता है। कई धार्मिक अवसरों पर 1 लाख से अधिक लोगों के कदम शहर में पड़ते हैं। कुंभ, कावड मेला और दूसरे बड़े आयोजनों के दौरान मची भगदड़ के प्रति जिला संवेदनशील है। जिले में हुई भगदड़ की दुर्घटनाओं में कई लोगों को मौत का सामना करना पड़ा है।

वर्ष 1820 के कुंभ में 420, 1927 के कुंभ में 62, 1986 कुंभ में 54, 1992 मनसा देवी मंदिर के पास 6 लोगों, 1996 में गड घाट के पास 22 लोग, 2010 कुंभ में बिरला घाट पर 8 लोग तथा 2011 में लालजीवाला के पास हुई भगदड़ में 20 लोगों की मृत्यु हुई।

2011 में शांतिकुंज मेले के दौरान हुई भगदड़ में 19 लोगों की मृत्यु तथा 35 लोग घायल हुए।

आपदाओं का मौसमी विश्लेषण

खतरो के प्रकार	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
बाढ़							←————→					

अध्याय —5

संवेदनशीलता का आंकलन

खतरों के विरुद्ध ढाँचागत संवेदनशीलता

संवेदनशीलता	प्रत्येक खतरे के विरुद्ध संवेदनशीलता				
	बाढ़ संवेदनशीलता क्षेत्र	भूकम्प क्षेत्र	औद्योगिक खतरे क्षेत्र	आग क्षेत्र	भूस्खलन क्षेत्र
सड़क नेटवर्क	खरखादरी, भीमगौडा, अपर रोड, ब्रह्मपुरी, सुरंगों के पास रेलवे ट्रक, रोशनाबाद—कुडकावाला सड़क, सराय सुभाषगढ़—ऐथल बसेडी सड़क, बनओरी— डाल्लूवाला, लक्सर ज्वालापुर सड़क, सुल्तानपुर—वकारपुर, हिल बाईपास रोड, खडखडी, सभी गांवों की सड़कें विशेष रूप से हरिद्वार में खानपुर, भगवानपुर और नारसन ब्लॉक है।	बहादुराबाद में रोशनाबाद — कुडकावाला सड़क पर 1 किमी. का आर. सी. सी. पुल, धानौरी—डाल्लूवाला सड़क में 4 किमी पर 20 मीटर आर. सी. सी. पुल, सुल्तानपुर—वकारपुर सड़क पर बाणगंगा नदी के ऊपर 40 मी., लक्सर से ज्वालापुर पर 7 किमी. पर 90 मीटर का पुल, रुड़की लक्सर से 10—11 किमी. पर 36 मी. का पुल, रुड़की लक्सर से 29 किमी. पर 36 मी. का पुल, पुरकाजी लक्सर से 24 किमी. पर 35.49 मी. का पुल, दिल्ली नितिपास मार्ग—लिब्रहेडी से 1 किमी. पर 57 मी. का पुल, नन्नोता देवबन्द मंगलोर से 42 किमी. पर 140 मीटर का पुल			1 किमी. से 6 किमी. बायपास रोड मनसादेवी पहाड़ी पर
जल अपूर्ति	पेयजल योजना हरिद्वार, रुड़की जलोत्सारन योजना, लक्सर पेयजल योजना, झबरेडा पेयजल योजना, रोहाल्की पेयजल योजना, भगवानपुर पेयजल योजना, श्यामपुर कांगडी पेयजल योजना	ओवर हैड वाटर टैंक, ज्वालापुर, भीमगौडा, मायापुर, ओडब्लूटी निकट गुलहाल ज्वालापुर, कनखल, रामनगर, रुड़की, गांधी वाटिका, मंगलौर, लण्डौरा, कलियर, झबरेडा, ग्राम रसूलपुर, डाल्लूवाला कलान, रिथोराग्रान्ट खालाटिहरा, ढंड तेरा हजरतगंज आशफ नगर, कोटा मुरादनगर, दादूबांस मानुबांस टकाबारी, हददलपुर ग्रन्ट, सोहलपुर सिकरौड़ा, कांगडी, गनेशचौर			बायपास मनसादेवी पहाड़ी, भीमगोदा, खडखडी, जोगीमंडी
स्विज/निकासी	ललताराव पुल, आर. टी. ओ. चौकी, भीमगौडा बस्ती, गुसैन गली, चन्द्राचार्य चौक, भगीरथीपुरम, कनखल थाना, रुड़की और लक्सर शहर,भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरी, आर्यनगर, बिरला टायर औद्योगिक क्षेत्र, लक्सर शहर और खानपुर क्षेत्र के पास सभी गांव	हरिद्वार, रुड़की और लक्सर शहर	सिडकुल का सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, भगवानपुर तथा लक्सर का औद्योगिक क्षेत्र		बायपास मनसादेवी पहाड़ी, भीमगोडा, खडखडी, जोगीमंडी
अस्पताल	बाढ़ चौकी के पास सभी पी. एच. सी.	सभी अस्पताल, सी. एच. सी और पी. एच. सी. इमारते	औद्योगिक क्षेत्र के निकट अस्पताल	जिला अस्पताल ओर सी. एच. सी.	
खाद्य संग्रह एवं	लक्सर, खानपुर, भगवानपुर, नारसन, बहादुराबाद ब्लाकों के	हरिद्वार में विशेषरूप से लण्डौरा व रुड़की में स्थित		इंडियन ऑयल बोटलिंग	

आपूर्ति	राशन डीलर	इंडियन ऑयल बोटलिंग प्लांट, भारत गैस बोटलिंग प्लांट, एच. पी. गैस बोटलिंग प्लांट तथा बहादुराबाद हरिद्वार में स्थित इंडियन ऑयल एल. पी. जी. बोटलिंग प्लांट		प्लांट, भारत गैस बोटलिंग प्लांट, एच. पी. गैस बोटलिंग प्लांट लण्डौरा और रुड़की तथा बहादुराबाद तथा हरिद्वार में इंडियन ऑयल एल. पी.जी. बोटलिंग फिलिंग स्टेशन	
संचार सिस्टम		हरिद्वार बस स्टेड के निकट टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज रुड़की, आर्यनगर ज्वालापुर का टी. वी. प्रसारण केन्द्र		टेलीफोन एक्सचेंज निकट बस स्टेशन हरिद्वार, टेलीफोन एक्सचेंज रुड़की, टी. वी. रिले केन्द्र आर्यनगर ज्वालापुर	
तटबन्ध	भूपतवाला, हरिपुरकला, रोडीबेलवाला, लालजीवाला, बैरागी कैप कनखल, जगजीतपुर, कटारपुर, चांदपुर, फेरुपुर, धनपुरा, मुस्ताफाबाद, पदार्था, बिसनपुर कुड़ी, रानी माजरा, टाडा भागमल, शाहपुर, धारीवाला, टिकोला, भोगपुर, मजादा बडी दीप, तिलकपुरी, फतवा, भीकमपुर, रामपुर, रायघाटी भीकमपुर टांडा, लावलपुर रंजजीतपुर, सोनपरी, बकारपुर, महाराजपुर खुर्द, गंदासपुर, अजीतपुर, मिस्सरपुर पंजनहेडी जीयापोता, माडाबेला, शेरपुर, खानपुर, चंद्रपुर कला, तुगलकपुर, दल्लावाला नाईवाला, कुंआखेडा, दाबकी, मथाना, मोहम्मदपुर, कोटा मचेरी, कोटा पाकिस्तान, जस्सावाला, अमनतगढ़, शहीदवाला ग्रन्ट, बुग्गावाला खेड़ी, सिकोहपुर, इब्राहिमपुर, ज्वालापुर, बहादुराबाद, सलेमपुर, धनोरी, कलियर, मेहवढ़, रुड़की, आसफनगर, मंगलौर, नसिरपुर, मोहम्मदपुर, नरसनकला				
पुल	बहादुराबाद में रोशनाबाद— कुडकावाला सड़क पर 1 किमी. आर0सी0सी0 पुल धनौरी— डालूवाला सड़क पर 4 किमी. आर. सी. सी. पुल, लक्सर ज्वालापुर सड़क पर 20 मीटर आर. सी. पुल, बाणगंगा नदी पर सुल्तानपुर—वकारपुर सड़क में 40 मी आर. सी. सी. पुल लक्सर से ज्वालापुर पर 7 किमी. की दूरी पर 90 मी. पुल, रुड़की से लक्सर पर 10 किमी. की दूरी पर 1136 मी. पुल, 29 किमी. रुड़की — लक्सर में 36 मी पुल, 24 किमी. पुरकाजी — लक्सर में 35.49 मी. का पुल, दिल्ली नीतीपास मार्ग—नीबारहीदी 57 मी. का पुल, 42 किमी. ननोता—देवबंद मंगलौर में 140मी.का पुल	रुड़की, रायसी—लक्सर और ज्वालापुर का रेलवे पुल, रोप ब्रिज (निकट वी. आई. पी घाट) चन्डी घाट, गंगा ब्रिज हरिद्वार, गणेशपुर पुल रुड़की, ओवर हेड सड़क पुल निकट एम. ई. एस. रुड़की।			

सिंचाई खण्ड, हरिद्वार संवेदनशील स्थल एवं प्रभावित गांवों के नाम वर्ष-2018 :-

Infrastructure	Vulnerability against each Hazard	
	Flood/Heavy Rain	
	Population	Name of the areas
1. Dudhia band marginal embankment on Rt. Bank of Ganga river.	28000	Bhupatwala, Haripurkala.
2. Belwala marginal embankment on Rt. Bank of Ganga river	5000	Rodi Belwala, Laljiwala.
3. Kankhal marginal embankment on Rt. Bank of Ganga river.	22000	Beragi camp, Kankhal, Jagjeetpur.
4. Vishanpur – Kundi marginal embankment on Rt. Bank of river Ganga.	38665	Katarpur, Chandpur, Ferupur, Dhanpura, Mustafabad Padarth, Vishanpur, Kundi, Ranimajra, Tada Bhagmal, shahpur, Dhariwala, Tikola.
5. Bhogpur – Balawali marginal embankment on Rt. Bank of river Ganga.	40200	Bhogpur, Majada, Baditeep, Tilakpuri, Fatwa, Bhikkampur, Rampur Raighati, Kbulpur Raighati, Bhikkampur Tanda, Lawalpur, Ranjeetpur, Sonpari, Bakarpur Maharajpur khurd, Gagdaspur.
6. Ajeetpur marginal embankment on Rt. Bank of river Ganga.	15000	Ajeetpur, Missarpr, Panjanhedi, Jiyapota.
7. Khanpur marginal embankment on Rt. Bank of river Banganga.	17800	Mana Bela, Sherpur, Khanpur, Chandrpuri Kala, Chandrapuri Khurd, Tugalpur, Dalawala Naiwala.
8. Solani marginal embankment on Lt. Bank of Solani river	11200	Kunwa kheda, Dhadki, Mathana, Mohammadpur.
9. Kotamurd Nagar marginal embankment on Lt. Bank of Ratmau river	8700	Kota macheri, Kota Pakistan.
10. Jassawala marginal embankment Lt. bank of Kansro river	8500	Jassawala.
11. Ibrahimpur marginal embankment on Rt. Bank of Ranipur rao.	4000	Ibrahimpur.
12. Kanwar road KM 0.00 to KM 12.50	5000 Beneficiaries through Vehicals.	Jwalapur, Bahadrabad,

सिंचाई खण्ड, रुड़की कमजोर और संवेदनशील स्थलों के नाम वर्ष-2018 :-

सब डिविजन/ सब यूनिट/ सब आफिस का नाम	रोड/पुल/तटबंध /पाइपलाइन/ अस्पताल/स्कूल/ सब-वे का नाम	ब्लाक/ ULB का नाम	संवेदनशील बिन्दु	प्रभावित गांव/ यू. एल. बी (लगभग)
सब डिविजन -1	गांजा मजरा खडी तटबंध चोली तार टोकरें किशनपुर क्रान्धी टोकरा दीवर	भगवानपुर		खेडी शीकोहपुर
सब डिविजन-2 और 6	एम्बैकमैट वायर क्रेट वाल इन ग्राम भगवानपुर शाहपुर हल्लुमजरा चैंज माजरी नौकराग्रन्ट बुग्गावाला शहीदवाला ग्रन्ट बाददीवाला	भगवानपुर	ढाढेकी, मथाना	
सब डिविजन-3	ग्राम रहमतपुर में वायर टोकरी की दीवार बढेडी राजपूतान और भौरी डेरा	रुड़की	श्रहमतपुर बढेडी राजपूतान और भौरी डेरा	
सब डिविजन-4	ग्राम रहमतपुर में वायर टोकरी की दीवार बढेडी राजपूतान और भौरी डेरा	नारसन	श्रहमतपुर बढेडी राजपूतान और भौरी डेरा	
सब डिविजन-5		नारसन		

तहसील हरिद्वार में संवेदनशील/कमजोर इमारतों व आश्रमों के चिन्हीकरण का विवरण :

वार्ड का नाम	संवेदनशील इमारते	कमजोर इमारते	इमारत के मालिक का नाम व पता	निर्माण का प्रकार	मंजिले	इमारत का उपयोग	परिवारों की संख्या
हर की पैड़ी 12		कमजोर	श्रीमति कुसुमलता पत्नि श्री कृष्ण कुमार गांधी, नई सोता जोगीया मंडी हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	10
गऊघाट 15			श्री अश्वनी कुमार, पु. श्री जय नारायण शर्मा, राज होटल विष्णु घाट हरिद्वार	आर0 बी0	3	व्यवसायिक	
ऋषिकुल 20			श्री दुश्यन्त कुमार पु. श्री धर्मपाल, मेन बाजार रोड धर्मशाला हरिद्वार	आर0 बी0	2	व्यवसायिक	
निर्मला छावानी 5			महन्त श्री दर्शन सिंह, लाल सिंह, देवपुरा आश्रम, मायापुर हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	10
निर्मला छावानी 5			श्री त्रिलोक सिंह पु. श्री दरबारा सिंह, तिकोली बिल्डिंग, देवपुरा हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	3
गऊघाट 15			श्रीमति ममता मिश्रा पत्नि श्री देवकीनन्दन शर्मा निकट कुशहघाट, सरस्वती निवास हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	3
गऊघाट 15			श्री जगदीश गुप्ता पु. स्व. इलमचंद दीपक खन्ना वाली दुकान, मोती बाजार हरिद्वार	आर0 बी0	2	व्यवसायिक	
गऊघाट 15			श्री अजय कुमार वर्मा पु. श्री मक्खन लाल सवित्री निवास अपर रोड, टैक्सी स्टेड हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी / व्यवसायिक	2
हरकी पैड़ी 12			श्री सुमित मिश्रा भीमगौड़ा हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	5
हरकी पैड़ी 12			श्री उपेन्द्र भारती, दतवाली हवेली हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी / व्यवसायिक	2
गऊघाट 15			श्रीमति प्रभा गए खण्डहारी धर्मशाला सब्जी मन्डी हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	3

हरकी पैड़ी 12			श्री प्रभुदास निकट त्रिवेनी आश्रम भीमगौड़ा हरिद्वार	आर0 बी0	4	रिहायसी	6
गऊघाट 15			पंडित रामकुमार शर्मा नाईसौता नाला हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	3
हरकी पैड़ी 12			सोमनाथ सरदारो वाली हवेली हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	2
हरकी पैड़ी 12			गोपीचन्द भीमगौड़ा हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	3
गऊघाट 15			श्री शिव कुमार पु सीताराम नाईसौत नाला हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	4
गऊघाट 15			श्री रमेश खन्ना, अयोध्या हाउस विष्णु घाट हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी / व्यवसायिक	2
ब्रह्मपुरी 6			श्री नन्द लाल ओर अमिचन्द निकट रोपवे काशीपुर हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	14
			श्री नन्द लाल ओर अमिचन्द निकट रोपवे काशीपुर हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	11
			श्रीमति सुनीता कृतिपाल पत्नि श्री राजकुमार, शिव धर्मशाला हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	2
			रमेश खन्ना, सुख निवास हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	11
			श्री सुलोचन गिरी पु0 कान्तागिरी हरिद्वार	आर0 बी0	1	रिहायसी	1
			श्री डी.डी. गिरी पु. श्यामदेव हरिद्वार	आर0 बी0	1	रिहायसी	1
			श्री सुरेश चन्द्र बडोनी पु श्री स्व. तिलक राम बडोनी हरिद्वार	आर0 बी0	1	रिहायसी	1
			श्री बलराम गिरी पु. मुलागिरी हरिद्वार	आर0 बी0	1	रिहायसी	1
			श्री खतेश्वर भवन निकट टनल हरिद्वार	आर0 बी0	4	रिहायसी	4
			सूर्योदय होटल निकट टनल	आर0 बी0	4	रिहायसी	2
			श्री रावत पुरा शंकर आश्रम निकट टनल हरि0	आर0 बी0	4	रिहायसी	3
			श्री श्रीगैरी मठ निकट टनल हरिद्वार	आर0 बी0	4	रिहायसी	5
			हर की पौड़ी हनुमान मन्दिर	आर0 बी0	1	रिहायसी	1
			सुलभ डीलक्स शौचालय हर की पौड़ी	आर0 बी0		व्यवसायिक	
हरकी पौड़ी 12							
भीमागौड़ा 13	बहुत कमजोर	कमजोर	शंकर आश्रम भीमागौड़ा हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	1
			जगदम्बा टैंट हाऊस भीमागौड़ा हरि0	आर0 बी0	2	रिहायसी	1
			श्री मंगल राम नौटियाल भीमागौड़ा हरि0	आर0 बी0	2	रिहायसी	1
			श्रीमति पुष्पा भीमागौड़ा, हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	1
			श्री नित्यानन्द ब्रह्मचारी जी आश्रम भीमागौड़ा, हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	1
			श्रीमति संदुरा देवी आश्रम भीमागौड़ा हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	1
			श्री प्रेम सिंह रावत पु. श्री गुमान सिंह रावत भीमागौड़ा हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	1
			श्री सुभाष चंद पु श्री लालू सिंह भीमागौड़ा हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	1
			श्री हरि राम वर्मा पु श्री रामचंद भीमागौड़ा हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	1
			श्री विष्णु वादा श्री राजेन्द्र गिरी महाराज भीमागौड़ा, हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	1
			मौ काली कामली संयास रोड आश्रम भीमागौड़ा , हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	1
			श्रीमति लीला मिश्रा पत्नी श्री घनश्याम मिश्रा भीमागौड़ा हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	1
			श्री हर नाथ पीर दरगह भीमागौड़ा, हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	1
			श्रीमति रोशनी देवी भीमागौड़ा, हरिद्वार	आर0 बी0	2	रिहायसी	1
			श्री मोहनंद आश्रम भीमागौड़ा हरिद्वार	आर0 बी0	1	रिहायसी	1
			श्री बिलासपुर धाम धर्मशाला भीमागौड़ा हरि0	आर0 बी0	1	रिहायसी	1
			श्री डी. के. तिवारी पु. खेमानंद तिवारी न्यू बस्ती हरिद्वार	आर0 बी0	1	रिहायसी	1

		श्री मुशी लाल न्यू बस्ती हरिद्वार	आर0 बी0	1	रिहायसी	1
		श्री हरिश चन्द भट्ट पु. स्व. श्री बुद्धिबलभ भट्ट न्यू बस्ती हरिद्वार	आर0 बी0	1	रिहायसी	1
		श्री तुफान गिरी पु. चिंधी गिरी न्यू बस्ती हरि0	आर0 बी0	1	रिहायसी	1
		गौरी शंकर आश्रम समीति घाट रोड करखरी हरिद्वार	आर0 बी0	1	रिहायसी	1
		भारती भवन हरिद्वार	आर0 बी0	1	रिहायसी	1

रुड़की तहसील के संवेदनशील भवनों/आश्रमों की सूची

वार्ड का नाम	भवन मालिक का नाम और पता
	श्रीमति कृष्णा पत्नी श्री सुन्दर मकान सं. 95 पूर्वी दीनदयाल रुड़की
वार्ड संख्या 6	श्री जाहीद पुत्र श्री महमद हसन मकान सं. 390/2 अमबर तालाब पूर्वी रुड़की
वार्ड संख्या 6	श्री मतलब पुत्र श्री अयूब मकान सं. 390 अमबर तालाब पूर्वी रुड़की
	श्री दयाराम शर्मा पु. श्री अदनपति मकान सं. 48, 33 रामनगर रोड मक्तुलपुर रुड़की
	श्री कल्लूराम पुत्र श्री शिमला गांव गणेशपुर
	श्री पिताम्बर पुत्र श्री बलवीर सिंह राजपुमाना उत्तर विपरित भट्टनगर होम
	श्रीमति रेखा धीमान श्री विजय कुमार मकान सं. 533 अम्बर तालाब पश्चिमी रुड़की
	श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र श्री स्व. ईश्वर प्रसाद गर्ग मकान सं. 131 अम्बर तालाब पूर्वी रुड़की
	श्री जाहीद पुत्र श्री महमूद हसन मकान सं. 390/2 अम्बर तालाब पश्चिमी रुड़की
वार्ड संख्या 6	श्री तसलीम नाइ पुत्र श्री सागीर सामद अम्बर तालाब पूर्वी निकट स्टेडियम रुड़की
वार्ड संख्या 6	श्री मतलूब पुत्र श्री अयूब मकान सं. 390 अम्बर तालाब पूर्वी रुड़की
वार्ड संख्या 2	श्री घनश्याम पुत्र श्री कन्हैया लाल मकान सं. 39 अम्बर तालाब पश्चिमी रुड़की
वार्ड संख्या 2	श्री बृजरानी भटनागर मकान सं. 81/1 अम्बर तालाब पश्चिमी रुड़की
	आफिसर सीनियर इंस्पेक्टर
	नवयुग प्रिंटर रामनगर रोड मक्तुलपुरी रुड़की
	श्री जयपाल सिंह मकान सं. 35 और 50 रामनगर रोड मक्तुलपुरी रुड़की
वार्ड नं. 17	श्री विशम्बर दास मकान सं. 59 राजपुताना पश्चिमी रुड़की
वार्ड नं. 17	श्री फूल सिंह मकान सं. 59/1 राजपुताना पश्चिमी रुड़की
वार्ड नं. 17	श्री कैलाश चन्द मकान सं. 59/2 राजपुताना पश्चिमी रुड़की
वार्ड नं. 17	श्री विनय राजपुताना पश्चिमी रुड़की
वार्ड नं. 17	श्री राजकुमार दुखी मकान सं. 404 राजपुताना पश्चिमी रुड़की
वार्ड नं. 2	श्री अनुमंत गोयल मकान सं. 3 अम्बर तालाब पश्चिमी रुड़की
वार्ड नं. 2	श्री अरविन्द गोयल मकान सं. 3/1 अम्बर तालाब पश्चिमी रुड़की
वार्ड नं. 2	श्रीमती आशा गोयल मकान सं. 3/2 अम्बर तालाब पश्चिमी रुड़की
वार्ड नं. 2	श्री नन्दा मकान सं. 3/3 अम्बर तालाब पश्चिमी रुड़की
वार्ड नं. 2	पुराना सिविल अस्पताल अम्बर तालाब विपरित काली मन्दिर
वार्ड नं. 2	श्री मनमोहन सिंह सरदार मकान सं. 533 अम्बर तालाब निकट गंदा नाला रुड़की
वार्ड नं. 2	श्री भूप सिंह सरदार मकान सं. 674 अम्बर तालाब पश्चिमी रुड़की
वार्ड नं. 2	श्री ज्ञानचन्द मकान सं. 673 अम्बर तालाब पश्चिमी रुड़की

सबसे घने मन्दिर/ घाट :

शिव मन्दिर सिविल लाइन, दुर्गा मन्दिर नेहरू रोड, शनि मन्दिर रामनगर, गणेश चौक गणेशपुर, लक्ष्मी नारायण मन्दिर के विपरित वाले घाट भूकम्प के प्रति अधिक संवेदनशील नगर मोह. पूर्वादीप दयाल, अंबर तालाब पूर्वी, अंबर तालाब पश्चिम, मक्तुलपुरी, राजपूताना पश्चिम, पुरानी तहसील, गणेशपुर गांव ।

सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले वार्ड :

वार्ड संख्या	जगह का नाम	जनसंख्या
वार्ड संख्या 1	चावमंडी	7848
वार्ड संख्या 2	अम्बर तालाब पश्चिम (उत्तर)	6856
वार्ड संख्या 3	शेखपुरी	8958
वार्ड संख्या 5	पुरवदीपदयाल	3456
वार्ड संख्या 6	अम्बर तालाब पूर्वी	4867
वार्ड संख्या 9	सोट	3903
वार्ड संख्या 11	अम्बर तालाब पश्चिम (पश्चिम)	3233
वार्ड संख्या 13	अम्बर तालाब पश्चिम (मध्यम)	4642
वार्ड संख्या 15	रामनगर (दक्षिण)	4691
वार्ड संख्या 16	माहीगरन	10533
वार्ड संख्या 17	राजपूताना पश्चिम	3331
वार्ड संख्या 18	रामनगर उत्तर	3654
वार्ड संख्या 19	पुरानी तहसील	5890
वार्ड संख्या 20	साती	5235

अग्नि संभावित क्षेत्रों की पहचान :

सब-डिविजन/सब-यूनिट/ सब-आफिस का नाम	तहसील का नाम	संवेदनशील स्थान
फायर स्टेशन मायापुर	हरिद्वार	औद्योगिक क्षेत्र, स्कूल, होटल, धर्मशाला और अस्पताल
फायर स्टेशन सिडकुल	हरिद्वार	औद्योगिक क्षेत्र, मॉल, होटल
फायर स्टेशन रुड़की	रुड़की	औद्योगिक क्षेत्र, मॉल, होटल, बी. ई. जी. , आई0आई0 टी0,आई0. आर0आई0
फायर स्टेशन लक्सर	लक्सर	औद्योगिक क्षेत्र, स्कूल, होटल

विभिन्न खतरों से प्रभावित क्षेत्र तथा जनसंख्या :

रासायनिक खतरे		आग से खतरे	
जनसंख्या (लगभग)	क्षेत्र का नाम	जनसंख्या (लगभग)	क्षेत्र का नाम
1,00,000	सिडकुल का औद्योगिक क्षेत्र	90,000	ज्वालापुर
25,000	औद्योगिक क्षेत्र, हरिद्वार	75,000	हरिद्वार का ऊपरी बाजार
30,000	औद्योगिक क्षेत्र, लक्सर	90,000	मुख्य बाजार हरिद्वार
25,000	औद्योगिक क्षेत्र, लक्सर	30,000	लक्सर

निचले गांवों/क्षेत्रों की पहचान :

कम संवेदनशील गांव	मध्यम संवेदनशील गांव	अत्यधिक संवेदनशील गांव
तहसील हरिद्वार		
1.रसूलपुर मीठीबेरी, 2.कांगडी 3.गाजीवाला, 4. श्यामपुर नोवाबाद, 5.सजनपुर पीली, 6. जसवावाला, 7.कोटा मुरादनगर, 8.दादूबांस माजरा, 9.भोगपुर	—	दुधला दयालवाला, बिशनपुर, झरड़ा कुंडी
तहसील लक्सर		
1.सिकंदरपुर, 2.हबीबपुर कुडी, 3.फतवा अह0, 4.रामपुर, 5.रायघटी अह0, 6.जसपुर	झिंवारेंडडी, सूईपुर, इब्राहीमपुर, माण्डाबेला,	आलमपुर हस्तमौली, दुधला, दल्लावाला, चन्द्रपुरी खादर, चंद्रपुरी

रणजीतपुर मु0, 7.रामपुर रायघटी, 8.जसपुर रणजीतपुर अह0		बांगर, बानूवाला, चाखेरी, शेरपुर बेला माहाजी, हिरदेरामपुर, शेरपुरबेला, माहाजी टीम, जोगावाला, महाराजपुर खुर्द, गंगदासपुर अह0, गंगदासपुर मु0, रघुनाथपुर उर्फ बालावाली, बालावाली, मंसूर उर्फ कपुरों, गिद्धावाली, कलसिया, भोवावाला, नन्दपुर मजरा, रायसी, शिवपुरी अह0, शिवपुरी मु0
तहसील रुड़की		
1.शान्तरशाह, 2.बढेडी राजपूताना, 3.बहादुरपुर सैनी, 4.भारापुर भौरी, 5.बेलडा, 6.मिर्जापुर उर्फ मुस्तफाबाद, 7.मरगूबपुर दीदाहेडी, 8. हलवाहेडी रहमतपुर, 9.डण्डेढी ख्वाजगीर, बलेडी, 10.साल्हापुर, फरोजपुर	—	—
तहसील भगवानपुर		
1.फिरोजपुर उर्फ बुग्गावाला, 2.नौकराग्रन्ट, 3. हरिपुर टोंगिया, 4.शहीदवाला ग्रन्ट, 5. दौलतपुर हजरजपुर उर्फ बुधवाशहीद, 6. लालवाला मजबता, 7.मजाहिदपुर सतीवाला मजबता, 8.मजाहितपुर सतीवाला खालसा, 9. लामग्रन्ट, फतेउल्लापुर उर्फ तेलपुरा, 10. बन्जारेवाला ग्रन्ट, 11.हसनावाला, 12.खेडी शिकोहपुर, 13.औरंगजेबपुर, 14.मुकर्रम उर्फ कालेवाला, 15.लोदीवाला, 16.बहावपुर छांगामाजरी, 17.भगवानपुर, 18.शाहपुर, 19. मक्खनपुर महमूद आलम, 20.हकीमपुर तुरा, 21.कलालहटी, 22.धीरमाजरा, 23.हल्लू मजरा, 24.बहवलपुर हंसोवाला, 25.अकबरपुर कालसो, 26.खेलडी, 27.सिकरोढा, 28.हबीबपुर निवादा, 29.नांगल, 30.पलूनी, 31.इब्राहिमपुर मसाही, 32.जलालपुर डाडा, 33.पटटी डाडा, 34.हसनपुर, मदनपुर	—	—

हरिद्वार शहर में चन्द्राचार्य चौक क्षेत्र, भगवतीपुरम, भीमगौड़ा, ऊपरी बाजार, गोविन्दपुरी, आर. टी. ओ. चौकी, धुस्सी गली आदि निचले इलाको के रूप में पहचाने जाते हैं। रुड़की शहर तथा लक्सर के कुछ क्षेत्रों को भी निचले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है।

अध्याय-6

न्यूनीकरण योजना

6.1 सेक्टर के अनुसार संवेदनशीलता कम करने के उपाय :-

सेक्टर का प्रकार	सह सेक्टर	न्यूनीकरण	जिम्मेदार विभाग/ व्यक्ति	समय सीमा
ढांचागत विकास	आई. ई. सी. गतिविधियां	- लिफलेट, पोस्टर और दीवार पेन्टिंग का वितरण - स्कूलों और कालेज में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन , पद यात्रा आयोजित करना - टास्क फोर्स टीम, एन. जी. ओ., सी. बी. ओ. तथा सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों के विकास और रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन करना। - नियमित रूप से मॉक ड्रिल का संचालन - वृक्षारोपण कार्यक्रम	पी.डब्लू.डी. सिंचाई, जल वितरण विभाग, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, वन विभाग, अग्निशमन विभाग, शिक्षा विभाग, आपदा प्रबन्धन, एन.जी.ओ., आदि	साल भर (नियमित अन्तराल पर)
	सड़क	- मुख्य तथा वैकल्पिक मार्ग की पहचान/ मरम्मत - चिह्नित संवेदनशील स्थानों की मरम्मत - गांव की सभी सड़कों को पक्का करना	पी.डब्लू.डी., आर.ई.एस., एन.एच.	सामान्य समय पर और आपदा के तुरन्त बाद
	तटबन्ध	- कमजोर तटबन्धों की ऊंचाई बढ़ाना - बाढ़ से निबटने के लिए रेत के बैग, बास की चटाई आदि का सग्रह	सिंचाई विभाग	बरसात के दौरान और बाद में
	पुल	पुलों की नियमित देखरेख	पी.डब्लू.डी., एन.एच. प्राधिकरण, आर.ई.एस, रेल प्राधिकरण	सामान्य समय पर
	सुरक्षित निवास	- बाढ़ आश्रयों का रखरखाव सुनिश्चित करना - लोगों तथा पशुओं के लिए आश्रयों की तैयारी हेतु स्थान की पहचान - समुदाय, स्कूल, एन. जी. ओ. तथा सी. बी. ओ. द्वारा आश्रयों के बहुउद्देशीय उपयोग सुनिश्चित करना	राजस्व विभाग, विकास विभाग, पशुपालन आदि सम्बन्धित	सामान्य समय पर और आपदा के दौरान तथा बाद
	संचार	- टेलीफोन, फैक्स, डब्लू. एल. एल. फोन, वायरलेस और वी. एस. एस. सेट का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना - जनपद/ब्लाक कार्यालय में समय से वायरलेस स्टेशन स्थापित करना - सभी ब्लाक मुख्यालयों में वी. एच. एफ./ एच. ए. एम रेडियो की स्थापना करना	पुलिस, संचार, दूरसंचार, आदि	सामान्य समय पर और आपदा के दौरान तथा बाद
	पेयजल एवं स्वच्छता	- कार्यरत/खराब ट्यूबवेल का आकलन और ठीक करने की जरूरी व्यवस्था - पानी की आपूर्ति प्रणाली स्थापित करना	जल निगम, जल संस्थान	सामान्य समय पर और आपदा के दौरान तथा बाद

		- पानी में डूबने वाले ट्यूबवेलों की पहचान तथा उनके प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाना - टैकर/पानी की टंकी की व्यवस्था करना - कीटाणुनाशक की आवश्यकता का आंकलन तथा इसका नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाना		
	विद्युत	- विद्युत सब स्टेशनों तथा पावर ग्रिड की रखरखाव सुनिश्चित करना - सम्पूर्ण जनपद में बिजली की व्यवस्था - बाढ़ नियन्त्रण चौकियों के निकट सोलर लेम्प लगवाना तथा उनकी देखरेख करना - आपदा के दौरान जनपद कंट्रोल रूप को लगातार बिजली की अपूर्ति करना	विद्युत विभाग	पूरे साल भर
स्वास्थ्य और पशु	आई. ई. सी. गतिविधियां का बटवारा	- लिफलेट, पोस्टर तथा वाल पेन्टिंग का वितरण - स्टाफ डवलेपमेन्ट प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर स्वयं सेवियों का ओरिएनटेशन टास्क फोरस के लोगो के लिए बैठके/ कार्यशालाओं का आयोजन - जागरूकता कार्यक्रमों जैसे नुककड नाटक आदि का आयोजन	स्वास्थ्य, पशुपालन विभाग	आपदा से पहले, दौरान तथा बाद में
	टीकाकरण / विसंक्रमण	- टीकों की खरीद और स्टॉक जमा करना - घरेलू पशुओं का नियमित टीकाकरण - ट्यूव वेल, कुओं तथा तालाबों का नियमित विसंक्रमण - चिकित्सालयों की नियमित साफ-सफाई - पशु चिकित्सा अस्पताल के लिए फ्रिज.....	स्वास्थ्य, पशुपालन विभाग	आपदा से पहले, दौरान तथा बाद में
	प्रशिक्षण	मेडिकल स्टाफ के साथ -2 स्वयंसेवकों को स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, बीमा, प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देना	स्वास्थ्य,	सामान्य समय पर
आजीविका सेक्टर	आई. ई. सी. गतिविधियां	- लिफलेट, पोस्टर व दीवार पेंटिंग का वितरण - ग्राम स्तर के स्वयंसेवकों और ई. डी. पी (उद्यमिता विकास कार्यक्रम) के लाभार्थियों के लिए बैठकों का आयोजन, - जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन जैसे नुककड नाटको	कृषि, उद्यान, उद्योग, ग्रामीण विकास, सेवायोजन विभाग	सामान्य समय पर
	कृषि	- एल. आई. पोइन्ट्स की स्थापना, वैकल्पिक फसले - फसल बीमा, ऋण सुविधाएं तथा कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान	कृषि एवं फलोउद्यान	सामान्य समय पर
	बागवानी	नर्सरी विकसित करने हेतु प्रशिक्षण एवं बीमा सुविधा उपलब्ध करना		सामान्य समय पर
बीमा	आई. ई. सी. गतिविधियां	- लिफलेट, पोस्टर व दीवार पेंटिंग का वितरण - स्टाफ, सरकारी कर्मचारियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, स्वयं सेवकों की क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों, बैठकों और कार्यशालाओं का आयोजन	ब्लॉक, बीमा कम्पनीया, कृषि विभाग, बैंक, एन. जी. ओ.	सामान्य समय पर

		जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन जैसे नुक़ड नाटको		
	आजीविका	जीवन, पशुधन, फसल और छोटे व्यापार इकाइयों का बीमा आदि	ब्लाक, बीमा कम्पनीया, कृषि विभाग, बैंक, एन. जी. ओ	सामान्य समय पर
नियोजन और प्रतिक्रिया	आई. ई. सी., राहत और पुर्नवास गतिविधियां	- नियमित अन्तराल पर ब्लांक आपात योजना का नवीनीकरण - पोस्टर, लिफलेट तथा दीवार पेन्टिक के माध्यम से समुदाय को जागरूक करना - नुक़ड नाटक जैसे जागरूकता कार्यक्रम करना - जी पी. पदाधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, ग्राम स्तरीय स्वयं सेवकों आकस्मिक योजना के लाभार्थियों, हेतु बैठको और कार्यशालाओं का आयोजन - सभी स्तरों पर नियमित मॉक ड्रिल - समय पर तैयारियां और चेतावनी का प्रचार प्रसार, खोज एवं बचाव तथा निकासी संचालन - पीड़ितों के लिए घर - पशुधन को संरक्षण - शवों का दाह संस्कार और स्वच्छता की व्यवस्था - नुकसान का आकलन - मुखमरी के मामलों का ध्यान रखना - कानून व्यवस्था बनाए रखना - सूचनाओं का आदान प्रदान	राजस्व, विकास विभाग, स्वैच्छिक संस्थान	

अध्याय –7

आपदा प्रतिक्रिया/अनुक्रिया ढाँचा

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण :

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं. 1501-1513/XVIII (2)/07-03(6)/2007 दिनांक 4 दिसम्बर 2010 के द्वारा जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण हरिद्वार का गठन किया गया है। प्राधिकरण के सदस्य निम्नवत हैं:

1	जिला अधिकारी, हरिद्वार	अध्यक्ष
2	अध्यक्ष, जिला पंचायत, हरिद्वार	सह- अध्यक्ष
3	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार	सदस्य
4	मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार	सदस्य
5	प्रभारी अधिकारी आ0प्रब0/अपर जिला मजिस्ट्रेट	सदस्य एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी
6	अपर जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन) हरिद्वार	सदस्य
7	मुख्य चिकित्साधिकारी हरिद्वार	सदस्य
8	अधिशासी अभियन्ता (लो0नि0वि0), हरिद्वार	सदस्य
8	अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई) हरिद्वार	सदस्य
9	विधानसभा के सदस्य (विधायक)	विशेष आमंत्रित सदस्य

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियाँ व कृत्य (आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 30 के अनुसार)

1. जनपद प्रतिवादन योजना को समावेशित करते हुये जनपद आपदा प्रबन्धन का विकास।
2. राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय, राज्य व जनपद योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समन्वयन व परिवीक्षण।
3. जनपद में आपदाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हांकन और आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु आवश्यक उपायों का क्रियान्वयन।
4. जनपद स्तर पर समस्त सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों द्वारा राष्ट्रीय व राज्य प्राधिकरण द्वारा आपदा रोकथाम, प्रभावों के न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं प्रतिवादन हेतु निर्गत मार्ग-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
5. जनपद व स्थानीय निकायों एवं प्राधिकारियों को आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु आवश्यक निर्देश।
6. जनपद स्तरीय सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों को आपदा प्रबन्धन योजनाये बनाये जाने हेतु मार्गनिर्देश।
7. जनपद स्तरीय विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबन्धन योजनाओं के क्रियान्वयन के स्तर का अनुश्रवण।
8. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपायों को जनपद स्तरीय विभागों की विकास योजनाओं व कार्यक्रमों में समावेशित किये जाने हेतु दिशानिर्देश व आवश्यक तकनीकी सहायता।
9. उपरोक्त का क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने हेतु अनुश्रवण।
10. आपदा की परिस्थितियों का सामना करने के लिये क्षमताओं की समीक्षा व आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभागों को क्षमताओं के उच्चीकरण हेतु दिशा-निर्देश।
11. पूर्व तैयारी के स्तर की समीक्षा एवं सम्भावित आपदाओं का सामना करने के दृष्टिगत पूर्व तैयारी का वांछित स्तर बनाये जाने हेतु समस्त सम्बन्धितों को दिशा-निर्देश।
12. विभिन्न स्तरीय अधिकारियों, कार्मिकों व स्वयं सेवी बचाव कार्मिकों के लिये विशिष्ट प्रशिक्षणों का आयोजन।

13. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण के दृष्टिगत स्थानीय निकायों, सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के सहयोग से सामुदायिक क्षमता विकास व जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
14. आपदा चेतावनी तंत्र व जन सूचना तंत्र विकसित किया जाना एवं इसका रख-रखव व उच्चीकरण।
15. जनपद स्तरीय प्रतिवादन योजना व मार्गनिर्देशिकाओं का विकास, समीक्षा तथा उच्चीकरण।
16. आपदा की परिस्थिति में प्रतिवादन कार्यों का समन्वयन।
17. सुनिश्चित किया जाना कि जनपद स्तरीय सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा जनपद प्रतिवादन योजना के अनुरूप विभागीय प्रतिवादन योजना का विकास किया जाये।
18. आपदा की परिस्थितियों में प्रभावी प्रतिवादन सुनिश्चित किये जाने हेतु मार्गनिर्देशों का विकास एवं जनपद के सम्बन्धित सरकारी विभागों व अन्य निकायों को इनके अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश।
19. आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित कार्यों में लगे सभी जनपद स्तरीय सरकारी विभागों, निकायों, स्वयंसेवी संस्थाओं व अन्य को परामर्श व सहायता एवं इनके कार्यों में समन्वयन।
20. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपायों के त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद में अवस्थित स्थानीय निकायों व अन्य के साथ समन्वयन व आवश्यक दिशा-निर्देश।
21. स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करावाना।
22. विकास योजनाओं में आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण सम्बन्धित पक्षों का समावेश सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गयी योजनाओं की समीक्षा।
23. आपदा सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत जनपद में हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण एवं मानकों की अवहेलना पाये जाने पर सम्बन्धितों को आवश्यक सुरक्षा मानकों को अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु दिशा-निर्देश।
24. आपदा की परिस्थितियों में आश्रय स्थलों व राहत शिविरों के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाली अवसंरचनाओं का चिन्हांकन एवं इनमें पानी, साफ-सफाई व अन्य आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना।
25. राहत व बचाव सामग्रियों का भंडारण या फिर उपयुक्त पूर्व तैयारी के सथ सुनिश्चित किया जाना कि आवश्यकता पड़ने पर वांछित सामग्रियों की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
26. राज्य प्राधिकरण को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों पर सूचनायें उपलब्ध करवाना।
27. जनपद में स्थानीय स्तर पर कार्यरत स्वयं संवी संस्थाओं व सामाजिक कार्यों के लिये प्रोत्साहित करना।
28. सुनिश्चित किया जाना कि संचार तंत्र कार्यरत है व आपदा सम्बन्धित अभ्यास किये जा रहे हैं।
29. राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित अन्य कार्यों का सम्पादन।

आपदा की स्थिति में जनपद प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियाँ व कृत्य (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 34)

1. जनपद में अवस्थित सरकारी विभागों व निकायों के पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देश।
2. आपदा सम्भावित व आपदा प्रभावित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण व प्रतिबन्ध।
3. आपदा सम्भावित व आपदा प्रभावित क्षेत्र में व्यक्तियों के आवागमन पर नियंत्रण व प्रतिबन्ध।

4. मलबा हटाना, खोज एवं बचाव कार्य।
5. आश्रय, भोजन, पेयजल, आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सुविधाओं व अन्य सेवाओं की व्यवस्था।
6. प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन संचार व्यवस्था की स्थापना।
7. मृतकों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था।
8. जनपद में स्थित किसी भी सरकारी विभाग व निकाय को आपदा की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक उपाय किये जाने हेतु दिशा-निर्देश।
9. आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञों व परामर्शदाताओं से परामर्श।
10. किसी भी संस्था या व्यक्ति से आवश्यकतानुसार वांछित सामग्री की आपूर्ति।
11. अस्थाई पुलों व अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण तथा जनसुरक्षा के दृष्टिगत असुरक्षित अवसंरचनाओं को ध्वस्त किया जाना।
12. सुनिश्चित किया जाना कि स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा दी जा रही सेवाओं में किसी प्रकार का भेदभाव न हो।
13. स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक एवं वांछित अन्य कार्यों का सम्पादन।

जिला आपदा प्रबन्धन समिति

जिलाधिकारी हरिद्वार की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबन्धन समिति का गठन किया गया है जिसमें जिले के सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सम्मिलित हैं। समिति नियमित अन्तराल में आपदा प्रबन्धन और न्यूनीकरण के सम्बन्ध में सभी विभागों की प्रगति की समीक्षा करता है। समिति विभागों के साथ संसाधनों की उपलब्धता, विभागीय प्रगति और मुद्दों की समीक्षा का आकलन करती है। इस समिति के सदस्य निम्न प्रकार हैं।

1	जिला अधिकारी, हरिद्वार	अध्यक्ष
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार	सदस्य
3	मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
4	प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
5	उपाध्यक्ष, हरिद्वार/रूडकी विकास प्राधिकरण	सदस्य
6	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार	सदस्य
7	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार	सदस्य
8	सिटी मजिस्ट्रेट, हरिद्वार	सदस्य
9	प्रभारी अधिकारी(आ0प्रब0), हरिद्वार	सदस्य
10	उपजिलाधिकारी, हरिद्वार, लक्सर, रूडकी, भगवानपुर	सदस्य
11	मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
12	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
13	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
14	अधिशाली अभियंता पी.डब्लू.डी (निर्माण), हरिद्वार	सदस्य
15	अधिशाली अभियंता पी.डब्लू.डी (प्रोविजनल), हरिद्वार	सदस्य
16	अधिशाली अभियंता (सिचाई), हरिद्वार/रूडकी	सदस्य
17	अधिशाली अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार	सदस्य
18	अधिशाली अभियंता उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार	सदस्य
19	जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड हरिद्वार	सदस्य
20	परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0	सदस्य
21	महाप्रबन्धक विद्युत वितरण विभाग, हरिद्वार	सदस्य
22	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार	सदस्य

23	अधिकासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रुडकी	सदस्य
24	अधिकासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण, विभाग हरिद्वार	सदस्य
25	परियोजना प्रबन्धन गंगा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड	सदस्य
26	महाप्रबन्धक संचार, हरिद्वार	सदस्य
27	जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
28	जिला पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
29	मुख्य अग्निशमन अधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
31	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
32	अधिकासी अभियन्ता, यू0पी0 हैडवर्क्स, हरिद्वार	सदस्य
33	जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी	सदस्य
34	मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार	सदस्य
35	निदेशक, आई0आई0टी0, रुडकी	सदस्य
36	कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)हरिद्वार	सदस्य
37	कमाण्डेन्ट, B.E.G, रुडकी	सदस्य
38	कमाण्डेन्ट, पी0ए0सी0	सदस्य
39	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल	सदस्य
40	जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
41	जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
42	सचिव, रेड क्रॉस सोसाइटी	सदस्य
43	शान्ति कुज गायत्री परिवार के प्रतिनिधि	सदस्य

Humanitarian Assistance And Disaster Relief(HADR) के सम्बन्ध में।

मानवीय सहायता तथा आपदा राहत जांच सूची

प्रस्तावना

1— आपदा की स्थिति में समय अहुत मूल्यवान होता है। इसमें स्थापित प्रक्रिया के अभिज्ञान तथा पहल के साथ तत्काल कार्रवाई से पर्याप्त नुकसान एवं जीवन की हानि को कम किया जा सकता है। भारतीय सशस्त्र सेनाएं बहुधा आपदा के दौरान सिविल प्रशासन को अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। सशस्त्र सेनाओं में भारतीय वायु सेना को अत्यन्त अल्प समय में सक्षम कार्रवाई करने की विशेषज्ञता प्राप्त है तथा इसके प्रयोग से क्षति को कम किया जा सकता है।

2— किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में भारतीय वायु सेना निम्नलिखित कार्यों में सर्वप्रथम त्वरित प्रतिक्रिया करेगी:—

(क) आपदाग्रस्त व्यक्तियों की खोज तथा बचाव एवं हताहतों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना।
पहुँचाना।

(ख) राहत सामग्री, संसाधनों तथा विशेषज्ञों के दल का तत्काल परिवहन(पहुँचाने में)।

(क) एयर ड्रापिंग द्वारा राहत सामग्री, भोजन तथा दवा इत्यादि के तीव्र वितरण में।

संगठन

1— राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण:—

आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के तहत स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन के तहत सचिवों होती है। जिसे राष्ट्रीय संकट प्रबन्धन समिति(नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी) कहा जाता है जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं जिससे कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबन्धित आपा प्रबन्धन गतिविधियों में समन्वय स्थापित किया जा सके।

2— राष्ट्रीय आपदा राहत बल(एन.डी.आर.एफ) :-

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा राहत बल का गठन किया गया। एन0डी0आर0एफ0 प्रारंभिक आपदा राहत संगठन के तौर पर विभिन्न सिविल एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एन0डी0आर0एफ0 बटालियन को स्थापित, सुसज्जित एवं प्रशिक्षित किया गया है। मध्य वायु कमान की भौगोलिक जिम्मेदारी का क्षेत्र दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर से उत्तर में उत्तराखण की पहाड़ियों तथा पश्चिम में पटना से आगरा तक फैला हुआ है। इसकी एन0डी0आर0एफ0 बटालियन सशस्त्र सीमा बल के साथ बिहटा में स्थित है।

मध्य वायु कमान मुख्यालय द्वारा आपदा प्रबन्धन

मध्य वायु कमान के भौगोलिक क्षेत्रों के अन्तर्गत किसी आपदा की स्थिति में वायु सेवा संबंधी सभी मामलों का नियंत्रण मध्य वायु कमान मुख्यालय (एच क्यू सी ए सी) के अधीन होगा वरिष्ठ वायु स्टाफ अफसर(एस ए एस ओ) कमान आपदा प्रबन्धन सेल की अध्यक्षता करेंगे। एयर॥ इस सेल के प्रभारी अधिकारी होंगे। वायु सेना संबंधी कार्यों के समन्वय तथा सूचना प्रदान करने के लिए वह सिंगल प्वाइंट ऑफ कन्टैक्ट के रूप में कार्य करेंगे। उनसे संबंधी महत्वपूर्ण सम्पर्क सूत्र निम्नलिखित है:—

मध्य वायु कमान मुख्यालय, भारतीय वायु सेना बमरौली(इलाहाबाद)

एस0ए0एस0ओ मध्य वायु कमान मुख्यालय, भा0वा0 से	0532-2580339 फैक्स-05322580339	0532-25682811 मो0न0-989868007384
मध्य वायु कमान मुख्यालय एक्सचेंज	0532-2580561	
एयर ॥ मवाक	मो0न0-8284077533 फैक्स-05322580652	
संक्रिया ॥ बी	मो0-8800656566	
संक्रिया ॥ ए	मो0-9971113032	
संक्रिया ॥ बी2	मो0-8888260048	
संक्रिया ॥ बी3	मो0-9401451687	

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य प्राधिकारियों (जिलाधीश/मजिस्ट्रेट) द्वारा लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तथापि, तुरंत सहायता प्राप्त करने के लिए टेलिफोन से अनुरोध करने के साथ-साथ लिखित अनुरोध किया जाना आवश्यक है। सहायता प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है:-

4- पीने का पानी केवल प्लास्टिक की बोतलों में ही आपूर्ति की जानी चाहिए। पानी के लिए प्लास्टिक बैग का कदापि प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह फटकर अन्य सामानों को भी नुकसान पहुँचा सकता है।

5- कंबल, कपड़े यदि ड्राप किये जाने की योजना है तो उसे अच्छी तरह से पैक किया जाना चाहिए।

पैसेंजर की सूची:-

सहायता के लिए अनुरोध के साथ सभी पैसेंजरों के पूर्व विवरण के साथ सूची भी भिजवाई जानी चाहिए जिसमें उनके नाम, उम्र, तथा पदनाम/नियुक्ति का उल्लेख स्पष्ट रूप से हो।

(क) हेलीकॉप्टर में चढ़ने के पहले सभी पैसेंजरों की सूची का मिलान करा दिया जायें।

(ख) बचाव मिशन में पैसेंजरों की सूची हेलीकॉप्टर के अन्दर तैयार किया जाएगा।

(ग) नागरिकों/सरकारी अधिकारियों का क्षतिपूर्ति बॉण्ड/प्रतिज्ञा पत्र भरवाया जाना आवश्यक है।

(घ) राहत सामग्री के परिवहन की दशा में उस वस्तु, सामग्री का सही विवरण एवं वनज दिया जाना चाहिए।

हेलीपैड से संबंधित आवश्यकताएँ

15 ए०पी०पी०/टी०/ओ० फनल टिन 500 मी० डिग्री

इन टी/ओ एण्ड ए पी पी

(वृक्ष व अन्य अवरोध वस्तुओं का निषेध)

हेलीपैड

35 मी०X75मी०

H

ए.पी.पी./टी/ओ फनल टिन

500 मी०

इन टी/ओ०एण्ड

ए०पी०पी०

(वृक्ष व अन्य अवरोध वस्तुओं का निषेध)

- हेलीपैड साईज: 75मी0x35मी0
- क्लियर एरिया: हेलीपैड के चारो तरफ 30 मी0 दूरी तक हेलीपैड की सतह से ऊँचा कोई भी अवरोधक नहीं होना चाहिए।
- टेक ऑफ एण्ड एप्रोच फनल: हेलीपैड के दूसरी तरफ 500 मी0 की दूरी पर कोई मोबाइल टॉवर/अवरोधक नहीं होना चाहिए।
- पीछे की तरफ से किसी भी व्यक्ति को हेलीकॉप्टर की ओर जाना मना है। स्थानीय पुलिस भीड़ नियंत्रण करके हेलीपैड को भीड़ से मुक्त रखेगी।

1. हेलीकॉप्टरों में विशेष रूप से विंच की व्यवस्था होती है। जिसकी सहायता से दुर्गम/निर्जन क्षेत्रों में फसे हुए असहाय व्यक्तियों को सहारा देकर ऊपर उठाया जा सकता है। क्योंकि प्रतिकूल जमीन/लुघु अवरोधकरुअनुपयुक्त सतह की वजह से हेलीकॉप्टरों को इन क्षेत्रों में उतरा नहीं जा सकता है।

2. असहाय अवस्था में पड़े हुए व्यक्ति को बचाने के लिए विशेष प्रकार के बनाये गये स्ट्रोब(हार्नेस) का इस्तेमाल किया जाता है और उसे विन्च केबल से लटका दिया जाता है एस0आई-17/ए एल एच हेलीकॉप्टरों में अपेक्षाकृत छोटे विंच(1 व्यक्ति/150 कि0ग्रा0 एक बार में) की व्यवस्था होती है जबकि एम आई-17 वी-5 जैसे हेलीकॉप्टरों में बड़े आकार के विंच का प्रावधान होता है(2 व्यक्ति/300 कि0ग्रा0, एक बार में)।

3. आवश्यकतायें

(अ) ऑपरेशन क्षेत्र की स्थिति के बारे में अग्रिम सूचना के साथ-साथ जी पी एस यंत्रों, असहाय व्यक्ति की स्थिति तथा वहाँ तक पहुँचने में संभावित रुकावटों की जानकारी प्राप्त कर ली जाये। इस प्रकार ऑपरेशन को सुरक्षित व प्रभावशाली ढंग से संचालित करने में मदद मिल सकेगी।

(ब) जहाँ तक संभव हो सके, ऑपरेशन क्षेत्र को एच टी/एल टी केबल अथवा टेलीफोन की लाइनों जैसे अन्य अवरोधकों से मुक्त रखा जाये क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिक ऊँचाई वाले अवरोधकों की मौजूदगी से हेलीकॉप्टर को उससे भी अधिकतम ऊँचाई से मँडराने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जबकि, सर्वाइवर स्तर के ऊपर हेलीकॉप्टर के मँडराने की अधिकतम ऊँचाई 30 मीटर तक ही निर्धारित की गई है।

(स) हेलीकॉप्टर के मँडराने वाले स्थल के आस-पास खुली हुई वस्तुएँ जैसे पॉलीथिन बैग, प्लास्टिक बैग इत्यादि की मौजूदगी वर्जित है।

Incident Response System

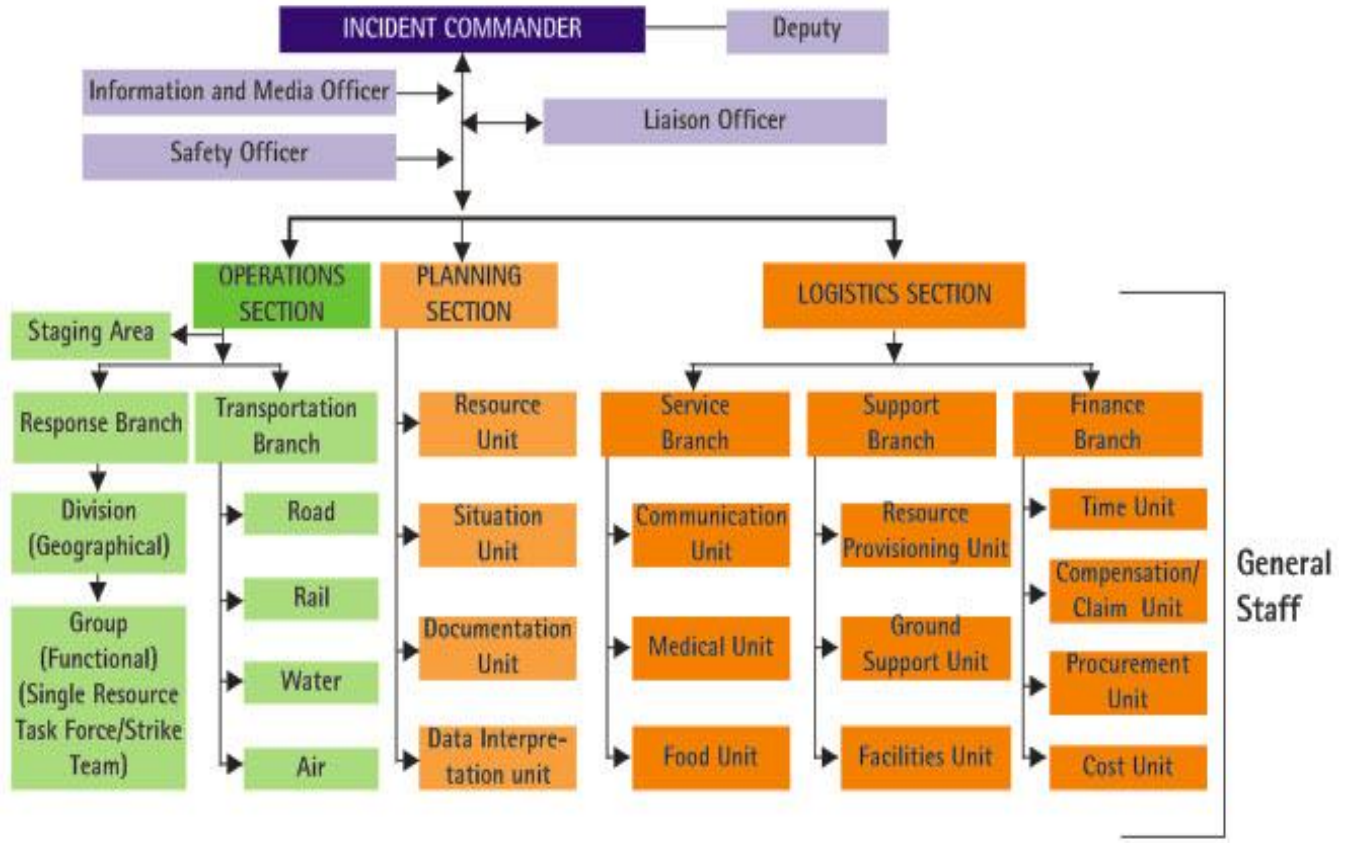
S.n	Position of IRS	Nomination in IRS
1	Responsible Officer	District Magistrate
	Deputy Responsible Officer	Senior Superintendent of Police
2	Nodal Officer (Air Operation)	Chief Development Officer
	Incident Commander	Chief Development Officer (As Per Multi Tasking)
	Liaison Officer	D.D.O and District Disaster Management Officer
	Information Officer	District Information Officer
		Executive Engineer, P.W.D.
		Sub Divisional Magistrate
		Sub Divisional Magistrate Assited By A.E. Public Work Department
		Medical Officer
		Fire Officer
3	Operation Section Chief	Additional District Magistrate (F&R) Assited by Circle Officer Police (Dy. S.P./A.S.P.)
	Resposnse Branch Director	Sub Divisional Magistrate assisted By. CO Police (Sub Divisional Level/As per scenario) and Field Unit of Army, in District. Commandent P.A.C. & C.I.S.F.
	Transportation Branch	Assistant Regional Transport Officer Assisted by District Supply Officer
	Road Operation	Executive Engineer Public Work Department, P.D. Haridwar
	Air Operation	Sub Divisional Magistrate assisted By. CO Police (Sub Divisional Level/As per scenario) (As Per Multi Tasking)
	Planning Section Chief	Project Director DRDA assisted by D.D.O.
4	Resource unit	District Disaster Management Officer(As Per Multi Tasking) C.T.O. assisted by Staff of C.T.O.
	Situation unit	Forest Range Officer, Revenue Sub Inspector, V.D.O., V.P.D.O., Aasha Karyakarti, Aanganbadi Karyakarti, Gram Prahari.
	Documentation unit	District Disaster Management Officer(As Per Multi Tasking) and C.T.O. assisted by Staff of C.T.O.
	Demobilization unit	D.D.O. and District Disaster Management Officer(As Per Multi Tasking)
	Logistics Section Chief	Additional District Magistrate –E (As Per Multi Tasking)
	Service Branch Director	Additional District Magistrate (As Per Multi Tasking)
5	1. Communication Unit	D.G.M BSNL, Executive Engineer from PWD, Jal Sansthan, A.D.B. and A.B.D. Aapada, Electricity, Radio Inspector, Police Sanchar Vibhag.
	2. Medical Unit	Chief Medical Officer, Chief Veterinary officer, District Homyopathic Medical Officer and Medical Officer from Local Army Units.
	3. Food Unit	District Supply Officer (As Per Multi Tasking) and Designated Officer Food Safety.
	Support Branch Director	Superintendent Engineer P.W.D.
	1.Resource Provisioning Unit	Sub Divisional Magistrate, SADAR (As Per Multi Tasking) Assisted By District Excise Officer
	2.Facilities Unit	Sub Divisional Magistrate, SADAR (As Per Multi Tasking) assited by Tehsildar, District Programe Officer (I.C.D.S.) & D.P.R.O.
	3.Ground Support Unit	Assistant Regional Transport Officer Assisted by District Supply Officer (As Per Multi Tasking)
	Finance Branch Director	Chief Treasury Officer
	1. Time Unit	Treasury Officer with Executive Engineer Rural Work Department and Executive Engineer Jal Nigam
	2. Cost Unit	Chief Administrative Officer Collectrate with Treasury Officer and District Supply Officer (As per multi Tasking)
	3. Procurement unit	Chief Treasury Officer with Superitendent Engineer Jal Nigam, C.T.O., Regional Employment Officer.
	4. Compensation/Clams unit	Additional District Magistrate (As Per Multi Tasking) assisted By Chief Agriculture Officer & C.R.A./A.C.R.A.

Responsible Officer (RO)/District Magistrate

जिला स्तर पर कार्यवाही का समन्वयन

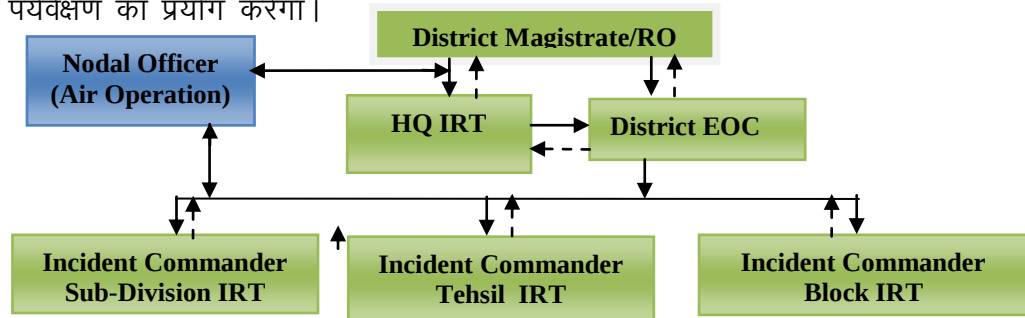
- 1.1 जिला मजिस्ट्रेट, जिला प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख और आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार District Disaster Management Authority (DDMA) का अध्यक्ष होता है। उसे जिले में Responsible Officer (RO) के रूप में पदनामित किया गया है।
- 1.2 आपदा की प्रकृति और प्रकार पर निर्भर करते हुए जिले में विभिन्न विभागों के प्रमुखों को अलग-अलग भूमिकाएं निभानी होती हैं। District Disaster Management Authority (DDMA) के सदस्यों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, सम्बन्धित सदस्यों के परामर्श से अग्रिम में तय की जाएंगी। अन्य संबद्ध विभागों की भूमिकाओं को भी जिला आपदा प्रबन्धन योजना District Disaster Management Action Plan (DDMAP) में विभिन्न आपदा परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से वर्णित किया जायेगा और उन्हें राज्य सरकार द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा जिससे कि कार्यवाही के दौरान अपने कार्यों के बारे में किसी प्रकार का संदेह न हों।
- 1.3 जिला मजिस्ट्रेट / *Responsible Officer (RO)* जिला मुख्यालय और तहसील/ब्लॉक स्तरों पर Incident Response Team (IRT) के गठन के लिए एक स्थायी आदेश जारी करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि IRT के गठन के लिए उपयुक्त और अनुभवी अधिकारियों का चयन किया जाएगा।
- 1.4 तथापि, Operation Section Chief (OSC) का चयन आपदा की प्रकृति पर निर्भर करेगा। प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ या किसी स्थिति में, कार्यवाही कर्ताओं का प्रमुख कार्य प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचना, प्रभावित व्यक्तियों को बचाना और उन्हें राहत उपलब्ध कराना होता है।
- 1.5 राहत सामग्रियों के परिवहन किये जाने के समय उनके लूटे जाने की सम्भावना होती है। ऐसे मामलों में पुलिस और सशस्त्र बल अभियान चलाने और नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। जिला स्तर पर आग लगने की स्थिति में, परिस्थिति पर कार्यवाही करने के लिए जिला अग्निशमन अधिकारी उपयुक्त अधिकारी होगा। स्वास्थ्य संबंधी आपदा के मामले में, जिला मुख्य चिकित्साधिकारी सर्वाधिक उपयुक्त होगा और ऐसे ही क्रम जारी रहेगा। ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जब कार्यवाही के प्रचालनीकरण में जिला पदाधिकारियों के पास कोई विशेषज्ञता न हो, जैसे *Chemical, Biological, Radiological, Nuclear (CBRN)* आपदाएं। ऐसी आपदा परिस्थितियों में *Operation Section Chief (OSC)* की पहचान अग्रिम में की जानी चाहिए ताकि वह अनुभाग प्रमुख के रूप में *Operation Section (OC)* का नेतृत्व करने के लिए आसानी से संगठित हो सके। NDMA ने ऐसी आपदा के प्रबंधन के संबंध में नाभिकीय और विकिरणकीय आपात स्थितियों के प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों द्वारा पहले ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी हैं, अन्य अनुभाग प्रमुखों का चयन, अधिकारी की उपयुक्तता और सक्षमता के अनुसार किया जायेगा। उप-मंडल, तहसील या ब्लॉक के मामले में, संबंधित प्रमुख अर्थात् उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, बी.डी.ओ. अपने-अपने *Incident Response Team (IRT)* में *Incident Commander (IC)* के रूप में कार्य करेंगे तथा *Operation Section Chief (OSC)* का चयन आपदा की प्रकृति के अनुसार किया जाएगा। पूर्ण *Incident Response Team (IRT)* को **रेखाचित्र-1** में संदर्भ हेतु दिखाया गया है। आपदा पूर्व अवधि के दौरान **Responsible Officer (RO)** सभी *Incident Response Team (IRT)* सदस्यों का अपनी-अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में क्षमता निर्माण सुनिश्चित करेगा।

Incident Response System (IRS)



रेखाचित्र-1

- 1.6 ऊपर दिखाया गया ढाँचा (रेखाचित्र-1) घटना कार्यवाही टीम **Incident Response Team-IRT** आवश्यकता पड़ने पर सक्रिय किया जा सकता है। घटना कार्यवाही के अनुवीक्षण और सहायता के लिए **Responsible Officer (RO)** सभी अपेक्षित **ESF** और मुख्यालय **Incident Response team (IRT)** को घटना स्थल पर **Incident Commander (IC)** (रेखाचित्र-2) की सहायता के लिए सम्मिलित करेगा। ऐसे मामले में जब केन्द्रीय टीम (NDRF, सशस्त्र बल) तैनात की जाये, तो **Responsible Officer (RO)** यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मतभेदों का समाधान हो जाये। इस प्रयोजन के लिए वह **Emergency Operation Centre (EOC)** में ऐसे अभिकरणों के प्रतिनिधि को सम्मिलित कर सकेगा जहाँ सभी मतभेदों का समाधान उच्चतम स्तर पर आसानी से किया जा सके। इस प्रकार तैनात टीमों को **Operation Section Chief (OSC)** के पर्यवेक्षण में एकल संसाधन, स्ट्राइक टीमों या कार्य बलों के रूप में **Operation Section (OS)** में कार्य करना होगा। यदि अपेक्षित हो, तो **Incident Commander (IC)** भी सभी विवादों/मतभेदों के समाधान के लिए निकट पर्यवेक्षण का प्रयोग करेगा।



रेखाचित्र-2

- 1.7 **Incident commander (IC)**, **Emergency Operation Centre (EOC)** के साथ निकट समन्वय से कार्य करेगा और **Responsible Officer (RO)** को रिपोर्ट करेगा जैसा रेखाचित्र-2 में दर्शाया गया है। **Responsible Officer (RO)** यह सुनिश्चित करेगा कि क्षेत्र में कार्य कर रही **Incident**

Response Team (IRT) द्वारा **Incident Action Plan (IAP)** के क्रियान्वयन के माध्यम से रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं।

1.8 उत्तरदायी अधिकारी (जिला स्तर) भूमिका एवं उत्तरदायित्व

- i. सुनिश्चित करेगा कि जिला, तहसील/ब्लाक स्तरों पर **IRT** तैयार कर ली गयी है और आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 31 के अनुसार **Incident Response System (IRS)** को जिला आपदा प्रबन्धन योजना में शामिल कर लिया गया है। इसे **Responsible Officer (RO)** द्वारा सभी एस.डी.एम. और तहसीलदारों/बी.डी.ओ. को स्थायी आदेश जारी करके प्राप्त किया जा सकता है।
- ii. **Emergency Operation Center (EOC)** में वेब आधारित/ऑनलाइन निर्णय सहायता प्रणाली **Decision Support System (DSS)** का मौजूद होना तथा सहायता के लिये उपमण्डल और तहसील/ब्लाक स्तरीय **Incident Response Team (IRT)** से जुड़ा होना सुनिश्चित करेगा।
- iii. सुनिश्चित करेगा कि पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सीय सहायता के लिये सभी विद्यमान टोल मुक्त आपातकालीन नम्बर, कार्यवाही, कमान और नियंत्रण के लिये **Emergency Operation Center (EOC)** से जुड़े हों। उदाहरण के लिये यदि कोई आग लगने की घटना घट जाये तो सूचना केवल अग्निशमन केन्द्र पर ही न पहुँचे बल्कि **Emergency Operation Center (EOC)** तक एवं आपातकालीन चिकित्सा सेवायें जुटाने के लिये निकटतम अस्पताल तक भी पहुँचे।
- iv. 13वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार से निधियां प्राप्त करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि जिले के **Incident Response Team (IRT)** के लिये प्रशिक्षण कलैण्डर तैयार कर लिया जाय। और **Incident Response Team (IRT)** के सदस्य और जिले का अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षित हो जायें।
- v. प्राधिकार **Incident Commander (IC)** को प्रत्यायोजित कर सकता है।
- vi. जब और जैसे अपेक्षित हो, जिला मुख्यालय उप-मण्डल, तहसील/ब्लाक स्तरों पर **Incident Response Team (IRT)** को सक्रिय करेगा।
- vii. जब जैसे अपेक्षित हो, **Incident Commander (IC)** और **Incident Response Team (IRT)** को नियुक्त/तैनात, बर्खास्त और भंग कर सकता है।
- viii. समग्र घटना उद्देश्य, प्राथमिकतायें निश्चित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न उद्देश्यों के मध्य आपस में टकराव न हो।
- ix. सुनिश्चित करेगा कि **Incident Action Plan (IAP)**, **Incident Commander (IC)** द्वारा तैयार और क्रियान्वित की जाए।
- x. **Incident Action Plan (IAP)** और इसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में पूर्णतया अवगत रहेगा।
- xi. सभी कार्यवाही सम्बन्धी कार्यकलापों का समन्वयन करेगा।
- xii. जिले में सरकार के किसी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी, प्राइवेट सेक्टर आदि के पास उपलब्ध संसाधनों को निर्मुक्त (जारी) करने और उनका उपयोग किए जाने का निर्देश देगा।
- xiii. सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय सशस्त्र बल कमांडरों को योजना प्रक्रिया में शामिल किया जाए और यदि आवश्यक हो तो उनके संसाधनों का समुचित रूप से सह प्रयोग किया जाए।
- xiv. सुनिश्चित करेगा कि जब आपदा कार्यवाही में सहायता करने सशस्त्र बल पहुँचे, तो उनके लिए शिविर स्थल, पेयजल, विद्युत और वाहनों की आवश्यकता जैसी संभार-तांत्रिक अपेक्षाओं की व्यवस्था की जाए।
- xv. केन्द्रीय और राज्य सरकार के **Nodal Officer (NO)** के साथ समन्वयन में हवाई प्रचालन आयोजित करने के लिए जिला स्तर पर एक **Nodel Officer (NO)** की नियुक्ति की जाए। यह भी सुनिश्चित करेगा कि जिले के **Incident Response Team (IRT)** के सभी **Incident Commander (IC)** इससे अवगत हों।
- xvi. सुनिश्चित करेगा कि **NGO** अपने क्रियाकलापों का संचालन साम्यपूर्ण और भेदभाव रहित तरीके से करें।
- xvii. आवश्यकता पडने पर, घटना स्थल पर जिला मुख्यालय के **Incident Response Team (IRT)** की तैनाती करें।
- xviii. सुनिश्चित करेगा कि कारगर संचार सेवाएं उपलब्ध रहे।

- xix. सुनिश्चित करेगा कि सभी **Emergency Support Function (ESF)** की दूरभाष निर्देशिका (टेलीफोन डायरेक्टरी) तैयार की जाए तथा वह **Emergency Operation Center (EOC) & Incident Response Team (IRT)** के सदस्यों के पास उपलब्ध हो।
- xx. कार्मिक की जवाबदेही और सुरक्षित प्रचालनात्मक वातावरण के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
- xxi. स्थिति बिगड़ जाने के दशा में आर.ओ. आई.सी. की भूमिका अपनाएगा तथा राज्य स्तरीय **Responsible Officer (RO)** सहायता हेतु अनुरोध कर सकता है।
- xxii. जहां आवश्यक प्रतीत हो, सलाह और सहायता के लिए संगत क्षेत्रों से विशेषज्ञों एवं परामर्शदाताओं को एकत्र करेगा।
- xxiii. किसी प्राधिकारी या व्यक्ति से सुविधाओं का अनन्य या अधिमानतः प्रयोग प्राप्त करेगा।
- xxiv. **Incident Response Team (IRT)** के कार्यपालन पर कार्यवाही—पश्चात पुनरीक्षण करेगा और कार्यपालन में सुधार लाने के लिए समुचित कदम उठाएगा।
- xxv. ऐसी अन्य कार्यवाही करेगा जैसा कि स्थिति की मांग हो।

Area Commander (AC)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- 1.9 जब नियंत्रण का कार्यक्षेत्र या तो भौगोलिक कारणों से या एक ही समय पर विभिन्न स्थानों में घटित होने वाली घटनाओं की बड़ी संख्या के कारण बहुत बड़ा हो जाएं तो एरिया कमान को सक्रिय किया जाता है। एरिया कमान को उस समय भी सक्रिय किया जाता है जब अनेक प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्रभावित हो जाएं यह आई.आर.टी. को निकटतम पर्यवेक्षण, सहायता और स्थानीय रूप से विवाद समाधान प्रदान करता है। जब ऐसे कई जिलें प्रभावित हो जाएं जिसमें एक से अधिक राजस्व मण्डल शामिल हों तो राज्य आर.ओ. द्वारा राजस्व मंडल—वार एरिया कमान की संकल्पना लागू की जा सकती है। ऐसे मामलों में जिले का जिला मजिस्ट्रेट/**Responsible Officer (RO), Incident Commander (IC)** के रूप में कार्य करेगा। इसी प्रकार से, जब तहसीलों/ब्लाकों की एक बड़ी संख्या विभिन्न उप-मण्डलों में प्रभावित हो जाये तो जिला **Responsible Officer (RO)** इस कमान की उप-मण्डल—वार प्रारम्भ कर सकता है।

अपने-अपने स्तरों पर आर.ओ. यह सुनिश्चित करेगा कि **Area Commander (AC)** के लिए पर्याप्त सहायता स्टाफ उपलब्ध रहें। ए.सी. की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं।

भूमिका:-

- i. यह सुनिश्चित करेगा कि घटना प्रबन्धन उद्देश्यों को पूरा किया जाये और उनमें आपस में टकराव न हो।
- ii. पहचान की गयी प्राथमिकताओं के अनुसार महत्वपूर्ण संसाधनों का आवंटन करेगा।
- iii. घटना के प्रबन्धन में समुचित समन्वयन सुनिश्चित करेगा।
- iv. क्षेत्राधिकार में सभी विवादों का समाधान सुनिश्चित करेगा
- v. कारगर संचार सेवायें सुनिश्चित करेगा।
- vi. महत्वपूर्ण संसाधन आवश्यकताओं की पहचान करेगा और उनकी आपूर्ति के लिए ई.ओ.सी. के साथ सम्पर्क में रहेगा।
- vii. कार्मिक की जवाबदेही तय करेगा और सुरक्षित प्रचालनात्मक वातावरण सुनिश्चित करेगा।
- viii. ऐसा अन्य कार्य करेगा जो आर.ओ. द्वारा समनुदेशित किया जायें।

कार्यवाही समन्वयन

उत्तराखण्ड जैसे राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासनिक संरचना, देश के शेष भाग से थोड़ी सी भिन्न है। कुछ विभागों और अभिकरणों को वर्चस्व वाली उपस्थिति प्राप्त है। जबकि अन्य को कोई महत्व प्राप्त नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में, ग्राम प्रधान और समुदाय स्तर के नेता भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे राज्य और जिले के **Responsible Officer (RO)** को अपनी **Incident Response Team (IRT)** अपनी-अपनी प्रशासनिक संरचना और पदाधिकारियों के अनुसार डिजाइन करनी चाहिए। उन्हें अपने ग्राम और वार्ड स्तरीय **Incident Response Team (IRT)** का चयन करके उन्हें कार्यवाही के लिए **Incident Response System (IRS)** सिद्धान्तों के अनुसार सुग्राही बनाना चाहिए तथा प्रशिक्षित करना चाहिए। एक समुचित संचार सेवा कि व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

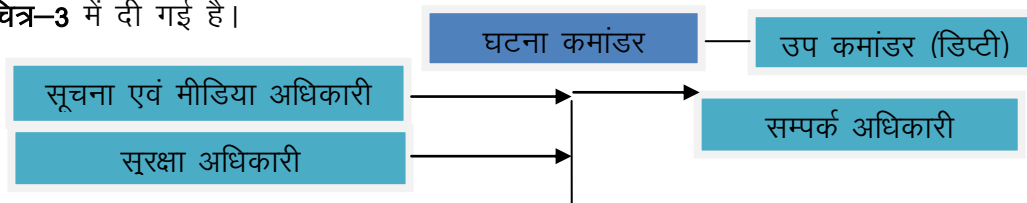
स्थानीय प्राधिकारी भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

- 1.10 आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में खण्ड 41(1) (2) के अधीन एन.ए.सी., नगर पालिकाओं, नगर निगमों, नगर परिषदों और पी.आर.आई. की भूमिका को परिभाषित किया है। यह निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पदाधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबन्धन में प्रशिक्षित हों तथा आपदा प्रबन्धन से सम्बंधित संसाधन भी अनुरक्षित रखें जाए जिससे कि किसी भी आशंकित आपदा स्थिति या आपदा में प्रयोग के लिए वे तुरन्त उपलब्ध रहे। इन निकायों द्वारा राज्य और जिला आपदा प्रबन्धन योजनाओं के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यकलाप किया जाना भी अपेक्षित है। SDMA/DDMA, आपदा प्रबन्धन योजनाओं में इन स्थानीय निकायों की विशिष्ट भूमिकाएं और उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे और उन्हें सुसंगत IRT के साथ समुचित रूप से एकीकृत करेंगे।

Incident Commander-IC

Command Staff (कमान स्टाफ)

- 2.0 घटना कमांडर (**Incident Commander-IC**) किसी घटना स्थल पर कार्यवाही के प्रबंधन के लिए समग्र प्रभारी होता है। इसे RO (District Magistrate) द्वारा नियुक्त/पदनामित किया जाता है। घटना के परिमाण और प्रकृति के आधार पर वह अपने अधीन एक डिप्टी रख सकता है। उसकी सहायता और घटना के प्रबंधन के लिए स्टाफ के दो वर्ग—(क) कमान स्टाफ, और (ख) सामान्य स्टाफ। कमान स्टाफ (**Incident Commander-IC**) सूचना एवं मीडिया अधिकारी (**Information & Media Commander IMO**), सुरक्षा अधिकारी (**Safety Officer SO**) और सम्पर्क अधिकारी (**Liaison Officer LO**) से मिलकर बनता है। IRS संगठन के कमान स्टाफ की संरचना रेखाचित्र-3 में दी गई है।



रेखाचित्र-3

2.1 घटना कमांडर (Incident Commander-IC)– भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना—
 - क. स्थिति की प्रास्थिति जैसे लोगों की संख्या और प्रभावित क्षेत्र आदि।
 - ख. संसाधनों की उपलब्धता और अधिप्राप्ति।
 - ग. **Incident Command Post (ICP), Staging Area(SA)**, घटना बेस (**Incident Base**), शिविर (**Camp**), राहत शिविर (**Relief Camp-RC**) आदि सुविधाओं की आवश्यकता।
 - घ. संचार प्रणाली की उपलब्धता और आवश्यकता।
 - ड. भारत मौसम विभाग (IMD) से भविष्य में मौसम का हाल और
 - च. सभी उपलब्ध स्रोतों से कार्यवाही के लिए अपेक्षित कोई अन्य सूचना और स्थिति का विश्लेषण करना।
- ii. उपलब्ध सूचना और संसाधनों के आधार पर घटना के लिए उद्देश्य और रणनीतियां निर्धारित करना।
- iii. खोज और बचाव तथा राहत सामग्री वितरण रणनीतियों सहित तात्कालिक प्राथमिकताएं तय करना।
- iv. घटना स्थल पर कानून एवं व्यवस्था, यातायात आदि, यदि कोई हो, बनाए रखने के लिए अपेक्षाओं का आकलन करना और स्थानीय पुलिस की सहायता से व्यवस्था करना।
- v. **अनुबंध 1—** में संलग्न **Incident Response System (IRS)** घटना की सूचना देने (ब्रीफिंग) वाला फार्म— 001 के अनुसार, स्थिति के संबंध में उच्च अधिकारियों को संक्षेप में विवरण देना और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त संसाधनों के लिए अनुरोध करना।

- vi. यदि **RO/District Magistrate** द्वारा आवश्यक समझा जाए, तो **Area Commander (AC)** और **Unified Command (UC)** के कार्यान्वयन के लिए सहायता देना।
- vii. घटना के नियंत्रण के दायरे और पैमाने के आधार पर अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों और/या इकाइयों के साथ समुचित आई.आर.एस. संगठन स्थापित करना।
- viii. किसी भी उचित स्थान पर **Incident Command Post (ICP)** स्थापित करना। घटना के बहु क्षेत्राधिकार वाला होने पर भी एक ही **Incident Command Post (ICP)** होगी पूर्ण संचार उपस्कर के साथ मोबाइल वैन और उपयुक्त कार्मिकों का भी **Incident Command Post (ICP)** के रूप में उपयोग किया जा सकता है। भवनों के पूर्णतया नष्ट हो जाने की स्थिति में, टेंटों या अस्थायी शरणस्थलों का उपयोग किया जा सकता है। यदि समुचित या पर्याप्त स्थान उपलब्ध न हो, तो अन्य अनुभाग किसी भिन्न सुविधाजनक स्थान से कार्य कर सकते हैं, किन्तु तुरन्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए **Incident Command Post (ICP)** के साथ उचित और अचूक सुरक्षित संपर्क रहना चाहिए।
- ix. यह सुनिश्चित करना कि घटना पर कार्यवाही की योजना **Incident Action Plan (IAP)** तैयार है।
- x. यह सुनिश्चित करना कि टीम के सदस्यों को घटना पर कार्यवाही की योजना **Incident Action Plan (IAP)** के अनुसार विभिन्न कार्यकलापों के कार्यपालन के संबंध में संक्षेप में अवगत (ब्रीफ) कराया जाए ;
- xi. किसी **Incident Action Plan (IAP)** के क्रियान्वयन का अनुमोदन और उसे प्राधिकृत करना और यह सुनिश्चित करना कि **Incident Action Plan (IAP)** को **Incident Response Team (IRT)** सदस्यों को डिब्रीफिंग के अनुसार नियमित रूप से विकसित और अद्यतन किया जाए। इसे प्रत्येक 24 घंटों में पुनरीक्षित और सभी संबंधित व्यक्तियों को परिचालित किया जाए;
- xii. यह सुनिश्चित करना कि योजना बैठकें नियमित अंतरालों पर आयोजित की जाएं। कारगर घटना अनुक्रिया के लिए बैठकों में कार्यान्वयन रणनीति और **Incident Action Plan (IAP)** तैयार की जाएंगी। इस बैठक को आयोजित करने के निर्णय की एकमात्र जिम्मेदारी **Incident Commander (IC)** की है। यह सुनिश्चित करना कि अन्य सदस्यों के अलावा, **Planning Section Chief (PSC)** सभी ब्रीफिंग और डिब्रीफिंग बैठकों में उपस्थित हों।
- xiii. यह सुनिश्चित करना कि सभी अनुभाग या इकाइयों **Incident Action Plan (IAP)** के अनुसार कार्य कर रहे हैं।
- xiv. यह सुनिश्चित करना कि कार्यवाही कर्ताओं और प्रभावित समुदायों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध हों;
- xv. **Incident Response Team (IRT)** के सभी अनुभागों, कार्यवाही कार्यकलापों में कार्यरत अभिकरणों के मध्य उचित समन्वय सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी विवादों का समाधान हो जाए।
- xvi. यह सुनिश्चित करना कि योजना बनाने, संसाधन लामबंदी और प्रशिक्षित **Incident Response Team (IRT)** सदस्यों के नियोजन लिए कम्प्यूटरीकृत और वेब आधारित **IT** समाधानों का उपयोग किया जाए।
- xvii. ऐसे संसाधनों और उपस्करों की आवश्यकता पर विचार करना जो कार्यात्मक क्षेत्राधिकार में उपलब्ध न हो, **Planning Section Chief (PSC)** और **Logistic Section Chief (LSC)** से चर्चा करना और उनके प्रापण के संबंध में **Responsible Officer (RO)** को सूचित करना।
- xviii. यह अनुमोदित और सुनिश्चित करना कि अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन अधिप्राप्त करके संबंधित अनुभागों, शाखाओं और इकाइयों आदि को दिए जाएं और उनका उचित उपयोग किया जाए। सौंपा गया कार्य पूर्ण हो जाने पर संसाधनों को, उनका उपयोग कहीं और किए जाने के लिए वापस करें या संबंधित विभाग को तुरंत वापस किया जाए
- xix. यदि अपेक्षित हो तो, **PRIs, ULBs, CBOs, NGOs** आदि से सम्पर्क स्थापित करना और **Incident Action Plan (IAP)** के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनका सहयोग प्राप्त करना तथा बाहरी बचाव और राहत दलों की सहायता करने में स्थानीय गाइडों के रूप में कार्य करने में उनके सहयोग हेतु उन्हें सूचीबद्ध करना
- xx. स्वयंसेवकों और वैसे ही अन्य कार्मिकों की तैनाती का अनुमोदन करना और यह सुनिश्चित करना कि वे कमान की श्रृंखला का अनुसरण करें।
- xxi. मीडिया को देने के लिए जानकारी संबंधी प्रक्रिया को प्राधिकृत करना
- xxii. यह सुनिश्चित करना कि बाहर से जुटाए गए संसाधनों का अभिलेख (रिकार्ड) रखा जाए ताकि किराये पर प्राप्त संसाधनों के संबंध में तुरंत भुगतान किया जा सके।

- xxiii. यह सुनिश्चित करना कि घटना प्रास्थिति सार (**Incident Status Summary-ISS**) पूरा किया जाए और इसे **Responsible Officer (RO)** को अग्रेषित किया जाए (अनुबंध-2 के साथ **IRS फॉर्म -002** संलग्न है)।
- xxiv. जब समुचित हो, **Incident Response Team (IRT)** की अलामबंदी की सिफारिश करना।
- xxv. लोक शिकायतों की समीक्षा करना और **Responsible Officer (RO)** से समुचित शिकायत निवारण उपायों की सिफारिश करना;
- xxvi. यह सुनिश्चित करना कि प्रभावित स्थलों में तैनात **NGO** और अन्य सामाजिक संगठन उचित रूप से और साम्यपूर्ण ढंग से कार्य करे;
- xxvii. घटना पर कार्यवाही के पूरा होने पर **Incident Response Team (IRT)** की अलामबंदी के पूर्व कार्यवाही पश्चात रिपोर्ट (**After Action Report-AAR**) का तैयार किया जाना सुनिश्चित करना;
- xxviii. ऐसे किन्हीं अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो घटना के प्रबंधन के लिए आवश्यक हों;
- xxix. यह सुनिश्चित करना कि शाखाओं प्रभागों, इकाइयों/समूहों के सदस्यों द्वारा निष्पादित विविध कार्यकलापों का रिकार्ड इकट्ठा किया जाए; (अनुबंध-4 के साथ संलग्न **IRS फॉर्म -004**) और यूनिट लॉग में अनुरक्षित किया जाए (अनुबंध -3 के साथ संलग्न **IRS फॉर्म-003**)
- xxx. ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो **Responsible Officer (RO)** द्वारा समनुदेशित किया जाए

2.2 सूचना एवं मीडिया अधिकारी (**Information & Media Commander - IMO**)— भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

मीडिया ब्रीफिंग में **Incident Commander (IC)** की सहायता के लिए **Information & Media Commander-IMO** संपर्क बिन्दु है। वह प्रारंभिक रूप से कार्यवाही की जारी गतिविधियों का प्रलेखन भी करता है। **Information & Media Commander (IMO)** की भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नलिखित है :-

- i. घटनाओं के सम्बंध मे सूचना तैयार करना और **Incident Commander (IC)** के अनुमोदन से मीडिया अभिकरणों तथा अन्य को जारी करना।
- ii. आकस्मिक आपदाओं की स्थिति में, जब **Incident Response Team (IRT)** पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हुई हो, लिए गए निर्णयों तथा जारी निर्देशों को संक्षेप में लिखना और सक्रिय हो जाने पर **Incident Action Plan (IAP)** में समावेशित किए जाने के लिए **Planning Section (PS)** को सौपना।
- iii. घटना के पैमाने और कार्यभार के आधार पर अतिरिक्त कार्मिक सहायता की मांग करना;
- iv. घटना के संबंध में ऐसी अनेक मीडिया रिपोर्टों को मॉनीटर और पुनरीक्षित करना जो घटना हेतु योजना बनाने के लिए उपयोगी हो सकें।
- v. **Incident Commander (IC)** के निर्देशानुसार या जब अपेक्षित हो, **Incident Action Plan (IAP)** की बैठकें आयोजित करना।
- vi. मौसम की सूचना प्राप्त करने के लिए **IMD** के साथ समन्वयन को बनाए रखना और इस सूचना को सभी सम्बद्ध व्यक्तियों प्रसारित करना।
- vii. निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड **IRS फॉर्म-004** (अनुबंध-4 के साथ संलग्न) के अनुसार रखना।
- viii. ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो **Incident Commander (IC)** द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

2.3 सम्पर्क अधिकारी (*Liaison Officer- LO*) – भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

Liaison Officer (LO) अनुक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न संबद्ध विभागों, **NGO** के प्रतिनिधियों, **PRI** और **ULB** आदि के लिए सम्पर्क का एक केन्द्र बिन्दु है। **Liaison Officer (LO)** प्रथम कार्यवाहीकर्ताओं, सहयोगी अभिकरणों और कार्यवाही संबद्ध विभागों की सहायता का संपर्क बिन्दु है। **Liaison Officer (LO)** की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित है—

- i. संबंधित संबद्ध विभागों, अभिकरणों (**CBO, NGO etc.**) और उनके प्रतिनिधियों की विभिन्न स्थानों पर एक सूची तैयार रखना।
- ii. **NDRF** और सशस्त्र बलों सहित सभी संबंधित अभिकरणों और सरकार के कार्यवाही संबद्ध विभागों से संपर्क बनाए रखना।
- iii. चालू या अभिकरणों के बीच की संभावित समस्याओं की पहचान करने के लिए प्रचालनों को मॉनीटर करना;
- iv. योजना बनाने की बैठकों में सम्मिलित होना और भाग लेने वाले अभिकरणों द्वारा कार्यवाही पर सूचना उपलब्ध करना;
- v. यदि अपेक्षित हो तो कार्मिकों की सहायता की मांग करना।
- vi. सभी सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों के कार्यवाही में सम्मिलित होने और उनके संसाधनों के संबंध में **Incident Commander (IC)** को सूचित करते रहना।
- vii. **Incident Commander (IC)** के साथ सभी सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों के ब्रीफिंग सत्र आयोजित करने में सहायता करना।
- viii. निष्पादित विविध कार्यकलापों का **IRS** फॉर्म-004 (अनुबंध-4 के साथ संलग्न) के अनुसार रिकॉर्ड रखना।
- ix. ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो **Incident Commander (IC)** द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

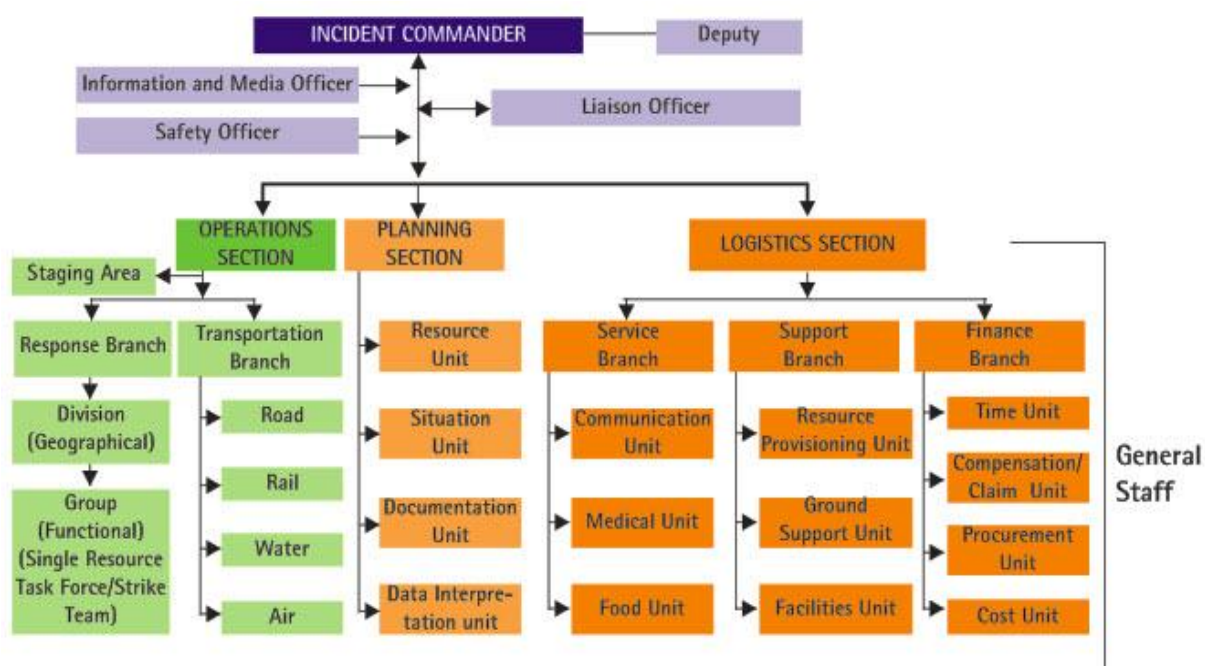
2.4 सुरक्षा अधिकारी (*Safety Officer- SO*) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

Safety Officer (SO) का काम, कार्मिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय विकसित करना और उनकी सिफारिश करना, तथा खतरनाक और असुरक्षित स्थितियों का निर्धारण करना और/या पूर्वानुमान लगाना है। असुरक्षित कार्यों को रोकने या बंद करने के लिए **Safety Officer (SO)** प्राधिकृत है। **Safety Officer (SO)** प्रभावित समुदायों की सुरक्षा पर सामान्य सलाह भी दे सकता है। **Safety Officer (SO)** की भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नलिखित है—

- i. कार्यवाहीकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायों की सिफारिश करना और खतरनाक तथा असुरक्षित स्थितियों का निर्धारण करना या पूर्वानुमान लगाना और नियमित रूप से इसका पुनरीक्षण करना।
- ii. सहायकों की मांग करना और अपेक्षानुसार उन्हें उत्तरदायित्व सौंपना।
- iii. **Incident Action Plan (IAP)** तैयार करने के लिए योजना बनाने की बैठकों में भाग लेना।
- iv. सुरक्षा विवक्षाओं (इम्प्लीकेशंस) के लिए **Incident Action Plan (IAP)** का पुनरीक्षण करना।
- v. यदि अपेक्षित हो या **Incident Commander (IC)** के निर्देश दिया हो, तो घटना क्षेत्र के भीतर हुई दुर्घटनाओं के ब्यौरे प्राप्त करना और उपयुक्त प्राधिकारियों को सूचित करना।
- vi. जब कभी अपेक्षित हो, स्थल सुरक्षा योजना का पुनरीक्षण और अनुमोदन करना।
- vii. निष्पादित विविध कार्यकलापों का **IRS** फॉर्म-004 (अनुबंध-4 के साथ संलग्न) के अनुसार रिकार्ड रखना।
- viii. ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो **Incident Commander (IC)** द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

4. वर्तमान संगठन (**IRT** के सक्रिय किए गए अनुभाग का ब्यौरा)

सक्रिय अनुभागों/शाखाओं/इकाईयों को रेखांकित करें IRS संगठन

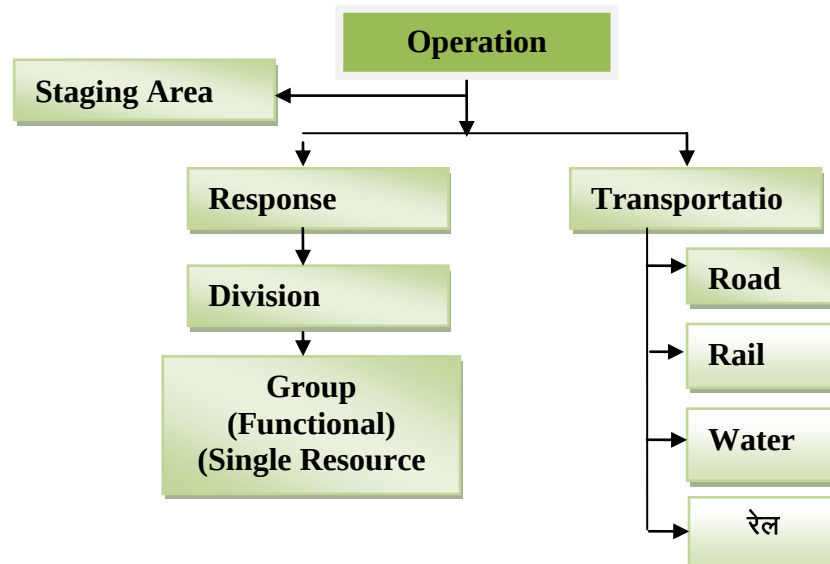


रेखाचित्र-4

OPERATION SECTION (प्रचालन अनुभाग)

भूमिका और उत्तरदायित्व

- 3.0** Operation Section (OS) किसी घटना के प्रबन्धन पर सीधे तौर पर लागू होने वाले सभी प्रकार के क्षेत्रीय स्तर के भौगोलिक स्थिति से सम्बन्धित है। इस अनुभाग का अध्यक्ष प्रचालन अनुभाग प्रमुख Operation Section Chief (OSC) होता है तथापि, (Operation Section Chief (OSC) का चयन आपदा की प्रकृति और प्रकार पर निर्भर होगा। प्रचालन अनुभाग आगे शाखाओं प्रभागों और समूहों में उप-विभाजित है, जो प्रचालन अनुभाग प्रमुख कमांडर के घटना की क्षेत्रीय प्रचालनों के निष्पादन में उनकी सहायता करते हैं।
- 3.01** Operation Section Chief (OSC), Incident Commander (IC) को रिपोर्ट करेगा। वह Incident Action Plan (IAP) के अनुसार अपने अनुभाग के सक्रियण, नियोजन और विस्तार के लिए उत्तरदायी होगा। भौगोलिक कारणों की वजह से जैसे-जैसे प्रचालन सम्बन्धी कार्यकलापों में वृद्धि होती है, Operation Section Chief (OSC) उचित नियंत्रण के तालमेल और प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए शाखा का प्रभागों में समावेश या सक्रियण तथा विस्तार करेगा। रेखाचित्र-5 में Operation Section (OS) का संघटन दिया गया है:-



रेखाचित्र-5 प्रचालन अनुभाग

3.1 प्रचालन अनुभाग की प्रमुख भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. सक्रिय किए गए अनुभाग-प्रमुखों के साथ समन्वय
2. घटना संबंधित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी क्षेत्रीय प्रचालनों का प्रबन्धन करना
3. प्रचालन अनुभाग तथा प्रभावित समुदायों में लगे कार्मिकों की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना
4. Incident Commander (IC) से परामर्श करके और Incident Action Plan (IAP) के अनुसार अपने अनुभाग के संगठनात्मक घटकों (शाखा, प्रभाग, समूह आदि) में तैनाती, सक्रियण, विस्तार कार्य और पर्यवेक्षण करना
5. कार्य को ध्यान में रखते हुए, उचित कार्मिकों को उनकी क्षमता अनुसार प्रचालन में उपयोग करना और अनुबंध-7 में संलग्न ड्यूटी अधिकारी सूची (IRS Form -007) को उस दिन के लिए तैयार रखना।
6. सहायता के लिए, यदि आवश्यक हो, एक Deputy Operation Section Chief (OSC) की व्यवस्था हेतु Incident Commander (IC) से अनुरोध करना।
7. प्रत्येक प्रचालन की अवधि के प्रारम्भ में प्रचालन अनुभाग के कार्मिकों को ब्रीफ करना।
8. अपने अनुभाग की विभिन्न शाखाओं के बीच के सभी विवादों का समाधान करना, सूचना को साझा करना समन्वय और सहयोग को सुनिश्चित करना।
9. यदि आवश्यक हो, तो Incident Action Plan (IAP) के अनुसार अनुभाग की प्रचालन संबंधी योजना तैयार करना।
10. Incident Commander (IC) को Incident Action Plan (IAP) में समीचीन परिवर्तनों के लिए सुझाव देना।
11. समय-समय पर Incident Commander (IC) से परामर्श करना और प्रचालन के बारे में उसे पूरी तरह अवगत कराना।
12. अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को निर्धारित करना और तदनुसार मांग रखना और उनकी आवश्यक सुनिश्चित करना।
13. शाखाओं, प्रभागों, यूनिटों/समूहों के सदस्यों (IRS Form-004) द्वारा किए गए विधि कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और यूनिट लॉग (IRS Form-003) में इनका अनुरक्षण सुनिश्चित करना।
14. Responsible Officer (RO)/Incident Commander (IC) द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों को पूरा करना।

3.2 Staging Area

Staging Area (SA) ऐसा क्षेत्र है जहां संसाधनों को इकट्ठा किया जाता है और क्षेत्रीय प्रचालनों (Field Operation) में उपयोग हेतु तैयार रखा जाता है, इनमें भोजन, वाहन अन्य सामग्रियां तथा उपस्कर जैसी वस्तुएं सम्मिलित हो सकती हैं।

स्टेजिंग एरिया प्रभावित स्थल के निकट किसी उपयुक्त स्थान पर संसाधनों के तत्काल, प्रभावी और तुरंत नियोजन के लिए स्थापित किया जायेगा।

यदि आवश्यकता हो तो एक से अधिक Staging Area (SA) स्थापित किये जा सकेंगे। यदि संसाधनों की अन्य अवस्थानों पर अंततः प्रभावित क्षेत्रों में भेजने के लिए लामबंदी की जाती है, तो ये अवस्थान भी Staging Area (SA) के नाम से जाने जायेंगे। Staging Area (SA) का सम्पूर्ण प्रभावी Staging Area Manager (SAM) के नाम से जाना जाता है और उसके प्रचालन अनुभाग प्रमुख (Operation Section Chief-OSC) के माध्यम से Logistic Section (LS) और Planning Section (PS) के साथ निकट तालमेल के साथ करना आवश्यक है।

3.2.1 Staging Area Manager (SAM)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. Staging Area को उचित सेटअप के साथ स्थापित करना, इसे व्यवस्थित रूप में बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि वाहनों, संसाधनों आदि के आवगमन में कोई बाधा न आए।
2. प्राप्त हुए संसाधनों के भंडारण और प्रेषण को संगठित करना और Incident Action Plan (IAP) के अनुसार उन्हें प्रेषित करना।
3. सभी प्राप्तियों और प्रेषणों की सूचना Operation Section Chief (OSC) को देना और उनका रिकॉर्ड रखना
4. Staging Area के सभी कार्यकलापों का प्रबन्धन करना।
5. सभी नष्टयोग्य (Perishable) आपूर्तियों का शीघ्रता से उपयोग करना।
6. यथोचित Check-in function स्थापित करना।
7. Staging Area में उपस्करों के रखरखाव और मरम्मत के लिए आवश्यकतानुसार अनुरोध करना।
8. यह सुनिश्चित करना कि Incident Command Post (ICP) और अन्य अपेक्षित स्थानों, उदाहरणतः भिन्न-भिन्न Staging Area, Incident Base, Camp, Relief Camp, आदि के साथ संचार व्यवस्थाएं स्थापित हों।
9. संसाधन की प्राप्ति बनाए रखना और Planning Section (PS) और Logistic Section (LS) को मुहैया कराना
10. अलामबंदी योजना के अनुसार (IRS Form-010) Staging Area की अलामबंदी।
11. IRS Form-004 के अनुसार पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और संबंधित अनुभाग को भेजना
12. अन्य कर्तव्य जो Operation Section Chief (OSC) द्वारा सौंपे जाए, पूरा करना।

3.3 Response Branch

कार्यवाही शाखा क्षेत्र में परिस्थिति से निपटने और विभिन्न कार्यों को पूरा करने वाली प्रमुख कार्यवाहीकर्ता है आपदा के पैमाने पर निर्भर करते हुए, Response Branch Director (RBD) को समूहों की संख्या में बढ़ोत्तरी करनी पड़ सकती है जिसके फलस्वरूप प्रभाग के सृजन की आवश्यकता पड़ सकती है। यह ढांचा किसी बड़ी घटना के प्रबन्धन में Operation Section Chief (OSC) द्वारा निकट पर्यवेक्षण करने के लिए अपेक्षित है।

पर्यवेक्षण के लिए आदर्श विस्तार 1:5 है अर्थात् एक शाखा निदेशक पाँच प्रभागों तक का पर्यवेक्षण कर सकता है, एक प्रभाग पर्यवेक्षक पाँच समूह तक का पर्यवेक्षण कर सकता है और एक समूह प्रभारी पाँच टीमों का पर्यवेक्षण कर सकता है, आवश्यकतानुसार और अधिक शाखाएं, प्रभाग, समूह बनाए जा सकते हैं।

3.3.1 Response Branch Director (RBD)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. Operation Section Chief (OSC) के पर्यवेक्षणाधीन कार्य करना तथा सौंपी गई भूमिका के अनुसार Incident Action Plan (IAP) के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होना।
2. Operation Section Chief (OSC) द्वारा आवश्यकतानुसार योजना संबंधी बैठकों में भाग लेना।
3. अपनी शाखा के अधीन प्रभागों और समूहों के लिए समनुदेशन सूचियों के IRS Form-005 (अनुबंध-5 में संलग्न) की समीक्षा करना।
4. प्रभाग तथा समूह प्रभारियों को विशिष्ट कार्य सौंपना।
5. शाखा के कार्यों को पर्यवेक्षण करना।
6. अधीनस्थों द्वारा सूचित किए गये विवादों को सुलझाना।
7. Incident Action Plan(IAP) में, यदि अपेक्षित हो, संशोधनों के सम्बन्ध में अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता अधिशेष संसाधनों की उपलब्धता और खतरनाक स्थितियां या उल्लेखनीय घटना आदि होने पर Operation Section Chief (OSC) को रिपोर्ट करना।
8. विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों को एकल संसाधन, स्ट्राइक टीम और कार्य बल सहायता प्रदान करना।
9. यह सुनिश्चित करना की सभी टीम लीडर अपने-अपने क्षेत्र प्रचालनों के संबंध में पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का (IRS Form-004 के अनुसार) रिकॉर्ड रखा जाए और Operation Section Chief (OSC) को भेजा जाए।
10. ऐसे अन्य कर्तव्य पूरे करना जो Operation Section Chief (OSC) द्वारा सौंपे जाए।

3.4. Division Supersisor And Groups-in-Charge

(प्रभाग पर्यवेक्षक और समूह प्रभारी)

पदानुक्रम भिन्नता को छोड़कर, प्रभाग पर्यवेक्षकों और समूह प्रभारी की भूमिका और उत्तरदायित्व एक जैसे है।

प्रभाग तब सक्रिय होते हैं जब किसी एकांत और दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्र में या उचित नियंत्रण बनाए रखने के प्रयोजनार्थ जब कार्यात्मक समूहों की संख्या में वृद्धि की जाती है या विभिन्न विशेषीकृत कार्यवाहियों के लिए पर्यवेक्षणीय आवश्यकता होती है। समूह-प्रभारियों को शाखा के भीतर ही विशिष्ट कार्य करने के लिए सौंपे जाते हैं, जबकि प्रभाग बड़ी संख्या में समूहों के ऊपर प्रभावी पर्यवेक्षण करने के लिए सृजित किए जाते हैं।

3.4.1 Division Supersisor And Groups-in-Charge (प्रभाग पर्यवेक्षक और समूह-प्रभारी)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. प्रभाग (Division) या समूह को सौंपे गए कार्यों की सूची का कार्यान्वयन करना।
2. उनके अधीन प्रभाग या समूह के भीतर संसाधन सौंपना।
3. प्रचालनों की प्रगति तथा प्रभाग या समूह के भीतर संसाधनों की प्रास्थिति संबंधी रिपोर्ट करना।
4. समूह, स्ट्राइक टीम और कार्य बल के लीडरों को संगठनात्मक समनुदेशन सूची (IRS Form-005 के अनुसार) (प्रभागीय/समूह) परिचालित करना।
5. अधीनस्थों के साथ सौंपे गए समनुदेशन और घटना संबंधी क्रियाकलापों की समीक्षा करना और स्थिति के अनुसार कार्य सौंपना।
6. संलग्न प्रभागों या समूहों के साथ, यदि अपेक्षित हो क्रियाकलापों का समन्वय करना।
7. Response Branch Director (RBD) और Operation Section Chief (OSC) को स्थिति और संसाधनों की प्रास्थिति (Status) प्रस्तुत करना।
8. सभी खतरनाक परिस्थितियों, विशिष्ट परिणामों या उल्लेखनीय घटनाओं (दुर्घटनाओं, बीमारी, खराब मौसम आदि) की सूचना Response Branch Director (RBD) और Operation Section Chief (OSC) को देना।
9. प्रभाग या समूह के भीतर समस्याओं को सुलझाना।
10. अगली प्रचालन अवधि के लिए, यदि अपेक्षित है, Incident Action Plan (IAP) तैयार करने की प्रक्रिया में भाग लेना।

11. यह सुनिश्चित करना है कि पूरे किए गये विविध कार्यकलापों का रिकार्ड (IRS Form-004 के अनुसार) रखा जाए और Response Branch Director (RBD) और Operation Section Chief (OSC) को भेजा जाए। और
12. कोई अन्य कर्तव्य पूरा करना, जो Response Branch Director (RBD) /Operation Section Chief (OSC) द्वारा सौंपा जाए।

3.5 Single Resources (एकल संसाधन)

एकल संसाधन के अन्तर्गत किसी निर्धारित घटना में तैनात किए जाने वाले कार्मिक और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर, उदाहरण के लिए अपेक्षित कार्मिक सहित अग्नि शामक तथा अपेक्षित चिकित्सा अधिकारी, पराचिकित्सकीय (Paramedic) और ड्राइवर सहित एम्बुलेन्स आदि, दोनों सम्मिलित हैं।

3.5.1 Single Resource Leader (एकल संसाधन लीडर) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. आवश्यक उपस्कर और आपूर्तियों का प्रभार लेना।
2. स्वयं में सौंपे गये क्षेत्र में स्थानीय मौसम और वातावरण की दशा, विधि, और व्यवस्था की स्थिति आदि का निर्धारण करना और प्रभार को सूचित करना।
3. स्वयं को सौंपे गए कर्तव्य को पूरा करना।
4. अपने पर्यवेक्षक के साथ संपर्क बनाए रखना।
5. कोई ऐसा अन्य कर्तव्य पूरा करना, जो उसके पर्यवेक्षक द्वारा सौंपा जाए।

3.6 Strike Team or Task Force (स्ट्राइक टीम या कार्य बल) –

Strike Team एकल साधन के ही “प्रकार” और “किस्म” का एक सामान्य संचार सुविधा और एक लीडर सहित, एक संयोजन है।

कार्य बल एकल साधन से भिन्न “प्रकार” और “किस्म” का एक संयोजन है। ये किसी विशिष्ट सामरिक आवश्यकता के लिए एक सामान्य संचार सुविधा और एक लीडर सहित, गठित किए जाते हैं।

Strike Team की उस समय भी आवश्यकता पड़ सकती है जब किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य में विशिष्ट विशेषज्ञता अपेक्षित हो और साधनों को एक लीडर के अधीन समूहबद्ध किया जाए।

3.6.1 Strike Team or Task Force Leader (स्ट्राइक टीम या कार्य बल लीडर) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. अपने दल के सदस्यों के साथ सौंपे गए कर््यों की समीक्षा करना।
2. कार्य की प्रगति रिपोर्ट करना।
3. निकटवर्ती एकल संसाधन, स्ट्राइक टीम और कार्य बल के साथ कार्यकलापों, यदि सौंपे गए हैं, में समन्वय करना।
4. संचार व्यवस्था को स्थापित और सुनिश्चित करना।
5. सौंपे गए अन्य कार्य पूरा करना।
6. विविध कार्यकलापों को रिकॉर्ड रखना।

3.7 Transportation Branch परिवहन शाखा (TB)

प्रचालन अनुभाग में परिवहन शाखा विभिन्न साधनों, राहत सामग्रियों, प्रभावित स्थलों पर कार्मिकों का परिवहन करके तथा यदि आवश्यक हो, तो विपदाग्रस्तों का भी परिवहन करके कार्यवाही प्रयासों में सहायता करती है।

यद्यपि Logistic Section (LS) में एक स्थल सहायता (Ground Support) यूनिट है। जो सभी प्रकार का परिवहन और अन्य संबद्ध संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है, फिर भी प्रचालन अनुभाग में परिवहन शाखा Incident Response Team IRT और Incident Action Plan (IAP) की

आवश्यकताओं के अनुसार घटना-स्थल पर परिवहन के वास्तविक नियोजन और उपयोग को व्यवस्थित करती है।

परिवहन शाखा के सभी कार्यात्मक समूहों (सड़क, रेल, जल और वायु) का प्रबंध परिवहन शाखा निदेशक द्वारा किया जाता है। चूंकि हवाई परिवहन को राज्य और जिला स्तरों पर समन्वित करना होता है, इसलिए परिवहन शाखा निदेशक के लिए हवाई प्रचालनों के लिए Responsible Officer (RO), Incident Commander (IC) & Nodal Officer (NO) के साथ निकट तालमेल बनाकर कार्य करने की आवश्यकता होती है। वह संबंधित Nodal Officer (NO) से सभी संबद्ध उड़ानों का ब्यौरा एकत्रित करेगा और स्थल सहायता की आवश्यकता का प्रबंध करेगा।

परिवहन शाखा निदेशक Incident Action Plan (IAP) के अनुसार विभिन्न कार्यात्मक समूहों के सक्रियण और विस्तार के लिए भी उत्तरदायी होगा।

3.7.1 Transportation Branch Director-TBD (परिवहन शाखा निदेशक) – भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. विभिन्न प्रचालन समूहों, जैसे सड़क, रेल, जल और वायु का सक्रियण और प्रबंध करना।
2. आवश्यक संसाधनों के लिए Logistic Section (LS) के साथ समन्वय करना और अपनी शाखा के समूह को सक्रिय करना।
3. रेलवे, सड़क परिवहन, जल परिवहन और विमानपतन प्राधिकारियों के साथ यथा आवश्यक सहायता के लिए समन्वय करना।
4. यह सुनिश्चित करना है कि संगठनात्मक समनुदेशन सूची (प्रभागीय/समूह) अनुबन्ध-5 में संलग्न IRS Form-005 के समूह प्रभारी (प्रभारियों) और अपनी शाखा के अन्य कार्यवाहीकर्ताओं के बीच परिचालित की जाए।
5. हवाई प्रचालनों को स्थलीय सहायता उपलब्ध करना और समुचित सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित करना।
6. रेल और जल संबंधी प्रचालन समूह को यथा आवश्यक सड़क परिवहन सहायता उपलब्ध कराना।
7. घटना कार्यवाही संबंधी कार्यकलापों में शामिल अपनी शाखा के सभी कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
8. यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्र में संचालित सभी यूनिटें सड़क मानचित्र या स्थानीय पथ प्रदर्शक (गाइड) की सहायता से मार्ग से परिचित हो।
9. परिवहन शाखा (TB) की प्रगति के बारे में Operation Section Chief (OSC) और Incident Commander (IC) को सूचित करना।
10. Incident Action Plan (IAP) के अनुसार परिवहन योजना आदि अपेक्षित हो तैयार करना।
11. अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता उनके उचित और भरपूर उपयोग का निर्धारण करना और तदनुसार अग्रिम तौर पर मांग प्रस्तुत करना।
12. समस्याओं और विवादों, यदि कोई हो, को सुलझाना।
13. भाड़े (किराये) पर लिए गए साधनों की प्रास्थिति को बनाए रखना, उनके भरपूर उपयोग और समय पर निर्मुक्त को सुनिश्चित करना।
14. यह सुनिश्चित करना कि प्रचालन संबंधी अलग-अलग समूहों (सड़क, रेल, जल और वायु) द्वारा किए गए विविध कार्यकलापों का रिकार्ड (अनुबन्ध-4 में संलग्न IRS Form -004 के अनुसार) रखा जाए और संबंधित अनुभाग को भेजा जाए।
15. Incident Commander (IC) या Operation Section Chief द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कर्तव्य पूरा करना।

Transportation Branch (TB) में चार प्रचालन समूह, जैसे सड़क रेल, जल और वायु समाविष्ट हो सकेंगे। इन समूहों को, जब भी अपेक्षित हो सक्रिय किया जा सकेगा।

आपदाओं के दौरान वायु प्रचालन एक महत्वपूर्ण परिवहन क्रियाकलाप होता है, जिसके लिए जिला स्तर पर समन्वय की आवश्यकता होती है। वायु प्रचालनों के लिए राज्य और जिला के Responsible Officer (RO) एक Nodal Officer (NO) निर्धारित करेंगे और उसे पदनामित करेंगे।

3.8 Group-in-charge-Road Operation (समूह प्रभारी.सड़क प्रचालन)

समूह प्रभारी (Group-In-Charge) (सड़क प्रचालन) Transportation Branch Director(TBD) के अधीन कार्य करता है और सभी सड़क परिवहन क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है। उसके पास सहायता के लिए उसके अधीन एक समन्वयक (सड़क प्रचालन) होता है। यदि प्रचालनों के पैमाने में वृद्धि होती है, तो TBD एक सहायक समन्वयक के पद को सक्रिय कर सकता है,। भारण और अभारण प्रभारी (Loading & Unloading-in-charge) समन्वयक के अधीन कार्य करेगा।

3.8.1 Group-in-charge-Road Operation (समूह प्रभारी-सड़क प्रचालन)— भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. प्रभावित स्थलों तक सड़क द्वारा साधनों के परिवहन को सुनिश्चित करना।
- ii. अतिरिक्त कार्मिक सहायता, यदि अपेक्षित हो, के लिए मांग करना।
- iii. Operation Section Chief (OSC) के निर्देश पर योजना संबंधी बैठकों में भाग लेना।
- iv. Incident Action Plan (IAP) के अनुसार विभिन्न गंतव्य स्थानों के साथ समन्वय प्रक्रिया का निर्धारण करना।
- v. पार्किंग के लिए उचित स्थल सुनिश्चित करना।
- vi. समूह के बीच के विवादों, यदि कोई हो, को सुलझाना।
- vii. सड़क प्रचालन योजना को यथा अपेक्षित अद्यतन करना और उनको उच्च प्राधिकारियों के साथ सांझा करना।
- viii. दुर्घटनाओं के मामले में Transportation Branch Director(TBD) तथा स्थानीय पुलिस को सूचित करना और यदि आवश्यक हो तो जॉच में सहायता करना।
- ix. यह सुनिश्चित करना कि वाहनों की मरम्मत के लिए मैकेनिक उपलब्ध रहे तथा पेट्रोल, तेल और स्नेहक (Lubricants)(POL) की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
- x. नियोजित किए गए वाहनों की संख्या, वाहनों का स्रोत (अर्थात सरकारी या प्राइवेट), ऐसे स्थान जहां वाहन तैनात किए गये हैं तथा साथ ही साथ उनके द्वारा ले जाए जाने वाले संसाधन के विवरण आदि से संबंधी सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना।
- xi. रेल, जल और हवाई प्रचालनों की आवश्यकता के अनुसार उनके सड़क संबंधी प्रचालनों के भाग में सहायता और समन्वय करना।
- xii. समन्वयक और अन्य सदस्यों से पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड (अनुबंध-4 में संलग्न IRS Form-004 के अनुसार) रखना और Transportation Branch Director(TBD) या Operation Section Chief (OSC) को भेजना।
- xiii. Transportation Branch Director (TBD) या Operation Section Chief (OSC) द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य पूरे करना।

3.8.2 Coordinator (Road Operations) समन्वयक (सड़क प्रचालन) – भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

समन्वयक (सड़क प्रचालन) मुख्यतः सड़क परिवहन संबंधी आवश्यकताओं में समन्वयन करने के लिए उत्तरदायी है। तैनात किए गए वाहनों की संख्या पर निर्भर करते हुए एक से अधिक समन्वयक हो सकते हैं। समन्वयक (सड़क प्रचालन) (Coordinator Road Operations)) की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं

- i. परिवहन के संदर्भ में स्थिति का विश्लेषण करने और अन्य संभावित समस्याओं की पहचान करने के लिए सौंपे गए घटना-स्थल के क्षेत्र का सर्वेक्षण करना।
- ii. घटना की गंभीरता पर निर्भर करते हुए और आवश्यकता के आधार पर सहायक समन्वयक (सड़क प्रचालन) के लिए मांग करना।
- iii. संसाधनों के निर्बाध परिवहन के लिए Staging Area Manager (SAM) के साथ समन्वय करना।

- iv. समनुदेशन (Assignments) प्राप्त करना, मार्गों के बारे में चालकों (ड्राइवरों) को ब्रीफ करना, लक्ष्य सौंपना, वाहनों की आवाजाही का पर्यवेक्षण करना और वाहनों के रखरखाव और मरम्मत संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देना।
- v. सौंपे गए सभी वाहनों के क्रियाकलापों को मॉनीटर करना और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना।
- vi. भिन्न-भिन्न स्थानों को की गई आपूर्तियों का रिकॉर्ड रखना।
- vii. वाहनों की आवाजाही पर दृष्टि बनाए रखना। GPS सहायता, यदि उपलब्ध है, प्रदान करना।
- viii. राहत सामग्री के परिवहन के लिए सुरक्षा सहायता, यदि अपेक्षित हो, के लिए अनुरोध करना और परिवहन मार्ग के साथ पड़ने वाले प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन को सतर्क करना।
- ix. भारण और अभारण स्थलों पर समन्वय बनाए रखना।
- x. यह सुनिश्चित करना कि भारण (लोडिंग) वाले स्थानों Staging Area (SA) और गंतव्य स्थलों पर संचार की सुविधाएँ स्थापित हो।
- xi. अपने अधीन कार्यरत कर्मिकों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना और उनकी पूर्ति करना।
- xii. पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड (IRS Form-004 के अनुसार) रखना और उसे समूह-प्रभारी या Transportation Branch Director (TBD) को भेजना।
- xiii. Operation Section Chief (OSC) या Transportation Branch Director (TBD) द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्य पूरे करना।

3.8.3 Loading/Unloading-in-charge (Road, Rail & Water) (भारण/अभारण प्रभारी (सड़क, रेल और जल) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

किसी आपदा पर कार्यवाही में भारण/अभारण प्रभारी की महत्वपूर्ण भूमिकाएं रहती हैं, रेल, सड़क और जलीय प्रचालनों में भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व एक समान हैं, जबकि हवाई प्रचालनों में भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व कुछ अलग हैं, इसलिए, भारण/अभारण प्रभारी की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व रेल, सड़क और जलीय प्रचालनों के लिए एक जगह दिए जा रहे हैं। भारण/अभारण प्रभारी (सड़क, रेल, और जल) की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं :-

- i. भारण/अभारण कार्यकलापों के सुरक्षित प्रचालनों का पर्यवेक्षण करना।
- ii. समूह प्रभारी (सड़क, रेल, और जल परिवहन) से प्रचालनों का सारांश प्राप्त करना।
- iii. भारण (लोडिंग) वाले क्षेत्रों का संगठन करना।
- iv. भारण तथा अभारण कर्मिंदल का पर्यवेक्षण करना और यथा अपेक्षित उपस्कर (सीढ़ी, दस्ताने, हेलमेट आदि) एकत्रित करना।
- v. भारण/अभारण कार्यकलापों की प्रगति के बारे में समय-समय पर समन्वयक को सूचित करना।
- vi. पूरे किए गये विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड IRS Form-004 के अनुसार रखना और Transportation Branch Director (TBD) और समन्वयक को भेजना।
- vii. समन्वयक या प्रभारी (सड़क, रेल और जल) द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों को पूरा करना।

3.9 Group-in-charge- (Rail operation) समूह-प्रभारी (रेल प्रचालन)

आपदा की अधिकांश कार्यवाही स्थितियों में रेल परिवहन का अति दूरस्थ स्थानों से राहत सामग्री और संसाधनों का परिवहन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके लिए समुचित स्थानों पर रेल गाड़ियां और वैगन उपलब्ध कराने के लिए रेलवे प्राधिकारियों से समन्वय बनाए रखना आवश्यक है। रेल-स्टेशन विनिर्दिष्ट स्थानों पर स्थित होते हैं और कभी-कभी प्रभावित स्थलों से बहुत दूर होते हैं। भारण और अभारण की आवश्यकता रेल से सड़क और सड़क से रेल तक हो सकती है। जब कभी रेल द्वारा परिवहन परिकल्पित हो, तो एक रेल प्रचालन समूह को सक्रिय किए जाने की आवश्यकता होती है और उनका सड़क प्रचालन प्रभारियों से घनिष्ट सम्पर्क बना रहना चाहिए। समूह प्रभारी (रेल) Transportation Branch Director (TBD) के अधीन कार्य करता है और सभी रेल परिवहन क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है। परिवहन आवश्यकताओं के पैमाने और उचित नियंत्रण के प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए Transportation Branch Director (TBD) यदि आवश्यक हो, तो सहायक समन्वयक के पद को सक्रिय कर सकेगा। भारण/अभारण प्रभारी, समन्वयक के अधीन कार्य करेगा।

3.9.1 Group-in-charge- (Rail operation) समूह-प्रभारी (रेल प्रचालन) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. Transportation Branch Director (TBD) के अधीन कार्य करना और सभी रेल प्रचालनों का समन्वय करना।
- ii. भारण और अभारण के लिए कर्मी दल को संगठित करना।
- iii. सामग्रियों का सुरक्षित भंडारण और भांडारण गृह (वेयरहाउसिंग) सुनिश्चित करना।
- iv. भंडारण के स्थानों का मूल्यांकन करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और यदि आवश्यक हो तो Transportation Branch Director (TBD) से मार्गदर्शन प्राप्त कराना।
- v. संसाधनों की आवाजाही के लिए सड़क प्रचालन समूहों के साथ समन्वय करना।
- vi. जब भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपेक्षा की जाए, रेल प्रचालनों का सारांश, प्रस्थान और पहुंच का समय, गंतव्य स्थानों, संसाधनों आदि के ब्यौरे सहित तैयार करना और प्रस्तुत करना।
- vii. यदि आवश्यकता हो, तो अतिरिक्त कार्मिक सहायता के लिए अनुरोध करना।
- viii. Transportation Branch Director (TBD) को समय-समय पर अद्यतन करना और यदि आवश्यक हो, तो सहायता की मांग करना।
- ix. अपने समूह के भीतर विवादों को, यदि कोई है, सुलझाना।
- x. रेल प्रचालन योजना को अद्यतन करना।
- xi. विभिन्न भंडारणों और भांडारण क्षेत्रों, गंतव्य स्थलों और रेलवे अधिकारियों के साथ संचार की व्यवस्था करना और बनाए रखना।
- xii. समन्वयक और अन्य प्रभारियों से पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड (IRS Form-004) रखना और Transportation Branch Director (TBD) या Operation Section Chief (OSC) को भेजना।
- xiii. Operation Section Chief (OSC) या Transportation Branch Director (TBD) . द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य पूरे करना।

3.9.2 Co-ordinator (Rail operation) समन्वयक (रेल प्रचालन) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. समूह प्रभारी के अधीन कार्य करना और रेल द्वारा सहायता सामग्री का परिवहन करने के लिए समन्वय सेवाएं प्रदान करना।
- ii. समनुदेशित स्टेशनों या स्थलों का सर्वेक्षण वहाँ पर स्थिति और अन्य संभावित कठिनाइयों का विश्लेषण करने के लिए करना।
- iii. यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त कार्मिक सहायता की मांग करना।
- iv. समनुदेशन प्राप्त करना और संसाधनों की आवाजाही का पर्यवेक्षण करना।
- v. रेलों के समय आदि के बारे में रेलवे प्राधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखना।
- vi. रेल प्रचालनों में घटित होने वाली घटनाओं या दुर्घटनाओं की सूचना देना।
- vii. संसाधनों की सुरक्षा व्यवस्था की मांग करना और मॉनीटर करना।
- viii. पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड (अनुबंध-4 के साथ संलग्न) IRS Form-004 के अनुसार रखना और समूह-प्रभारी या Transportation Branch Director (TBD) को भेजना।
- ix. समूह-प्रभारी द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य पूरे करना।

3.9.3 Loading/Unloading-in-charge- (Rail operation) भारण/अभारण प्रभारी (रेल प्रचालन) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. भारण/अभारण क्रियाकलापों के सुरक्षित प्रचालनों का पर्यवेक्षण करना।
- ii. समूह-प्रभारी (सड़क, रेल और जल परिवहन) से प्रचालनों का सारांश प्राप्त करना।
- iii. भारण (लोडिंग) क्षेत्रों का संगठन करना।

- iv. भारण तथा अभारण कर्मीदल का पर्यवेक्षण करना और यथा अपेक्षित उपस्कर (सीढ़ी, दस्तावेज, हेलमेट आदि) एकत्रित करना।
- v. समन्वयक को समय-समय पर भारण/अभारण क्रियाकलापों की प्रगति के बारे में सूचित करना।
- vi. भारण/अभारण योजना, उनके संसाधनों और गर्तव्य स्थानों, सहित तैयार करना
- vii. पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड IRS Form-004 के अनुसार (अनुबंध-3 में यथा संलग्न) रखना और Transportation Branch Director (TBD) या समन्वयक को भेजना।
- viii. समन्वयक या प्रभारी (सड़क, रेल और जल) द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य पूरे करना।

3.10 Group-in-charge- (Water operation) समूह- प्रभारी (जल संबंधी प्रचालन)

कुछ आपदाओं, विशेषकर बाढ़ और बवंडर (चक्रवात) में जल प्रचालनों की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है। बचाव कार्य और सहायता सामग्री के परिवहन के लिए नावों/देशी कश्तियों और अन्य जलीय परिवहन का नियोजन करना आवश्यक हो सकता है। आपदा के अनुपात पर निर्भर करते हुए, Transportation Branch Director (TBD) एक जल प्रचालन समूह सक्रिय कर सकती है जिसमें समूह-इंचार्ज, समन्वयक और भारण/अभारण प्रभारी समाविष्ट हों। यदि आवश्यकता हो, तो समूह-प्रभारी, एक सहायक समन्वयक के लिए अनुरोध कर सकेगा।

3.10.1 Group-in-charge- (Water operation) समूह-प्रभारी (जल संबंधी प्रचालन)

3.10.2 भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. प्रभावित स्थलों पर मोटर नावों/देशी कश्तियों या किसी अन्य जलीय परिवहन द्वारा बचाव दल (रेस्क्यू टीम) और सहायता सामग्री के साथ संचार सुविधाओं और प्रत्येक टीम के साथ मार्गदर्शन के लिए एक-एक स्थानीय मार्गदर्शक (गाइड) का परिवहन सुनिश्चित करना।
- ii. यदि आवश्यकता हो, तो कार्मिक सहायता के लिए मांग करना।
- iii. विभिन्न गंतव्य स्थानों के साथ Incident Action Plan (IAP) के अनुसार समन्वय प्रक्रिया का निर्धारण।
- iv. घटना से संबद्ध सभी जलीय प्रचालनों और संबद्ध क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना।
- v. नौकाघाट (डॉकिंग) या आश्रय (हार्बरिंग) स्थलों की क्षमता का मूल्यांकन और सुनिश्चित करना।
- vi. विवादों का निपटान, यदि कोई हो।
- vii. जलीय प्रचालन योजना का अद्यतन करना और इसे एल.एस.सी. सहित उच्चतर अधिकारियों के साथ सांझा करना।
- viii. जब भी आवश्यकता हो, दुर्घटना जाँच टीम की व्यवस्था करना और समुचित जाँच प्राधिकारियों के साथ सहयोग करना।
- ix. नाव प्रचालनों के लिए पी.ओ.एल. और अन्य संभार-तंत्र सहायता की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
- x. अपने साथ कार्यरत कार्मिकों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना।
- xi. समन्वयक और अन्य प्रभारियों से पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड (अनुबंध-4 में संलग्न IRS Form-004 के अनुसार) रखना Transportation Branch Director (TBD) या Operation Section Chief (OSC) को भेजना।
- xii. Transportation Branch Director (TBD) या Operation Section Chief (OSC) द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्य पूरे करना।

3.10.3 Coordinator (Water operation) समन्वयक (जल संबंधी प्रचालन)-

3.10.4 भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. मोटर नावों/देशी कश्तियों आदि द्वारा संसाधनों के परिवाहन से संबंधित सभी क्रियाकलापों का समन्वय करना। इस पद का सक्रियण घटना की जटिलता पर अवलंबित है। किसी घटना के लिए समुदेशित भारण और अभारण प्रभारी सहित एक से अधिक समन्वयक हो सकते हैं।
- ii. समुदेशित घटना क्षेत्रों का स्थिति और अन्य संभावित कठिनाइयों का विश्लेषण करने के लिए सर्वेक्षण करना।

- iii. राहत समग्री यदि अपेक्षा की जाए, के निर्बाध परिवहन के लिए Staging Area Manager (SAM) के साथ समन्वय बनाना।
- iv. समनुदेशन प्राप्त करना और जलीय परिवहन संचालन क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना।
- v. सभी जलीय प्रचालनों को उनकी सुरक्षा की दृष्टि से मॉनीटर करना।
- vi. खोज और बचाव तथा राहत प्रचालनों में तैनात जल परिवहन कार्मिकों के साथ उचित संचार को सुनिश्चित करना।
- vii. भिन्न-भिन्न स्थानों को की गई आपूर्तियों, जल परिवहन संबंधी संचालनों आदि का रिकॉर्ड रखना।
- viii. जलीय प्रचालनों में घटित होने वाली घटनाओं या दुर्घटनाओं की रिपोर्ट Transportation Branch Director (TBD) या पदनामित प्राधिकारियों को करना।
- ix. जलीय प्रचालनों के लिए पी.ओ.एल. आदि की आवश्यकता का निर्धारण करना और उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
- x. क्योंकि अधिकांश राहत सामग्री सड़क द्वारा पहुंचेगी, इसलिए समन्वयक (सड़क प्रचालन) के साथ संपर्क बनाए रखना।
- xi. पूरे किए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड (अनुबंध-4 में संलग्न IRS Form-004 के अनुसार) रखना और समूह-प्रभारी या Transportation Branch Director (TBD) को भेजना।
- xii. Operation Section Chief (OSC) या Transportation Branch Director (TBD) द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्य पूरे करना।

3.10.3 Loading and Unloading in-charge- (Water operation) भारण और अभारण प्रभारी

3.10.4 (जल संबंधी प्रचालन) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. भारण/अभारण कार्यकलापों के सुरक्षित प्रचालनों का पर्यवेक्षण करना।
- ii. समूह-प्रभारी (सड़क रेल और जल परिवहन) से प्रचालनों का सारांश करना।
- iii. भारण (Loading) क्षेत्रों का संगठन करना।
- iv. भारण और अभारण कर्मिंदल का पर्यवेक्षण करना और यथा अपेक्षित उपस्कार (सीढ़ी, दस्ताने, हेलमेट आदि) एकत्रित करना।
- v. भारण/अभारण क्रियाकलापों की प्रगति के बारे में समय-समय पर समन्वयक के सूचित करना।
- vi. भारण/अभारण की उनके संसाधनों और गंतव्य स्थानों के ब्यौरों सहित योजना बनाना।
- vii. पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड (अनुबंध-4 में संलग्न) IRS Form-004 के अनुसार रखना और ओ.बी.डी. या समन्वयक को भेजना।
- viii. समन्वयक या प्रभारी (सड़क रेल और जल) द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य पूरे करना।

3.11 Air operation हवाई प्रचालन

विपदा की कार्यवाही के लिए हवाई प्रचालनों की चार कार्यों के लिए आवश्यकता हो सकती।

- (क) प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्रियों और संसाधनों के शीघ्र परिवहन के लिए।
- (ख) अगम्य और प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्रियों, भोजन, औषधियों आदि का शीघ्र वितरण (हवाई जहाज द्वारा गिराना)।
- (ग) अगम्य क्षेत्रों में फंसे विपदाग्रस्तों की खोज और बचाव।
- (घ) हताहत व्यक्तियों को निकालना।

हवाई सहायता प्रचालनों का कार्य समान्यतः, भारतीय वायु सेना को सौंपा जाएगा। समय-समय पर इंडियन एयरलाइंस, पवनहंस और अन्य प्राइवेट एयरलाइनों का भी परिवहन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऊपर चर्चा किए गए अभिकरणों में से किसी भी अभिकरण से भिन्न-भिन्न मिशन (लक्ष्य) की आवश्यकताओं के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के वायुयान उदाहरणतः, परिवहन वायुयान या हेलीकॉप्टर आदि का उपयोग किये जाने की आवश्यकता पड़ सकती है।

किसी भी हवाई प्रचालन को चलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निकट समन्वय होना अनिवार्य है।

इस कार्य के लिए एन.डी.एम.ए., एन.ई.सी., एयरफोर्स, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, राज्य के Responsible Officer (RO) तथा उन जिलों के Responsible Officer (RO) जहां हवाई प्रचालन किया जाना है, के बीच घनिष्ठ सम्पर्क की आवश्यकता होती है। अतः यह अति आवश्यक है कि इन सभी स्तरों पर समन्वय के लिए तथा हवाई सहायता के सक्रियण के लिए अग्रिम तौर पर एक Nodal Officer (NO) की पहचान और पदनामित किया जाना चाहिए। हितधारकों को हवाई प्रचालनों के लिए पदनामित Nodal Officer (NO) की जानकारी होनी चाहिए।

Incident Response System AIRS) के सन्दर्भ में, प्रभावित क्षेत्रों में सभी अपेक्षित अवतरण (landing) और उड़ान भरने के सुविधाओं पर एक स्थल सहायता अवश्य स्थापित किया जाना होगा। हवाई प्रचालनों के लिए Aviation Turbine Fuel (ATF) सुरक्षा आदि सहित स्थल सहायता संबंधी आवश्यकताओं का उत्तरदायित्व Transportation Branch Director (TBD) को होगा। हवाई प्रचालन चलाने का फैसला लेने पर, Transportation Branch Director (TBD) अपने अधीन के हवाई प्रचालन समूह को सक्रिय करेगा। समूह नेतृत्व एक पर्यवेक्षक द्वारा किया जाएगा और सभी हवाई अड्डों, हेलीबेसों, हेलीपैडों पर एक प्रभारी के नेतृत्व में अपेक्षित अवतरण और उड़ान भरने के स्थानों पर आवश्यक संगठनात्मक अवयव सक्रिय किए जाएंगे।

3.11.1 Nodal Officer (NO) नोडल ऑफिसर – भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. हवाई प्रचालनों के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय करना।
- ii. Incident Action Plan (IAP) के आधार पर समुचित प्राधिकारियों के अपेक्षित हवाई सहायता के प्रकार का अनुमान लगाना और अग्रिम तौर पर कम-से-कम चौबीस घंटे पूर्व या यथाशीघ्र मांग प्रस्तुत करना।
- iii. अपने-अपने क्षेत्रों में हवाई संचालनों और अवतरण (Landing) समय-सारणियों के बारे में Incident Commander (IC) और Operation Section Chief (OSC) को सूचित करना।
- iv. यह सुनिश्चित करना कि हवाई प्रचालनों में शामिल सभी अभिकरणों के पास घटनाग्रस्त स्थानों के प्रासंगिक मानचित्र उन स्थानों की सही जानकारी देने के लिए उपलब्ध हों, जहां हवाई सहायता की आवश्यकता है।
- v. एयरफोर्स प्राधिकारियों और जिले के प्राधिकारियों के साथ समन्वय करके हेलीपैड और हेलीबेसों की उपयुक्तता का निर्धारण करना।
- vi. हवाई संचालनों और अन्य संबद्ध क्रियाकलापों के संबंध में हवाई यातायात नियंत्रण और स्थल सहायता स्टाफ के साथ संचार को बनाए रखना।
- vii. अपेक्षित ए0टी0एफ0 आदि को अधिप्राप्त करने में Incident Commander (IC) और Logistics Section Chief (LSC) की सहायता करना।
- viii. हवाई प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों के बारे में (Responsible Officer) को सूचित करना।
- ix. Responsible Officer (RO) और Incident Commander (IC) द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य पूरे करना।

3.11.2 Group-in-charge- (Air operation) समूह-प्रभारी (हवाई प्रचालन) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. हवाई प्रचालनों को Incident Action Plan (IAP) के अनुसार स्थल सहायता प्रदान करना।
- ii. हवाई प्रचालनों की प्रगति की Transportation Branch Director (TBD) को रिपोर्ट करना और Nodal Officer (NO), Incident Commander (IC) Operation Section Chief (OSC) और Transportation Branch Director (TBD) के साथ निकट समन्वयन में कार्य करना।
- iii. यह सुनिश्चित करना कि हवाई प्रचालनों के लिए अपेक्षित संसाधनों और आपूर्तियों की संबंधित स्थानों पर उपलब्धता रहे।
- iv. हवाई प्रचालन में शामिल पॉयलटों और अन्य व्यक्तियों को सही समन्वय प्रदान करने के लिए समुचित मानचित्रों को रखना।

- v. अतिरिक्त कार्मिक सहायता, यदि अपेक्षित हो, के लिए मांग करना।
- vi. यह सुनिश्चित करना कि हवाई जहाज के उतरने और उड़ान भरने के स्थानों पर तेल भरने की सुविधाएं उपलब्ध हों।
- vii. यह सुनिश्चित करना कि हेलीबेस और हैलीपैड हेतु स्थानों की पहचान हो और समुचित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित हो।
- viii. प्रत्येक हैलीबेस और हैलीपैड पर कार्मिक और उपस्कर सौंपने के लिए आवश्यकता का निर्धारण करना।
- ix. हैलीबेसों और हैलीपैड की पहचान और अंकन (Marking) सुनिश्चित करना।
- x. यह सुनिश्चित करना कि संचार प्रणालियां सुव्यवस्थित हो।
- xi. Nodal Officer (NO) द्वारा यथासूचित हवाई जहाजों और हैलीकॉप्टरों के उतरने और उड़ान भरने की समय-अनुसूची का अद्यतन करना।
- xii. राहत आपूर्तियों की उचित रूप से भारण/अभारण के लिए लोड मैनिफेस्ट की तैयारी को सुनिश्चित करना।
- xiii. हवाई अड्डों/हैलीपैडों और हैलीबेसों पर जो राहत सामग्री पहुंचती है, उसकी उतराई और प्रेषण या भंडारण की व्यवस्था करना। हवाई अड्डों को प्रचालन योग्य बनाने के लिए, वहाँ आने वाली बिना आग्रह की (Unsolicited) राहत आपूर्तियों के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ऐसी आपूर्तियों को प्रचालन क्षेत्र से तुरंत हटाया जाना चाहिए।
- xiv. यह सुनिश्चित करना है कि पैकिंग करने और तोलने की सही सुविधाएं हो और राहत सामग्रियों की चढ़ाई (Loading) में प्रयुक्त की जाएं।
- xv. सड़क परिवहन संबंधी आवश्यकताओं के लिए सड़क प्रचालन समूह के साथ सम्पर्क रखना।
- xvi. हैलीबेसों और हैलीपैडों पर हवाई जहाजों के बचाव और अग्निशमन सेवा की क्रियाशीलता (Functionality) सुनिश्चित करना और सुरक्षा, उचित प्रकाश, स्मॉक केंडल, यंत्र, तोलने की सुविधाएं, विंड डायरेक्शन सॉक्स आदि सही स्थान पर मौजूद हों।
- xvii. हैलीबेस और हैलीपैड प्रभारी से पूरे किए गये विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड (अनुबंध-3 में संलग्न IRS Form-004) रखना और Transportation Branch Director (TBD) या Operation Section Chief (OSC) या Incident Commander (IC) को भेजना।
- xviii. (Transportation Branch Director (TBD) द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य पूरे करना।

3.11.3 Helibase/ Halipad -in-charge हैलीबेस/हैलीपैड प्रभारी – भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

हैलीबेस हैलीकॉप्टरों को खड़ा करने (पार्किंग), ईंधन भरने और रखरखाव करने के लिए मुख्य स्थान है। इसे राहत सामग्रियों की भारण और अभारण के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। हैलीपैड घटना स्थल क्षेत्र में ऐसे अस्थायी स्थान हैं जहां हैलीकॉप्टर को सुरक्षित उतारा जा सकता है और उड़ान भरी जा सकती है।

हैलीबेस प्रायः हवाई अड्डे या जिला प्रशासन द्वारा हैलीकॉप्टर संचालित करने वाले अभिकरण से परामर्श और अनुमोदन करने के पश्चात् विनिश्चित किए गए किसी अन्य स्थान पर खड़ा किया जाता है जब एक से अधिक हैलीबेस स्थापित किया जाता है, तो घटना के नाम और संख्यांक द्वारा नमोदिष्ट होगा। हैलीपैड केवल प्रचालन संबंधी प्रयोजन, जैसे कार्मिकों, उपस्करों और अन्य राहत सामग्री आदि की भारण-अभारण, के लिए स्थापित और प्रयुक्त किये जाते हैं। हैलीबेस/हैलीपैड प्रभारी (Transportation Branch Director (TBD) को रिपोर्ट करेगा।

हैलीबेस/हैलीपैड प्रभारी की भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नलिखित है :-

- i. घटना स्थल पर हैलीकॉप्टरों को सभी स्थल सहायता की आवश्यकता को मुहैया कराना।
- ii. पॉयलटों के साथ सही समन्वय बनाने के लिए समुचित मानचित्र रखना।
- iii. संभावित वायुयान जोखिम और अन्य संभाव्य कठिनाईयों का विश्लेषण करने के हैलीबेस/हैलीपैड क्षेत्र का सर्वेक्षण करना।
- iv. यह सुनिश्चित करना कि हैलीपैड और हैलीबेस का अंकन समुचित रूप से किया गया हो ताकि यह वायुयानों के निर्बाध अवतरण के लिए आकाश से ही दृष्टिगोचर हो।

- v. हैलीकॉप्टर प्रचालनों के लिए स्थल पर्यवेक्षक के साथ समन्वय करना।
- vi. स्थलीय और आकाशीय सुरक्षा आवश्यकताओं तथा प्रक्रियाओं का निर्धारण और क्रियान्वयन करना।
- vii. निर्धारित हैलीबेसों और हैलीपैडों की निरंतर मॉनीटरिंग करना और ऐसी असामान्य घटना या जोखिम के प्रति सतर्क रहना जो हवाई प्रचालनों को प्रभावित करें तथा एहतियाती उपाय करना।
- viii. यह सुनिश्चित करना कि हैलीबेसों और हैलीपैडों पर नियोजित सभी कार्मिक सुरक्षा आवश्यकताओं के प्रति जागरूक हो।
- ix. भूमि संचार (Ground Communication) सुविधाएं स्थापित करना।
- x. हैलीकॉप्टर की समय-अनुसूचियों में किसी विलंब के बारे में तुरन्त पर्यवेक्षक को सूचित करना।
- xi. यह सुनिश्चित करना कि हवाई जहाज संबंधी बचाव उपाय, अग्निशमन सेवाएं, प्रकाश व्यवस्था, स्मोक कंडल्स, तोलने की सुविधाएं, विंड डायरेक्शन सॉक्स, धूल प्रशमन उपाय और सुरक्षा आदि सुव्यवस्थित हों तथा हैलीबेसों और हैलीपैडों पर उचित रूप से कार्य कर रही हों।
- xii. वायुयान कार्मियों के लिए आराम, जलपान, पानी और सफाई की उचित सुविधाएं सुनिश्चित करना।
- xiii. लक्ष्य (Mission) के पूर्ण होने के बारे में पर्यवेक्षक को सूचित करना।
- xiv. पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड (अनुबंध-4 में संलग्न) IRS Form-004 के अनुसार रखना और समूह-प्रभारी को भेजना।
- xv. समूह-प्रभारी द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य पूरे करना।

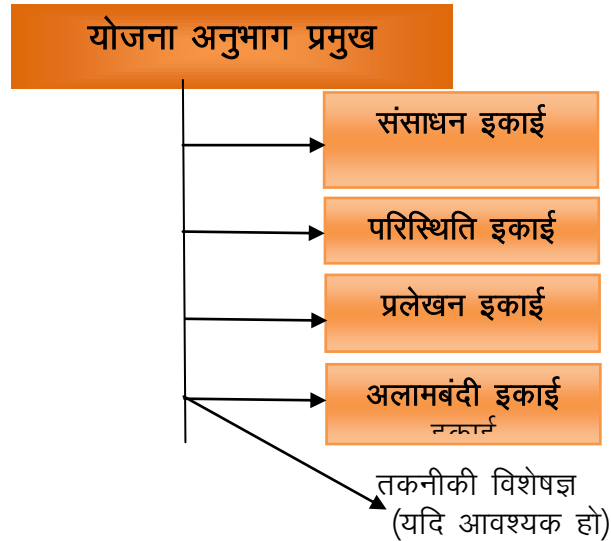
3.11.4 Loading / Unloading in-charge भारण/अभारण प्रभारी – भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. हैलीबेसों पर कार्गो और कार्मिकों की सुरक्षित भारण और अभारण संबंधी प्रचालनों के लिए उत्तरदायी होना।
- ii. एयरबेसों, हैलीबेसों और हैलीपैडों के प्रभारी को रिपोर्ट देना।
- iii. कार्मिकों और कार्गो के लोड मैनिफेस्ट को सुनिश्चित करना।
- iv. यह सुनिश्चित करना कि वायुयानों में कोई ज्वलनशील सामग्री न चढ़ाई जाए।
- v. भारण और अभारण कर्मिंदल का पर्यवेक्षण।
- vi. लदानों, (Load) की उचित पैकेजिंग, ऐसे वजन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करना, जो मौसम की दशा के कारण पायलटों द्वारा लगाये जा सकते हैं। तथा यह सुनिश्चित करना कि ऐसे प्रयोजन के लिए तोलने की सुविधाएं हों।
- vii. पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकार्ड (अनुबंध-4 में संलग्न IRS Form-004 के अनुसार) रखना और समूह-प्रभारी को भेजना।
- viii. कोई अन्य कर्तव्य पूरे करना जो समूह-प्रभारी, हैलीबेस प्रभारी और हैलीपैड प्रभारी द्वारा सौंपे जाएं।

Planning Section (योजना अनुभाग) **भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व**

- 4.0 योजना अनुभाग *Planning Section(PS)* संसाधन इकाई, स्थिति इकाई, प्रलेखन इकाई और आलामबंदी इकाई से मिलकर बनता है (रेखाचित्र-6) अनुभाग का अध्यक्ष योजना अनुभाग प्रमुख *Planning Section Chief (PSC)* कहलाता है।
- 4.0.1 योजना अनुभाग प्रमुख *Planning Section Chief (PSC)* सूचना एकत्रित करने मूल्यकान करने, प्रसारित करने और उसका उपयोग करने का जिम्मेदार होता है। यह बदलते घटनाक्रम और संसाधनों की प्रास्थिति पर नजर रखता है। आवश्यकता पडने पर, किसी घटना के प्रबन्धन में तकनीकी योजनागत मामलों का समाधान करने के लिए *Planning Section(PS)* में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञ की सहायता भी ले सकता है। ऐसे विशेषज्ञों की एक सूची *Planning Section(P.S.)* में उपलब्ध रखी जाएगी। *Planning Section Chief (PSC), Incident*

Commander (IC) को रिपोर्ट करता है और अपेक्षा के अनुसार इकाइयों को सक्रिय करने तथा अनुभाग में कार्मिक तैनात करने के लिए उत्तरदायी होगा।



रेखाचित्र-6 योजना अनुभाग

4.1 योजना अनुभाग प्रमुख *Planning Section Chief (PSC)* – भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. **Incident Commander (IC)** के साथ परामर्श करके, योजना बनाने और **Incident Action Plan (IAP)** तैयार करने के लिए सक्रिय अनुभाग प्रमुखों के साथ समन्वय करेगा।
2. सुनिश्चित करेगा कि आकस्मिक आपदाओं के मामले में जब **Planning Section (PS)** सक्रिय नहीं किए गए थे, लिए गए निर्णय और जारी किए गए निर्देश **Information & Media Officer (IMO)**, (कमान स्टाफ) से प्राप्त किए जाए और उन्हें **Incident Action Plan (IAP)** में सम्मिलित किया जाए ;
3. संबंधित विभागों और अन्य स्रोतों से मौसम पर्यावरण में विषाक्तता, संसाधनों की उपलब्धता आदि सहित घटनाओं के बारे में सूचना के संग्रहण, मूल्यांकन और प्रसार को सुनिश्चित करेगा। पी.एस. के पास उपलब्ध संसाधनों का उनके स्थानों सहित एक डेटा बैंक होना चाहिए जहां से उसे जुटाया जा सके।
4. वह **Incident Action Plan (IAP)** तैयार करके वर्तमान स्थिति के निर्धारण घटना की संभाव्य दिशा का अनुमान करके और प्रचालनों के लिए वैकल्पिक रणनीतियां तैयार करके समन्वय करेगा। **Incident Action Plan (IAP)** में सम्पूर्ण घटना रणनीति और विशिष्ट कूटनीतिक कार्यवाही को प्रतिबिंबित करने वाले उद्देश्य और अगली प्रचालन अवधि के लिए सहायक सूचना शामिल होती है (24 घंटों को एक प्रचालनात्मक अवधि माना जाता है) योजना मौखिक अथवा लिखित हो सकती है। लिखित योजना में घटना उद्देश्यों, संगठन समनुदेशन सूची **IRS form - 05** (अनुबंध-5 के साथ संलग्न) घटना संचार योजना **IRS form-09** (अनुबंध-9 के साथ संलग्न), अलामबंदी योजना **IRS form** फॉर्म-10 (अनुबंध-10 के साथ संलग्न) यातायात योजना, सुरक्षा योजना और घटना मानचित्र आदि सहित बहुत से अनुलग्नक हो सकते हैं। **Incident Action Plan (IAP)** तैयार करने में उठाए जाने वाले प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:—
क. क्षति और खतरे की प्रारंभिक सूचना और निर्धारण।
ख. अपेक्षित संसाधनों का निर्धारण।
ग. घटना उद्देश्य तैयार करना और कार्यनीति बैठकों का संचालन।
घ. प्रचालन विवरण (**Briefing**)।
ड. **Incident Action Plan (IAP)** का क्रियान्वयन।

- च. **Incident Action Plan (IAP)** की समीक्षा।
- छ. यदि अपेक्षित हो, तो अगली प्रचालनात्मक अवधि के लिए घटना उद्देश्य तैयार करना;
5. सुनिश्चित करेगा की अनुबन्ध-2 के साथ संलग्न घटना प्रास्थिति सार (**IRS form-02**) भरा जाए और **Incident Action Plan (IAP)** में समावेशित हो।
 6. सुनिश्चित करेगा की अनुबन्ध-5 में यथा संलग्न संगठनात्मक समनुदेशन सूची (प्रभागीय/समुहिक) **IRS form - 005** इकाई लीडरों और उसके अनुभाग के अन्य कार्यवाहीकर्ताओं के मध्य परिचालित किया जाए।
 7. **Incident Commander(IC)** और **Operation Section Chief (OSC)** के साथ परामर्श करके **IRS** संगठनात्मक पदों (**Position**) को सक्रिय और निष्क्रिय, जैसा उचित हो, करने की योजना बनाएगा।
 8. घटना प्रबंधन के लिए किसी विशेषज्ञता प्राप्त संसाधन की आवश्यकता निर्धारित करेगा।
 9. सकारात्मक योजना के लिए **IT** समाधानों, निर्णय समर्थन के लिए **GIS** तथा हताहतों के निर्धारण और प्राक्कलन एवं व्यापक कार्यवाही प्रबंधन योजना के लिए मॉडलिंग क्षमताओं का उपयोग करेगा
 10. घटना होने की सम्भवना पर समय-समय पर पूर्वानुमान लगाना।
 11. घटना की प्रास्थिति में होने वाली किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की रिपोर्ट **Incident Commander (IC)** को देगा।
 12. घटना कमान चौकी **Incident Command Post (ICP)** घटना पर प्रास्थिति सार को संकलित करके प्रदर्शित करेगा।
 13. अनुबन्ध-10 के साथ संलग्न घटना आलामबन्धी योजना (**IRS form-10**) की तैयारी और क्रियान्वयन का निरीक्षण करेगा।
 14. समुचित कार्मिकों को कार्य के लिए उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, समनुदेशित करेगा और दिन के लिए अनुबन्ध-7 के साथ यथा संलग्न, ड्यूटी पर अधिकारियों की सूची (**IRS form -007**) तैयार रखेगा।
 15. सुनिश्चित करेगा की इकाइयों के सदस्यों द्वारा निष्पादित विविध कार्यकलापों के रिकॉर्ड (अनुबन्ध-4 के साथ संलग्न **IRS form** फार्म-004) संगृहीत किए जाए और अनुबन्ध-3 के साथ संलग्न इकाई लॉग (**IRS form -03**) में रखे जाए
 16. ऐसे किसी अन्य कर्तव्य का निर्वहन करेगा जो **Incident Commander (IC)** द्वारा समनुदेशित किया जाए।

4.1.1 संसाधन यूनिट लीडर **Resource Unit Leader (RUL)** भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. सभी प्राप्त संसाधनों की आवक (चेक-इन) के निरीक्षण द्वारा और संसाधन का जायजा रखने वाली प्रणाली बनाए रखकर घटना स्थल पर सभी समनुदेशित संसाधनों (प्राथमिक और सहायक) की प्रास्थिति (**Status**) बनाए रखेगा और प्रदर्शित करेगा। प्राथमिक संसाधन कार्यवाहीकर्ताओं के लिए और सहायक संसाधन प्रभावित समुदायों के लिए आशयित होते हैं;
2. सभी उपलब्ध संसाधनों की एक संपूर्ण माल-सूची संकलित करेगा। वह अन्य स्थानों पर अपेक्षित सभी संसाधनों की उपलब्धता के बारे में सूचना प्राप्त करेगा और यदि अपेक्षित हो तो संसाधनों को जुटाने के लिए एक योजना बनाएगा। इस प्रयोजन के लिए **India Disaster Resource Network (IDRN), Corporate Disaster Resource Network (CDRN) and India Disaster Knowledge Network (IDKN)**. सुविधाओं का भी उपयोग किया जाएगा।
3. विभिन्न घटना स्थल पर चेक-इन कार्य (**Function**) सुनिश्चित और स्थापित करेगा।
4. समय-समय पर प्राप्त और प्रेषित संसाधनों की प्रास्थिति के संबंध में **Planning Section Chief (PSC)** और **Incident Commander (IC)** को अद्यतन करेगा।

5. आबंटित संसाधनों की प्रास्थिति की जांच और उपयोग के लिए विभिन्न सक्रिय शाखाओं, प्रभागों और OS के समूहों के साथ समन्वयन रखेगा।
6. नश्यवान (**Perishable**) संसाधनों को शीघ्र और उचित उपयोग सुनिश्चित करेगा;
7. निष्पादित विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड **IRS form-004** (अनुबंध-4 के साथ संलग्न) के अनुसार रखेगा और संबंधित अनुभाग को भेजेगा।
8. ऐसे किसी अन्य कर्तव्य का निर्वहन करेगा जो उसे **Planning Section Chief (PSC)** के द्वारा समनुदेशित किया जाए।

4.1.1.1 चेक-इन/स्टेटस रिकॉर्डर **Check-in/Status** भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. **Resource Unit Leader (RUL)** को रिपोर्ट करेगा;
2. सुनिश्चित करेगा कि किसी भी घटना हेतु समनुदेशित सभी साधनों का प्रत्येक चेक-इन बिन्दु (**Check-in-point**) पर हिसाब रखा जाए।
3. चेक-इन सूचियों, संसाधनों की तैनाती के लिए विभिन्न स्थल दर्शित करने वाले संसाधन प्रास्थिति प्रदर्शन बोर्डों प्राप्ति के समय और संसाधनों की किस्मों के साथ संसाधनों के संग्रहण आदि सहित अपेक्षित कार्य-सामग्री प्राप्त करेगा। संसाधनों की प्रास्थिति 'टी' कार्ड बोर्ड या कम्प्यूटरों पर कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी।
4. **Emergency Operation Center** और **Logistics Section** की स्थल सहायता इकाई **Ground Support unit (GSU)** के साथ संचार सुविधा स्थापित करेगा;
5. चेक-इन स्थलों को सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करेगा ताकि आने वाले संसाधन के लिए चेक-इन स्थलों का आसानी से पता लग सके;
6. अनुबंध-6 के साथ संलग्नक **IRS form - 006** के अनुसार घटना चेक-इन और तैनाती सूची संबंधी सूचना प्रविष्ट या रिकॉर्ड करेगा।
7. घटना चेक-इन और तैनाती सूचना, नियमित और पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर या जब आवश्यक हो, संसाधन इकाई को पारेषित करेगा।
8. पूर्ण चेक-इन सूचियां संसाधन इकाई को अग्रेषित करेगा।
9. निष्पादित विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड **IRS form-004** (अनुबंध- 4 के साथ संलग्न) के अनुसार रखेगा और संबंधित अनुभागों को भेजेगा।
10. ऐसे किसी अन्य कर्तव्य का निर्वहन करेगा, जो **Planning Section Chief (PSC)** द्वारा समनुदेशित किया जाए।

4.1.2 **Situation Unit Leader (LSU)** (स्थिति इकाई लीडर) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. सभी घटनाओं की सूचनाएं, विश्लेषण के लिए यथा संभव शीघ्र एकत्रित, प्रक्रियान्वित और संकलित करेगा, ऐसे प्रयोजनों के लिए वह एकल संसाधन, कार्य बलों के सदस्यों, स्ट्राइक टीम, क्षेत्र स्तरीय (**Field level**) सरकारी अधिकारियों और **PRI, CVO, NGO** आदि के सदस्यों की सहायता ले सकेगा।
2. घटना की प्रगति पर आवधिक भावी पूर्वानुमान (यदि आवश्यक हो तो मानचित्र सहित) तैयार करेगा और **Planning Section Chief (PSC)** तथा **Incident Commander (IC)** को सूचित करता रहेगा।
3. स्थिति और संसाधन प्रास्थिति रिपोर्ट तैयार करेगा और अपेक्षानुसार उन्हें प्रचारित-प्रसारित करेगा।
4. यदि अपेक्षित हो तो प्राधिकृत मानचित्र, फोटोग्राफी, सेवाएं, कार्यवाहीकर्ताओं को उपलब्ध कराएगा।
5. अपेक्षित जानकारी, आकड़ों, दस्तावेजों और भारतीय सर्वक्षण के मानचित्रों आदि के साथ **Incident Action Plan (IAP)** बैठक में शामिल होगा।
6. निष्पादित विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड **IRS form -004** (अनुबंध-4 के साथ संलग्न) के अनुसार रखेगा और **Situation Unit Leader (SUL)** को भेजेगा।
7. ऐसे किसी अन्य कर्तव्य का निर्वहन करेगा जो **Situation Unit Leader (SUL)** या **Planning Section Chief (PSC)** द्वारा समनुदेशित किया जाए ;

4.1.2.1 Display Processor-DP (डिस्प्ले प्रोसेसर-डी.पी.)- भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

Display Processor(DP) क्षेत्र प्रेक्षकों (**Field Observers-FO**) एकल संसाधन, स्ट्राइक टीमों, कार्यबलों और अन्य स्रोतों के माध्यम से प्राप्त घटना प्रारिथिति सूचना को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार है। **Display Processor(DP)** की भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:-

1. क्षेत्र प्रेक्षकों (**Field Observers-FO**) एकल संसाधन स्ट्राइक टीमों कार्य बलों से प्राप्त घटना प्रारिथिति तकनीकी स्रोतों से प्राप्त हवाई फोटोग्राफ और अन्य आंकड़े प्रदर्शित करेगा।
2. **Situation Unit Leader (SUL)** को रिपोर्ट करेगा।
3. डिस्प्ले चार्ट को समय से पूरा किया जाना सुनिश्चित करेगा।
4. आवश्यक उपस्कर एवं लेखन-समाग्री प्राप्त करेगा।
5. क्षेत्र रिपोर्टों के विश्लेषण और मूल्यांकन में सहायता करेगा।
6. निष्पादित विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड **IRS-004** (अनुबंध-4 के साथ संलग्न) के अनुसार रखेगा और **Situation Unit Leader (SUL)** को भेजेगा;
7. ऐसे किसी अन्य कर्तव्य का निर्वहन करेगा जो **Situation Unit Leader (SUL)** या **Planning Section (PS)** द्वारा समनुदेशित किया जाए।

4.1.2.2 क्षेत्र प्रेक्षक (Field Observers-FO) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

Field Observers-FO घटना के व्यक्तिगत प्रेक्षण से स्थिति सूचना एकत्रित करने और यह सूचना **Situation Unit Leader (SUL)** को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। वह स्थानीय व्यक्ति या प्रचालनात्मक इकाइयों/समूहों का कोई सदस्य हो सकता है। **Planning Section Chief (PSC)** ऐसे प्रयोजन के लिए व्यक्तियों को विशेष रूप से पदनामित करेगा। **Field Observers-FO** की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:-

1. ऐसी किसी प्रेक्षित स्थिति पर जिससे कार्यवाहीकर्ताओं और प्रभावित समूदायों को खतारा और सुरक्षा संकट उत्पन्न हो सकता हो, तुरंत **Situation Unit Leader (SUL)** को रिपोर्ट करेगा। इसमें स्थानीय मौसमी स्थितियां भी सम्मिलित हैं;
2. ऐसी आसूचना एकत्र करेगा जो बेहतर योजना और प्रभावी कार्यवाही को सुनकर बनाए ;
3. निष्पादित विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड, **IRS Form-004** (अनुबंध-4 के साथ संलग्न) के अनुसार रखेगा और **Situation Unit Leader (SUL)** को भेजेगा।
4. ऐसे किसी अन्य कर्तव्य का निर्वहन करेगा जो **Situation Unit Leader (SUL)** या **Planning Section Chief (PSC)** द्वारा समनुदेशित किया जाए।

4.1.3 Document Unit Leader -DUL (प्रलेखन इकाई लीडर-डी.यू.एल.)- भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. सुनिश्चित करेगा की सभी अपेक्षित फार्म और लेखन-सामग्री प्राप्त कर ली जाए तथा सभी सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों, समूहों और इकाइयों को जारी कर दी जाए।
2. घटना से संबंधी सभी जानकारी और रिपोर्ट संकलित करेगा।
3. सटीकता और पूर्णतया के लिए रिकॉर्डों और विभिन्न **IRS Forms** का पुनरीक्षण और संवीक्षा करेगा।
4. समुचित इकाइयों को उनके प्रलेखन में गलतियों या चूक यदि कोई हों, के संबंध में सूचित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि गलतियों और चूक का परिशोधन कर दिया गया है।
5. घटनोपरांत विश्लेषण के लिए फाइलों का समुचित रूप से सुरक्षित रखेगा।
6. निष्पादित विविध कार्यकलापों का रिकार्ड **IRS Form - 004** (अनुबंध-4 के साथ संलग्न) के अनुसार रखेगा और संबंधित अनुभाग को भेजेगा।
7. ऐसे किसी अन्य कर्तव्य का निर्वहन करेगा जो **Planning Section Chief (PSC)** द्वारा समनुदेशित किया जाए।

4.1.4 Demobilisation Unit Leader-Demob UL (अलामबन्धी इकाई लीडर-डीमोब. यू.एल.) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

किसी बड़ी घटना के प्रबंधन में अलामबन्धी खासा जटिल क्रियाकलाप हो सकता है और इसमें समुचित तथा पृथक योजना अपेक्षित होती है। जब आपदा कार्यवाही पूर्ण होने के निकट हो, तो कार्यवाही के लिए जुटाए गए संसाधनों को वापस किया जाना होता है। इसे एक सुनियोजित और चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।

अलामबन्धी में उपस्कर और कार्मिक, दोनों का निकट और दूरस्थ दोनों प्रकार के स्थानों की बड़ी संख्या के लिए परिवहन किया जाना अपेक्षित होता है। अलामबन्धी इकाई **Responsible Officer (RO)**, **Incident Commander (IC)** और **Planning Section Chief (PSC)** के साथ परामर्श करके एक अलामबन्धी योजना तैयार करेगी। योजना में, अलामबन्धी किए जाने वाले कार्यवाहीकर्ताओं तारीख, परिवहन की किस्म, स्थान जहां से उन्हें आलामबन्धी किया जाना है, गंतव्य स्थान जहां उन्हें अंततः पहुँचना है, आदि के व्यौरे सम्मिलित होने चाहिए। इसी प्रकार की एक योजना खराब उपस्करों और बीमार कार्मिकों के लिए भी होगी। आलामबन्धी इकाई लीडर (Demobilisation Unit Leader-Demob.UL) की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:—

1. अनुबन्ध-10 में दिए गए **IRS Form-010** के अनुसार घटना अलामबन्धी योजना (**Incident Demobilisation Plan-IDP**) बनाएगा।
2. अधिशेष संसाधनों की पहचान करेगा और **Planning Section Chief (PSC)** के साथ परामर्श करके एक अनंतिम (टेंटेटिव) **Incident Demobilisation Plan-IDP** तैयार करेगा और अधिशेष संसाधनों की अलामबन्धी को प्राथमिकता देगा।
3. सभी अनुभागों के साथ परामर्श करके, अनुभागा शाखाओं, प्रभागों और इकाइयों के लिए घटना चेक-आउट फंक्शन शुरू करेगा और **Planning Section (PS)** को भेजेगा।
4. **Logistic Section (LS)** के साथ परामर्श करके घटना आलामबन्धी के लिए संभार-तंत्र और परिवहन के लिए सहायता हेतु योजना बनाएगा।
5. समुचित समय पर शामिल विभिन्न हितधारकों को **Incident Demobilisation Plan-IDP** का प्रसार-प्रचार करेगा;
6. सुनिश्चित करेगा की सभी अनुभागों, इकाइयों, टीमों और संसाधनों को अपनी-अपनी विशिष्ट घटना अलामबन्धी जिम्मेदारियों की समझ है; और उन्हें आलामबन्धी सुविधाएं प्राप्त हा।
7. **Incident Demobilisation Plan-IDP** के समुचित पर्यवेक्षण और निष्पादन की व्यवस्था करेगा;
8. आलामबन्धी की प्रगति के संबंध में **Planning Section Chief (PSC)** को अवगत कराएगा;
9. यदि अपेक्षित हो, तो अतिरिक्त मानव संसाधनों के लिए **Planning Section Chief (PSC)** से अनुरोध करेगा;
10. निष्पादित विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड **IRS Form-004** (अनुबन्ध-4 के साथ संलग्न) के अनुसार रखेगा और संबंधित अनुभागों को भेजेगा।
11. किसी ऐसे अन्य कर्तव्य का निर्वहन करेगा जो **Planning Section Chief (PSC)** द्वारा समनुदेशित किया जाए।

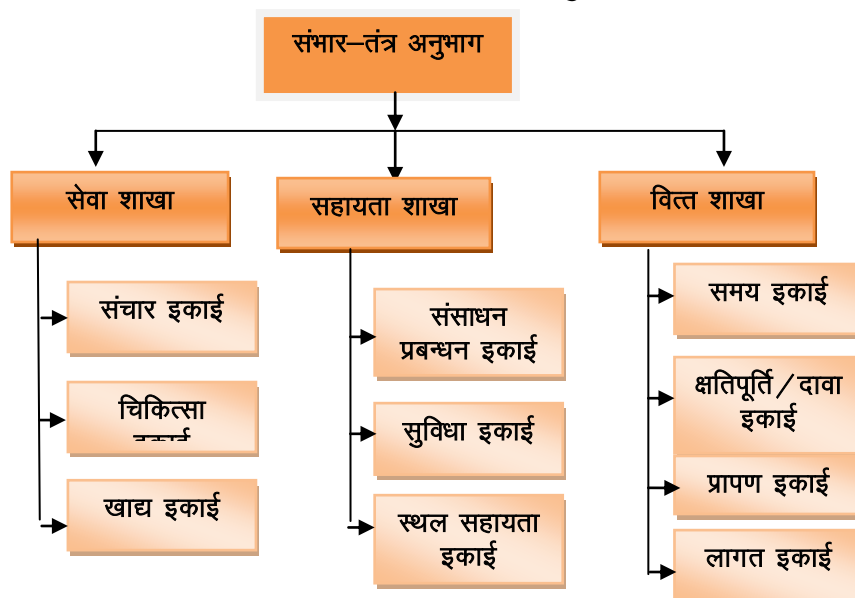
4.1.5 Technical Specialists-TS (तकनीकी विशेषज्ञ -टी.एस.) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

यदि अपेक्षित हो तो **Responsible Officer RO**, **Incident Commander (IC)** के परामर्श से पी. एस.सी विशिष्ट कार्यवाही के लिए तकनीकी संसाधन और संसाधन जुटाएगा। तकनीकी योजना या विशिष्ट तकनीकी अनुभाग के प्रमुख के अधीन कार्य करेंगे।

Technical Specialists-TS कार्यवाही प्रबंधन को तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। जिला, राज्य महानगर और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर **Technical Specialists-TS** का एक आंकड़ा आधार (डेटा बेस) अग्रिम में तैनात किया जाएगा और उनको आपदा प्रबंधन योजना में समावेशित किया जाएगा।

Logistic & Finance Section (L&FS) भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व

- 5.0 संभार तंत्र **Logistic Section (LS)** और वित्त अनुभाग **Finance Section (FS)** कारगर कार्यवाही प्रबन्धन के लिये सभी संभार-तंत्र (**Logistic Section**) सहायता प्रदान करता है। जैसा की **रेखाचित्र-7** में दिखाया गया है, संभार-तंत्र (**LS**) और वित्त अनुभाग (**FS**) की विभिन्न शाखाओं के अधीन इकाईयों न केवल विभिन्न “किस्म” और “प्रकार” के संसाधनों की आपूर्ति के लिए बल्कि **Incident Base Camp, ICP & Relief Camp** आदि विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी उत्तदायी है। इसमें सरकार के विभिन्न तरह के विभागों और अन्य अभिकरणों का शामिल होना अपरिहार्य होगा। इसमें प्रशासन के सर्वोच्च स्तर पर उचित और सुचारु समन्वयन की अपेक्षा होगी।
- 5.0.1 संभार-तंत्र **Logistic Section (LS)** और वित्त अनुभाग **RO, Emergency Operation Centre (EOC) & Incident Commander (IC)** के साथ सहयोग से कार्य करेगा। राज्य और जिला आपदा प्रबन्धन योजनाओं में विस्तृत ब्यौरे जैसे कहां से अपेक्षित संसाधनों को प्राप्त किया जा सकता है और जनशक्ति को जुटाया जा सकता है, आदि, होंगे। **India Disaster Knowledge Network, (IDKN), India Disaster Resource Network (IDRN) & Corporate Disaster Resource Network (CDRN)** भी उपस्कर और जनशक्ति को जुटाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं।



रेखाचित्र-7

5.1 **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)-भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व**

अनुभाग का प्रमुख **Logistic & Finance Section Chief- L&FSC** के रूप में जाना जाता है। **L&FS** की विभिन्न शाखाओं की सक्रियता विशेष संदर्भ से है और घटना की प्रमुखता और अपेक्षाओं के आधार पर निर्भर होगी। वित्त शाखा, विशेषकर शीघ्र प्रापण को सुकर बनाने के लिए और निम्नलिखित वित्तीय प्रक्रियाओं और नियमों के उचित देखभाल के लिए **Logistic & Finance Section- L&FS** का एक महत्वपूर्ण संघटक है,। **Logistic & Finance Section Chief -L&FSC** की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:-

- i. सक्रिय अनुभाग प्रमुखों के साथ समन्वय;
- ii. सभी घटना के प्रति प्रयास जिसके अंतर्गत स्थापना कार्य भी है, के लिए संभार-तंत्र सहायता, **Staging Area (SA), Incident Base Camp, Relief Camp, Helipad** उपलब्ध कराना आदि;
- iii. **Incident Action Plan (IAP)** के विकास और क्रियान्वयन में भागीदारी करना;
- iv. सम्बद्ध वित्तीय मुद्दों पर **RO & IC** को सुचना देना;
- vi. यह सुनिश्चित करना कि अनुबंध-5 के संलग्नानुसार संगठन समनुदेशन सूची को (प्रभागीय/समूह) **IRS Form-005** शाखा निदेशकों और अपने अनुभाग के अन्य कार्यवाहीकर्ताओं को परिचालित किया जाए;

- vii. पेशगी निधि (**Imprest Fund**), यदि अपेक्षित है, के अनुमोदन का अनुरोध।
- viii. इस अनुभाग के कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ix. अनुभाग के कार्मिकों को कार्य क्षेत्र और प्रारंभिक कार्य समनुदेशित करना।
- x. यह सुनिश्चित करना कि व्यापक संसाधन प्रबंध प्रणाली की सहायता से **Incident Action Plan (IAP)** की संभार-तंत्र **Logistic Section-LS** अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए योजना तैयार कर ली गई है।
- xi. शाखा निदेशकों और इकाई लीडरों को जानकारी देना।
- xii. राहत कार्य प्रणाली प्रचालनों के लिए सभी संभार-तंत्र **Logistic Section-LS** अपेक्षाओं का पूर्वानुमान लगाना और तदनुसार तैयार करना।
- xiii. स्थिति की परिवर्तनीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए **Communication Plan(CP), Medical Plan(MP) & Traffic Plan(TP)** का लगातार पुनरीक्षण करना।
- xiv. अतिरिक्त संसाधनों की अपेक्षा का निर्धारण करना और **RO & IC** के अनुमोदन के साथ परामर्श करके उनके प्रापण के लिए कदम उठाना।
- xv. **RO & IC** के अनुमोदन के अनुसार **Incident Demobilisation Plan (IDP)** के लिए संभार-तंत्र (**Logistic Section**) सहायता उपलब्ध कराना।
- xvi. **Incident Demobilisation Plan (IDP)** के अनुरूप संसाधनों का दिया जाना सुनिश्चित करना।
- xvii. यह सुनिश्चित करना कि अपेक्षित संसाधनों के किराये पर लिए जाने की प्रक्रिया का उचित प्रलेखन किया गया है और **Finance Branch (FB)** द्वारा भुगतान किया गया है।
- xviii. किए जाने वाले कार्यों के लिए कार्मिकों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए समुचित कार्मिक को कार्य सौपना और अनुबंध -7 में संलग्नानुसार दिन के लिए ड्यूटी अधिकारी सूची **IRS Form - 007** तैयार रखना।
- xix. यह सुनिश्चित करना कि समस्त कार्यवाही सम्बन्धी कार्यकलापों का लागत सम्बन्धी विश्लेषण तैयार कर लिया गया है;
- xx. यह सुनिश्चित करना कि शाखाओं और इकाइयों के सदस्यों द्वारा (अनुबंध-4 में संलग्न **IRS Form- 004**) किए गए विविध कार्यकलापों के रिकॉर्ड रखे गए हैं और अनुबंध-3 के संलग्नानुसार इकाई लॉग **IRS Form - 003** में अनुरक्षित किए गए हैं।
- xxi. **RO** अथवा **IC** द्वारा समनुदेशित कोई अन्य कर्तव्य करना।

5.2 Service Branch Director (SBD) — भूमिकाएं एवं उत्तदायित्व

- i. **Logistic & Finance Section Chief-L&FSC** के पर्यवेक्षक के अधीन कार्य करना और घटना प्रबंध के लिए सभी अपेक्षित सेवा सहायता का प्रबंध करना।
- ii. **Communication Unit (CU), Medical Unit, Food Unit** जैसी शाखा की विभिन्न इकाइयों और किसी अन्य सक्रिय इकाई का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करना।
- iii. अपेक्षित सामग्रियों और संसाधनों के लिए सक्रिय इकाई लीडरों से चर्चा करना और **Logistic & Finance Section Chief-L&FSC** के माध्यम से इसे अधिप्राप्त करना।
- iv. **Incident Action Plan (IAP)** के अनुसार, कार्मिक, टीम, संसाधन, आदि का उचित रूप से भेजा जाना सुनिश्चित करना।
- v. समनुदेशन सूची, यदि अपेक्षित हो, तैयार करना।
- vi. समय-समय पर, **Logistic & Finance Section Chief- L&FSC** को सेवा शाखा की प्रगति के बारे में सूचित करते रहना।
- vii. सेवा शाखा की समस्या, यदि कोई हो, को सुलझाना।
- viii. **IRS Form-004** (अनुबंध-4 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और संबद्ध अनुभागों को भेजना।
- ix. **IC** और **Logistic & Finance Section Chief- L&FSC** द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.2.1 Communication Unit Leader (Com. UL) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. **Service Branch Director (SBD)** के निदेशानुसार कार्य करना।
- ii. **Communication Facility**, जब कभी अपेक्षित हो, उपलब्ध कराना।
- iii. यह सुनिश्चित करना कि उपलब्ध सभी संचार उपकरण चालू स्थिति में हैं और नेटवर्क कार्य कर रहा है।
- iv. **Communication Unit** क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना।
- v. फील्ड में लगाए गए सभी संचार उपकरण का रिकॉर्ड रखना।
- vi. घटना का कार्य समाप्त होने के पश्चात संचार इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरण को वापस लेना। यह सुनिश्चित करना कि इसे उचित रूप से **Incident Demobilisation Plan (IDP)** से जोड़ा गया है।
- vii. विभिन्न सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, यूनिटों और उच्च प्राधिकरणों से रेडियो, टेलीफोन और अन्य संदेशों को प्राप्त करने और पारेषित करने के लिए संदेश केन्द्र की स्थापना को सुनिश्चित करना और उनके रिकॉर्ड को रखना।
- viii. सामान्य संचार नेटवर्क की संभावित खराबी की स्थिति में निष्पादन के लिए वैकल्पिक संचार योजना तैयार करना। वैकल्पिक संचार नेटवर्क में वायरलेस, सैटेलाइट फोन, सेल फोन, **HAM** रेडियो आदि होंगे।
- ix. भारी आपदा के प्रबंधन के लिए गठित स्थानीय संचार सेटअप के साथ केंद्रीय टीमों (**NDRF**, सशस्त्र बल) के संचार सेटअपों के समेकन के लिए योजना तैयार करना जब वे कार्रवाई संबंधी कार्यकलापों में सहायता के लिए आती हैं।
- x. पर्याप्त कर्मचारी (**Staff**) सहायता की मांग करना और उसे सुनिश्चित करना;
- xi. यह सुनिश्चित करना कि संचार योजना **Incident Action Plan (IAP)** की सहायता कर रही है;
- xii. **IDP** के अनुसार संचार केन्द्र की अलामबंदी करना।
- xiii. **IRS Form-004** (अनुबंध-3 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों के रिकॉर्ड को रखना; और उन्हें **Service Branch Director (SBD)** को भेजना।
- xiv. **Service Branch Director (SBD)** या **Logistic & Finance Section Chief -L&FSC** द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.2.2 चिकित्सा इकाई लीडर (Medical Unit Leader-MUL) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. **Service Branch Director (SBD)** के निर्देशों के अधीन कार्य करना।
- ii. चिकित्सा योजना तैयार करना और **Incident Action Plan (IAP)** के अनुसार अपेक्षित संसाधन प्राप्त करना, पीड़ितों को चिकित्सा सहायता और उनके परिवहन के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराना और इसका रिकॉर्ड रखना, और **Incident Response System(IRS) Form - 008** (अनुबंध-8) में दिया गया है, एम्बुलेंस सेवाओं, चिकित्सा कार्मिकों और पीड़ितों के परिवहन के लिए **Planning Section (PS)** से क्षेत्र का सड़क-मार्ग का मानचित्र प्राप्त करना।
- iii. **Service Branch Director (SBD)** और **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** की सूचना के अंतर्गत चिकित्सा सहायता, परिवहन और चिकित्सा आपूर्ति आदि के लिए **Operation Section (OS)** के अनुरोध पर कार्रवाई करना।
- iv. ऐसे चिकित्सा कार्मिकों की सूची तैयार रखना जिन्हें आवश्यकता के समय काम पर लगाया जा सक।
- v. घटना उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जब, कभी अपेक्षित हो, अधिक मानव संसाधनों की मांग करना।
- vi. निर्देशित (**Referral**) सेवा केंद्रों की सूची तैयार करना और सभी चिकित्सा टीम लीडरों को परिचालित करना;
- vii. **IRS फॉर्म-004** (अनुबंध-4 के साथ संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और **Service Branch Director(SBD)** को भेजना।

- viii. **Service Branch Director (SBD)** और **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.2.3 Food Unit Leader (FLU) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. **Service Branch Director (SBD)** के निर्देशों के अधीन काम करना।
- ii. **Service Branch Director (SBD)** के निर्देशों के अनुसार विभिन्न सक्रिय अनुभागों शाखाओं, इकाइयों और Incident Response Team (IRT) के समूहों को संसाधनों की आपूर्ति करना।
- iii. **क. Incident Command Post (ICP), Camp, Incident Base, Staging Area(SA)** आदि के **Incident Response Team (IRT)** कार्मिकों और **ख. अस्थायी शरण-स्थल, राहत कैम्प** आदि के पीड़ितों को खाद्य आपूर्ति करना।
- iv. सहायकों के लिए अनुरोध करना यदि कार्य काफी बड़ा हो जाता है। **Food Unit Leader (FUL), Service Branch Director L&FSC** से इकाई को दो समूहों में— एक कार्मिकों को और दूसरा पीड़ितों को खाद्य आपूर्ति के लिए अलग-अलग समूह बनाने का अनुरोध कर सकता है। **Incident Base, Relief Camp, Food & other Facility centres** को आपूर्ति करने के लिए परिवहन की मांग करना।
- v. खाद्य और पेयजल की जरूरतें और उनके परिवहन का निर्धारण करना और **Service Branch Director (SBD) & Service Branch Director (L&FSC)** को जानकारी देना।
- vi. संसाधनों की प्राप्ति और प्रेषण की सूची तैयार रखना।
- vii. इकाई क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना।
- viii. **IRS Form-004** (अनुबंध-3 के साथ संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और **Service Branch Director SBD** को भेजना।
- ix. **Service Branch Director (SBD)** और **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.3 Support Branch Director (Sup. BD) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना और संसाधन व्यवस्था इकाई, सुविधा इकाई और स्थल सहायता इकाई के कार्य का पर्यवेक्षण करना।
- ii. अनुभाग प्रमुख की सहमति से प्रचालनों के लिए अपेक्षित सामरिक सामग्री और संसाधन प्राप्त करना और प्रेषित करना।
- iii. **Logistic & Finance Section Chief (L&FS)** की योजना बैठक में भाग लेना।
- iv. यह सुनिश्चित करना कि शाखा से संबंधित संगठन समनुदेशन सूची उसके अधीन सभी इकाइयों को परिचालित की गई ह।
- v. सहायता शाखा के विभिन्न क्रियाकलापों का समन्वय करना।
- vi. कार्य की प्रगति के बारे में **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** को सूचित करते रहना।
- vii. अपनी इकाई की समस्या, यदि कोई है, का समाधान करना;
- viii. **IRS Form- 004** (अनुबंध-4 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और संबद्ध अनुभागों को भेजना।
- ix. **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.3.1 संसाधन प्रबन्धन इकाई लीडर (Resource Provisioning Unit Leader RPUL)– भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. सहायता शाखा निदेशक (**Sub. Branch Director**) के पर्यवेक्षक के अधीन कार्य करना।
- ii. कार्मिक, उपस्कर और आपूर्ति की आवाजाही को आयोजित करना।
- iii. घटना कार्रवाई के लिए अपेक्षित आपूर्तियों को प्राप्त करना और सुरक्षित रूप से भंडारित करना।
- iv. आपूर्तियों और उपकरण की माल-सूची तैयार करना।
- v. उपकरण और कार्मिक सहित आपूर्तियों की प्राप्ति और प्रेषण का रिकॉर्ड रखना।

- vi. टिकाउ (*Non-expendable*) वस्तुओं की आपूर्तियों और उपस्कर की मरम्मत और सफाई—धुलाई करना।
- vii. **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** की योजना बैठक में भाग लेना।
- viii. उपलब्ध और प्रेषित वस्तुओं की आपूर्तियों की किस्म प्रकार और मात्रा को मॉनीटर करना।
- ix. सक्रिय अनुभाग, शाखा, प्रभाग, इकाई और सहायता शाखा निदेशक की सूचना के अधीन **Incident Response System (IRS)** संगठन के समूहों से कार्मिक, आपूर्तियों और उपस्कर का अनुरोध प्राप्त करना और उन्हें भेजना।
- x. यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त मानव संसाधन सहायता की मांग करना। ऐसे सहायकों को संसाधन आदेश, संसाधन प्रापण आपूर्ति प्राप्त करना तथा औजार और उपस्कर अनुरक्षण जैसे विभिन्न कार्यात्मक क्रियाकलापों के लिए तैनात किया जा सकता है;
- xi. **Incident Response System (IRS) Form-004** (अनुबंध-4 के साथ संलग्न) के अनुसार किए गये विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और सहायता शाखा निदेशक को भेजना।
- xii. **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** या सहायता शाखा निदेशक द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

क. संसाधन आदेश प्रभारी (**Resource ordering-in-charge**) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. **Resource Provisioning Unit Leader** को रिपोर्ट करना।
- ii. प्रापण और अनुमोदन हेतु संसाधनों की एक सूची तैयार करना।
- iii. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध तरीके से संसाधन आदेश देना।
- iv. **IRS** फॉर्म-004 (अनुबंध-4 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और **Resource Provisioning Unit Leader** को भेजना और
- v. **Resource Provisioning Unit Leader (RPUL)** द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

ख. संसाधन प्राप्ति और संवितरण प्रभारी (**Resource Receiving & Distribution-in charge**) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. **Resource Provisioning Unit Leader (RPUL)** को रिपोर्ट करना;
- ii. ऐसे सभी संसाधनों और सेवाओं जिनके आदेश दिए गए हैं, को प्राप्त करना और संवितरित करना।
- iii. आपूर्तियों और उपकरण की सुपुर्दगी के लिए समय और स्थान की पहचान करना और सुनिश्चित करना।
- iv. सरकार के संबद्ध विभागों और अन्य स्रोतों से प्राप्त संसाधनों की पृथक सूची तैयार करना।
- v. आपूर्ति क्षेत्र का भौतिक खाका (फिजिकल लेआउट) तैयार करना।
- vi. आपूर्तियों और उपस्कर को प्राप्त करने और वितरित करने के लिए फाइल प्रणाली (फाइलिंग सिस्टम) विकसित करना और **Resource Provisioning Unit Leader** को सूचित करते रहना।
- vii. सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को सुनिश्चित करना।
- viii. आपूर्तियों की स्थिति और प्राप्त उपस्कर के बारे में संसाधन आदेश प्रभारी को सूचित करते रहना।
- ix. **IRS Form-004** (अनुबंध-3 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और **Resource Provisioning Unit Leader** को भेजना।
- x. **Resource Provisioning Unit Leader (RPUL)** द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

ग. यन्त्र और उपकरण विशेषज्ञ— भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. **Resource Provisioning Unit Leader (RPUL)** को रिपोर्ट प्रदान करना।
- ii. सेवा का प्रयोजन करना और सभी यन्त्र और उपकरण की मरम्मत करना और **Resource Provisioning Unit Leader (RPUL)** को उनकी प्रास्थिति के बारे में सूचित करते रहना।

- iii. **IRS Form - 004** (अनुबंध-4 में संलग्नक) के अनुसार किये गये कार्य विविध कार्य कलापों का रिकॉर्ड रखना और Resource Provisioning Unit Leader को भेजना ।
- iv. **Resource Provisioning Unit Leader(RPUL)** द्वारा यथा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना ।

5.3.2 Facilities Unit Leader (fac. UL) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i & ii घटना संबंधी सुविधाओं अर्थात् **Incident Base Camp, Relief Camp, IPC** आदि का खाका तैयार करना और उन्हें प्रारम्भ करना तथा कार्यवाहीकर्ताओं को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना ।
- iii. सहायता शाखा निदेशक (**Sub. Branch Director**) को रिपोर्ट करना ।
- iv. **Incident Action Plan (IAP)** के अनुसार विभिन्न सुविधाओं का पता लगाना ।
- v. अनुभाग की योजना बैठक में भाग लेना **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** के समन्वय से प्रत्येक सुविधाओं और उसकी जरूरतों की सूची तैयार करना ।
- vi. **Incident Base & Camp** आदि में सुविधाओं को मॉनीटर करने और प्रबन्ध करने के लिए अतिरिक्त कार्मिक सहायता, यदि अपेक्षित हो, मांग करना;
- vii. **IRS Form -004** (अनुबंध-4 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और सहायता शाखा निदेशक को भेजना ।
- viii. सहायता शाखा निदेशक (**Sub. Branch Director**) द्वारा यथा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना ।

क. सुविधा इकाई लीडर (Facility Unit Leader) के अधीन अन्य प्रभारी-भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

अपेक्षित वयवस्था के पैमाने और परिमाण के आधार पर सुविधा इकाई लीडर को विभिन्न सुविधाओं और उनकी सुरक्षा के अनुरक्षण के लिए अधीन अन्य प्रभारी को तैनात करने की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न अन्य प्रभारी और उनकी भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं:-

ख. सुविधा अनुरक्षण प्रभारी (Facility Maintenance-in-charge) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. यह सुनिश्चित करना है कि सोने और आरम्भ करने की उचित सुविधाएं मुहैया कराई हैं;
- ii. शौचालय, स्नान-गृह और स्वच्छता की व्यवस्था करके उन्हें उपलब्ध कराना ।
- iii. प्रकाश व्यवस्था (**lighting arrangement**) बनाए रखना;
- iv. **Incident Base Camp, Relief Camp, Incident Command Post(ICP)** आदि में सामान्य सफाई बनाए रखना;
- v. **IRS Form-004** (अनुबंध-4 में संलग्न) के अनुसार किए जाने वाले विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और सुविधा इकाई लीडर को भेजना ।
- vi. सुविधा इकाई लीडर **Food Unit Leader (FUL)** के निर्देशानुसार किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना;

ग. सुरक्षा प्रभारी (Security-in-charge) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. अपेक्षित स्थानों और राहत कैम्पों में कार्यवाहीकर्ताओं राहत सामग्री सहित उपलब्ध कराए गए संसाधनों की सुरक्षा उपलब्धता कराना;
- ii. यथापेक्षित स्थानीय विधि प्रवर्तन (**Low enforcement**) अभिकरणों से संपर्क स्थापित करना ।
- iii. कार्य समनुदेशन को पूरा करने के लिए यदि अपेक्षा हो कार्मिक सहायता की मांग करना ।
- iv. घटना सुविधाओं के लिए सुरक्षा योजना समन्वय करना;

- v. **IRS Form** - 004 (अनुबंध-4 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और सुविधा इकाई लीडर को भेजना;
- vi. सुविधा इकाई लीडर द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.3.3 Ground Support Unit Leader (GSUL) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. सहायता शाखा निदेशक (**Sub. Branch Director**) के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना।
- ii. **Transportation Branch Director (TBD)** को फील्ड प्रचालनों के लिए परिवहन सेवाएं उपलब्ध करना।
- iii. हवाई प्रचालनों के सक्रिय होने की स्थिति में, **Transportation Branch Director (TBD)** के माध्यम से अपेक्षित स्थल सहायता करना और उपलब्ध कराना।
- iv. उचित प्रक्रियाओं के अनुसार घटना प्रबंधन के लिए प्रयुक्त सभी वाहनों और संबंधित उपकरण के लिए अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं उपलब्ध कराना और सहायता शाखा निदेशक और **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** के माध्यम से संबंधित सहवर्ती विभागों (**Line departments**) को सूचित करते रहना।
- v. घटना यातायात योजना तैयार करना और लागू करना।
- vi. सभी वाहनों और उपकरण की उपलब्धता और सर्विसिंग के बारे में संसाधन इकाई को सूचित करना;
- vii. सहायता शाखा निदेशक के परामर्श के वायुयान सहित सभी परिवहन के लिए ईंधन आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना और उन्हें चालू करना।
- viii. समनुदेशित, उपलब्ध और अनुरक्षित (ऑफ रोड) या खराब संसाधनों की सूची बनाए रखना;
- ix. अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना;
- x. **IRS Form** -004 (अनुबंध-4 में संलग्न के) अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और सहायता शाखा निदेशक को भेजना।
- xi. सहायता शाखा निदेशक द्वारा यथा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.4 Finance Branch Director (FBD) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

वित्त निदेशक कारवाई प्रबंधन के सभी वित्तीय पहलुओं का प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी है। वित्त शाखा को शीघ्र और प्रभावी प्रापण के लिए **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** के अधीन रखा गया है। सभी वित्तीय संव्यवहारों में सम्यक् सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है। और उचित प्रक्रिया अपनाए जाने की आवश्यकता है। इस शाखा के कार्यकरण के लिए वित्तीय नियमों के जानकार और अनुभवी कार्मिक का चयन करने में विशेष सावधानियां बरती जाएंगी। वित्त शाखा निदेशक **Finance Branch Director (FBD)** की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:-

- i. **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** के अधीन कार्य करना।
- ii. योजना बैठकों में भाग लेना।
- iii. **Incident Action Plan (IAP)** के अनुसार जुटाए गए, प्राप्त किए गए या किराए पर लिए गए संसाधनों की सूची तैयार करना। वित्तीय नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त करना और अविलंब उनके प्रापण के लिए कदम उठाना;
- iv. यह सुनिश्चित करना कि भुगतान के लिए किराए पर लिए गए उपकरण, कार्मिक और उनकी सेवाओं के समय संबंधी रिकॉर्ड (टाइम रिकॉर्ड) सरकारी मानकों के अनुसार ठीक-ठीक बनाए रखे गए हैं;
- v. सम्पूर्ण कार्यवाही क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत आलमबंदी और लगने वाली लागत का विश्लेषण है, अंतरग्रस्त लागत की जांच करना और संवीक्षा करना;

- vi. यह सुनिश्चित करना कि घटना के समय वहाँ एकत्रित सभी अनिवार्य दस्तावेजों को उचित रूप से तैयार और पूरा किया गया है तथा इन्हें समुचित अनुभाग प्रमुख और **Branch Director (BD)** द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित किया गया है;
- vii. ध्यान दिलाए गए हेतु आवश्यक संबद्ध वित्तीय मुद्दों से संबंधित सभी घटना के बारे में या अनुवर्ती करवाही के बारे में **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** या **Incident Commander (IC)** को ब्रीफ करना;
- viii. **IRS Form—004** (अनुबंध—4 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों के रिकार्ड रखना और संबद्ध अनुभागों को भेजना।
- ix. **Logistic & Finance Section Chief L&FSC** और **Incident Commander (IC)** द्वारा यथासमनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.4.1 समय प्रबन्धन इकाई लीडर (Time Unit Leader -TUL) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. किराए पर लिए गए उपकरण और कार्मिक के समय का रिकॉर्ड रखना और सुनिश्चित करना कि इसे दैनिक आधार पर और सरकारी मानकों के अनुसार अनुरक्षित किया जाए।
- ii. किराए पर लिए गए सभी उपकरण और कार्मिक का उनके इष्टतम उपयोग से संबंधित लॉगबुक की जाँच करना।
- iii. यह सुनिश्चित करना कि किराए पर लिए गए संसाधनों की आलमबंदी के पूर्व के सभी रिकार्ड सही और पूरे हैं।
- iv. बकाया मुद्दों और अपेक्षित किसी अनुवर्ती कारवाई पर सिफारिशों के साथ वर्तमान समस्याओं से **Finance Branch Director (FBD)** को परिचित कराना।
- v. सहायता के लिए मानव संसाधन यदि अपेक्षित हो, की अतिरिक्त सहायता की मांग करना।
- vi. **IRS Form—004** (अनुबंध—4 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और **Finance Branch Director (FBD)** को भेजना।
- vii. **Finance Branch Director (FBD)** द्वारा यथासमनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.4.2 Procurement Unit Leader (PUL) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- i. विक्रेताओं और संविदाओं (ठेकों) से संबंधित सभी वित्तीय मामलों का काम देखना।
- ii. **Finance Branch Director (FBD)** के परामर्श से प्रापण आवश्यकताओं की समीक्षा करना।
- iii. ऐसे विक्रेताओं (**Vendors**) की सूची तैयार करना जिनसे प्रापण किया जा सकता है और उचित प्रक्रियाएं अपनाना;
- iv. यह सुनिश्चित करना कि सभी प्रापण आदेशों की समय से डिलीवरी हो जाए।
- v. यथापेक्षित पेशगी निधि (**Imprest Fund**) के उपयोग के लिए एफ.बी.डी. के साथ समन्वय करना।
- vi. कारवाई प्रबंधन से संबंधित सभी बिलों की अंतिम निपटान प्रक्रिया को पूरा करना और **Finance Branch Director (FBD)**, **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** और **Incident Commander (IC)** के अनुमोदन से भुगतान के लिए दस्तावेज भेजना।
- vii. बकाया मुद्दों और अनुवर्ती अपेक्षाओं पर सिफारिशों के साथ वर्तमान समस्याओं से **Finance Branch Director (FBD)** को परिचित कराना;
- viii. **IRS Form—004** (अनुबंध —4 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और **Finance Branch Director (FBD)** को भेजना।
- ix. **Finance Branch Director (FBD)** द्वारा यथा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.4.3 Compensation /Claims Unit Leader (Com./CUL)

आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 65 और 66 प्रतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान करती हैं। आपदा कारवाई और बचाव अभियान, आदि के प्रयोजन के लिए अधिगृहीत परिसर, किराये पर ली गई सेवा, संसाधनों और वाहनों के लिए भी भुगतान किया जाना होता है। सरकार को नुकसान के स्वरूप और परिणाम के आधार पर अनुग्रह राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।

बाढ़ सूखा आदि जैसे विभिन्न परिदृश्यों में हानि की मात्रा निर्धारित करने के लिए कुछ मापदण्ड (**Benchmarks**) हैं। जहाँ कुछ राज्यों के पास ऐसे प्रयोजनों के लिए अपने निजी मानक हो सकते हैं। वहीं भारत सरकार ने भी **Calamity Relief Fund (CRF)** मानक निर्धारित किए हैं, जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि घटना ऐसी है कि प्रतिपूर्ति और दावे से संबंधित भुगतान करने की अपेक्षा हो सकती है। वहाँ **Responsible Officer (RO)** के परामर्श से **Incident Commander (IC)** प्रतिपूर्ति/दावा इकाई को सक्रिय करेगा और **Calamity Relief Fund (CRF)** मापदण्ड के सुसंगत सरकारी मानकों और निर्देशों के प्रावधान के अनुसार जीवन और संपत्ति आदि की हानि के आंकड़े एकत्रित करने और संकलित करने के लिए एक लीडर नियुक्त करेगा। ऐसे मामलों में लीडर को, ऐसी क्षति जो हुई है के फोटोग्राफ लेने की सलाह दी जानी चाहिए और मृत पीड़ितों और पशुओं के फोटोग्राफ भी लिए जाने चाहिए। वह अधिगृहीत परिसरों, सेवाओं और किराए पर लिए गए संसाधनों के भी व्यौरे आगे आवश्यक आदेश और भुगतान के लिए आई.सी. के माध्यम से **Responsible Officer (RO)** को भेजे जाने चाहिए। प्रतिपूर्ति/दावा इकाई लीडर की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:-

- i. सभी लागत संबंधित आंकड़ा संगृहीत करना और लागत अनुमान उपलब्ध कराना।
- ii. ऐसे अधिग्रहण की सही तारीख और समय के साथ अधिगृहीत परिसर, सेवा, संसाधन और वाहन, आदि की सूची तैयार करना और उसका अनुरक्षण करना।
- iii. दावे तैयार करने और प्रतिपूर्ति के लिए समुचित प्रक्रियाओं का पालन करना;
- iv. अतिरिक्त मानव संसाधन, यदि अपेक्षित हो, की मांग करना।
- v. **IRS Form -004** (अनुबंध-3 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और **Finance Branch Director (FBD)** को भेजना और;
- vi. **Finance Branch Director (FBD)** द्वारा यथा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना;

5.4.4 Cost Unit Leader (CUL) भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

Cost Unit Leader-CUL (लागत इकाई लीडर) सभी लागत संबंधी आंकड़े एकत्रित करने और लागत अनुमान उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। कार्यवाही की समाप्ति पर लागत इकाई लीडर लागत-किफायत (**Cost effectiveness**) विश्लेषण उपलब्ध कराता है। **Cost Unit Leader-CUL** (लागत इकाई लीडर) की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं :-

- i. लागत विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर **Finance Branch Director (FBD)** के परामर्श से घटना पर कारवाई संबंधी लागत का सार बनाना;
- ii. **Finance Branch Director (FBD)** को लागत-बचत सिफारिशें करना;
- iii. आलमबंदी के पूर्व वित्तीय मामलों से संबंधित सभी रिकॉर्ड पूरे करना;
- iv. **IRS Form-004** (अनुबंध-3में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलाप का रिकॉर्ड रखना और **Finance Branch Director (FBD)** को भेजना;
- . **Finance Branch Director (FBD)** द्वारा यथा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

जनपद में वॉयरलेस सम्पर्क तन्त्र

क्र०सं०	पद	क्र०सं०	पद
1	जिलाधिकारी	15	पुलिस उपाधिकक्षक (यातायात)
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	16	उपजिलाधिकारी, हरिद्वार
3	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)	17	उपजिलाधिकारी, रुड़की
4	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)	18	उपजिलाधिकारी, लक्सर
5	सिटी मजिस्ट्रेट	19	उपजिलाधिकारी, भगवानपुर
6	पुलिस अधीक्षक (नगर)	20	अतिरिक्त उपजिलाधिकारी रुड़की
7	पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)	21	तहसीलदार हरिद्वार
8	पुलिस उपाधिकक्षक (सिटी)	22	तहसीलदार रुड़की
9	पुलिस उपाधिकक्षक (ग्रामीण)	23	तहसीलदार लक्सर
10	पुलिस उपाधिकक्षक (सदर)	24	तहसीलदार भगवानपुर
11	पुलिस उपाधिकक्षक (कनखल)	25	सिटी कन्ट्रोल रूम हरिद्वार
12	पुलिस उपाधिकक्षक (रुड़की)	26	जनपद कन्ट्रोल रूम
13	पुलिस उपाधिकक्षक (मंगलौर)	27	पुलिस लाइन
14	पुलिस उपाधिकक्षक (लक्सर)	28	रुड़की कन्ट्रोल रूम

क्र०सं०	थाने का नाम	क्र०सं०	चौकी का नाम
1	कोतवाली हरिद्वार	1	हर की पैडी
2	कोतवाली ज्वालापुर	2	चौकी रेल
3	कोतवाली कनखल	3	भूपतवाला
4	कोतवाली रानीपुर	4	चण्डीघाट
5	कोतवाली रुड़की	5	इमली खेड़ा
6	कोतवाली मंगलौर	6	मण्डावर
7	कोतवाली लक्सर	7	नारसन
8	कोतवाली गंगनहर	8	गोवर्धनपुर
9	थाना भगवानपुर	9	लण्ढौरा
10	झबरेड़ा	10	इकबालपुर
11	पथरी	11	लखनोता
12	श्यामपुर	12	रायसी
13	खानपुर	13	भीक्कमपुर
14	जी०आर०पी० हरिद्वार	14	फेरुपुर
15	जी०आर०पी० लक्सर	15	लालढांग
16	बहादुराबाद	16	गैंडीखाता
17	बुगवाला	17	चिड़ियापुर
18	सिडकुल	18	खड़खड़ी
19	पिरान कलियर	19	जगजीतपुर
20	ट्रेफिक इनचार्ज पुलिस	20	शान्तारशाह
21	टी. एस. आई. पुलिस रुड़की	21	रानीपुर औद्योगिक क्षेत्र
22	एच. सी. टी. पुलिस भूपतवाला से चण्डी घाट	22	काली नदी
23	एच. सी. टी. पुलिस चण्डी घाट से शहीदवाला		
24	एच. सी. टी. पुलिस शहीदवाला से ज्वालापुर		
25	एच. सी. टी. पुलिस रुड़की		

क्र०सं०	चौकी का नाम	क्र०सं०	चौकी का नाम
1	सुल्तानपुर	1	कस्बा मंगलौर
2	कलियर	2	बुद्धावाला
3	सालियर	3	धनौरी
4	कचहरी रोशनाबाद	4	मन्सा देवी
5	जी०आर०पी० रुड़की	5	कचहरी हरिद्वार
6	को० नगर औद्योगिक क्षेत्र	6	ज्वालापुर बाजार
7	रोडीबेलवाला		

अनुक्रिया कोष (National Disaster Response Fund : SDRF) से देय सहायता हेतु

पुनरीक्षित मदों एवं मानकों की सूची

(अवधि 2015-20, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या-32-7/2014-NDM-I दिनांक 8 अप्रैल, 2015)

क्र०सं०	मद	सहायता हेतु मानक
1	अनुग्रह राहत	
	अ) मृतक व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि का भुगतान	₹ 4.00 लाख प्रति मृत व्यक्ति मृत्यु के कारण को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने की स्थिति में राहत कार्यों में लगे या पूर्व-तैयारियों से जुड़े व्यक्ति के परिजन भी इस लीमा से आच्छादित हैं
	ब) हाथ-पैर, आँख या आँखों की क्षति होने पर अनुग्रह भुगतान	₹ 59,100/- प्रति व्यक्ति अपंगता के 40 से 60 प्रतिशत के मध्य होने की स्थिति में ₹ 2.00 लाख प्रति व्यक्ति अपंगता के 60 प्रतिशत अधिक होने की स्थिति में अपंगता के स्तर एवं कारण को किसी सरकारी चिकित्सालय या औषधालय के चिकित्सक द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है
	स) जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु चिकित्सालय में रहना आवश्यक हो	₹ 12,700/- प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक की अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में ₹ 4,300/- प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से कम की अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में
	द) घर बह जाने या प्राकृतिक आपदा के कारण घर के पूर्णतः या अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाने या दो दिन से अधिक अवधि तक जल भराव से प्रभावित होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों के लिए कपड़े व बर्तन या घरेलू सामान के लिए	₹ 1,800/- प्रति परिवार कपड़ों की क्षति के लिए ₹ 2,000/- प्रति परिवार बर्तनों या घरेलू सामान की क्षति के लिए
	इ) अनुग्रह अनुदान सहायता उन परिवारों के लिए जिनके जीवन-यापन के साधन बुरी तरह से प्रभावित हो गये हैं	₹ 60/- प्रति वयस्क एवं ₹ 45/- प्रति बालक प्रतिदिन राज्य सरकार सत्यापित किया जायेगा कि चिन्हित लाभार्थी राहत शिविर में नहीं रह रहे हैं, साथ ही राज्य सरकार लाभार्थियों के चिन्हांकन का आधार तथा प्रक्रिया का जनपदवार विवरण उपलब्ध करवायेगी। अनुग्रह अनुदान दिये जाने की अवधि राज्य कर्मचारी समिति (State Executive Committee : SEC) या केन्द्रित दल (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष; National Disaster Response Fund: NDRF से सहायता दिये जाने की स्थिति में) के आंकलन के अनुरूप होगी। सहायता दिये जाने की अवधि सामान्यतः 60 दिनों तक होगी जिसे यथा आवश्यकता पहली बार में 60 दिनों तक विस्तारित किया जा सकता है। सूखे एवं कीट आक्रमण की स्थिति में इस अवधि को तत्पश्चात 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। वास्तविक स्थिति में आधार पर राज्य कार्यकारी समिति निर्धारित समयावधि में वृद्धि कर सकती है। जिसका कुल व्यय राज्य आपदा मोचन निधि के वार्षिक आवंटन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
2	खोज एवं बचाव प्रचालन	
	अ) खोज एवं बचाव उपायों तथा प्रभावितों या प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के निष्क्रमण पर व्यय	वास्तविक व्यय के आधार पर जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आंकलित हो या जैसा कि केन्द्रीय दल (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से व्यय की स्थिति में) द्वारा संस्तुत हो। — केन्द्रीय दल द्वारा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने तक यह प्रचालन पूर्ण हो चुके होते हैं। अतः राज्य स्तरीय समिति तथा केन्द्रीय तथा केन्द्रीय दल वास्तविक/वास्तविक के करीब के व्यय की संस्तुति कर सकती है।
	ब) तात्कालिक राहत एवं जीवन बचाने हेतु नावों को किराये पर लिया जाना	वास्तविक व्यय के आधार पर जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आंकलित हो या जैसा कि केन्द्रीय दल (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से व्ययकी स्थिति में) द्वारा संस्तुत हो। सहायता की राशि अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण अलग-थलग पड़

			गये व फंसे हुए लोगों का जीवन बचाने के उद्देश्य से उपयोग में लायी गयी नावों तथा आवश्यक उपकरणों के किराये में व्यय की गयी वास्तविक राशि तक सीमित होगी ।
3	राहत उपाय		
	अ)	प्रभावित/निष्क्रमित एवं राहत शिविरों में शरण ले रहे व्यक्तियों के लिए अस्थाई आवास, खाद्यान्न, कपड़े, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य की व्यवस्था का प्रावधान	राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किये गये आवश्यकताओं के आंकलन के अनुरूप या (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से व्यय की स्थिति में) केन्द्रीय दल की संस्तुति के अनुरूप 30 दिनों की अवधि तक । राज्य कार्यकारी समिति द्वारा शिविरों की संख्या, अवधि एवं उनसे लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण उपलब्ध करवाना होगा । सूखा, बाढ़ या अन्य आपदा के कारण हुए वृहद विध्वंस की स्थिति में इस समयावधि को 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है । तीक्ष्ण सूखे की स्थिति में इस अवधि को 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है । वास्तविक स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारिणी समिति निर्धारित समयावधि में वृद्धि कर सकती है । जिसका कुल व्यय राज्य आपदा मोचन निधि के वार्षिक आवंटन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । चिकित्सा सुविधायें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से प्रदान की जा सकती है ।
	ब)	आवश्यक आपूर्तियों को आकाश से गिरवाना	वास्तविक व्यय के आधार पर; जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आंकलित हो या जैसा केन्द्रीय दल द्वारा संस्तुत हो (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में) । — सहायता का परिमाण रक्षा मंत्रालय द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं बचाव प्रचालनों के सम्पादन हेतु ली जाने वाली वास्तविक राशि की सीमा तक अनुमन्य ।
	स)	ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था	30 दिनों की समयावधि तक वास्तविक व्यय के अनुरूप, जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आंकलित हो या जैसा केन्द्रीय दल (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से व्यय की स्थिति में) द्वारा संस्तुत हो । सूखे की अवधि में इस अवधि को 90 दिनों तक विस्तारित किया जा सकता है । वास्तविक स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारिणी समिति निर्धारित समयावधि में वृद्धि कर सकती है । जिसका कुल व्यय राज्य आपदा मोचन निधि के वार्षिक आवंटन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।
4	प्रभावित स्थलों को अवरोध मुक्त बनाना		
	अ)	सार्वजनिक क्षेत्रों से मलवे की निकासी	राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से सहायता दिये जाने की स्थिति में राज्य कार्यकारी समिति व राष्ट्रीय अनुक्रिया कोष से सहायता दिये जाने की स्थिति में केन्द्रीय दल के आंकलन के अनुरूप कार्य आरम्भ किये जाने से 30 दिन तक किये जाने वाले वास्तविक व्यय की सीमा तक अनुमन्य
	ब)	प्रभावित क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी	राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता दिये जाने की स्थिति में राज्य कार्यकारी समिति व राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता दिये जाने की स्थिति में केन्द्रीय दल के आंकलन के अनुरूप कार्य आरम्भ किये जाने से 30 दिन तक किये जाने वाले वास्तविक व्यय की सीमा तक अनुमन्य
	स)	मृतकों का अंतिम संस्कार व जानवरों के शवों का निस्तारण	वास्तविक व्यय के आधार पर, जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आंकलित हो या जैसा केन्द्रीय दल द्वारा संस्तुत हो (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में)
5	कृषि		
(i)	छोटे एवं सीमान्त कृषकों को सहायता (2 है0 तक)		
अ	भूमि एवं अन्य की क्षति के लिए सहायता		
	अ)	रेता या अवसाद की परत के 3 इंच से अधिक होने और इसे राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाने की स्थिति में कृषि भूमि से अवसाद हटाने के लिए	` 12,200/- प्रति हैक्टेयर की दर से प्रत्येक मद के लिए (लाभान्वित द्वारा किसी अन्य सहायता/सहायिकी न लिए जाने और उसके सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ उठा पाने का पात्र न होने की स्थिति में)
	ब)	पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि से मलवा हटाने के लिए	
	स)	मत्स्य पालन जलाशयों की सफाई/मरम्मत/पुनर्स्थापना	
	द)	भू-स्खलन, हिम-स्खलन या नदी के मार्ग बदलने के कारण अधिकांश भूमि को हुई क्षति	` 37,500/- प्रति हैक्टेयर यह सहायता केवल राजस्व अभिलेखों के अनुसार विधिक रूप से निजी

			स्वामित्व वाली भूमि की क्षति की स्थिति में केवल छोटे और सीमान्त कृषकों को दी जा सकती है
ब	कृषि निवेश अनुदान (फसलों की क्षति के 33 प्रतिशत या अधिक होने की स्थिति में)		
	अ) कृषि, बागवानी व सालाना फसलों के लिए		₹ 6,800/- प्रति हैक्टेयर असिंचित क्षेत्रों में और सहायता केवल बोये गये क्षेत्र के लिए देय होगी। ₹ 13,500/- प्रति हैक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में। न्यूनतम सहायता दशा में। ₹ 1,000/- से कम नहीं होगी और सहायता केवल बोये गये क्षेत्र के लिए देय होगी
	ब) सदाबहार फसल		₹ 18,000/- प्रति हैक्टेयर सभी प्रकार की सदाबहार फसलों के लिए अनुमन्य। न्यूनतम सहायता राशि ₹ 2,000/- से कम नहीं होगी
	स) रेशम कृषक		₹ 4,800/- प्रति हैक्टेयर ईरी, शहतूत व टसर के लिए ₹ 6,000/- प्रति हैक्टेयर मूंग के लिए
(ii)	छोटे व सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य के लिए कृषि निवेश अनुदान (2 हैक्टेयर से अधिक)		₹ 6,000/- प्रति हैक्टेयर असिंचित क्षेत्र में ₹ 13,500/- प्रति हैक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में ₹ 18,000/- प्रति हैक्टेयर सभी प्रकार की सदाबहार फसलों के लिए यह सहायता फसल की क्षति के 33 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में अधिकतम 02 हैक्टेयर प्रति कृषक की सीमा तक सीमित होगी
6	पशुपालन : छोटे व सीमान्त कृषकों को सहायता		
(i)	दुधारू, कृषि व ढुलाई वाले पशुओं के प्रतिस्थापन हेतु		दुधारू पशु ₹ 30,000/- प्रति पशु भैंस/गाय/ऊँट/याक/मिथुन आदि के लिए ₹ 3,000/- प्रति पशु भेड़/बकरी/सुअर के लिए कृषि व ढुलाई वाले पशु— ₹ 25,000/- प्रति पशु ऊँट/घोड़ा/बैल आदि के लिए ₹ 16,000/- प्रति पशु बछिया/गधा/खच्चर के लिए इस सहायता को आर्थिक रूप से उत्पादक पशुओं की वास्तविक क्षति तक सीमित रखा जा सकता है। पशुओं की वास्तविक क्षति पर विचार किये बिना किसी एक परिवार को देय सहायता 03 बड़े दुधारू पशु या 30 छोटे दुधारू पशुओं या 03 बड़े कृषि ढुलाई वाले पशु या 06 छोटे कृषि व ढुलाई वाले पशुओं की सीमा तक देय होगी (क्षति का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना होगा)
			कुक्कुट पालन ₹ 50 प्रति पक्षी – ₹ 5,000/- प्रति लाभान्वित परिवार की सीमा तक देय। सहायता के लिए पक्षियों की मृत्यु अधिसूचित प्राकृतिक आपदा द्वारा होने आवश्यक है। नोट – अन्य सरकारी योजनाओं से सहायता का पात्र होने की स्थिति में इस मद से राहत अनुमन्य नहीं होगी; जैसे कि बर्ड फ्लू या अन्य बीमारियों के कारण होने वाली पक्षियों की क्षति की पूर्ति हेतु कुक्कुट पालकों के लिए पशुपालन विभाग की पृथक योजना क्रियान्वित है।
(ii)	मवेशी शिविर में चारे/पशु		₹ 70/- प्रतिदिन

	आहर, जल आपूर्ति तथा दवा/ टीकों हेतु	बड़े पशुओं के लिए ` 35/— प्रतिदिन छोटे पशुओं के लिए राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किये गये आवश्यकताओं के आंकलन के अनुरूप या (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से व्यय की स्थिति में) केन्द्रीय दल की संस्तुति के अनुरूप 30 दिनों की अवधि तक। राज्य कार्यकारी समिति द्वारा शिविरों की संख्या, अवधि एवं उनसे लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण उपलब्ध करवाना होगा। सूखा, बाढ़ या अन्य आपदा के कारण हुए वृहद विध्वंस की स्थिति में इस समयावधि को 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। तीक्ष्ण सूखे की स्थिति में इस अवधि को 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। वास्तविक स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारिणी समिति निर्धारित समयावधि में वृद्धि कर सकती है। जिसका कुल व्यय राज्य आपदा मोचन निधि के वार्षिक आवंटन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा किये गये आवश्यकता आंकलन या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में केन्द्रीय दल की संस्तुति के आधार पर किया गया वास्तविक व्यय। इस व्यय को पशु गणना के सुसंगत होना चाहिए। साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना होगा कि दवा एवं टीकों की आवश्यकता सम्बन्धित आपदा में प्रासंगिक है।
(iii)	मवेशी शिविरों के बाहर रह रहे पशुओं के लिए चारे की ढुलाई	राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा किये गये आवश्यकता आंकलन या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में केन्द्रीय दल की संस्तुति के आधार पर चारे की ढुलाई पर किया गया वास्तविक व्यय। इस व्यय को पशु गणना के सुसंगत होना चाहिए।
7	मछली पालन	
(i)	क्षतिग्रस्त या खो गये नाव, जाल एवं अन्य की मरम्मत व पुनर्क्रय हेतु मछुवारों को सहायता — — कश्ती/नाव — डोंगी — बेड़ा — जाल (लाभार्थी के तत्कालिक आपदा हेतु सरकार की अन्य किसी योजना से सहायता/सहायिकी का पात्र होने या ऐसी किसी योजना का लाभार्थी होने की स्थिति में यह सहायता देय नहीं होगी)	` 4,100/— आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नौकाओं की मरम्मत के लिए</p> <p>` 2,100/— आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत के लिए ` 9,600/— पूर्णतः क्षतिग्रस्त नौकाओं के पुनर्क्रय के लिए</p> <p>` 2,600/— पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के पुनर्क्रय के लिए
(ii)	मत्स्य पालन हेतु सहायिकी निवेश	` 8,200/— प्रति हेक्टेयर (कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा दी जाने वाली एक बार की सहायिकी के अतिरिक्त लाभार्थी के तत्कालिक आपदा हेतु सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सहायता/सहायिकी का पात्र या उक्त योजना का लाभार्थी होने की स्थिति में यह सहायता देय नहीं होगी)
8	हथकरघा — कारीगरों को सहायता	
(i)	क्षतिग्रस्त औजारों व उपकरणों की पुनर्क्रय के लिए	` 4,100/— प्रति शिल्पकार उपकरणों के पुनर्क्रय के लिए — राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षति एवं उक्त के प्रतिस्थापन का विधिवत सत्यापन किया जाना आवश्यक
9	भवन	
	अ) पूर्णतः क्षतिग्रस्त/नष्ट भवन	
	पद्ध पक्का भवन	` 95,100/— प्रति भवन मैदानी क्षेत्र के लिए</p> <p>` 1,01,900/— प्रति भवन पर्वतीय क्षेत्रों तथा आई0ए0पी0 योजना के जनपदों के हेतु
	पपद्ध कच्चा भवन	
	ब) तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवन	
	पद्ध पक्का भवन	
	पपद्ध कच्चा भवन	

	स)	आंशिक क्षतिग्रस्त भवन	
		पद्ध पक्का भवन (झोपड़ी की अतिरिक्त) जहाँ कम से कम 15 प्रतिशत क्षति हो	` 5,200 /— प्रति भवन
		पपद्ध कच्चा भवन (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहाँ कम से कम 15 प्रतिशत क्षति हो	` 3,200 /— प्रति भवन
	द)	क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी	` 4,100 /— प्रति झोपड़ी (झोपड़ी का तात्पर्य अस्थाई, स्थानान्तरणीय एवं कच्चे घर से निम्न स्तरीय इकाई से है जिसका निर्माण घास-फूस, मिट्टी, प्लास्टिक आदि से किया गया हो और जिसे परम्परागत रूप से राज्य/जिला प्रशासन द्वारा झोपड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त हो) नोट—क्षतिग्रस्त भवन प्राधिकृत निर्माण होना आवश्यक है तथा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाय ।
	इ)	भवन के साथ जुड़ी पशुशाला	` 2,100 /— प्रति पशुशाला
10	अवसंरचना		
		क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं की	तत्कालिक प्रकृति के कार्य
		तत्कालिक मरम्मत या पुनर्स्थापना (1) सड़क एवं पुल (2) पेयजल आपूर्ति (3) सिंचाई (4) ऊर्जा (प्रभावित क्षेत्रों में तत्कालिक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तक सीमित) (5) विद्यालय (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (7) पंचायत के स्वामित्व वाली सामुदायिक परिसम्पत्तियों दूरसंचार एवं ऊर्जा जैसे अपना स्वयं का राजस्व अर्जित करने वाले तथा अपने स्वयं के संसाधनों से तत्कालिक मरम्मत व पुनर्स्थापना के लिए उत्तरदायी क्षेत्रों के लिए (विद्युत आपूर्ति की तत्कालिक व्यवस्था के अतिरिक्त सहायता देय नहीं है।	तत्कालिक प्रकृति के समस्त कार्यों की विस्तृत सूची संलग्नक के रूप में दी गयी है । आवश्यकताओं का निर्धारण मरम्मत के लिए राज्य में प्रचलित दरों/मूल्यों/अनुदेशों के अनुरूप राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किये गये आवश्यकताओं के आंकलन या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में केन्द्रीय दल की संस्तुति के अनुरूप — अतिवृष्टि, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन एवं अन्य द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों पर यातायात सुचारु करने के लिए भारत में सड़कों की मरम्मत के मानक 2001 (Norms for Maintenance of Road in India, 2001) के यथासंशोधित संस्करण को संज्ञान में लिया जायेगा । सन्दर्भ के लिए यह मानक निम्नवत है : • सामान्य एवं शहरी क्षेत्रों में साधारण मरम्मत (Ordinary Repair, OR) एवं क्रमिक मरम्मत (Periodical Repair, PR) के जोड़ के 15 प्रतिशत तक • पहाड़ी क्षेत्रों में साधारण मरम्मत (Ordinary Repair, OR) एवं क्रमिक मरम्मत (Periodical Repair, PR) के जोड़ के 20 प्रतिशत तक — सड़कों की मरम्मत के मामले में राज्य की अधिसूचित साधारण मरम्मत (वर्कपदंतल त्मचंपतए ढ) तथा क्रमिक मरम्मत (Periodical Repair, PR) दरों के आधार पर सहायता देय होगी । यदि Ordinary Repair तथा Periodical Repair दरें उपलब्ध नहीं हैं तो राजमार्गों व प्रमुख जिला मार्गों हेतु ` 0.60 लाख/कि०मी० की दरों से सहायता दी जायेगी । “राज्य द्वारा सर्वप्रथम रखरखाव एवं मरम्मत के लिए की गयी बजट व्यवस्था को उपयोग में लाने” सम्बन्धी निगरानी की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए तथा चूंकि यह सभी राज्यों का वांछनीय लक्ष्य है, यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा । — पुलों तथा सिंचाई कार्यों के मामले में सहायता राज्यों द्वारा निर्धारित मानक दरों के आधार पर देय होगी । लघु सिंचाई योजनाओं में ` 1.50 लाख/क्षतिग्रस्त योजना की दर से सहायता देय होगी। मध्यम व बड़ी सिंचाई योजनाओं में भी तटबन्ध भागों में सहायता देय होगी । ग्रामीण सड़कों के मामले की तरह किसी चालू/निर्माणाधीन योजना में दोहराव न होने के प्रतिबन्ध के साथ सहायता देय होगी । — क्षतिग्रस्त पेयजल आपूर्ति योजनाओं की मरम्मत के सम्बन्ध में पात्र

		पेयजल योजनाओं/ संरचनाओं को ` 1.50 लाख/क्षतिग्रस्त संरचना की दर से सहायता देय होगी ।</p> <p>– क्षतिग्रस्त प्राथमिक व सेकन्ड्री विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी तथा पंचायत के स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियों को ` 2.00 लाख/क्षतिग्रस्त संरचना की दर से सहायता देय होगी । – क्षतिग्रस्त विद्युत कार्यों की मरम्मत हेतु 11 के0वी0 तक के क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों, विद्युत पोल तथा ट्रांसफार्मर को सहायता देय होगी । यह सहायता ` 4,000.00 प्रति पोल, ` 0.50 लाख प्रति कि0मी0 क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन तथा ` 1.00 लाख प्रति क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की दर से देय होगी । नोट— राज्य के द्वारा सर्वप्रथम रखरखाव एवं मरम्मत के लिए की गयी बजट व्यवस्था को उपयोग में लाना होगा ।
11	क्रय	
	आपदा प्रतिवादन हेतु आवश्यक संचार उपकरणों एवं अन्य सहित आवश्यक खोज, बचाव एवं निष्क्रमण उपकरणों का क्रय	– यह व्यय राज्य कार्यकारी समिति के आंकलन के अनुरूप केवल राज्य आपदा मोचन निधि से किया जाना अनुमत्य है । – इस मद के अन्तर्गत किया जाने वाला कुल व्यय राज्य आपदा मोचन निधि के वार्षिक आवंटन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।
12	क्षमता निर्माण	– यह व्यय राज्य कार्यकारी समिति के आंकलन के अनुरूप केवल राज्य आपदा मोचन निधि से किया जाना अनुमत्य है । – इस मद के अन्तर्गत किया जाने वाला कुल व्यय राज्य आपदा मोचन निधि के वार्षिक आवंटन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।
13	राज्य के स्थानीय सन्दर्भ में राज्य विशिष्ट आपदायें जो कि NDRF/SDRF से सहायता की पात्रता हेतु अधिसूचित आपदा की सूची में नहीं है, को राज्य के वार्षिक SDRF आवंटन के 10 प्रतिशत की सीमा तक व्यय अनुमत्य है	– यह व्यय राज्य कार्यकारी समिति के आंकलन के अनुरूप केवल राज्य आपदा मोचन निधि से किया जाना अनुमत्य है । – विभिन्न मदों हेतु मानक अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के उपरोक्त मानकानुसार ही होंगे । – अथवा स्थानीय आपदा के इन मामलों के प्रत्येक मद में राहत सहायता का स्तर SDRF के मानकों से अधिक नहीं होगा । – यह अनुमन्यता तभी लागू होगी जब राज्य द्वारा इस तरह की स्थानीय आपदाओं में आपदा राहत हेतु लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए पारदर्शी मानदण्डों और दिशा निर्देशों की एक स्पष्ट प्रक्रिया के साथ आपदाओं को राज्य कार्यकारी समिति के अनुमादनोपरान्त सूचीबद्ध और अधिसूचित किया गया हो ।

नोट – (1) राज्य सरकार समस्त राहत का वितरण अनिवार्य रूप एवं आवश्यक रूप से बैंक खातों (जन-धन-योजना आदि) के माध्यम से करना सुनिश्चित करेगी ।

(2) समस्त अधिसूचित आपदाओं एवं स्थानीय आपदाओं में प्रत्येक मद के सापेक्ष राहत सहायता का स्तर NDRF/SDRF मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए । राज्य सरकार द्वारा यदि निर्धारित सीमा के ऊपर कोई धनराशि व्यय की जाता है तो उक्त व्यय SDRF से न करके राज्य सरकार के अपने संसाधनों से किया जायेगा ।

चिन्हित तत्कालिक प्रकृति के कार्यों की विस्तृत सूची

1. **पेयजल आपूर्ति**
हैण्ड पम्प/कुवें/जल संचयन टैंकों/सार्वजनिक नलों की क्षतिग्रस्त मुंडेरों (Platform) की मरम्मत
 - i) क्षतिग्रस्त जलापूर्ति पाइपों का नये पाइपों से प्रतिस्थापन एवं जल संग्रहण टैंकों की सफाई (रिसाव रोकने के दृष्टिगत) सहित सार्वजनिक नलों की पुरस्थापना ।
 - ii) जलापूर्ति हेतु स्थापित पम्प उपकरणों की क्षति, जल संग्रहण टैंकों से रिसाव, क्षतिग्रस्त जलापूर्ति पम्प से सम्बन्धित अवसंरचना की मरम्मत ।
2. **सड़क**
 - i) गड़ढ़ों को भरना टूट गयी सड़क की मरम्मत, जल निकासी हेतु पाइपों की व्यवस्था, पुश्तों का मजबूतीकरण व मरम्मत ।
 - ii) टूट गये कलमठों (Culvert) की मरम्मत ।
 - iii) तत्कालिक यातायात व्यवस्था हेतु क्षतिग्रस्त/बह गये पुलों के स्थान पर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था ।
 - iv) पुलों/पुश्तों तक पहुंच के लिए अस्थाई मरम्मत कार्य, पुलों की क्षतिग्रस्त रेलिंग की मरम्मत, तत्कालिक यातायात व्यवस्था हेतु रपटों की मरम्मत, यातायात व्यवस्था हेतु रपटों की मरम्मत, यातायात सुव्यवस्थित किये जाने हेतु सड़क के क्षतिग्रस्त भाग में अस्थाई मरम्मत व अन्य व्यवस्थायें ।
3. **सिंचाई**
 - i) क्षतिग्रस्त नहर की तत्कालिक मरम्मत और रेत के बोरों, पत्थरों, चिनाई व अन्य उपयोग से जल संग्रहण अवसंरचनाओं की तत्कालिक मरम्मत ।
 - ii) कमजोर भागों की मरम्मत जैसे कि बंधों के पुश्तों व दीवारों के छिद्रों और निकासी पाइपों की मरम्मत ।
 - iii) नहर तथा नदी-नालों से वानस्पतिक सामग्रियों/निर्माण सामग्रियों/मलवे को हटवाना ।
4. **स्वास्थ्य**
 - i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षतिग्रस्त पहुंच मार्गों, भवन व विद्युत आपूर्ति लाइनों की मरम्मत ।
5. **पंचायतों की सामुदायिक अवसंरचनायें**
 - (अ) गांव की आन्तरिक सड़कों की मरम्मत
 - (ब) नालों/नालियों से मलवे की सफाई
 - (स) गांव की आन्तरिक जलापूर्ति लाइनों की मरम्मत
 - (द) सार्वजनिक प्रकाश उपकरणों की मरम्मत
 - (इ) प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र आदि की अस्थाई मरम्मत
6. **विद्युत आपूर्ति** : 11 के0वी0 तक के विद्युत पोल/लाइनें तथा ट्रांसफार्मर ।
7. **सहायता हेतु प्राथमिकता के आधार निम्नानुसार गतिविधियों/क्षतियों पर विचार किया जायेगा :**

क्र०सं०	मद/विवरण	तात्कालिक मरम्मत हेतु सहायता के मानक
i)	क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालय भवन उच्चतर/माध्यमिक/कॉलेज तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान	` 1.50 लाख/इकाई तक आच्छादित नहीं
ii)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	` 1.50 लाख/इकाई तक
iii)	विद्युत पोल तथा लाइनें इत्यादि	साधारण लागत (` 4,000 प्रति पोल तथा 0.50 लाख प्रति कि०मी०)
iv)	पंचायतघर/आंगनबाड़ी/महिला मण्डल/युवा केन्द्र/सामुदायिक भवन	` 2.00 लाख/इकाई तक
v)	राजमार्ग/मुख्य जिला मार्ग	` 1.00 लाख/कि०मी०*
vi)	ग्रामीण मार्ग/पुल	` 0.60 लाख/कि०मी०*
vii)	पेयजल योजना	` 0.50 लाख/इकाई तक
viii)	सिंचाई : लघु सिंचाई योजना/नहर बड़ी सिंचाई योजना बाढ़ नियंत्रण तथा कटाव निरोधक कार्य	` 1.50 लाख/योजना तक आच्छादित नहीं आच्छादित नहीं
ix)	जल विद्युत परियोजना/H.T. विद्युत आपूर्ति प्रणाली/ट्रांसफार्मर तथा विद्युत उप केन्द्र	आच्छादित नहीं

x)	हाई टेन्सन (भण्ड) विद्युत लाइन (11 के0वी0 से अधिक)	आच्छादित नहीं
xi)	राजकीय भवन तथा विभागीय कार्यालय भवन, विभागीय आवासीय भवन, धार्मिक संरचनाएँ, पटवरखाना, न्यायालय परिसर, खेल का मैदान, वन, बंगला, पशु/पक्षी विहार इत्यादि ।	आच्छादित नहीं
xii)	दीर्घकालिक स्थाई पुर्ननिर्माण कार्य	आच्छादित नहीं
xiii)	दीर्घकालिक नये कार्य	आच्छादित नहीं
xiv)	सामग्री का वितरण	आच्छादित नहीं (तथापि आपदा के उपरान्त जरूरतमंद परिवारों को अनुग्रह अनुदान सहायता प्राविधानित है)
xv)	NDRF के अन्तर्गत उपकरणों/मशीनों का क्रय	आच्छादित नहीं
xvi)	राष्ट्रीय राजमार्ग	आच्छादित नहीं (भारत सरकार समस्त पुर्ननिर्माण कार्यों पर व्यय का वहन करेगी)
xvii)	पशु चारे के उत्पादन हेतु चारे के बीज की व्यवस्था	आच्छादित नहीं

*यदि राज्य द्वारा OR तथा PR दरें नहीं उपलब्ध/निर्धारित करायी गयी है ।

जनपद हरिद्वार में तहसीलो एवं अन्य विभागों को आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये खोज-बचाव उपकरणों का विवरण :-

क्र.सं.	उपकरण का नाम	आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उपकरणों का विवरण												योग
		तहसील, हरिद्वार	तहसील, रुड़की	तहसील, लक्सर	तहसील, भगवानपुर	अग्निशमन विभाग	पुलिस विभाग	वन विभाग	आपदा कन्ट्रोल रूम	नगर नि0 हरि0	नगर नि0 रुड़की	नगर पं0, झबरेडा	नगर पंचा0, मंगलौर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Horizontal Double Mountring Siren(11Km)	01	01	—	—	—	—	—	01	—	—	—	—	03
2	Horizontal Double Mountring Siren(range-3.25)	—	—	01	01	—	—	—	—	—	—	01	01	04
3	Motorized Biat/Raft, Length 14 fit With Accessories	—	—	1+1(थाना लक्सर)	—	—	01 (SPCcity)	—	—	—	—	—	—	03
4	Diesel Engine Pump set	01	04	03	01	—	—	—	—	01	01	—	—	11
5	Canopy tripal	17	17	18	18	—	—	—	10	—	—	—	—	80
6	Nylone Tarpoline	03	03	04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
7	Tent with accessories	36	35	38	32	—	—	—	—	—	—	—	—	141
8	Generator	01	01	01	01	—	—	—	02	—	—	—	—	06
9	Aska Tower light(Inflatable Emergency Light)	02	01	02	01	—	—	—	01	—	—	—	—	07
10	Life Jacket	18	18	18	10	—	—	—	—	—	—	—	—	64
11	Lifebuoy	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	10
12	Search Light (जेटी)	08	02	08	06	—	—	—	—	—	—	—	—	24
13	Solar Laltern	50	37	21	20	—	—	—	13	—	—	—	—	141
	Search Light	01	01	01	—	—	03	—	—	—	—	—	—	06
14	Solar LED Light	02	02	02	02	—	—	—	—	—	—	—	—	08
15	Dragon Light/Search Light(LED)	04	04	04	03	10	20	—	01	—	—	—	—	46
16	High Power Torch(LED)	—	—	30	—	—	30	—	05	—	—	—	—	65
17	Head Torch	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	12
18	Static Rope(11.0 to 13.0 mm Dia)	—	—	—	—	—	04	—	—	—	—	—	—	04
19	Nylone Rope(Indian)	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	20
20	Clinbing rope (100मी0)	01	01	01	01	—	—	—	01	—	—	—	—	05
21	Rope Nylone (11 MM)	04	04	04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
22	Manila Rope (बडल 0.75 MM)	02	02	02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	06
23	Mountaring Rope with pully	02	02	02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	06
24	Nylone Tarpoline	03	03	04	—	—	06	—	—	—	—	—	—	16
25	Carabiners	04	04	14	—	20	—	—	—	—	—	—	—	42

क्र.सं.	उपकरण का नाम	आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उपकरणों का विवरण												योग
		तहसील, हरिद्वार	तहसील, रूड़की	तहसील, लक्सर	तहसील, भगवानपुर	अग्निशमन विभाग	पुलिस विभाग	वन विभाग	आपदा कन्ट्रोल रूम	नगर नि0 हरि0	नगर नि0 रूड़की	नगर पं0, झबरेडा	नगर पंचा0, मंगलौर	
26	Carabiners Screw Type	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	30
27	Binocular	01	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	02
28	Zumar	08	08	08	—	08	—	—	—	—	—	—	—	32
29	Dscender	08	08	08	—	16	—	—	—	—	—	—	—	40
30	Megaphone	06	03	06	06	—	—	—	01	—	—	—	—	22
31	Strecher	12	12	12	12	—	—	—	02	—	—	—	—	50
32	Stretcher Spine Board	—	—	—	—	03	—	—	—	—	—	—	—	03
33	Seet Harness	06	06	06	—	08	—	—	02	—	—	—	—	28
34	Body Harness	—	—	—	—	08	—	—	02	—	—	—	—	10
35	Single Pully	—	—	—	—	08	—	—	—	—	—	—	—	08
36	Double Pully/Tandem Pully	—	—	—	—	08	—	—	—	—	—	—	—	08
37	Rain Suit	16	16	16	10	—	18	—	01	—	—	—	—	77
38	Rope ladder 30 एवं 50 फीट(सीढ़ी)	02	02	02	—	10	—	—	—	—	—	—	—	16
39	Bailcha	02	02	02	—	—	06	—	—	—	—	—	—	12
40	Gainti	06	06	06	04	20	06	10	—	—	—	—	—	58
41	Phavra	06	06	06	04	20	06	10	—	—	—	—	—	58
42	Axe	02	02	02	—	—	06	—	—	—	—	—	—	12
43	Tasla	02	02	02	—	—	06	—	—	—	—	—	—	12
44	Subble(बड़े व छोटे)	04	04	04	—	—	16	—	—	—	—	—	—	28
45	Hemmer Pitton	08	08	08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
46	Helmet With torch	08	08	08	04	20	56	10	04	—	—	—	—	118
47	Wood Cutter	01	01	01	01	06	—	02	02	—	—	—	—	14
48	R.C.C Cutter	—	—	—	—	02	—	—	—	—	—	—	—	02
49	Circular Saw(Iron Cutter)	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01
50	Diamond Chain Shaw Cutter	—	—	—	—	02	—	—	—	—	—	—	—	02
51	Hydrolic Rescue Cutter	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01
52	Hydrolice Rescue Pump(Rescue Cutter)	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01
53	Hydrolic Rescue Spreader	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01
54	Hydrolic Power Pump(RescueSpreader)	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01
56	Hydrolic Rescue cum Spreader	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01
57	Cicular Shaw	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01

क्र.सं.	उपकरण का नाम	आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उपकरणों का विवरण												योग
		तहसील, हरिद्वार	तहसील, रूड़की	तहसील, लक्सर	तहसील, भगवानपुर	अग्निशमन विभाग	पुलिस विभाग	वन विभाग	आपदा कन्ट्रोल रूम	नगर नि0 हरि0	नगर नि0 रूड़की	नगर पं0, झबरेडा	नगर पंचा0, मंगलौर	
58	Walkie Talkie	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
59	Ponchu	04	04	04	04	10	—	10	04	—	—	—	—	40
60	Rucksack Bag 90 Ltr.	01	01	01	01	04	—	—	01	—	—	—	—	09
61	Talvar (घास काटने हेतु)	04	04	04	04	20	—	10	02	—	—	—	—	48
62	Firs Aid Box	01	01	01	—	—	03	—	—	—	—	—	—	06
63	Tap Siling	12	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
64	Patromax	01	01	01	—	—	03	—	—	—	—	—	—	06
65	Battery (Four Cell)	06	06	06	—	—	18	—	—	—	—	—	—	36
66	Mitton	06	06	06	—	—	18	—	—	—	—	—	—	36
67	Canvas Mitton(Pair)	—	—	—	—	24	04	—	—	—	—	—	—	28
68	Carymate	06	06	06	—	—	18	—	—	—	—	—	—	36
69	katton Dangri	—	—	—	—	20	—	20	—	—	—	—	—	40
70	Body Bag	10	10	10	10	—	—	—	10	—	—	—	—	50
71	Fire Bitter	—	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—	—	100
72	Fire Shoes	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	25
73	Jungle Shoes	—	—	—	—	—	—	60	—	—	—	—	—	60
74	Plastic Chair	—	—	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—	100
75	Plastic Table	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	20
76	Mat 06 mm(carbate)	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—	—	—	100
77	Gum Boot	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
78	G.P.S	01	01	01	01	—	—	—	01	—	—	—	—	05
79	Panja with Handle	04	04	04	04	40	—	40	04	—	—	—	—	100
80	Goggles	—	—	—	—	50	—	50	—	—	—	—	—	100
81	Tape Sling	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	16
82	Short Sling	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	16
83	Girigiri	—	—	—	—	08	—	—	—	—	—	—	—	08
84	Azveste Suit with Topi	—	—	—	—	25	—	25	—	—	—	—	—	50
85	Azvester Glabs	—	—	—	—	25	—	25	—	—	—	—	—	50
86	Drone Camera	—	—	—	—	—	01	—	01	—	—	—	—	02
87	Mobile Tiolet	—	—	—	—	—	—	—	02	—	—	—	—	02
89	Power Pump Generator set	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01
90	Reflective Jacket	—	—	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—	100
92	ABC Type Fire Extinguisher	—	—	—	—	—	—	—	01	—	—	—	—	01

क्र.सं.	उपकरण का नाम	आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उपकरणों का विवरण												योग
		तहसील, हरिद्वार	तहसील, रूड़की	तहसील, लक्सर	तहसील, भगवानपुर	अग्निशमन विभाग	पुलिस विभाग	वन विभाग	आपदा कन्ट्रोल रूम	नगर नि0 हरि0	नगर नि0 रूड़की	नगर पं0, झबरेडा	नगर पंचा0, मंगलौर	
93	CO2 Type Fire Extinguisher 4.5kg	—	—	—	—	—	—	—	01	—	—	—	—	01
94	Water CO2 Type Fire Exting 9 Letter	—	—	—	—	—	—	—	01	—	—	—	—	01
95	Fire Buckets With Stand	—	—	—	—	—	—	—	01 Set	—	—	—	—	01
96	Tin Box	01	01	01	—	—	03	—	—	—	—	—	—	06
97	Digital Camera (Sony)	—	—	—	—	—	—	—	05	—	—	—	—	05
98	Multipurpose Rope 12 mm	—	—	04	03	12	05	—	01	—	—	—	—	25

आपदा एवं खोज-बचाव प्रशिक्षित कार्मिकों एवं स्वयं सेवकों का विवरण :-

क्र० सं०	विवरण	प्रशिक्षित कुल कर्मचारियों की संख्या	प्रशिक्षित कुल स्वयं सेवकों की संख्या	प्रशिक्षित कुल युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल की संख्या	टिप्पणी
1	जल पुलिस	17 (कुल टीम-05)	—	—	पृथक सं संलग्न
2	अग्निशमन, स्टेशन, मायापुर	23	—	—	पृथक सं संलग्न
3	अग्निशमन, स्टेशन, सिडकुल	14	—	—	पृथक सं संलग्न
4	अग्निशमन, स्टेशन, रुड़की	15	—	—	पृथक सं संलग्न
5	अग्निशमन, स्टेशन, लक्सर	13	—	—	पृथक सं संलग्न
6	पी०आर०डी०, तहसील, लक्सर	10	—	—	पृथक सं संलग्न
7	होमगार्ड	21	—	—	पृथक सं संलग्न
8	आपदा मित्र (तहसील हरि/लक्सर /भगवानपुर /रुड़की)	—	200	—	पृथक सं संलग्न
9	युवक मंगल / महिला मंगल दल	—	—	4689	पृथक सं संलग्न

जनपद स्तरीय अधिकारियों के नाम, पदनाम व सम्पर्क नम्बरों की सूची।

क्र० सं०	पदनाम	अधिकारी का नाम	सम्पर्क नम्बर		
			कार्यालय	आवास	मोबाइल
1	जिलाधिकारी, हरिद्वार	श्री दीपक रावत	01334-239440 01334-239560 (कैम्प रोशनाबाद)	01334-221011 226677	9458977777
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार	श्री जनमजय खण्डूरी	01334-239777 (फैक्स)-239866	01334-239109	9411112987
3	मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार	श्री विनीत तोमर	01334-239097	—	8076180867
4	अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) हरिद्वार	डा० ललित नारायण मिश्र	01334-239400	—	9458337525 7251868653
5	अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) हरिद्वार	श्री भगवत किशोर मिश्रा	01334-265442	—	9412033161
6	नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार	श्री मनीष कुमार सिंह	01334-226400, 226567	—	9759156799
7	वन संरक्षक/निदेशक, राजाजी टाडगर रिजर्व, देहरादून	श्री सनातन सोनकर	0135-2621669 (फैक्स)-2620933	—	9412030430
8	मुख्य कोषाधिकारी, हरिद्वार	श्री रत्नेश कुमार सिंह	01334-239581	—	7500506666
9	मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार	डा० प्रेमलाल	01334-239902 (फैक्स)-239610 (स्टोर)-239017	01334-239065	9411330262
10	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हरिद्वार	डा० बी०सी० कर्नाटका	01334-239978	—	9719473770
11	उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार	श्री आकाश कुमार वर्मा	01334-226271 (फैक्स)-226271	—	9458171109
12	नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार	श्री अशोक पाण्डेय	01334-227006,222077	—	9415762771
13	नगर आयुक्त, नगर निगम, रुड़की	श्री अशोक कुमार पाण्डेय	01332-272275,272666	—	7500988789
14	सचिव, एच०आर०डी०ए०, हरिद्वार	श्री के०के० मिश्र	01334-221558, 220800	—	7055022345

			(फैक्स)–265702, 221590		
15	संयुक्त मजिस्ट्रेट, रुड़की	श्रीमती नितिका खण्डेलवाल	01332–272484	01332–272484	7251868656
16	प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन, हरिद्वार	श्रीमती संगीता कनौजिया	—	—	8859745408
17	उपजिलाधिकारी, हरिद्वार	श्री मनीष कुमार सिंह	01334–254807	01334–239030	9759156799
18	उपजिलाधिकारी, लक्सर	श्री कौस्तुभ मिश्रा	01332–254377	—	8755319095 7248555504
19	उपजिलाधिकारी, भगवानपुर	श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी	01332–232001	—	9412368661
20	अपर उपजिलाधिकारी, रुड़की	श्री दीपेन्द्र सिंह बिष्ट	—	—	9897093258
21	पुलिस अधीक्षक (नगर), हरिद्वार	श्रीमती कमलेश उपाध्याय	01334–265722 —265876	01334–265788	9411112768 9760000070
22	पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), हरिद्वार	श्री मणिकांत मिश्रा	01332–275155 (फोन व फैक्स)	01332–260063 —262246	9411112729 9411113990
23	पुलिस अधीक्षक, (अपराध/यातायात) हरिद्वार	डा० मंजूनाथ टी०सी०	01334–239993	—	9411115859
24	विशेष भूमि आध्यापति अधिकारी, हरिद्वार	श्रीमती संगीता कनौजिया	—	—	8859745408
25	जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार	श्री पुष्पेन्द्र सिंह चौहान	01334–239001	—	9411110111
26	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हरिद्वार	श्री पुष्पेन्द्र सिंह चौहान (प्रभारी)	01334–239462	—	9411110111
27	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हरिद्वार	श्री राजीव त्रिपाठी	01334–224147	—	9412094581
28	मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार	श्री आर०डी० शर्मा	01334–239158	—	9897304940 8057567997
29	जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक)	श्री मेहरबान सिंह बिष्ट	01334–221240		7055712512 9411127547
30	जिला शिक्षा अधिकारी, (बेसिक)	श्री बह्म सिंह सैनी	01334–239159		9758283657
31	उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हरिद्वार	डा० अभय कुमार गर्ग	01334–239978	—	9412966149
32	मुख्य अग्निशमन अधिकारी, हरिद्वार	श्री राजेन्द्र सिंह खाती	01334–265600 (फैक्स)–273099	—	9456597199 7409444451
33	अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त लो०नि०वि०,	इ० अनिल कुमार	01334–221407	—	9557662058

	हरिद्वार		(फैक्स)—221407		
34	अधिशाली अभियन्ता, लो0नि0वि0, हरिद्वार	इं0 दीपक कुमार	01334—227446 (फैक्स)—227446	—	9412990174
35	अधिशाली अभियन्ता, लो0नि0वि0, रुड़की	इं0 सतवीर सिंह यादव	01332—279215		9837265133
36	अधिशाली अभियन्ता, लो0नि0वि0, लक्सर	इं0 महीपाल सिंह रावत	01332—254004	—	9412348188
37	अधिशाली अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग—74 खण्ड, लो0नि0वि0, रुड़की	इं0 शैलेन्द्र मिश्रा	01332—272619	—	7906464023
38	अधिशाली अभियन्ता, सिचाई खण्ड, हरिद्वार	इं0 सुन्दर लाल कुडियाल	01334—221518	—	9411391450
39	अधिशाली अभियन्ता, सिचाई खण्ड, रुड़की	इं0 अतर सिंह बिष्ट	01332—260004	—	9412363451
40	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई, हरिद्वार	इं0 संजय भास्कर	01334—239236	—	9412079103
41	अधिशाली अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंग नहर, रुड़की	इं0 दिनेश कुमार	01332—272253 (फैक्स)—272254	—	9045480971
42	अधिशाली अभियन्ता, जल संस्थान, हरिद्वार	इं0 नरेशपाल	01334—262099, 226360	—	9997887871
43	अधिशाली अभियन्ता, पेयजल निगम, हरिद्वार	इं0 मोहम्मद मिशम	01334—227781	—	9411535931
44	अधिशाली अभियन्ता, पी0आई0यू0 (अमृत) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रुड़की	इं0 संजय सिंह	—	—	8077934575
45	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार	इं0 रामजी शरण	01334—239057 (फैक्स)—239016	—	7534804090
46	उप महाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल, हरिद्वार	इं0 आर0के0 रजोरा	01334—239734 239531	—	9411111276
47	अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल (शहरी) हरिद्वार	इं0 वी0एस0 पंवार	01334—221199 (फैक्स)—221938	—	9412073700
48	अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल (शहरी) ज्वालापुर	इं0 प्रदीप चौधरी			9412073706
49	अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल (ग्रामीण) हरिद्वार	इं0 वाई0एस0 तोमर	01332—234626	—	9412073714
50	अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल (ग्रामीण), लक्सर	इं0 देवेन्द्र कुमार			9412073703

51	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) हरिद्वार	श्री यशपाल सिंह	01334-239511	—	9458382998
52	जिला पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार	श्री राहुल शर्मा	01334-255125	—	8126928368 7088115015
53	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार	श्री मनीष तिवारी	01334-239767	—	9411112169
54	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हरिद्वार	श्री सुरेन्द्र कुमार	01334-239767	—	9411112156
55	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुड़की	श्री शैलेश कुमार	—	—	9411112155
56	जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार	श्री दीपराज अग्निहोत्री	01334-239743	—	9410594697
57	अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार	श्री दीपराज अग्निहोत्री (प्रभारी)	01334-239244	—	9410594697
58	जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार	श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी	01334-239727	—	9456544874
59	जिला अल्प बचत अधिकारी, हरिद्वार	श्री —	01334-239546	—	—
60	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, हरिद्वार	श्री पूरन सिंह तोमर	01334-239377	—	9411724377
61	जिला कार्यक्रम अधिकारी, हरिद्वार	श्री मुकुल चौधरी	01334-239045	—	9411599603
62	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रुड़की	श्रीमती अंजली रावत	01332-262452	—	9897328005
63	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल, हरिद्वार	श्री कौस्तुभ मिश्र (प्रभारी)	01334-250823		8755319095 7248555504
64	जिला क्रीड़ा अधिकारी, हरिद्वार	श्री सुनील कुमार डोभाल	01334-239048	—	9412973674
65	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	डा० वी०के० यादव	01334-239034	—	9412987380
66	मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार	श्री इन्द्रपाल कुशवाहा	01334-239062	—	9412009370
67	जिला परियोजना अधिकारी, उरेडा, हरिद्वार	सुश्री वन्दना	01334-239010	—	9412864765
68	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, हरिद्वार	श्रीमती सीमा नौटियाल	01334-265304	—	8449167814
69	जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समिति हरिद्वार	श्री मनोज कुमार पुनेठा	01334-239378	—	9410348348
70	जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार	श्री उत्तम कुमार	01334-246468	—	8630736422
71	जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, हरिद्वार	श्री रमेश चन्द्र	01334-239621	—	9359232795
72	महाप्रबन्धक, दूरसंचार, हरिद्वार	श्री अखिलेश गुप्ता	01334-229311	—	9412000653

					9414001144
73	उप महाप्रबन्धक, दूरसंचार, हरिद्वार	श्री मधुसूदन शर्मा	01334-229311	—	9412739009
74	सहा० महाप्रबन्धक (प्रशा०), दूरसंचार, हरिद्वार	श्री कमलेश्वर मिश्र	01334-229311	—	9412070777
75	सहायक सूचना निदेशक/जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार	कु० अर्चना	01334-226695	—	9690303747 7055007017
76	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, हरिद्वार	कमाण्डर ए०के० चौधरी	01334-250082, 250916	—	9720004118
77	परियोजना प्रबन्धक, स्वजल, हरिद्वार	श्री सोमनाथ सैनी	01334-239023	—	9012950583
78	सहायक निदेशक, मत्स्य, हरिद्वार	श्री अनिल कुमार	01334-239008	—	9411131888
79	जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, हरिद्वार	श्री गौतम कुमार	01334-225637	—	9457585300
80	सहायक निदेशक, डेयरी, हरिद्वार	श्री पियूष आर्य	01334-239473	—	7579232020
81	सहायक श्रमायुक्त, श्रम विभाग, हरिद्वार	श्री प्रशान्त कुमार	01334-239864	—	8449977777
82	जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार	श्री प्रशान्त कुमार	01334-239386	—	9412418680
83	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार	श्री हरीश सिंह रावत	01334-239942 239029 (1950)	—	8954822683
84	सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचस्थानी)	श्री आर०आर० थपलियाल	01334-239454	—	9412964575 7534820732
85	जिला समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र, हरिद्वार	डा० यागेश धस्माना (प्रभारी)	01334-242428	—	7464906945
86	सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार	श्री शैलेन्द्र सिंह	—	—	8445347453
87	तहसीलदार हरिद्वार	श्रीमती सुनैना राणा	01334-254807	—	9458182521
88	तहसीलदार रुड़की	श्री मंजीत सिंह गिल	01332-272318	—	9557163012
89	अपर तहसीलदार, रुड़की	श्रीमती सुशीला कोठियाल	01332-272318	—	8279685422
90	तहसीलदार लक्सर	श्री गोपाल सिंह चौहान	01332-254376	—	9568865152
91	तहसीलदार भगवानपुर	श्री आशीष घिल्डियाल	01332-232001	—	7535047189
92	नायब तहसीलदार, ज्वालापुर, हरिद्वार	श्री चित्र कुमार त्यागी	01334-254807	—	8650501576
93	नायब तहसीलदार, फेरुपुर, हरिद्वार	श्री महेन्द्र सिंह	01334-254807	—	9719447811
94	नायब तहसीलदार, लक्सर	श्री सुशील कुमार	01332-254376	—	9927552345
95	नायब तहसीलदार, भगवानपुर	—	01332-224216	—	—

96	खण्ड विकास अधिकारी, बहादुराबाद	श्री एस0एस0 धमाता	01334-248910	—	9760938432
97	खण्ड विकास अधिकारी, रुड़की	श्रीमती मनविन्दर कौर	01332-267499	—	9456593487
98	सहायक, खण्ड विकास अधिकारी, रुड़की	श्री मुनेश त्यागी	01332-267499	—	9458382206
99	खण्ड विकास अधिकारी, लक्सर	आई0एस0 भण्डारी	01332-255657	—	7579126253
100	खण्ड विकास अधिकारी, खानपुर	श्री धामी लाल	01332-280005	—	8755248954
101	सहायक खण्ड विकास अधिकारी, खानपुर	श्री सुखवीर सिंह सैनी	01332-280005	—	9458127311 8859428264
102	खण्ड विकास अधिकारी, भगवानपुर	श्रीमती शिवरानी चौहान	01332-232967	—	9897176730
103	खण्ड विकास अधिकारी, नारसन	श्री एस0के0 गुप्ता	01332-222631	—	9897176730
104	आपदा प्रबन्धन अधिकारी, हरिद्वार	श्रीमती मीरा कैन्तुरा	01334-223999	—	9412914875 7351428593

जनपद हरिद्वार में कार्यरत रिटेल आउटलेट की सूची माह जनवरी-2018 (11-04-2018)

क्र०सं०	लाईसेन्स नम्बर	नाम रिटेल आउटलेटस
1	WHP-44/1981	मै० फूलचन्द गुप्ता एंड सन्स, सिविल लाईन, रुड़की
2	WHP-45/1981	मै० रुड़की गैसीलीन स्टेशन, सिविल लाईन, रुड़की
3	WHP-46/1981	मै० कुमार सर्विस स्टेशन, सिविल लाईन, रुड़की
4	WHP-47/1981	मै० लक्ष्मी फिलिंग स्टेशन, भगवानपुर
5	WHP-48/1981	मै० रजनीश फिलिंग स्टेशन, झबरेडा
6	WHP-53/1981	मै० ठाकुर दास रामानन्द ज्वालापुर
7	WHP-55/1981	मै० शिवालिक फिलिंग स्टेशन, रेलवे रोड ज्वालापुर
8	WHP-57/1981	मै० महन्त सर्विस स्टेशन निकट चुगी रुड़की
9	WHP-60/1981	मै० मान ऑयल सर्विस स्टेशन मंगलौर, रुड़की
10	WHP-61/1981	मै० किसान फिलिंग स्टेशन, बहादराबाद
11	WHP-69/1988	मै० मुरारी लाल शेखर चन्द जैन रेलवे रोड, ज्वालापुर
12	WHP-70/1986	मै० आटो एण्ड साईकिल सेल्स बाईपास रोड, हरिद्वार
13	WHP-71/1988	मै० रायसी डीजल सेन्टर, ग्राम रायसी, लक्सर,
14	WHP-72/1990	मै० गंगा आटो केयर, नजीबाबाद रोड श्यामपुर, हरिद्वार
15	WHP-76/1995	मै० शिखा सर्विस स्टेशन रुड़की, लक्सर रोड लण्ढौरा
16	WHP-77/1995	मै० गुरुकुल हाईवे फिलिंग स्टेशन, गुरुकुल नारसन
17	WHP-78/1995	मै० मोहन हफलिंग स्टेशन, जगजीतपुर, बहादराबाद
18	WHP-79/1995	मै० हरिकृपा फिलिंग स्टेशन, प्रेमनगर आश्रम, ज्वालापुर रोड
19	WHP-80/1995	मै० गंगोत्री फिलिंग स्टेशन, बहादराबाद
20	WHP-81/1995	मै० गणपति गैसोलिन स्टेशन, रुड़की
21	WHP-82/1998	मै० गोयल फिलिंग स्टेशन, रुड़की
22	WHP-82/2000/01	मै० गंगा साबिर फिलिंग स्टेशन, बहादराबाद
23	WHP-84/2002	मै० शिव जय शिव शंकर गोरधनपुर
24	WHP-85/2002	मै० राघव फिलिंग स्टेशन, मखनपुर, भगवानपुर
25	WHP-86/2001	मै० साक्षी फिलिंग स्टेशन, इकबालपुर
26	WHP-88/2003	मै० निर्मला सर्विस स्टेशन, लक्सर
27	WHP-89/2003	मै० श्री मोटर्स-औरंगजेबपुर-भगवानपुर
28	WHP-90/2003	मै० अनमोल फिलिंग, स्टेशन, अमानतगढ़, अमानतगढ़
29	WHP-91/2003	मै० दीप फिलिंग स्टेशन, मण्डावर
30	WHP-92/2003/05	मै० संजय गुरगं, सिर्विस स्टेशन, औरंगजेबपुर, अमानतगढ़
31	WHP-93/2003	मै० शहीद ज्ञान सिंह बिष्ट, फिलिंग स्टेशन, भगवानपुर
32	WHP-94/2003	मै० दक्ष पेट्रोलियम, उल्हेडा, नारसन
33	WHP-95/2003	मै० मंगलौर हाईवे फिलिंग स्टेशन, कुरडी, मंगलौर
34	WHP-98/2003	मै० रायल पेट्रोलियम, झबरेडा
35	WHP-99/2004	मै० जगदम्बा फिलिंग स्टेशन, लण्ढौरा
36	WHP-101/2004	मै० ओम फिलिंग स्टेशन, बाईपास रोड सीमापुर ज्वालापुर
37	WHP-102/2004	मै० जगत पेट्रोलियम रुड़की हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 58 माईल स्टोन, ग्राम ज्वालापुर
38	WHP-103/2004	मै० शिखा पेट्रोलियम, रुड़की

39	WHP-104/2004	मै0 साईकृपा फिलिंग स्टेशन, मंगलौर
40	WHP-106/2004	मै0 शर्मा सर्विस स्टेशन, ग्राम सुल्तानपुर, टिक्कमपुर, लक्सर
41	WHP-107/2004	मै0 साबिर सर्विस स्टेशन, ग्राम मुकर्रबपुरख सोहलपुर, कलियर रोड
42	WHP-108/2004	मै0 कृष्णा फिलिंग स्टेशन, मोहम्मदपुर कुन्हारी
43	WHP-109/2004	मै0 मारुति फयूल सेन्टर सुल्तानपुर, टिक्कमपुर, सुल्तानपुर
44	WHP-110/2004	मै0 अम्बा ट्रांसपोर्ट कम्पनी, आर्दश नगर रुड़की
45	WHP-112/2004	मै0 देव सर्विस स्टेशन, आर्दश नगर रुड़की
46	WHP-113/2005	श्री काजी निजामुददीन पुत्र श्री मोहिददीन मंगलौर
47	WHP-114/2005	मै0 गणेशर फिलिंग स्टेशन, लिब्बरहेडी, नारसन
48	WHP-117/2006	मै0 शिवकृपा फिलिंग स्टेशन, लिब्बरहेडी, नारसन
49	WHP-118/2006	मै0 रायल पेट्रोलियम तिब्बहेडी तहसील लक्सर। मै0 हरि पेट्रोलियम
50	WHP-119/2006	मै0 चौधरी फिलिंग स्टेशन, लक्सर
51	WHP-120/2006	मै0 राम फिलिंग स्टेशन, रामनगर, लखनौता
52	WHP-121/2006	मै0 नन्हेडा अनन्तपुर हरिजन सहाकरी समिति, नन्हेडा अनन्तपुर
53	WHP-122/2006	मै0 श्याम फिलिंग स्टेशन, बढेडी राजपूतान बहादराबाद
54	WHP-123/105/2006	मै0 शहीद भरत सिंह, फिलिंग स्टेशन, ग्राम करौदी, भगवानपुर
55	WHP-124/87/2006	मै0 कारगिल शहीद प्रताप सिंह पुण्डीर, गुरुकुल नारसन
56	WHP-125/2007	मै0 रत्न फिलिंग स्टेशन, ग्राम ढन्डेरा, रुड़की
57	WHP-126/2007	मै0 जय जगदीश फिलिंग स्टेशन, ग्राम हददीपुर ग्रन्ट, तहसील हरिद्वार
58	WHP-127/2007	मै0 इन्दिरा सर्विसेज, नारसन
59	WHP-128/100/07	मै0 श्री साई फिलिंग स्टेशन, ग्राम खानपुर लक्सर
60	WHP-129/2007	मै0 महादेव किसान सेवा केन्द्र, ग्राम खानपुर

जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)



परिशिष्ट

➤ राज्य आपदा मोचन निधि मानक
➤ प्रलेख में प्रयुक्त परिभाषायें एवं संकेतात्मक शब्द
➤ आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उपकरणों का विवरण
➤ आपदा में खोज-बचाव प्रशिक्षित कार्मिक एवं स्वयं सेवकों की सूची
➤ (1) होमगार्ड, पी0आर0डी0, (2) आपदा मित्र, ग्राम प्रहरी, (3) जल पुलिस, (4) अग्निशमन विभाग, (5) युवक मंगल एवं महिला मंगल दल (6) ग्राम प्रधान (7) दिव्यांगजन सूची।

2019

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण हरिद्वार

दूरभाष/फैक्स : 01334-223999, 1077 (Toll-Free)

मो0-7055258800, ई-मेल : ddmoharidwar@gmail.com

जनपद में दैवीय आपदा अन्तर्गत मृतक व्यक्तियों/क्षतिग्रस्त भवनों/पशुहानि का विवरण निम्नवत् है—

क्र. स.	तहसील का नाम	घटना का वर्ष	मृतक का विवरण	भवन क्षति		पशुहानि	
				पक्का	कच्चा	बड़ा	छोटा
1	2	3	4	5	6	7	8

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना परिशिष्ट का विवरण

क्र०सं०		—राज्य आपदा मोचन निधि मानक —प्रलेख में प्रयुक्त परिभाषायें एवं संकेतात्मक शब्द —आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उपकरणों का विवरण —आपदा में खोज—बचाव प्रशिक्षित कार्मिक एवं स्वयं सेवकों की सूची (होमगार्ड, पी०आर०डी०, आपदा मित्र, ग्राम प्रहरी, जल पुलिस, अग्निशमन विभाग, युवक मंगल एवं महिला मंगल दल की सूची संलग्न)
---------	--	---

सेवा में,

श्रीमान आपदा प्रबन्धन अधिकारी महोदया,
हरिद्वार।

विषय: ड्यूटी परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, अवगत कराना है कि प्रार्थी के पिताजी को एक दुर्घटना में काफी चोट आ गई है, जिनको इलाज के उपरान्त घर पर देखभाल की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः महोदय प्रार्थी की ड्यूटी समय प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, हरिद्वार में लगायी गयी है। जिस कारण प्रार्थी को अपने पिताजी की देखभाल करने में कठिनाई हो रही है।

अतः : महोदय से विन्नम निवेदन है की प्रार्थी की ड्यूटी रात्रि 08:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक लगाने कृपया करें, जिससे प्रार्थी दिन के समय में अपने पिताजी की अच्छी तरह से देखभाल कर सके।

प्रार्थी

(भोलेराम)
संविदा कर्म
हरिद्वार रेंज।